वार्षिक रिपोर्ट • ANNUAL REPORT

2015 - 16

mudra

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana

Atal Pension Yojana

੧ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

पी.एस.बी.

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

निदेशक मंडल / Board of Directors

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री जतिन्दरबीर सिंह, आई.ए.एस.
Chairman & Managing Director
Sh. Jatinderbir Singh, I.A.S.

कार्यकारी निदेशक
श्री मुकेश कुमार जैन
Executive Director
Sh. Mukesh Kumar Jain

कार्यकारी निदेशक
श्री अरविन्द कुमार जैन
Executive Director
Sh. Arvind Kumar Jain

श्री एस.आर. मेहर
Sh. S.R. Mehar

श्री प्रदीप्त. के. जेना
Sh. Pradipta K. Jena

श्री संजय वर्मा
Sh. Sanjay Verma

श्रीमति अनीता कर्णावर
Smt. Anita Karnavar

श्री एम.एस. सारंग
Sh. M.S. Sarang

श्री सुखेन पाल बबूता
Sh. Sukhen Pal Babuta

श्री अतनु सेन
Sh. Atanu Sen

विषय–सूची / Contents

		पृष्ठ संख्या / Page No.
1.	उल्लेखनीय तथ्य / Highlights	2
2.	निदेशक मंडल / Board of Directors	3
3.	नोटिस / Notice	4-15
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट / Directors' Report	16-43
5.	कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट / Corporate Governance Report	44-87
6.	बासल–II व बासल–III के अंतर्गत प्रकटीकरण / Disclosure under Basel - II & Basel - III	88-161
7.	वित्तीय विवरणियां / Financial Statements:	
	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Independent Auditors' Report	162-165
	तुलन–पत्र / Balance Sheet	166-167
	लाभ–हानि खाता / Profit & Loss Account	166-169
	अनुसूचियाँ / Schedules	170-231
	नकदी प्रवाह विवरण–पत्र / Cash Flow Statement	232-235
8.	प्रॉक्सी प्रारुप / Proxy Form	236-237
9.	उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip	238-239

उल्लेखनीय तथ्य / Highlights

रुपए लाखों में / Rupees. in lacs
दिनांक 31.03.2016 को / As on 31.03.2016

1.	जमा Deposits	9124996
2.	सकल अग्रिम Gross Advances	6527722
3.	प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	2450797
4.	सकल निवेश Gross Investments	2769340
5.	परिचालन लाभ Operating Profit	126989
6.	शुद्ध लाभ Net Profit	33597
7.	आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	0.34%
8.	शुद्ध एन.पी.ए. अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	4.62 %
9.	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बासेल–II) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-II)	11.75%
10.	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बासेल–III) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-III)	10.91%

बोर्ड निदेशक / Board of Directors

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री जतिन्दरबीर सिंह, आई.ए.एस.

Chairman & Managing Director
Sh. Jatinderbir Singh, I.A.S.

कार्यकारी निदेशक
श्री मुकेश कुमार जैन

Executive Director
Sh. Mukesh Kumar Jain

कार्यकारी निदेशक
श्री अरविन्द कुमार जैन

Executive Director
Sh. Arvind Kumar Jain

निदेशक / Directors

श्री एस.आर. मेहर
Sh. S.R. Mehar

श्री प्रदीप्त के. जेना
Sh. Pradipta K. Jena

श्री संजय वर्मा
Sh. Sanjay Verma

श्रीमति अनीता कर्णावर
Smt. Anita Karnavar

श्री एम.एस. सारंग
Sh. M.S. Sarang

श्री सुखेन पाल बबूता
Sh. Sukhen Pal Babuta

श्री अतनु सेन
Sh. Atanu Sen

महाप्रबंधक / General Managers

श्री आई.एस. भाटिया
Sh. I.S. Bhatia

श्री एम.जी. श्रीवास्तव
Sh. M.G. Srivastava

श्री दीपक मैनी
Sh. Deepak Maini

श्री जी.एस. ढल्ल
Sh. G.S. Dhall

श्री डी.डी. शर्मा
Sh. D.D. Sharma

श्री वीरेन्द्र गुप्ता
Sh. Varinder Gupta

श्री एस.सी. क्वात्रा
Sh. S.C. Kwatra

श्री जी.एस. नारंग(प्रतिनियुक्ति पर)
Sh. G.S. Narang (On Deputation)

श्री हरविन्दर सिंह
Sh. Harvinder Singh

श्री आर. के. बंसल
Sh. R.K.Bansal

श्री रमिन्दरजीत सिंह
Sh. Raminderjit Singh

श्री जी.एस. ढींगरा
Sh. G.S. Dhingra

लेखा परीक्षक / Auditors

मैसर्स तिवारी एण्ड एसोशिएटस
M/s Tiwari & Associates

मैसर्स ढ़िल्लों एण्ड एसोशिएटस
M/s Dhillon & Associates

मैसर्स धवन एण्ड कं.
M/S Dhawan & Co.

मैसर्स दविन्दर पाल सिंह एण्ड कं.
M/S Davinder Pal Singh & Co.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय : 21–राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

www.psbindia.com

नोटिस

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की छठवीं वार्षिक सामान्य बैठक इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40 – मैक्समूलर मार्ग, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली –110003 में मंगलवार, 28 जून 2016 को प्रातः 10.00 बजे आयोजित की जाएगी। इसमें निम्नलिखित कारोबार संचालित होंगेः

मद सं.

1. बैंक के 31 मार्च 2016 के लेखा परीक्षित तुलन–पत्र, 31 मार्च 2016 का लाभ–हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि में कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन–पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार–विमर्श, अनुमोदन व स्वीकार करने हेतु।

2. वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए शेयरों पर लाभांश का अनुमोदन व घोषणा।

यह भी सूचित किया जाता है कि वार्षिक सामान्य बैठक में ई–वोट/वोट देने के पात्र शेयरधारकों के नामों का पता लगाने के लिए अंतिम तिथि(कट ऑफ डेट) 21.06.2016 निर्धारित की है। (क) वार्षिक सामान्य बैठक के सिलसिले में शेयर–धारकों के रजिस्टर तथा बैंक की शेयर अंतरण बुक दिनांक 22.06.2016 से 28.06.2016 तक, जिसमें दोनो दिन सम्मिलित हैं बंद रहेगी तथा (ख) छठवीं वार्षिक सामान्य बैठक में घोषित अंतिम लाभांश, यदि कोई है तो प्राप्त करने वाले शेयरधारकों की पात्रता का निर्धारण किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

जतिन्दरबीर सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 मई, 2016

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

www.psbindia.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Sixth Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on Tuesday, the 28th June, 2016 at 10.00 a.m. at India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodi Estate, New Delhi-110003 to transact the following business:

Item No.

1. To discuss, approve and adopt the Financial Results viz. Audited Balance Sheet and Profit & Loss Accounts of the Bank for the year ended 31st March 2016, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To approve and declare dividend on Equity Shares for the financial year 2015-16.

Notice is also given that the Bank has fixed 21.06.2016 as the 'Cut-Off date' to ascertain names of shareholders who shall be entitled to e-vote / vote at the Annual General Meeting and to receive dividend. Further, the Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from 22.06.2016 to 28.06.2016 (both days inclusive) in connection with (a) the Annual General Meeting and (b) to determine the entitlement of shareholders to receive dividend declared, if any, at the Sixth AGM.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date : 18 May, 2016

Jatinderbir Singh
Chairman & Managing Director

टिप्पणियां

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयर–धारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होगा/होगी तथा प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता। विनियमों के विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी को दिए गए लिखत द्वारा व्यक्तिगत रूप से बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा जिससे लिखत संबंधित है।

प्रॉक्सी फार्म (अनुलग्नक–ए) तभी प्रभावी होगा जब वह पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, बैंक के शेयर कक्ष, 21–राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008 में वार्षिक समान्य बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् दिनांक 23.06.2016 (वृहस्पतिवार) को सायं 5 बजे अथवा बैंक के कार्य–घंटों के समाप्त होने से पूर्व प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ मुख्तारनामा या अन्य अधिकार पत्र यदि कोई है, जोकि हस्ताक्षरित है अथवा नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित है सत्य–प्रति के रूप में प्रस्तुत की जाए बर्शते यह मुखतारनामा अथवा अधिकार पत्र पूर्व में बैंक के पास जमा है तथा रजिस्टर्ड है।

2. अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी या निगमित निकाय जोकि बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसे एक यथाविधि अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति उस बैठक के अध्यक्ष, जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 23.06.2016 (वृहस्पतिवार) को सायं 5 बजे या इससे पहले पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, बैंक के शेयर कक्ष, 21–राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008 में प्राप्त हो जाना चाहिए।

3. पंजीकरण, उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पर्ची

शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु दिनांक 28.06.2016 को प्रातः 9.00 बजे पंजीकरण बैठक स्थल पर आरंभ होगी। शेयरधारकों को पंजीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु बैठक में समय से पहले उपस्थित होने का अनुरोध है।

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची तथा उपस्थिति पास (अनुबंध 'बी') में संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची भर कर, उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर, इसे बैठक स्थल पर सौप दें इसके पश्चात ही उन्हें प्रवेश पर्ची जारी की जाए। शेयरधारक के प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची पर प्रॉक्सी या अधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थिति हो अंकित करेगा। शेयरधारकों/प्रॉक्सी–धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि बैठक में प्रवेश का अधिकार सत्यापन/जांच, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा, के पश्चात होगा, और उनको वैध पहचान जैसे मतदाता पहचान पत्र/नियोक्ता पहचान पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस आदि को साथ में लाने की सलाह दी जाती है। प्रवेश पास को प्रस्तुत करने पर चुनाव के लिए मतपत्र जारी किया जाएगा।

4. शेयर अंतरण एजेन्टों के साथ पत्र–व्यवहार

शेयरधारक, जिनके पास शेयर भौतिक स्थिति में हैं, से उनके ई–मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण आदि में हुए परिवर्तनों, यदि कोई है तो, ईलेक्ट्रॉनिक मोड से सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी सूचना बैक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर दी जाए:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.
यूनिट–पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
44, कम्प्युनिटी सेन्टर, दूसरी मंजिल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I
नजदीक पी.वी.आर. नारायणा, नई दिल्ली–110 028.
फोन 011 41410592, 41410593
ई–मेलः delhi@linkintime.co.in

शेयरधारक जिनके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे अपने ई–मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण में परिवर्तन/अद्यतन यदि हो तो, अपने डिपॉज़िटॉरी सहभागी को सारा संप्रेषण इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करने के लिए सूचित करें।

NOTES

1. **APPOINTMENT OF PROXY:**

A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a shareholder of the Bank.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008. As per the regulation 70 (vi) of Regulations, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy Form (Annexure-'A') in order to be effective must be received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 23.06.2016 (Thursday) together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

2. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :**

No person shall be appointed as authorised representative who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 23.06.2016 (Thursday).

3. **REGISTRATION, ATTENDENCE SLIP AND ENTRY SLIP:**

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 9.00 a.m. on 28.06.2016, at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

For the convenience of the shareholders, attendance slip and entry pass is annexed (Annexure-'B') to this notice. Shareholders/Proxy Holders/Authorised Representatives are requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue and thereafter entry slip shall be issued to them. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Ballot paper for poll will be issued against surrendering of entry pass.

4. **COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:**

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes/update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to Share Transfer Agent of the Bank at the following address to receive all communication through electronic mode:

Link Intime India Pvt Ltd.

Unit: Punjab & Sind Bank

44, Community Centre, 2nd Floor, Naraina Industrial Area, Phase-I,

Near PVR Naraina, NEW DELHI-110 028.

Ph: 011 41410592, 41410593

email: delhi@linkintime.co.in

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes/ update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to their depository participants, to receive all communication through electronic mode.

5. **लाभांश का भुगतान**

बैंक के निदेशक मण्डल नें अपनी दिनांक 10.05.2016 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए प्रत्येक 10/– रुपए के इक्विटी शेयर के लिए अंतिम लाभांश 1.65 रुपए (एक रुपए और पैंसठ पैसे) की अनुशंसा की। निदेशक मण्डल द्वारा संस्तुति तथा छठवीं सामान्य बैठक के अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगाः

क. दिनांक 21.06.2016 को कारोबार समय की समाप्ति पर नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोज़िटरी लिमिटेड(एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज(इंडिया) लि.(सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रुप में धारित शेयरों के सभी लाभार्थी स्वामियों को।

ख. दिनांक 21.06.2016 के कार्यकाल की समाप्ति अर्थात् 5.00 बजे तक या उससे पहले बैंक/ बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात् लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. के पास दर्ज शेयर हस्तांतरण अनुरोध के संबंध में वैध हस्तांतरण प्रभावी करने के पश्चात् भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को।

ग. छठवीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से 30 दिन के अंदर पात्र शेयरधारकों को लाभांश वितरित किया जाएगा।

6. **लाभांश अधिदेश/डाक पते में परिवर्तन**

क. इलैक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए लाभार्थी शेयरधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपोजिटरी खाते में पंजीकृत बैंक विवरणों को बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। बैंक अथवा इसका रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट, इलैक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे ही प्राप्त ऐसे किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं करेगा जो बैंक विवरणों अथवा बैंक अधिदेश से संबंधित होंगे। ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल उनके डिपॉजिटरी सहभागी को ही दी जानी चाहिए।

ख. भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते तथा बैंक विवरण में कोई परिवर्तन हो, तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. को दें। इलैक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अवश्य ही अपने संबंधित सहभागी डिपोजिटरी को देनी चाहिए। बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार एव शेयर हस्तांतरण एजेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

ग. सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार एव शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर(उनके लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में है) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए जिनके पास शेयर इलैक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का अवश्य उल्लेख करें।

7. **अप्रदत्त/दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो**

जिन शेयरधारकों ने अपने पिछले लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं लिया है वे बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से दर्शाए गए पते पर या 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली–110 008 में बैंक के शेयर कक्ष से संपर्क करें।

8. **फोलियों का समेकन**

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खातों में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. (आर.टी.ए.) को शेयर प्रमाण–पत्रों के साथ ऐसे खातों के लेजर फोलियो के साथ सूचित करें ताकि बैंक एक खाते मे सभी धारित शेयरों का समेकन करने में सक्षम हो सके। पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद, सदस्यों के शेयर प्रमाण–पत्र यथा समय लौटा दिए जाएंगे।

9. **शेयर धारकों से अनुरोध**

शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लेकर आए। वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की कोई प्रति वितरित नहीं की जाएगी।

यह प्रशंसनीय होगा कि शेयरधारक अपने प्रश्न, यदि कोई हैं, समय से पर्याप्त पहले कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्र.का. शेयर कक्ष, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली–110008 के पास प्रेषित करे या complianceofficer@psb.co.in पर मेल करे।

10. **शेयर धारकों के मताधिकार**

अधिनियम की धारा 3(2ई) में दिए गए प्रावधानों की शर्तो के अनुसार केंन्द्र सरकार के अलावा, बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारक शेयर, बैंक के सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकार का 10 प्रतिशत से अधिक शेयर रखता है तो वह मताधिकार का पात्र नहीं होगा।

बैंक सभी शेयरधारकों को एजेंडा मदों के लिए ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। वा.सा.बै. की ई–वोट, वोट की पात्रता की अंतिम दिनांक(कट ऑफ डेट) 21.06.2016 है। ई–वोटिंग की अवधि 25.06.2016 को पूर्वाह्न 10.00 बजे प्रारंभ होगी और 27.06.2016 को अपराह्न 5.00 बजे तक होगी। इसके पश्चात ई–वोट नहीं की जा सकेगी। लॉगइन आईडी, पासवर्ड, पद्यति अनुबंध में दी गई है।

5. **PAYMENT OF DIVIDEND**

The Board of Directors of the Bank in its meeting held on 10.05.2016 recommended a dividend of Rs.1.65 (Rupee One and paise sixty five only) per equity share of Rs. 10/- each fully paid up, for the financial year 2015-16. Dividend as recommended by the Board of Directors, on approval and declaration at the Sixth Annual General Meeting will be paid as under:

a. To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Services Ltd. (NSDL) / Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as of the close of business hours on 21.06.2016.

b. To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers, if any, in respect of transfer requests lodged with the Bank/ Bank's Share Transfer Agent, i.e., Link Intime India Pvt. Ltd. on or before the close of business hours, i.e. 5.00 p.m. on 21.06.2016.

c. The dividend will be distributed to the eligible shareholders within thirty days from the date of Sixth Annual General Meeting.

6. **DIVIDEND MANDATE / CHANGE OF ADDRESS**

a) Beneficial Owners holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account will be used by the Bank for payment of dividend. The Bank or its Share Transfer Agent can not act on any request received directly from the shareholders holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandate. Such changes are to be advised only to their Depository Participant.

b) Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address, bank details immediately to the Bank's Share Transfer Agent, i.e. Link Intime India Pvt. Ltd. Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address, bank details to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Share Transfer Agent.

c) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP ID / Client ID number (for those holding shares in electronic form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

7. **UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY**

The shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are requested to approach the Banks' Share Transfer Agent at aforesaid address or at Banks' Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008.

8. **CONSOLIDATION OF FOLIOS:**

The shareholders, who are holding shares in identical order of names in more than one folio, are requested to intimate to Link Intime India Pvt. Ltd. (RTA), the ledger folio of such accounts together with the share certificate(s) to enable the Bank to consolidate all the holdings into one folio. The share certificate(s) will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

9. **REQUEST TO SHAREHOLDERS:**

Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. No copy of the Annual report shall be provided at the venue of the Annual General Meeting.

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, HO Shares Cell, 21 Rajendra Place, New Delhi-110008 or email to complianceofficer@psb.co.in.

10. **VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:**

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

The Bank is offering e-voting facility for agenda items to all shareholders. The Cut-off date for eligibility to e-vote/vote at AGM is 21.06.2016. The e-voting period shall commence on 25.06.2016 from 10.00 a.m. and end on 27.06.2016 up to 5.00 p.m. beyond which shareholders cannot e-vote. Details for log-in ID, password, procedure is annexed.

जिन शेयरधारकों ने ई–वोट किया है वार्षिक सामान्य बैठक में भाग ले सकते हैं किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकते। यदि उन्होंने मतदान के माध्यम से मत का प्रयोग किया तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. **शेयर कक्ष**

शेयरधारकों को तीव्र एवं प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने प्रधान कार्यालय में शेयर कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक निम्न पते पर किसी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं–

कंपनी सचिव,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष)
21–राजेन्द्र प्लेस, प्रथम तल, नई दिल्ली–110008
टेलिफोन : 011–25782926, 25812922
ई–मेल : **complianceofficer@psb.co.in**

12. **अन्य जानकारी**

शेयरधारक कृपया जान लें कि सभा में किसी भी प्रकार का उपहार/उपहार कूपन नहीं दिया जाएगा।

कड़ी सुरक्षा के कारणों से हाल के भीतर ब्रीफ केस, खाद्य पदार्थ तथा निजी वस्तुएं ले जाना मना है। इसलिए बैठक में उपस्थित होने वाले सभी व्यक्ति अपने सामान की सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 मई, 2016

जतिन्दरबीर सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

The shareholders who have e-voted can participate in the AGM but cannot participate in poll. Incase they vote through poll, the same will not be considered.

11. SHARES CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi, Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

The Company Secretary,
Punjab & Sind Bank,
Head Office,
Accounts & Audit Department (Shares Cell)
21 Rajendra Place, 1st floor, New Delhi-110008
Telephone: 011-25782926, 25812922
E-mail: complianceofficer@psb.co.in.

12. OTHER INFORMATION

Shareholders may kindly note that no gift/gift coupons will be distributed at the meeting.

Due to strict security reasons, brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the hall. Persons attending the meeting are, therefore, advised to make their own arrangements for the safe keeping of their articles.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date : 18 May, 2016

Jatinderbir Singh
Chairman & Managing Director

ई–वोटिंग

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की छठवीं वार्षिक सामान्य बैठक के लिए ई-वोटिंग

कंपनीज़ (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अनुसार, बैंक छठवीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपने शेयरधारकों को सीडीएसएल के माध्यम से ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

सदस्यों हेतु इलैक्ट्रानिक विधि से वोटिंग हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं :–

(i) दिनांक 25.06.2016 को प्रातः 10 बजे मतदान अवधि जारी होगी और दिनांक 27.06.2016 को सायंकाल 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास अंतिम तिथि 21.06.2016 को शेयर भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में हैं, अपना मतदान ईलैक्ट्रॉनिक रूप से कर सकता है। उसके बाद सीएसडीएल द्वारा मतदान प्रक्रिया रोक दी जाएगी।

(ii) शेयरधारकों को ई.वोटिंग साईट www.evotingindia.com पर मतदान हेतु लॉग ऑन करना चाहिए।

(iii) शेयरधारक पर क्लिक करें।

(iv) अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।

क. सीडीएसल हेतु – 16 अंकों की हिताधिकारी आईडी।

ख. एनएसडीएल हेतु – 8 स्वरूप की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी।

ग. भौतिक रूप में शेयर धारक अपनी पंजीकृत फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।

(v) दर्शायी गई ईमेज को प्रविष्ट करें और लॉगइन पर क्लिक करें।

(vi) यदि आपके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगऑन कर दिया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान कर दिया है तो अपना वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।

(vii) यदि आप प्रथम वार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए कदमों का अनुसरण करेः

	डीमेट रूप तथा भौतिक रूप में शेयरधारकों हेतु
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा –न्यूमेरिक*पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है) • ऐसे सदस्यं जिन्होंने अपना PAN कंपनी/डिपाजिटरी सहभागी के पास अपडेट नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे PAN फील्ड में पोस्टल मतपत्र/उपस्थिति स्लिप में मुद्रित सीरीज संख्या को पैन फील्ड में प्रविष्ट करें।
जन्म–तिथि	डीमेट खाते में या कंपनी के डीमेट खाते के रिकॉर्ड के अनुसार या फोलियो में दिन/माह/वर्ष रूप में अपनी जन्मतिथि प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक विवरण	डीमेट खाते में या कंपनी के डीमेट खाते/ फोलियो में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार अपना लाभांश बैंक विवरण प्रविष्ट करें। • कृपया जन्मतिथि या लाभाँश बैंक विवरण लॉगइन करने हेतु करें। यदि विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास पंजीकृत नही हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/फोलियों संख्या जैसा कि (iv) में उल्लेखित है, प्रविष्ट करें।

(viii) इन विवरणों को प्रविष्ट करने के पश्चात्, "SUBMIT" टेब पर क्लिक करें।

(ix) सदस्य जिनके पास भौतिक रुप में शेयर हैं, सेलेक्शन स्क्रीन पर सीधे पहुँच सकते हैं। जबकि सदस्य जिनके पास डीमेट रुप में शेयर हैं "पासवर्ड क्रिएशन विकल्प" में पहुँचेंगे जहाँ उनके द्वारा लॉगिन पासवर्ड , नए पासवर्ड स्थान में बदल कर देना आवश्यक है। कृपया ध्यानपूर्वक नोट करें कि यह पासवर्ड, डीमेट धारकों द्वारा, किसी भी कंपनी, जिसमें वह वोट देने के लिए समर्थ है, जबकि वह कंपनी जिसमें CDSL द्वारा ई–वोटिंग करवानी हो, प्रयोग किया जा सकता है। आपको गंभीरता से सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।

(x) सदस्य जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, विवरण का केवल उपयोग इस नोटिस में ई–मतदान हेतु दिए गए मसौदे में किया जा सकता है।

(xi) पंजाब एण्ड सिंध बैंक हेतु "EVSN" पर क्लिक करें जिसको आप मतदान करना चाहते हैं।

E-Voting

E-Voting for the Sixth Annual General Meeting of Punjab & Sind Bank

In terms of Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, Bank shall provide facility of e-Voting, through CDSL, to the shareholders for the Sixth AGM.

The instructions for shareholders voting electronically are as under:

(i) The voting period begins on 25.06.2016 at 10.00 a.m. and ends on 27.06.2016 at 5.00 p.m. During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 21.06.2016, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iii) Click on Shareholders.

(iv) Now Enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered.

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Postal Ballot/Attendance Slip indicated in the PAN field.
DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio. • Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN for Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.

(xii) वोटिंग पृष्ठ पर आप रिजोल्यूशन विवरण के समक्ष हाँ/नहीं का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। आवश्यक हाँ अथवा नहीं, विकल्प का चुनाव करें। हाँ का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा नहीं का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।

(xiii) यदि आप सभी प्रस्तावों को देखना चाहते हैं तब "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" को क्लिक करें।

(xiv) वोट करने के प्रस्ताव को चुनने के पश्चात SUBMIT पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स वहा दिखेगा, यदि आप पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो CANCEL पर क्लिक करें और इस प्रकार आप अपना वोट बदल सकते हैं।

(xv) यदि आप प्रस्ताव पर एक बार अपना वोट कर देते हैं तब आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।

(xvi) आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी मतदान पृष्ठ पर "प्रिंट लेने हेतु यहां क्लिक करें" पर क्लिक कर ले सकते हैं।

(xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना परिवर्तित पासवर्ड भूल गया है तब यूजर आईडी और ईमेज सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें और भूले हुए पासवर्ड पर क्लिक करें तथा प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।

(xviii) अवैयक्तिक शेयरधारक तथा अभिरक्षकों हेतु नोट

- अवैयक्तिक शेयरधारक (जैसे वैयक्तिक से अलग, हिंदू संयुक्त परिवार, एनआरआई आदि) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com लॉगइन करना होगा और कॉर्पोरेट के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
- पंजीकरण की स्कैन कॉपी जिस पर संस्था की मोहर तथा हस्ताक्षर होने चाहिए, को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई–मेल कर देना चाहिए।
- लॉगइन विवरण प्राप्त होने के बाद admin लॉगइन और पासवर्ड का उपयोग कर अनुपालन यूजर क्रिएट कर लेना चाहिए। अनुपालन यूजर खाता(ओं) को लिंक करने मे समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
- सभी खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल कर देनी चाहिए और खातों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, वो मतदान करने में समर्थ होंगे।
- अभिरक्षक के पक्ष में उनके द्वारा जारी पॉवर ऑफ अटार्नी और बोर्ड संकल्प की स्कैनड प्रति, यदि कोई है, को पीडीएफ प्रारूप में प्रणाली में अपलोड करना चाहिए ताकि छानबीन करने वाला उसको सत्यापित कर सके।

(xix) व्यक्तियों जिन्होंने शेयर खरीदे हैं और नोटिस को प्रेषित करने के बाद भी ई–वोटिंग हेतु उपरोक्त प्रक्रिया अपना सकते हैं।

टिप्पणीः यदि कोई सदस्यं(ओं) अपने वोट दोनों अर्थात भौतिक रूप या ई–वोटिंग से मतदान करता है तो ई–वोटिंग के माध्यम से किया गया मतदान मान्य रहेगा तथा भौतिक मतदान को अनदेखा कर दिया जाएगा। यद्यपि जिस शेयरधारक ने ने ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है वह सामान्य बैठक में सहभागिता कर सकता है किंतु पोल में वोट नहीं कर सकता।

श्री दीपक गुप्ता, कार्यरत कंपनी सचिव(सीवी नं. 4629) को इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया के लिए अंकेक्षक नियुक्त किया गया है, जो पक्ष या विपक्ष में डाले गए वोटों की रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा इसे बैठक संपन्न होने के तीन दिनों के भीतर अध्यक्ष, वार्षिक सामान्य बैठक को संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे;

अध्यक्ष द्वारा घोषित परिणाम के साथ अंकेक्षक की रिपोर्ट को बैंक की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद डाल दिया जाएगा;

पर्याप्त वोट की प्राप्ति पर संकल्प को वार्षिक सामान्य बैठक के दिन पारित माना जाएगा;

बैठक की सूचना www.psbindia.com तथा www.cdslindia.com पर भी प्रदर्शित है।

यदि ई–वोटिंग के संदर्भ में आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") पर जाएं तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evoting@cdslindia.com पर ई–वोटिंग मेनुअल उपलब्ध है या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई–मेल करें या श्री वेनसिसलॉस फुरटेडो (Wenceslaus Furtado), डिप्टी प्रबंधक, CDSL, 16वां माला, पी.जे. टॉवर, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई–400001, दूरभाष नं. 18002005533 या श्री भारत भूषण, एसोशिएट उपाध्यक्ष, लिंक ईनटाइम प्रा. इंडिया लिमिटेड, 44, कम्यूनिटी सेंटर, द्वितीय तल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–28 दूरभाष नं. 011–41410592,41410593 या delhi@linkintime.co.in को ई–मेल करें।

(xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take print out of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii) If Demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xviii) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

(xix) Person who have acquired shares and become members after despatch of notice may also use the above given procedure for remote e-voting.

Note: In case member(s) cast their vote both via Physical Ballot and e-voting, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by Physical Ballot will be ignored. However, shareholder(s) who have casted their vote through e-voting can participate in General Meeting but cannot vote in poll.

Mr. Deepak Gupta, Practicing Company Secretary (CP No. 4629) has been appointed as the scrutinizer to the electronic voting process and for poll at the Annual General Meeting, who shall prepare and submit its report of the votes cast in favour or not in favour/ against, to the Chairman of the Annual General Meeting within 3 days of the conclusion of the meeting;

The results declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the website of the Bank and on the website of CDSL immediately after the result is declared by the Chairman;

Subject to receipt of the sufficient votes, the resolution(s) shall be deemed to be passed on the date of the Annual General Meeting;

Notice of the meeting is also displayed at www.psbindia.com and www.cdslindia.com.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, CDSL, 16th floor, P.J Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001, Phone-18002005533 or Call Mr. Bharat Bhushan, Associate Vice President, Link Intime India Pvt. Ltd, 44-Community Centre, 2nd floor, Naraina Indl Area, Phase-I, New Delhi-28 Phone-41410592, 41410593 or write an email to delhi@linkintime.co.in.

निदेशक मंडल रिपोर्ट 2015–16

निदेशक मंडल दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, तुलन–पत्र तथा लाभ–हानि खाते को हर्ष के साथ प्रस्तुत करता है।

प्रबंधन विचार- विमर्श एवं विश्लेषण

आर्थिक परिदृश्यः

एक वर्ष पहले जब आर्थिक सर्वेक्षण और बजट प्रस्तुत किया गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था वृहत आर्थिक स्थायित्व को बहाल करने में प्राप्त लाभों को समेकित करने में सफल हुई है। इस कठिन दौर में भारत वृहत स्थायित्व का आश्रय बना हुआ है जिसमें मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा सभी क्षीण हो गए हैं।

हालांकि घटती–बढती गति से आर्थिक वृद्धि बहाल होते दिखाई दे रही है, और 2014–2015 के 7.2% की तुलना में आर्थिक विकास की दर 7.6% होने की संभावना है। पिछले वर्ष की तुलना में कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम की संभावना है और 2015–2016 में 1.7% की वृद्धि रिकॉर्ड की जाने की आशा है। उद्योग ने प्राथमिक रुप से विनिर्माण में महत्वपूर्ण विकास प्रदर्शित किया है और वर्ष 2015–2016 में आईआईपी के लिए अंतःवृद्धि की भविष्यवाणी 4.3% की गई है। इस दौरान सेवा क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा हैं। वर्ष 2015–2016 के लिए सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति नियंत्रण के साथ 5.00% के भीतर रहने की भविष्यवाणी की गई है और थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति नवंबर 2014 से नकरात्मक क्षेत्र (–1.8%) में रही है। वर्ष 2014–2015 की 4.2% की जीडीपी की तुलना में वर्ष 2015–2016 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.00% तक गिरने की संभावना है। मूल्य स्थिरता में भरोसा बढा है एवं सोना आयात वृहत्तरुप से स्थिर हुआ है। चालू खाते के घाटे में कमी आयी है और विदेशी मुद्रा भण्डार ने लगभग 350 बिलियन यूएस डॉलर के अपने सर्वोच्च स्तर को छू लिया है। वर्ष 2014–2015 के अप्रैल–दिसंबर के 21.9 बिलियन डॉलर की तुलना में एफडीआई अंतर्वाह वर्ष 2015–2016 में उसी अवधि में बढकर 27.7 बिलियन डॉलर हो गया है।

आईएमएफ ने हमारे देश को सुस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच में एक 'ब्राईट स्पॉट' बताया है। दो वर्ष की मानसून में 13% की कम बारिश होने तथा वैश्विक प्रतिकूल दशा के बावजूद, यह संवृद्धि प्राप्त की गई है। यद्यपि, भविष्य में इस संवृद्धि के सम्मुख कई चुनौतियां है। वैश्विक मंदी के आने वाले जोखिम और समस्याएं, भविष्य में वस्तुओं की कीमतों में उतार–चढ़ाव, विशेषतया तेल, सातवें वेतन आयोग का अतिरिक्त राजकोषीय भार के अतिरिक्त विकसित के साथ–साथ विकासशील देशों को अर्थव्यवस्था की क्षमता के अनुसार फिर से कुल मांग के समानुपात निवेश आरंभ करना होगा। यद्यपि, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संबंधित एजेंसियां इन समस्याओं के समाधान हेतु समुचित उपाय कर रहे हैं।

भारत में बैंकिंग क्षेत्र के साथ–साथ हमारा बैंक भी उन्नति कर रहा है। यद्यपि, हमारे सामने कुछ मुख्य समस्याएं हैं और आस्ति गुणवत्ता बैंक के सामने एक गम्भीर समस्या है। जमा लागत में कमी और आस्तियों पर प्रतिफल में सुधार, एनआईएम में वृद्धि की चुनौती के साथ पूंजी पर्याप्तता, लाभप्रदता दबाव में है। चुनौतियों का सामना करने हेतु विभिन्न स्तरों पर कई तरह के उपाय किए रहे हैं।

कार्य–निष्पादन परिणाम

कुल व्यापार

दिनांक 31.03.2015 को बैंक के रु. 151511 करोड़ की तुलना में वर्ष 31.03.2016 की समाप्ति पर बैंक के कुल व्यापार में 3.31% की वृद्धि दर्ज की गई जोकि रु.156527 करोड़ रहा।

लाभ

वित्तीय वर्ष 2014–2015 के दौरान रु. 121.35 करोड़ की तुलना में बैंक ने वर्ष 2015–2016 के दौरान रु. 335.97 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। वर्ष 2014–15 के 0.13% की तुलना में आस्तियों पर प्रतिफल 0.34% रहा।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के परिणामों की प्रमुख बातें

राशि लाखों में

	समाप्त वर्ष		प्रतिशत में परिवर्तन
	31.03.2016	31.03.2015	
ब्याज की आय	874434	858855	1.81
अन्य आय	47848	42875	11.60
कुल आय	922282	901730	2.28
कुल व्यय	795293	824185	–3.51
परिचालन लाभ	126989	77545	63.76
शुद्ध लाभ	33597	12135	176.86
आस्तियों पर प्रतिफल	0.34%	0.13%	
शुद्ध ब्याज मार्जिन (एन.आई.एम.)	2.22%	1.80%	
सकल अनर्जक आस्तियां	6.48%	4.76%	
शुद्ध अनर्जक	4.62%	3.55%	
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासेल II)	11.75%	11.88%	
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासेल III)	10.91%	11.24%	
प्रति शेयर आय (रु.)	8.39	3.59	

DIRECTORS' REPORT 2015-16

The Board of Directors has pleasure in presenting the Annual Report of the Bank along with the Balance Sheet & Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2016.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS:

ECONOMIC OUTLOOK

Since the Economic Survey and Budget were presented a year ago, the Indian economy has continued to consolidate the gains achieved in restoring macroeconomic stability. Inflation, the fiscal deficit, and the current account deficit have all declined, rendering India a relative haven of macro stability in these turbulent times.

Economic growth appears to be recovering, albeit at varying speeds across sectors and the growth of Economy expected having accelerated to 7.6% as against 7.2% in 2014-15. Agriculture is likely to perform better than last year and expected to record a growth of 1.7% in 2015-16. Industry has shown significant improvement primarily on account of acceleration in manufacturing and the median growth forecast for IIP has been put at 4.3% for 2015-16. Meanwhile, services continue to expand rapidly. The CPI based Inflation remains under control with a median forecast of 5.0% for 2015-16 and the Wholesale Price Index (WPI) based inflation has been put at (-1.8%), remaining in Negative territory since November 2014. The fiscal deficit has been expected to decline from 4.2% of GDP in 2014-15 to 4% of GDP in 2015-16. Confidence in price stability has improved, gold imports have largely stabilized. The current account deficit has declined and Foreign Exchange reserves touched highest ever level of about 350 billion US Dollars. FDI inflows have grown from 21.9 billion dollar in April-December 2014-15 to 27.7 billion dollar to the same period in 2015-16.

Our country has been held as a 'bright spot' amidst a slowing global economy by IMF. This growth has been achieved despite very unfavorable global conditions and two consecutive years shortfall in Monsoon by 13%. However, there are challenges before the growth in future. Risks of further global slowdown and turbulence, future movements in the commodity prices, especially oil, ability of developed as well as developing economies to once again initiate investments in aggregate demand besides the likely additional fiscal burden due to seventh pay commission. However, the Government, RBI and other concerned agencies are undertaking suitable measures for facing the same.

The Banking sector in India is growing, so is our Bank. However, there are some major issues before us. Assets quality remain a serious cause of concern for the Bank and Capital Adequacy, Profitability is under pressure along with greater challenge in increasing the NIM, decreasing the Cost of Deposit and improving the Return on Assets. Different measures at different levels are being taken up to face the challenges.

WORKING RESULTS

TOTAL BUSINESS

During the year ended 31.03.2016, total Business of the Bank recorded an increase of 3.31% at Rs.156527 crore as compared to Rs.151511 crore as on 31.03.2015.

PROFIT

The Bank recorded a Net Profit of Rs.335.97 crore for the year 2015-16 as compared to that at Rs.121.35 crore during the FY 2014-15. The Return on Assets (ROA) stood at 0.34% as compared to that at 0.13% in the year 2014-15.

HIGHLIGHTS OF RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

(Rs. in Lac)

	Year Ended		%age change
	31.03.2016	31.03.2015	
Interest Income	874434	858855	1.81
Other Income	47848	42875	11.60
Total Income	922282	901730	2.28
Total Expenditure	795293	824185	-3.51
Operating profit	126989	77545	63.76
Net Profit	33597	12135	176.86
ROA	0.34%	0.13%	
Net Interest Margin (NIM)	2.22%	1.80%	
Gross NPA	6.48%	4.76%	
Net NPA	4.62%	3.55%	
Capital Adequacy Ratio (Basel II)	11.75%	11.88%	
Capital Adequacy Ratio (Basel III)	10.91%	11.24%	
EPS (Rs.)	8.39	3.59	

पूंजी एवं आरक्षितियाँ

दिनांक 31.03.2015 को बैंक की निवल मालियत रु. 4811.56 करोड़ से बढ़ कर दिनांक 31.03.2016 को रु.5068.08 करोड़ हो गई। दिनांक 31.03.2016 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासेल III) 10.91% है जोकि निर्धारित न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9.625% के विरुद्ध है।

गैर-जमानती प्रतिदेय बांडः (टीयर-II की पूंजी हेतु गौण ऋण)

दिनांक 31.03.2016 तक टीयर II बांड का कुल बकाया रु. 1,325.00 करोड़ था जोकि अपरिवर्तनीय है।

जमा वृद्धि

बैंक की कुल जमा राशियों में 31 मार्च, 2016 को 5.23% की वृद्धि हुई, जिससे रु. 4535.24 करोड़ की संवृद्धि के साथ यह रु. 91249.96 करोड़ हो गई जोकि दिनांक 31.03.2015 को रु. 86714.72 करोड़ थी। दिनांक 31.03.2016 को बैंक की औसत जमा लागत 7.47% रही जोकि विगत वर्ष 8.21% थी।

अग्रिम

दिनांक 31.03.2016 को बैंक के कुल अग्रिम 0.74% की वृद्धि के साथ रु. 65277.22 करोड़ रहे जोकि दिनांक 31.03.2015 को रु. 64796.42 करोड़ थे। दिनांक 31.03.2016 के अनुसार अग्रिमों पर औसत प्रतिफल 10.70% रहा जोकि विगत वर्ष 11.12% था।

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक राष्ट्रीय प्राथमिकता के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों को निरंतर महत्व देता रहेगा। प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कुछ मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार हैः

- ✓ दिनांक 31.03.2015 को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम रु. 20234 करोड़ की तुलना में वर्ष 31.03.2016 की समाप्ति पर रु. 4274 करोड़ (21.12%) की वृद्धि दर्ज करते हुए रु.24,508 करोड़ हो गए।
- ✓ दिनांक 31.03.2016 को वर्ष दर वर्ष 2.31% वृद्धि के साथ प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम एएनबीसी के 34.55% से बढकर 36.86% हो गया।
- ✓ दिनांक 31.03.2015 को बैंक के कृषि अग्रिम में रु. 9064 करोड़ की तुलना में वर्ष 31.03.2016 की समाप्ति पर रु. 2101 करोड़ (23.18%) की वृद्धि दर्ज की जो रु.11165 करोड़ हो गए।
- ✓ आरबीआई के निर्धारित लक्ष्य 7.00% की तुलना में बैंक का छोटे और सीमांत किसानों को अग्रिम रु. 4663 करोड़ रहा जोकि कुल अग्रिम का 7.01% है।
- ✓ वित्तीय वर्ष 2015-2016 में वर्ष दर वर्ष के 15.69% की वृद्धि के साथ बैंक का कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह रु. 9056 करोड़ की तुलना में रु. 10012 करोड़ (110.56%) रहा।
- ✓ दिनांक 31.03.2016 तक केसीसी संचालित कुल 1.91 लाख खाते(94.02%) की तुलना में, बैंक ने केसीसी के 1.84 लाख खातों में रुपे डेबिट कार्ड जारी किए।
- ✓ दिनांक 31.03.2016 तक बैंक ने पंजाब में ब्लॉक स्तर पर 6 अन्य एफएलसी खोले जिससे एफएलसी की कुल संख्या 12 हो गई।
- ✓ 31.03.2015 वर्ष के अंत में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तीन में से दो आरएसईटीआई जोकि मोगा और फरीदकोट में हैं, को सर्वोच्च ग्रेड 'AA' दिया गया और उन्हें ग्रामीण बेरोजगार युवकों के प्रशिक्षण देने हेतु सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया गया है।
- ✓ प्राथमिकता क्षेत्र के दिशानिर्देश पर ई-बुक तैयार कर इसे बैंक के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
- ✓ एमएसई ऋण के प्रलेखीकरण एवं समीक्षा हेतु एक विस्तृत बुकलेट तैयार कर इसे बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध किया गया है।
- ✓ बैंक ने अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण प्रदान करने हेतु दिए गए उप-लक्ष्य को प्राप्त किया है।

ऋण निगरानी

बैंक ने रु. 50 लाख से अधिक ऋण एक्सपोजरों वाले उच्च मूल्य खातों की उचित तथा प्रभावशाली निगरानी तथा नयी चूक गिरावट पर नियंत्रण रखने के लिए प्रधान कार्यालय स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की। निगरानी को और अधिक मज़बूत बनाने के लिए, आंचलिक कार्यालय स्तर पर भी अलग से नियंत्रण कक्ष बनाए गए जोकि रुपए 5.00 लाख से रुपए 50.00 लाख तक के सभी मानक उधार खातों की निगरानी करेंगे। बैंक/आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार पात्र मामलों का नवीनीकरण किया जा रहा है।

उक्त के संदर्भ में बैंक के द्वारा बढावा देने के लिए विभिन्न नीतियां बनाई गयी हैं जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ दबाव में आई आस्तियों के पुनर्जीवन के लिए अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट से पूर्व ही निबटान तथा उबारने के लिए तंत्र को क्रियाशील करना, स्वीकृत प्रस्ताव के लिए त्वरित कदम उठाना तथा ऋणदाता के लिए अच्छी वसूली करना, लचीली संरचना के द्वारा पुनर्वित्त संबंधी निर्देश देना, ऐसे उधारकर्ता जो कि असहयोगी उधारकर्ता हैं, उनका वर्गीकरण करना तथा सूचना देना आदि है।

CAPITAL & RESERVE

The Net Worth of the Bank has improved from Rs.4811.56 crore as on 31.03.2015 to Rs.5068.08 crore as on 31.03.2016. The Capital Adequacy Ratio (Basel III) of the Bank is 10.91% as on 31.03.2016 against the minimum stipulated requirement of 9.625%.

UNSECURED REDEEMABLE BONDS: (Subordinated Debts for Tier –II Capital)

Total outstanding of Tier II Bonds as on 31.03.2016 remains unchanged at Rs.1,325 crore.

DEPOSIT GROWTH

The total deposit of the Bank registered a growth of 5.23% with net accretion of Rs. 4535.24 crore to reach Rs. 91249.96 crore as on March 31, 2016 from Rs. 86714.72 crore as on March 31, 2015. The average cost of deposits of the bank stood at 7.47% as compared to 8.21% in previous year.

ADVANCES

The Bank's Advances increased by 0.74% from Rs. 64796.42 crore as on 31.03.2015 to Rs. 65277.22 crore as on 31.03.2016. The average yield on advances stood at 10.70% as on 31.03.2016 compared to 11.12% during the last year.

PRIORITY SECTOR ADVANCES

The Bank continues to accord importance to various goals under national priority. Some of the highlights under Priority Sectors Advances are as under:

- ✓ Total Priority Sector Advance increased to Rs. 24508 crore as on 31.03.2016 from Rs. 20234 crore as on 31.03.2015 registering a growth of Rs. 4274 crore (21.12%).
- ✓ Total Priority Sector advance increased from 34.55% of ANBC to 36.86% of ANBC on Y-o-Y basis as on 31.03.2016, an increase of 2.31%.
- ✓ Bank's Agriculture advance increased by Rs. 2101 crore (23.18%) to Rs. 11165 crore as on 31.03.2016 from Rs. 9064 crore as on 31.03.2015.
- ✓ Bank's advance to Small & Marginal Farmers increased to Rs. 4663 crore which is 7.01% of total advance against the RBI stipulated target of 7.0%.
- ✓ Bank's flow of credit to agriculture for FY 2015-16 was to the tune of Rs. 10012 crore against the target of Rs. 9056 crore (110.56%) registering an Y-o-Y growth of 15.69%.
- ✓ The Bank has issued RuPay Debit Cards in 1.84 lac KCC accounts against the total operative KCC accounts of 1.91 lac (94.02%) as on 31.03.2016.
- ✓ The Bank has opened another 6 FLCs at block level in Punjab thus raising total number of FLCs to 12 as on 31.03.2016.
- ✓ Two of three RSETI i.e. Moga and Faridkot were given highest grade 'AA' by Ministry of Rural Development for the year ended 31.03.2015 making them eligible for Govt grants for training of rural unemployed youth.
- ✓ E-book on Priority Sector guidelines prepared and put on Bank's website.
- ✓ A comprehensive Booklet on documentation and appraisal of MSE loan prepared and put on Bank's website.
- ✓ The Bank has also achieved sub target for lending to Minority Community.

CREDIT MONITORING

The Bank had setup a Control Room for proper and effective monitoring of large accounts and to check fresh slippages, with exposures above Rs. 50 lacs at HO level. To further strengthen the monitoring, separate Control Rooms have now been set up at Zonal Offices level to monitor all standard borrowal accounts from Rs.5.00 lac upto Rs. 50.00 lac. Restructuring of eligible cases are being undertaken as per Bank/RBI guidelines.

In order to supplement the aforesaid, various policy related initiatives have also been taken by the Bank which inter-alia include implementation of Framework for Revitalizing Distressed Assets in the Economy for Early Recognition of Financial Distress, Prompt Steps for Resolution and Fair Recovery for lenders, guidelines on refinance by way of flexible structuring/take out financing, Classification and reporting of borrower as non-cooperative borrower etc.

प्रधानमंत्री जन-धन योजना तथा मुद्रा योजना के अंतर्गत उपलब्धियां

- बैंक ने शाखाओं के माध्यम से 12.76 लाख खाते खोले, 351 व्यवसायिक प्रतिनिधि बनाए और प्रति खाते में जमा रु. 3672 की औसत से रु. 468.43 करोड़ के कासा/एफडी/आरडी की जमाएं संग्रहित की।
- व्यवसायिक प्रतिनिधियों ने लगभग रु. 187 करोड़ का व्यवसाय किया गया जिसमें एन.पी.ए./टी.डब्ल्यू.ओ. के 1659 खातों में रु. 6.96 करोड़ की कुल राशि की वसूली सम्मिलित है।
- हमारे सभी व्यवसायिक प्रतिनिधियों ने तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई एवं एपीवाई) के अंतर्गत बीमा व्यवसाय के लिए तन्मयता से कार्य किया और वर्ष 2015–16 के दैरान 141101 पॉलिसी की तथा यह व्यवसाय लाने पर रु. 10.94 लाख कमीशन के तौर पर कमाए।
- बैंक ने डीबीटी/डीबीटीएल के अंतर्गत 107 लाख प्रविष्टियां प्राप्त की और रु. 407 करोड़ प्राप्त किए जोकि कासा के अंतर्गत जमा का एक भाग है और वो भी बिना किसी प्रत्यक्ष प्रयास के। बैंक ने मार्च 2016 तक डीबीटी/डीबीटीएल के अंतर्गत रु. 27 लाख का राजस्व अर्जित किया।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान बैंक ने मैसर्स मैट्रिक्स प्रोसेसिंग हाउस के माध्यम से 5.46 लाख नामांकन कराने पर रु. 32.80 लाख विविध आय के रुप में प्राप्त किए।
- बैंक ने 183 माइक्रो एटीएम के लिए यूआईडीएआई से अब तक अनुदान राशि के रुप में रु. 27.45 लाख प्राप्त किए और 27 अधिक मशीनों के लिए 4.05 लाख रुपये की अनुदान राशि मांग स्वरुप प्रक्रियाधीन है। यूआईडीएआई से पीओएस मशीनों के लिए इस तरह के अनुदान राशि प्राप्त करने में हमारा बैंक कुछ गिने–चुने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शामिल है। 351 व्यवसायिक प्रतिनिधियों में से 210 प्रतिनिधियों जोकि 60% से अधिक है, ने लगभग 2000 से अधिक की लेन–देनों को पूर्ण किया है।
- बैंक ने प्रत्येक तिमाही में टेन स्टार परफॉर्मिंग व्यवसायिक प्रतिनिधियों को पुरस्कृत करने के लिए रु. 1100 की पुरस्कार राशि और एक प्रशंसा पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया आरंभ की है।
- हमारी महिला व्यवसायिक प्रतिनिधियों (351 व्यवसायिक प्रतिनिधियों में से 57 महिला व्यवसायिक प्रतिनिधि हैं) में से कुछ ने उत्कृष्ट कार्य किया है।
- पीएमजेडीवाए खातों में कुल जीरो बैलेंस के औद्योगिक औसत 27% की तुलना में हमारा प्रतिशत 0.35% (सभी बैंकों में निम्न) है।
- निदेशक, मिशन कार्यालय, डीएफस/एम.ओ.एफ. ने समस्त बैंकों के सीएमडी/सीईओ के साथ परस्पर संवाद में कहा कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने पीएमजेडीवाई में कुछ उत्कृष्ट उपलब्धियॉ प्राप्त की हैं। तत्पश्चात, साप्ताहिक/पाक्षिक वीसी बैठकों में जीरो बैलेंस खातों को कम करने, व्यवसायिक प्रतिनिधियों द्वारा किए गए लेन–देनों और आईआईबीएफ द्वारा व्यवसायिक प्रतिनिधियों को प्रमाणीकरण के संबंध में हमारे बैंक की कई बार प्रशंसा की गई।
- हमारे आरआरबी के व्यवसायिक प्रतिनिधि आईआईबीएफ द्वारा 100% प्रमाणित हैं और हमारे बैंक के 98% (सभी बैंकों से ज्यादा) व्यवसायिक प्रतिनिधि इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस द्वारा प्रमाणित हैं।
- भारतीय बैंक संघ ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक को आरआरबी व्यवसायिक प्रतिनिधियों के 100% प्रमाणीकरण और हमारे बैंक के 95% व्यवसायिक प्रतिनिधि के प्रमाणीकरण के लिए बधाईयां दी और दूसरे बैंकों को पंजाब एण्ड सिंध बैंक का अनुसरण करने की सलाह दी।
- बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता हेतु आवंटित गांवों में 32600 ग्रामीण व्यक्तियों के लिए अब तक 516 से अधिक कैम्पों का आयोजन किया। तत्पश्चात वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आवंटित गांवों को सम्मिलित करने के लिए बैंक ने वित्तीय साक्षरता कैम्पों के द्वारा वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु अभियान चलाया।
- बैंक ने एटीएम/माइक्रो एटीएम के ओटोमेशन द्वारा पीएमजेडीवाई ओवर ड्राफ्ट को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। वर्तमान में शाखाओं के माध्यम से 81524 ओवर ड्राफ्टों की संस्वीकृति दी गई है।
- हमारे माइक्रो एटीएम एईपीएस और रुपे पिनपैड सक्षम हैं जो ग्रामीण ग्राहकों को उनके बायोमैट्रिक या रुपे डेबिट कार्ड द्वारा अंतः और अंतर बैंक लेन–देनों को करने में सहायता करते हैं।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत रु. 570 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में बैंक ने रु. 465.85 करोड़ का ऋण दिया जोकि केपीआई के 75% के लक्ष्य की तुलना में 81.73% रहा। मुद्रा ऋण के शिशु संवर्ग के अंतर्गत रु. 60 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में बैंक ने रु. 95.93 करोड़ संवितरित करते हुए लक्ष्य को पार कर दिया।

खुदरा ऋण

बैंक ने आक्रमकता से खुदरा ऋण में साहस किया है और खुदरा ऋण खंड के अंतर्गत उत्पादों की नीति को उदार बनाया है तथा बाज़ार में उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ब्याज दरों को औचित्यपूर्ण बनाया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान तीन नई नवोन्मेषी योजनाओं को आरंभ किया है अर्थात पीएसबी आवासीय ऋण टॉप–अप योजना, पीएसबी 'ग्रो एण्ड पे' आवासीय ऋण योजना तथा कौशल ऋण योजना।

इसके अतिरिक्त, आवास ऋण, ऑटो ऋण तथा उपभोक्ता ऋण क्षेत्र के अंतर्गत "फेस्टिवल बोनान्जा स्कीम" का शुभारंभ किया गया। दिनांक 31.03.2016 को खुदरा ऋण का बकाया 6492 करोड़ है और जिसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में, इस वर्ष के दौरान खुदरा ऋण में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

दिनांक 31.03.2016 को खुदरा ऋण, सकल अग्रिमों का 9.93 प्रतिशत था।

ACHIEVEMENTS UNDER PRADHAN MANTRI JAN DHAN YOJNA & MUDRA YOJNA

- The Bank has opened 12.76 lac accounts through Branches and 351 BCs and mobilized CASA/FD/RD deposit of Rs.468.43 crore , with average deposit per account Rs.3672.
- Total Business generated by BCs is about Rs. 187 Crore, which include Recovery in 1659 NPA/TWO accounts amounting to Rs.6.96 crore.
- All our BCs worked whole heartedly to bring Insurance Business under three Social Security Schemes (PMJJBY, PMSBY & APY) and brought 1,41,101 policies during 2015-16 and also earned Rs.10.94 lac as commission for bringing this business.
- The Bank has received 107 lac entries under DBT/DBTL and amount received is Rs.407 crore, which forms part of CASA deposits and that too without any front end efforts. Bank has earned a revenue of Rs. 27 lacs up to March 2016 , under DBT/DBTL.
- During the financial year 2015-16, the Bank received sum of Rs.32.80 lacs as Miscellaneous income for 5.46 lac enrollments done through M/s Matrix Processing House.
- The Bank has so far received subsidy amount of Rs.27.45 lacs from UIDAI for 183 MicroATMs and subsidy claim for 27 more machines for Rs.4.05 lacs is under process with UIDAI. Our bank is one of few Public Sector Bank to receive such Subsidy from UIDAI for PoS machines. Out of 351 BC, 210 i.e. about 60% BCs have completed more than 2000 transactions.
- The Bank has introduced a system of awarding ten star performing BCs every quarter with cash rewards of Rs.1100/- and an appreciation letter.
- Some of our women BCs (out of total 351 BCs, 57 are women BCs) having outstanding performance.
- Total Zero Balance accounts in PMJDY are at 0.35% against industry average of 27% (lowest among all banks).
- Director, Mission office, DFS/MOF shared with all CMD/CEOs of bank, that PSB has achieved some remarkable milestones in PMJDY. Further our bank is appreciated many times during the weekly/fortnightly VC meetings for reducing zero balance accounts, BC transactions and Certification of BCs by IIBF.
- 100% BCs of our RRB are certified through IIBF and 98% BCs of our Bank are certified through Indian Institute of Banking & Finance (highest among all banks).
- The IBA has also congratulated Punjab & Sind Bank for achieving 100% certification of RRB BCs and 95% BCs certification of our Bank and exhorted other banks to emulate the achievements of the Punjab & Sind Bank.
- The Bank has so far organized more than 516 Camps for Financial Literacy in FI allotted villages covering 32600 rural persons. Further Bank has started campaign to cover all the FI allotted villages by imparting financial literacy through Financial Literacy Camps.
- The Bank has successfully implemented PMJDY OD through automation i.e. through ATMs/MicroATMs. At present 81524 ODs are sanctioned by the branches.
- Our MicroATMs are AEPS & RuPay PINPAD enabled, helping rural customers to do intra and inter Bank transactions using their biometrics or RuPay Debit cards.
- The Bank made advance to the tune of Rs. 465.85 crore against the target of Rs. 570 crore under Pradhan Mantri Mudra Yojana which is 81.73% against the KPI target of 75%. Bank made disbursement to the tune of Rs. 95.93 crore against the target of Rs. 60 crore under Shishu category of MUDRA loans, surpassing the given target.

RETAIL MARKETING

The Bank aggressively ventured into Retail Lending and liberalized the policy for products under the Retail segment and rationalized the interest rates to make the products most competitive in the market. The Bank launched three new innovative schemes viz. PSB Housing Loan Top-up Scheme, PSB 'Grow & Pay' Housing Loan Scheme & Skill Loan Scheme during the FY 2015-16. Further, Festival Bonanza Scheme offering concessions under the Housing Loan, Auto Loan and Consumer Loan segments was launched. The Retail Lending outstanding as on 31.03.2016 is Rs 6492 crore and thereby, Retail Lending has registered a business growth of 24% over the previous year.

The percentage of Retail advances to gross advances was 9.93% as on 31.03.2016.

विपणन एवं बीमा

बैंक ने भारत सरकार की सोवरेन गोल्ड बान्ड योजना में भाग लिया। बैंक ने श्रृंखला II में अभिदान राशि के अनुरुप अभिदान प्राप्त करने वाले अभिकरणों में छठा स्थान प्राप्त किया और श्रृंखला III में बैंक ने पाँचवा स्थान प्राप्त किया। बैंक ने बहुत बड़े बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ–साथ निजी बैंकों को पीछे छोड़ते हुए विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है।

बैंक ने आई.आर.डी.ए.आई. के नवीनतम दिशा–निर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवसाय पर नीति बनाई है।

नई पहल

- बैंक ने समस्त कैपेक्स एटीएम में मंद दृष्टि वालों के लिए सॉल्यूशन(बोलने वाले) आरम्भ किया।
- बैंक ने लघु स्तर की ईकाइयों के लिए मुद्रा कार्ड आरंभ किया।
- बैंक ने रुपे डेबिट कार्ड एवं मास्टर डेबिट कार्ड द्वारा ऑनलाइन खरीददारी के लिए ई–कॉमर्स का सूत्रपात किया।
- बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के रुपे और मास्टर डेबिट कार्ड में ईएमवी चिप कार्ड जारी करने की शुरुआत की।
- बैंक ने एफडीआर बकाया, निष्क्रिय/अप्रभावी कासा/केवाईसी समापन अनुस्मारक/ऋण किश्तों संबंधी चेतावनी/ऋण ब्याज दर में परिवर्तन सूचना हेतु एसएमएस एलर्ट की शुरुआत की।
- बैंक ने "जीवन प्रमाण"–पेंशनभोगी द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन, रिमोट प्वाइंट, एवं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जिसका एनआईसी के केन्द्रीय संग्रह में रखरखाव किया जाता है, को लागू किया है।
- बैंक ने 58 विशिष्ट एमएसएमई शाखाओं को नामित किया जिससे विशिष्ट एमएसएमई शाखाओं की कुल संख्या 108 हो गई है।
- बैंक ने एमएसई ऋण के प्रलेखीकरण एवं समीक्षा हेतु एक विस्तृत बुकलेट तैयार की है और इसे वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है।
- कृषि मशीनीकरण जैसे ट्रैक्टर/कंबाईन हार्वेस्टर/पॉवर टिलर/रीपर/ट्रॉली/पुराने ट्रैक्टरों/औजारों इत्यादि हेतु वित्त पोषण के लिए नई योजना लागू की।
- किसानों के लिए दोपहिया/जीप/कार/विशेष यूटिलिटी व्हिकल(एसयूवी) के वित्त पोषण हेतु नई योजना लागू की गई।
- बैंक ने "मुद्रा योजना के अंतर्गत ई– रिक्शा" के वित्त पोषण हेतु एक नई योजना की शुरुआत की।
- बैंक ने मुद्रा ऋण और केसीसी लिमिट पर ब्याज दरों को औचित्यपूर्ण बनाया है और रु.3.00 लाख तक के केसीसी पर प्रसंस्करण शुल्क को समाप्त कर दिया है।
- शाखा प्रबंधकों (स्केल I,II और III) की ऋण प्रदान करने की विवेकाधीन शक्तियों को पर्याप्त रुप से बढाया गया है ताकि शाखा स्तर पर अधिकतम संख्या में ऋण आवेदन का निस्तारण किया जा सके।
- बैंक के वेबसाइट www.psbindia.com पर एफएलसी/ आरसेटी वेब पोर्टल का लोकार्पण किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2015–2016 में बैंक ने 32 शाखाएं खोली है।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015–2016 को "कासा वर्ष" के रुप में मनाया और दिनांक 31.03.2015 के जमा राशि में कासा का प्रतिशत 21.53% की तुलना में दिनांक 31.03.2016 को बढकर 22.72% हो गया है।

पुरस्कार एवं उपलब्धियां

- एसोचैम ने बैंक को लघु बैंक की श्रेणी में सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता अवार्ड, 2015 (ग्रामीण बैंकिंग) से सम्मानित किया।
- वर्ष 2015–16 के दौरान, बैंक ने लघु बैंकों की श्रेणी के अंतर्गत एन.एफ.एस. उत्पाद के लिए श्री आर. गांधी, उप राज्यपाल, भारतीय रिज़र्व बैंक से राष्ट्रीय भुगतान उत्कृष्टता पुरस्कार, 2015 का संयुक्त उप विजेता का पुरस्कार प्राप्त किया।
- सरकारी सोवरन गोल्ड बांड योजना में अभिदान की शर्तों के अनुसार, हमारा बैंक प्रथम 10 प्राप्तकर्ता एजेंसियों में शामिल है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2013–14 की श्रेणी II के अंतर्गत "AA" ग्रेड प्राप्त करने पर बैंक प्रायोजित आरसेटी, फरीदकोट और मोगा को उत्कृष्टता अवार्ड दिया।
- बैंक की हिंदी पत्रिका राजभाषा अंकुर को दिल्ली बैंक नगर राजभाषा समिति द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पत्रिका को वर्ष 2015 का आईसीई अवार्ड भी प्राप्त हुआ।
- हिंदी में अच्छा काम करने के लिए बैंक को दिल्ली, पटना, बैंगलूरु, चैन्नै, जोधपुर, कोलकाता, भिलाई और पणजी(गोवा) में संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा राजभाषा शील्डें प्रदान की गईं।
- बैंक की हॉकी टीम ने जीती:

  क. अखिल भारतीय एस. एन. वोहरा गुरमीत सिंह हॉकी प्रतियोगिता

  ख. अखिल भारतीय नेहरु हॉकी प्रतियोगिता

MARKETING AND INSURANCE

The Bank participated in the Sovereign Gold bond Scheme of Government of India. Bank was on sixth position among the receiving agencies in terms of subscription amount in Trenche-II and in Trenche-III the Bank secured the fifth position. Bank had the distinction of stealing march over very big Banks, PSBs as well as private.

Bank formulated the policy on Corporate Agency Business as per the IRDAI's latest guidelines.

NEW INITIATIVES

- Bank has implemented solution for Visually Impaired (Talking facility) in all Capex ATMs.
- Bank has Introduced Mudra Card for small scale units.
- Bank has Implemented e-commerce in the Bank for online purchase through RUPAY Debit Card and Master Debit Card.
- Bank has started issuing EMV Chip cards as per RBI guidelines in all variants of Rupay & Master Debit Cards.
- Bank has started SMS alerts on Overdue FDR, Dormant / Inoperative CASA/KYC expiry reminder / Loan installment due alerts/ Loan ROI change Alerts.
- Bank has implemented "Jeevan Praman" - biometric authentication by the pensioner, remote point and creation of digital life certificate which is maintained in a central repository in NIC.
- Bank designated 58 branches as Specialized MSME branches thus raising total specialized MSME branches to 108.
- A comprehensive Booklet on documentation and appraisal of MSE loan prepared and put on Bank's website.
- New Scheme launched on financing of Farm Mechanization i.e. financing of Tractor/Combine Harvester/Power Tiller/Reaper/ Trolley/Old Tractors/implements etc.
- New scheme on financing Two wheeler/Jeep/Car/Special Utility Vehicles (SUV) for Agriculturist introduced.
- Bank launched a new scheme on "Financing of E-Rickshaw under MUDRA Scheme"
- Bank rationalized rate of interest on MUDRA loans and KCC limits and waived processing fee on KCC upto Rs. 3.00 lac.
- Discretionary lending powers of Branch Manager (Scale I, II and III) were increased substantially to facilitate disposal of maximum number of loan applications at branch level itself.
- FLC/RSETI Web Portal launched at Bank's website www.psbindia.com
- Bank has opened 32 new branches in FY 2015-16.
- Bank celebrated the FY 2015-16 as "YEAR OF CASA" and CASA % to Deposits has increased from 21.53% as on 31.03.2015 to 22.72% as on 31.03.2016.

AWARDS & ACHIEVEMENTS

- Social Banking Excellence Award -2015 was conferred on the Bank by ASSOCHAM under Small Bank Class & Rural Banking category for providing Rural Banking services.
- The Bank received Joint Runners up award in Small Banks category for NFS product from Sh. R Gandhi. Deputy Governor, RBI at National Payment Excellence Awards 2015.
- In Government's Sovereign Gold Bond Scheme, Bank figured among top 10 receiving agencies in terms of subscription.
- Ministry of Rural Development awarded Certificate of Excellence to Bank sponsored RSETI, Faridkot and Moga securing "AA" grade under category II for the year 2013-14.
- Bank's Hindi Magazine 'RAJBHASHA ANKUR' was awarded 1st Prize by Delhi Bank Town Official Language Implementation Committee. Magazine was also awarded ICE Award for the year 2015.
- For Official Language Implementation, Bank was awarded Rajbhasha Shields in Delhi, Patna, Bengluru, Chennai, Jodhpur, Kolkata, Bhilai and Panjim(Goa) by respective Town Official Language Implementation Committees.
- The Bank's Hockey Team won:
  a. All India S.N. Vohra Gurmit Singh Hockey Tournament
  b. All India Nehru Hockey Tournament

आस्ति गुणवत्ता

बैंक ने अनर्जक आस्तियों पर नियंत्रण के लिए अनेक प्रयास किए हैं तथा विधिक साधनों एवं बातचीत पर आधारित समझौतों सहित वसूली के सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया है। बैंक ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का प्रभावी रुप से प्रयोग किया। बैंक ने इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न केंद्रों पर वसूली कैम्पों का आयोजन किया। वर्ष के दौरान बैंक की वसूली प्रबंधन योजना के अतिरिक्त गैर निष्पादित खातों के कृषि क्षेत्र के अंतर्गत अनर्जक आस्तियों के निपटान हेतु तथा असुरक्षित तकनीकी बट्टे–खातों के निपटान हेतु दो अल्पावधि योजनाओं का निरुपण किया गया। सभी 1366 मामलों का रु.39.28 करोड़ में निपटान हुआ।

वर्ष के दौरान गैर–निष्पादित खातों में बैंक की वसूली अच्छी रही। वसूली के लिए किए गए अथक तथा केन्द्रित प्रयासों के फलस्वरुप रु.49.68 करोड़ की तकनीकी बट्टा खातों में वसूली सहित कुल रु. 945.90 करोड़ रु.की वसूली की जा सकी।

बैंक नए गैर निष्पादित खातों में बढ़ोत्तरी को रोकने में सफल रहा है। परिणामस्वरुप कुल तथा निवल एनपीए दिनांक 31.03.2015 के रु. 3082.19 करोड़ तथा रु. 2260.00 करोड की अपेक्षा क्रमशः रु. 4229.05 करोड़ तथा रु. 2949.47 करोड़ रहा।

31.03.2016 को गैर–निष्पादित आस्तियों की सकल एवं निवल स्थिति अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में निम्नानुसार है –

(राशि करोड़ में)

एनपीए	31.03.2015 की स्थिति अनुसार		31.03.2016 की स्थिति अनुसार	
सकल	3082.19	4.76%	4229.05	6.48%
निवल	2266.00	3.55%	2949.47	4.62%

दिनांक 31.03.2016 को बैंक का प्रावधान सुरक्षा अनुपात (तकनीकी बट्टा खातों सहित) 48.26% रहा।

निवेश प्रबंधन तथा विदेशी विनिमय

31.03.2016 को बैंक की कॉरपोरेट क्षेत्र की आवश्यकता, जोखिम संग्रह एवं निवेश नीति के अनुरुप निवेश–सूची सरंचना सहित बैंक का सकल निवेश रु.27693.40 करोड़ था।

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में सरकारी प्रतिभूतियों तथा गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूति में ट्रेडिंग गतिविधियों से लाभ रु. 133.60 से बढकर समाप्त वर्ष 31.03.2016 में रु. 140.10 करोड़ गया।

वर्ष 2014–15 की तुलना में विनिमय लाभ रु. 26.51 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में बढ़ कर रु. 30.34 करोड़ हो गया। इस प्रकार, 14.45% की वृद्धि दर्ज की गई।

जोखिम प्रबंधन

बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके जोखिम, परिभाषित जोखिम क्षमता के भीतर हैं और उनकी पर्याप्तर रुप से निगरानी की जाती है, के लिए एक सुदृढ़ एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को कार्यरुप दिया है। बैंक में जोखिम क्षमता तथा प्रभावी जोखिम प्रबंधन कायम करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व बैंक के निदेशक मंडल एवं बैंक के शीर्षस्थ प्रबंधन पर है। बैंक की समेकित जोखिम प्रबंधन प्रणाली, प्र.का. जोखिम प्रबंधन विभाग (आरएमडी) के महाप्रबंधक द्वारा निगरानी की जाती है।

निम्नलिखित शीर्षस्था समितियों के माध्यम से जोखिम प्रबंधन किया जाता हैः

1. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) एक बोर्ड स्तरीय उपसमिति।
2. ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)
3. आस्ति एवं देयताएं प्रबंधन समिति (एएलसीओ)
4. संचालगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
5. बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी)
6. आईसीएएपी के अनुसार पूंजीगत योजना समिति

ये समितियां जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)/निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सम्यक मार्गदर्शी निर्देशों तथा नीतियों की परिधि में अपना काम करती है।

ASSETS QUALITY

The Bank continued to make concerted efforts to contain NPAs and has used all available tools of recovery including negotiated settlements and legal means. The provisions of "The Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act -2002" were used effectively. The Bank also organized Recovery Camps during the year at various centers. During the year, two short term schemes for settlement of NPAs were formulated under Agriculture Sector and unsecured T.W.O. accounts apart from Bank's Recovery Management Policy. In all 1366 cases were settled at Rs. 39.28 crore.

The performance of the Bank under recovery of NPAs during the year continued to be good. The aggressive and focused efforts could result in the total recovery of over Rs. 945.90 crore including recovery of Rs. 49.68 crore in Technically Written Off Accounts.

Bank has been able to contain fresh slippage. As a result our gross NPAs and net NPAs as on 31.03.2016 have been contained at Rs. 4229.05 crore and Rs. 2949.47 crore respectively against Rs. 3082.19 Crore and Rs. 2266.00 Crore as on 31.03.2015.

The position of Gross and Net NPAs as on 31.03.2016 vis-à-vis previous year is as under:

(Amount in Crore)

NPA	As on 31.03.2015		As on 31.03.2016	
Gross	3082.19	4.76 %	4229.05	6.48%
Net	2266.00	3.55 %	2949.47	4.62%

The Provision Coverage Ratio of the Bank (including T.W.O.A/Cs), as on 31.03.2016 stood at 48.26%.

INVESTMENT & FOREIGN EXCHANGE

The Bank's total gross investment as on 31.03.2016 was Rs. 27693.40 crore, with a portfolio composition consistent with the corporate requirement, risk perception and investment policy of the Bank.

The profit on sale of securities for the year has increased from Rs. 133.60 crore for year ended March 2015 to Rs. 140.10 crore for the year ended 31.03.2016 on account of trading activities in G-sec and Non SLR securities.

The Exchange profit for the year has increased from Rs.26.51 crore in 2014-15 to Rs. 30.34 crore in 2015-16, registering a growth of 14.45%.

RISK MANAGEMENT

The Bank has put in place a robust and integrated Risk Management system to ensure that the risks assumed by it are within the defined risk appetites and are adequately monitored. The overall responsibility of setting the Bank's risk appetite and effective risk management rests with the Board and apex level management of the Bank. The implementation of Integrated Risk Management System in the Bank is monitored by HO Risk Management Department (RMD) headed by General Manager.

Risk is managed through following Apex committees viz.

1. Risk Management Committee (RMC)- a board level subcommittee
2. Credit Risk Management Committee (CRMC)
3. Asset and Liabilities Management Committee (ALCO)
4. Operational Risk Management Committee (ORMC)
5. Market Risk Management Committee (MRMC)
6. Capital Planning Committee as per ICAAP

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Risk Management Committee (RMC) / Board.

नीति–तंत्र

बैंक के समक्ष जोखिमों का मापन, प्रबंधन एवं नियंत्रण करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियां तथा कार्यविधियां हैं।

बैंक के समस्त प्रकार के जोखिमों के विश्लेषण करने के और बैंक के सभी जोखिमों को एकीकृत करने के उद्देश्य से एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है। अन्य महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार ऋण प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) नीति, व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) व आपदा उद्धार प्रबंधन (डीआरएम) नीति, स्ट्रेस टेस्टिंग नीति, ऋण जोखिम कम करने संबंधी तकनीकों की प्रयोग नीति तथा संपार्श्विक प्रबंधन, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी)। जोखिम प्रबंधन समिति/बोर्ड के द्वारा वार्षिक आधार पर नीतियों की समीक्षा की जाती है।

बैंक का बासेल–II के साथ अनुपालन

भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंक ने 31.03.2009 की प्रभावी तिथि से नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क को अपनाया है। बासेल–II के आधार पर बैंक ने पूंजी प्रभार की संगणना के लिए ऋण जोखिम हेतु मानक दृष्टिकोण, बाजार जोखिम हेतु रुपांतरित अवधि दृष्टिकोण तथा परिचालनगत जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है। बैंक ने बासेल–III के दिशा–निर्देशों को कार्यान्वित किया है और सीआरएआर की संगणना शुरु की है जो जून, 2013 से प्रभावी है। बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सीआरएआर की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार बासेल–II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार है। बासेल–II के उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने तथा बासेल–III के दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु बैंक में विस्तृत संकलन जोखिम प्रबंधन उद्यम प्रक्रिया (ईआईआरएमएस) की स्थापना हेतु एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है।

आई.सी.ए.ए.पी. नीति

बासेल–II व बासेल–III – स्तंभ 2– पर्यवेक्षणीय समीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) विषयक, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूंजी आवश्यकता का मूल्यांाकन, बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल तथा संचालन की परिधि के अनुरुप है, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति तैयार की गई है। विभिन्न अवशिष्ट जोखिमों का निर्धारण किया जाता है तथा जहाँ अपेक्षित हो वहाँ अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान तथा अनुमानित वित्तीय–पूंजीगत स्थिति के विश्लेषण तथा गुंजाइश के आधार पर बैंक की पूंजीगत पर्याप्तता का निर्धारण किया जाता है।

विभिन्न स्ट्रेस परिस्थितियों से होने वाले संभावित प्रभावों का बैंक की लाभप्रदता की क्षमता के संदर्भ में आघात सहन करने तथा बैंक की पूंजी पर इसके परवर्ती प्रभाव के मूल्यांकन के लिए स्ट्रेस टैस्ट अभ्यास भी किया जाता है। आईसीएएपी परिणाम तिमाही आधार पर तैयार किया जाता है तथा जोखिम प्रबधन समिति (आरएमसी) द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है।

प्रकटीकरण

बासेल–II व बासेल–III, स्तंभ–3 'बाजार अनुशासन' विषयक, भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुपालन में बैंक के निदेशक–मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित प्रकटीकरण नीति लागू की गई है और इस नीति के अनुसार तिमाही/छमाही/वार्षिक आधार पर इन्हें बैंक की वेबसाइट/वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाता है।

ऋण जोखिम

ऋण–जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में इसकी पहचान, आकार, ऋण–कारोबार पर निगरानी व नियंत्रण शामिल हैं। ऋण–जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) द्वारा ऋण–जोखिम तथा नीति–निर्माण का प्रबंधन किया जाता है। इसके द्वारा उद्योग, कॉर्पोरेट, खुदरा तथा व्यक्ति/समूह ऋणकर्ताओं की विवेकपूर्ण सीमाओं की निगरानी नियमित रुप से की जाती है।

कॉर्पोरेट जोखिम के लिए ऋण रेटिंग जोखिम मॉडल और एनबीएफसी ऋण जोखिम, रियल स्टेट एवं खुदरा ऋण जोखिम, खुदरा ऋणों के लिए जोखिम निर्धारण से संबंधित ऋणों का मूल्यांकन तथा ऋण रेटिंग, एवं उद्योगों/पोर्टफोलियो का अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए और ऋण रेटिंग के उत्प्रवासों के लिए एक व्यापक ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क बनाया गया है।

बासेल– II के मानदंडों के विषय में परिचालन स्तर पर जागरुकता फैलाई जाती है तथा पूंजी के अनुकूल प्रयोग तथा संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्तक करने के लिए इसे निरंतर रुप से बढ़ाया जाता है।

बाजार जोखिम

बैंक का पोर्टफोलियो ब्याज–दरों तथा मुद्रा–दरों में परिवर्तन के फलस्वरुप बाजार जोखिम से प्रभावित होता है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) बाजार जोखिम से संबंधित काम–काज की निगरानी करती है। बैंक ने विभिन्न बाजार जोखिम मापन–प्रणाली व साधनों को लागू किया है। विभिन्न परिसीमाओं का कड़ा अनुपालन तथा उल्लंघनों में वृद्धि, यदि कोई हो, का उचित अनुसरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक मध्यस्थ कार्यालय भी बना हुआ है।

POLICY FRAMEWORK

The Bank has Board approved policies and procedures in place to measure, manage and control various risks that the Bank is exposed to.

Integrated Risk Management Policy has been formulated with the objective of analyzing the overall risk profile of the bank and to integrate all the risks of the Bank. The other important risk policies comprise of Asset-Liability Management (ALM) Policy, Credit Risk Management Policy, Market Risk Management Policy, Operational Risk Management (ORM) Policy, Business Continuity Planning (BCP) & Disaster Recovery Management (DRM) Policy, Stress Testing Policy, Policy on Utilization of Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management, ICAAP Policy. The policies are reviewed annually by the RMC / Board.

BANK'S COMPLIANCE WITH BASEL-II

In terms of Regulatory Guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has adopted the New Capital Adequacy Framework w.e.f. 31.03.2009. Based on Basel II norms, the Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Modified Duration approach for Market Risk and Basic Indicator approach for Operational Risk for computing the capital charge. The Bank has also implemented Basel III Guidelines and has started computing CRAR w.e.f. June 2013. The CRAR position of the Bank is reviewed by the Board on a quarterly basis. Bank has geared for moving towards advanced approaches under BASEL II as suggested by RBI. Bank has also appointed a Consultant for setting up Enterprise Wide Integrated Risk Management System (EIRMS) in the Bank for moving to Advance approaches of Basel II and implementation of Basel III Guidelines.

ICAAP POLICY

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II & Basel III – Pillar 2- Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy has been formulated to assess the capital requirement commensurate with the size, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank. Various residual risks are assessed and additional capital is provided for wherever required. The capital adequacy of the Bank is assessed based on the analysis of current and projected financial/capital position as well as the headroom available.

Stress Testing exercises are also undertaken to assess the likely impact of various stress situations in relation to capacity of Bank's profitability to absorb the shock and consequent impact on Bank's capital. The ICAAP outcome is prepared on half yearly basis and is reviewed by RMC.

DISCLOSURE:

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II& Basel III – Pillar 3 – Market Discipline, the Bank has put in place a Disclosure Policy duly approved by the Board and the disclosures on quarterly / Half yearly / Annual basis, as per the policy, are displayed on the Bank's Website / Annual Report.

CREDIT RISK

Credit risk management processes involve identification, measurement, monitoring and control of credit exposures. Credit risk and its policy formulation is managed by Credit Risk Management Committee (CRMC). It regularly monitors prudential caps in different loan segments including industry, corporate, retail and individual/group borrowers.

Comprehensive credit rating framework comprising of Credit Risk Rating Models for Corporate Exposure, NBFC Exposure, Real Estate Exposure and Retail Exposure , pricing of loans linked to risk assessment and credit rating, study & analysis of industries/ portfolio, migration of credit ratings is undertaken.

Awareness of Basel II norms at the operating level is created and continuously enhanced to achieve the aim of conservation and optimum use of capital.

MARKET RISK

The Bank's portfolio is exposed to market risk on account of changes due to interest rates and currency rates.

The Asset and Liabilities Management Committee (ALCO) is overseeing the functions relating to market risk. The Bank has put in place a variety of market risk measurement systems and tools. Strict adherence to various limits and proper escalation of breaches, if any, are followed. Moreover, a Mid Office is also in place.

तरलता प्रबंधन तंत्र सुस्थापित है जोकि बैंक के समस्त भुगतान दायित्वों को देय होने पर पूरा करने के सामर्थ्य को संरक्षित करता है। यह बैंक की तरलता जोखिम को पहचानने, मापने तथा संचालन करने के लिए बनाया गया है।

बैंक, विनियामक दिशा–निर्देशों के अनुसार रुपांतरित अवधि पद्धति का उपयोग करके मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार बाजार जोखिम प्रभार की संगणना करता है। बैंक अपने विदेशी विनिमय पोर्टफोलियो पर भी जोखिम मूल्य (वीएआर) की गणना करता है।

बैंक, संभाव्य घटनाओं से उत्पन्न तरलता और ब्याज–दर जोखिमों से होने वाले संभावित जोखिमों को उजागर करने के लिए, समय–समय पर स्ट्रेस टेस्ट अभ्यास करता है। विभिन्न–जोखिम कारकों के कारण खाते पर हुए आघात का प्रभाव, जिसके कारण बदतर स्थिति उत्पन्न हो सकती है, का अध्ययन किया जाता है और उसके प्रभाव को दूर करने के लिए संभाव्य हल निकाले जाते हैं।

परिचालनगत जोखिम

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) परिचालनों से जुड़े जोखिमों से संबंधित मामलों पर निगरानी रखती है और आकस्मिक/अनिवार्य स्थितियों में व्यवसाय की सतत/पुनः स्थापना सुनिश्चित करती है। वर्तमान में परिचालनगत जोखिम संबंधी पूंजी प्रभार मूल संकेतक दृष्टिकोण के अनुसार संगणित किया जाता है। बैंक परिचालनगत जोखिम की संरचना को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है ताकि परिचालनगत ऋण जोखिम (ओआरएम) प्रणाली परिचालनगत जोखिम पूंजी की गणना के उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने में समर्थ हो सके। बैंक के पास लॉस डाटा प्रबंधन करने के लिए बोर्ड अनुमोदित लॉस डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क है ताकि बैंक की सम्पूर्ण परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति(ओआरएम) को लागू करने में प्रबंधन हेतु न्यूनतम मानक स्थापित किए जा सके और विस्तृत तथा मजबूत परिचालन लॉस डाटाबेस को बनाया जा सके।

मानव संसाधन प्रबंधन

31.03.2016 को संवर्ग वार स्टाफ की संख्या निम्नानुसार रहीः

श्रेणी	**31 मार्च 2015**	**31 मार्च 2016**
अधिकारी	6409	6632
लिपिक	2113	2202
अधीनस्थ स्टाफ	658	569
कुल	**9180**	**9403**

नियुक्ति में महिलाएंः

31.03.2016 को हमारे कुल 9403 स्टाफ सदस्यों में से 2331 महिलाएं हैं जो कुल योग का 24.78% बनती हैं।

आरक्षित श्रेणी के कार्मिकों को रोजगारः

बैंक समाज के अन्य पिछड़े वर्गो तथा अनुसूचित जाति, जनजाति संबंधित व्यक्तियों के हित एवं विकास के प्रति संवैधानिक सुरक्षा तथा सामाजिक लक्ष्य के प्रति बचनबद्ध है। बैंक भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में आरक्षित पदों तथा स्थानीय भर्तियों में आरक्षण नीति के संबंध में निर्धारित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करता है।

बैंक में अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों के आरक्षण एवं अन्य प्रावधानों की निगरानी करने हेतु एक विशेष एससी/एसटी कक्ष की स्थापना की गई है। बैंक के एससी/एसटी कार्मिकों की सभी संबंधित मामलों में शिकायत निवारण के लिए तथा विभिन्न दिशा–निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यकारी जोकि महाप्रबंधक की रैंक का है, को पदनामित किया गया है।

दिनांक 31.03.2016 को एससी/एसटी कार्मिकों की कुल संख्या क्रमशः 1735 और 567 है। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के अधीन कार्मिक संख्या निम्न हैः

श्रेणी	**अनु. जाति**	**अनु. जनजाति**	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	**एक्स–सर्विसमेन**	**दिव्यांग**
अधिकारी	1057	474	1185	54	100
लिपिक	496	70	460	153	38
अधीनस्थ स्टाफ	182	23	29	92	11
कुल	**1735**	**567**	**1674**	**299**	**149**

The Liquidity Management Framework is well established, which safeguards the ability of the Bank to meet all payment obligations when they come due. It is designed to identify measure and manage the liquidity risk position of the Bank.

The Bank is computing the market risk capital charge as per the Modified Duration approach, by using Modified duration method, as per the regulator's guidelines. The Bank also calculates Value at Risk (VaR) on its foreign exchange portfolio.

The Bank periodically undertakes stress test exercise to highlight the potential risks, on account of liquidity & interest rate risk that may arise due to events that are rare but plausible. The impacts of shock on account of different risk factors that may generate worst case scenario are studied and to counter the impact possible solutions are derived.

OPERATIONAL RISK

The Operational Risk Management Committee (ORMC) oversees the matters relating to risks associated with operations and ensures the continuity / restoration of business in the event of contingency / exigencies. Presently, capital charge on operational risk is calculated as per Basic Indicator Approach. The Bank is in the process of strengthening its ORM Framework & ORM systems so as to be able to migrate to advance approaches of calculation of Operational Risk Capital. The Bank has Board approved Framework for Loss Data Management to set minimum standards for management of Bank's Operational Loss Data in order to comply with the overall Operational Risk Management (ORM) Policy of the Bank and facilitate creation of a robust and comprehensive Operational Loss Database.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The cadre wise staff strength as on 31.03.2016 is as under:-

Category	31st March 2015	31st March 2016
Officers	6409	6632
Clerks	2113	2202
Sub-staff	658	569
Total	**9180**	**9403**

WOMEN IN EMPLOYMENT: -

Out of the total strength of 9403 as on 31.03.2016, the women employees are 2331 constituting 24.78% of the total strength.

EMPLOYMENT TO RESERVED CATEGORY EMPLOYEES: -

Bank is committed to the constitutional safeguards and social objectives for the development and welfare of persons belonging to SC, ST and other backward classes of the society. The Bank observes all guidelines stipulated by the Govt. of India in respect of Reservation Policy for reservation of Posts in recruitments.

A special SC / ST cell has been set up in the Bank to monitor the Reservation & other provisions for SC / ST employees. An executive in the rank of General Manager has been designated as Chief Liaison Officer for SC / ST employees who ensures compliance of various guidelines pertaining to SC / ST employees & takes care of all matters of grievance redressal of SC / ST employees of the Bank.

The staff strength of SC / ST employees stood at 1735 and 567 respectively on 31.03.2016. The staff strength under various reserved categories is as under: -

CATEGORY	SC	ST	OBC	EX-SM	PWD
OFFICERS	1057	474	1185	54	100
CLERKS	496	70	460	153	38
SUB-STAFF	182	23	29	92	11
TOTAL	**1735**	**567**	**1674**	**299**	**149**

मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां तथा आर्थिक सहायताः–

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान बैंक ने कार्मिकों के दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर अनुकम्पा के आधार पर 2 व्यक्तियों को नौकरी प्रदान की। मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को योजना के अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करने के स्थान पर बैंक ने 13 मामलों में कुल 79,53,090/– रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया।

पदोन्नतियांः –

बैंक वर्ष दर वर्ष लगभग सभी श्रेणियों के स्टाफ सदस्यों में श्रेष्ठ कार्य–निष्पादन (Top performers) करने वालों को पुरस्कार के रूप में तथा उन्हें और जिम्मेवार पदों को संभालने के उद्देश्यो से पदोन्नतियाँ नियमित रुप से करता रहता है।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित पदोन्नातियां की गईः

वर्ग से पदोन्नतियाँ	उमप्र से मप्र	समप्र से उमप्र	मुप्र से समप्र	वप्र से मुप्र	प्रबंधक से व.प्र	अधिकारी से प्रबंधक	लिपिक से अधिकारी	अधीनस्थ से लिपिक	कुल
सामान्य	3	3	34	111	215	279	244	29	918
विशिष्ट	–	–	2	30	75	1	–	–	108
कुल	3	3	36	141	290	280	244	29	1026

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकासः

प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास का एक अभिन्न अंग है। बैंकिंग उद्योग में वर्तमान प्रतिस्पर्धी वातावरण में स्टाफ को तकनीक, प्रक्रिया और पद्धति, विधिक पहलुओं में हो रहे विकास की नवीनतम जानकारियों से अवगत कराए रखना बहुत ज़रुरी हो गया है।

प्रशिक्षण और निखार(ग्रूमिंग) ऐसे महत्वपूर्ण कदम होते हैं जिनसे जीवंत संगठनात्मक संस्कृति की रचना करने में मदद मिलती है और कर्मचारी उत्साही हो कर अपना काम बेहतर ढंग से करने के प्रति प्रेरित रहते हैं। इससे कर्मचारियों की योग्यता में वृद्धि करने एवं सही कौशल और ज्ञान में दक्षता हासिल करने में मदद मिलेगी ताकि विभिन्नि वर्गों के ग्राहकों की निरंतर परिवर्तित होने वाली व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में वे सक्षम हो सकें। बैंक द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम, बैंक में नए भर्ती हुए कार्मिकों की कार्य–कुशलता एवं ज्ञान में वृद्धि करने में, तथा संगठनात्मक उद्देश्यों के लिए इसकी वर्तमान कार्य शक्ति की स्थिति के पुनर्विन्यास में सहायक सिद्ध हुए, जिससे बैंक, देश के पूर्णतः तकनीकी एवं सेवा प्रदाता बैंक के रुप में परिवर्तित हो सके।

कार्मिकों के ज्ञान स्तर को बढ़ाने एवं प्रशिक्षण तथा विकास को और अधिक प्रेरित करने हेतु बैंक ने जेएआईआईबी एवं सीएआईआईबी के लिए ई–लर्निंग सामग्री प्रदान करने हेतु इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंस को अपने साथ जोड़ा है। पठन सामग्री को बैंक के इंट्रानेट साइट में पोर्टल "एचआरडी प्रयासः ई–लर्निंग" के अंतर्गत रखा गया है। ई–लर्निंग सामग्री सभी स्टाफ सदस्यों की पहुँच में है।

बैंक ने स्टाफ सदस्यों के उनके व्यवसायिक कौशल को निरंतर विकसित करने के लिए आईआईबीएफ द्वारा प्रस्तावित 21 प्रमाणित एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है।

वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के परिप्रेक्ष्य में बैंक ने समस्त अपने कार्यालयों/शाखाओं में नियुक्त सभी कार्मिकों को अल्पावधि में एक ही समय में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विविध वेबिनार का आयोजन किया है।

नव नियुक्त कार्मिकों को अग्रिमों के विषय पर शाखा स्तर पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया।

बैंक ने महिला कार्मिकों के सशक्तिकरण एवं उनके कैरियर के विकास के लिए विशिष्ट कदम उठाए हैं।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान बैंक ने अपने 50% कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का प्रयास किया। इस संदर्भ में 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच सामान्य बैंकिंग एवं कंप्यूटर व इससे संबंधित 266 प्रशिक्षण कार्यक्रम पीएसबी सैंटर फॉर बैंकिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग, चंडीगढ़, निब्सकॉम नोएडा तथा ऑचलिक कार्यालयों में स्थानीय प्रशिक्षणों के माध्यम से आयोजित किए गए। इस दौरान विभिन्न संवर्गों के 7712 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

इसके अतिरिक्त, शीर्ष स्तर पर 138 अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान बैंक ने विविध संवर्गों के 7850 कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

औद्योगिक संबंध

बैंक में वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। कामगार और अधिकारी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने विकास एवं अन्य मुद्दों पर विभिन्न स्तरों पर प्रबंध तंत्र के साथ विचार–विमर्श में भाग लिया तथा इनके समाधान के लिए प्रयत्न भी किए गए। स्टाफ सदस्यों द्वारा उठाए गए परिवादों के निवारण के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार परिवाद निवारण समिति का गठन भी किया गया।

COMPASSIONATE APPOINTMENTS AND FINANCIAL ASSISTANCE TO THE DEPENDENTS OF DECEASED EMPLOYEES: -

During the Financial year 2015-16, the Bank gave appointment to 2 persons on compassionate grounds on unfortunate death of employees. Further, the Bank made total payment of Rs 79,53,090/- in 13 cases towards financial assistance to the dependants of the deceased employees under the scheme for the payment of Ex-Gratia in lieu of appointment on compassionate grounds.

PROMOTIONS: -

Bank is regularly promoting employees almost in all cadres year after year to keep on rewarding its top performers and make them assume higher responsibilities.

Following promotions have been effected during the year:-

Promotions from	DGM to GM	AGM to DGM	CM to AGM	SRM to CM	MGR to SRM	OFFICER to MGR	CLERK to OFFICER	SUB STAFF To CLERK	TOTAL
General	3	3	34	111	215	279	244	29	918
Specialist	-	-	2	30	75	1	-	-	108
Total	3	3	36	141	290	280	244	29	1026

TRAINING & HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: -

Training is an integral part of human resources development. In the current competitive environment in the Banking industry, it is all the more important to keep the staff abreast of the latest developments in technology, system and procedures, legal aspects etc.

Training and grooming are important steps in creating a vibrant organizational culture in which employees are encouraged & motivated to perform better. It helps in augmenting the competencies of employees & equip them with the right skills & knowledge for meeting ever changing business needs of customers in different segments. The training programs organized by the Bank are geared towards integrating the new recruits into the Bank & in enhancing the skills, knowledge and for reorienting the attitude of its existing work force to the organizational objectives so as to transform the Bank to a technology & service driven Bank of the country.

To give further impetus to the training and development and enhance knowledge base of employees, bank has tied up with Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) to provide e-learning material for JAIIB & CAIIB. The study material has been placed on bank's Intranet site under the portal "HRD Initiative: E-learning". All staff members have access to the e-learning materials.

To encourage staff members at continually upgrading their professional skills Bank has extended offer of incentives by reimbursement of the Full Course Fee of 21 Certified and Diploma courses offered by the IIBF.

In view of MoF guidelines Bank has conducted several Webinars to reach out to all staff members of all branches / offices at the same time to train them in a short span of time.

The newly recruited staff were provided Orientation Training on Advances at Branch Level.

The Bank has taken specific steps to empower its women employees and to plan their career growth.

The Bank endeavored to provide training to 50% of its employees during the Financial Year 2015-16. With this in view, 266 programs were conducted in General Banking & Computer related programs at CBRT Chandigarh, NIBSCOM, Noida & Locational trainings conducted at Zonal Offices in various fields from 1st April 2015 to 31st March 2016, in which training was imparted to 7712 employees of different cadres.

Besides, 138 Officers were also imparted training at Apex Level. Hence, Bank has imparted training to 7850 employees of different cadres during the financial year 2015-16.

INDUSTRIAL RELATIONS: -

The industrial relations in the Bank remained cordial throughout the year. The representatives from Workers and Officers unions participated in various discussions on developmental and other issues with the management at various levels and efforts were made to resolve the same. A grievance Redressal Committee has also been formulated as per the guidelines received from Ministry of Finance to redress the grievances raised by staff members.

उच्च प्रबंधन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधान कार्यालय में कार्यरत समस्त महिला कार्मिकों के साथ संवादात्मक बैठक आयोजित की। प्रधान कार्यालय मानव संसाधन विकास विभाग स्तर पर एक महिला कक्ष की स्थापना की गई है जो इंट्रानेट साइट में नव कल्पित महिला सशक्तिकरण पोर्टल बॉक्स की देखभाल करेगा। बैंक ने महिला कार्मिकों के बैंक की प्रगति में अधिकाधिक सहभागिता के नजरिए से और उन्हें उच्चतम दायित्वों को ग्रहण करने की प्रेरणा देने के लिए इस बॉक्स की संरचना की है। इसके अतिरिक्त, पोर्टल में बैंकिंग ज्ञान, फीडबैक/सुझाव, याचिका, शिकायत परिवेदना निवारण और बैंक की महिला कार्मिकों से प्राप्त प्रशिक्षण हेतु अनुरोध दिए गए है।

सीधी भर्तीः

वित्तीय वर्ष 2015–2016 में सेवानिवृत्ति की चुनौतियों, निरंतर व्यापार वृद्धि, तथा शाखाओं के तीव्र विस्ताार को ध्यातन में रखते हुए बैंक की विविध मानवशक्ति 6 की आवश्याकता को देखते हुए विशेषज्ञ एवं परिवीक्षाधीन दोनों ही संवर्ग के अधिकारियों की भर्ती की गई।

बैंक की भर्ती परियोजना वर्ष 2015–2016 के दौरान स्केल I में 14 राजभाषा अधिकारी, 634 परिवीक्षाधीन अधिकारी, 2 कृषि क्षेत्र अधिकारी तथा लिपिक वर्ग में 468 सिंगल विंडो ऑपरेटर–ए ने बैंक में कार्यग्रहण किया।

कार्मिक कल्याण

बैंक की कार्मिकों को विकासशील गतिविधियों में प्रभावी सहभागिता करने हेतु उत्साहित एवं प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं। वर्ष 2015–2016 के दौरान, बैंक की कई कल्याणकारी योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गई हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी

- दिनांक 31.03.2016 को बैंक की सभी 1481 शाखाएं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पर कार्य कर रही हैं।
- 1477 शाखाओं में आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से ईलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सुविधा उपलब्ध है।
- इंटरनेट बैंकिंग में नये कार्य विकसित किए गए हैं:–

  क) टैक्स स्टेटमेंट 26 एएस को ऑनलाइन देखना

  ख) ऑनलाइन चेक बुक अनुरोध

  ग) लाभार्थी के नेफ्ट भुगतान के लिए एसएमएस अलर्ट

  घ) नेट बैंकिंग द्वारा आयकर रिटर्नस का ई–सत्यापन

  ड़) इंटरनेट बैंकिंग में टेम्पल डोनेशन

  च) टीएनवीएटी टैक्स लागू करना

  छ) 2एफए जैसे पीकेआई कार्यात्मकता
- बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग में 6 नए समूह जोड़े है– पेयू, पेटीएम, साइट्रस, एटओम, टाइममनी, इंटरनेट बैंकिंग में नुसपे.।
- बैंक ने ई–बैंकिंग के माध्यम से धन राशि स्थानांतरण की सीमा रु. 75,000.00 से बढ़ाकर रु. 2,00,000.00 कर दी है।
- मोबाइल बैंकिंग में वैल्यू एडेड सेवाएं:

  क) मोबाइल रिचार्ज/डीटीएच रिचार्ज/बिल भुगतान

  ख) आईएमपीएस

  ग) टेंपल डोनेशन

  घ) हिंदी में मोबाइल बैंकिंग एप.
- पाँच इ–लॉबियों को खोला गया है।
- वर्ष 2015–2016 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिलेवरी चैनल्स के विस्तार हेतु बैंक ने 71 नए एटीएम की स्थापना की है। दिनांक 31.03.2016 तक बैंक के कुल एटीएम संख्या 1341 है।

Top Management of the Bank held an interactive meeting with all the women staff working at Head Office on the occasion of the International Women's Day. A Women Cell has been created at Head Office HRD Department to look after the newly conceived Women Empowerment Box Portal in the intranet site. The Box is created for women employees of the bank with a view to encourage them to participate more in the growth of the Bank and motivate them towards taking up higher responsibilities. Further, the portal contains Banking Knowledge, Feedbacks / Suggestions, Requests, Complaints, Grievance Redressal and Training Requests of Women employees of the Bank.

DIRECT RECRUITMENT: -

The Bank launched recruitment drive to cater to the challenges of superannuation, sustained business growth and branch expansion during the financial year 2015-16, recruitment of both the Specialist Officers and Probationary Officers was done to address the diverse manpower requirement of the Bank.

During the financial year 2015-16, 14 Official Language Officers, 634 Probationary Officers, 2 Agriculture Field Officers in JMGS-I and 468 Single Window Operators-A in Clerical cadre have joined the Bank.

STAFF WELFARE

In order to motivate and encourage the staff for effective participation in development activities, the Bank is maintaining various welfare schemes for the Staff. During Financial Year 2015-16, welfare Schemes of the Bank were successfully implemented.

INFORMATION TECHNOLOGY

- As on 31.03.2016, all 1481 branches are on Core Banking Solution.
- Electronic fund transfer facility through RTGS & NEFT is available in 1477 branches.
- New functionalities developed in Internet Banking :-
    a) View Online Tax Statement 26 AS
    b) On Line Cheque Book Request
    c) SMS Alerts on addition of Beneficiary for NEFT Payment
    d) E-Verification of Income Tax Returns through Net Banking
    e) Temple donation in Internet Banking
    f) TNVAT Tax Implementation
    g) PKI functionality as 2FA.
- Bank has added six new Aggregator - PAYU, PAYTM, CITRUS, ATOM, TIMEMONEY, NUSPAY in internet Banking.
- Bank has increased the Limit of Fund Transfer in E-Banking from Rs 75,000.00 to Rs.2,00,000.00
- Value added services in Mobile Banking:-
    a) Mobile Recharge/DTH Recharge/ Bill Payment
    b) IMPS
    c) Temple Donation
    d) Mobile Banking app in Hindi
- Nine E-lobbies have since been opened
- To widen the spread of Electronic Delivery Channels, the Bank has installed 71 new ATMs during the Year 2015-16. Total number of ATMs of the Bank as on 31.03.2016 is 1341.

आंतरिक नियंत्रण

बैंक में प्रत्येक स्तर पर सुपरिभाषित दायित्वों के साथ आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली है। यह अपने निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षण को परिचालित करती है। कार्यकारियों की लेखा परीक्षा समिति, जोकि प्रथम स्तरीय समिति है, निरीक्षण और लेखा परीक्षण कार्य देखती है। बोर्ड की लेखा परीक्षण समिति (एसीबी) पर्यवेक्षण और निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण विभाग के कार्यों पर नियंत्रण करती है।

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण प्रणाली आंतरिक लेखा परीक्षण द्वारा जोखिम की पहचान, नियंत्रण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बैंक लेखा परीक्षण करता है जैसे जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण (आरबीआईए), समवर्ती लेखा परीक्षण (सीसीए) आईएस लेखा परीक्षण, प्रबंधन लेखा परीक्षण और निरीक्षण (एमएआई) और ऋण लेखा परीक्षण जिसके द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षण के विभिन्न पहलूओं की आवश्यकताओं को कवर किया जाता है। बैंक की व्यवसायिक ईकाइयां/कार्यालय जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण (आरबीआईए), समवर्ती लेखा परीक्षण (सीसीए) आईएस लेखा परीक्षण के अधीन है और प्रबंधन लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण के क्षेत्र में 22 आंचलिक कार्यालय एवं 27 प्रशासनिक कार्यालय आते हैं और नीतियों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है, के अतिरिक्त उसके निष्पादन की गुणवत्ता और रु. 3 करोड़ एवं उससे अधिक के ऋण जोखिम बाह्य सनदी लेखाकारों के लेखा परीक्षण के अधीन आते है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के दौरान, बैंक की 926 शाखाओं में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण किया गया था, 456 शाखाओं/कार्यालयों को समवर्ती लेखा परीक्षण प्रणाली के अंतर्गत लाया गया, 628 शाखाओं/कार्यालयों में सूचना प्रणाली लेखा परीक्षण किया गया और 676 शाखाओं में सनदी लेखाकारों/सनदी लेखाकारों की फर्मो को नियुक्त कर राजस्व लेखा परीक्षण कराया गया।

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण विभाग लोक उत्पीड़न/शिकायतों के निवारण की निगरानी करता है। वित्तीय वर्ष 2015–2016 के दौरान 1566 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 33 शिकायतें निवारण हेतु प्रक्रिया में है। वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल ने बैंक के विरुद्ध कोई आदेश जारी नहीं किया है।

संक्षेप में, भारत सरकार, विनियमक तथा इसके अपने बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों के अनुपालन की निगरानी बैंक का निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण विभाग प्रभावी रुप से कर रहा है।

अनुपालन कार्यकलाप

दिनांक 01/10/2009 से अनुपालन विभाग पूर्ण विकसित विभाग के रुप में कार्य कर रहा है। एक बृहत् अनुपालन–नीति स्थापित है। वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालयों के विभिन्न विभागों की अनुपालन निर्देशिकाओं को तैयार/अद्यतित किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार वर्ष के दौरान आंचलिक कार्यालयों हेतु जोखिम आधारित पर्यवेक्षण पर एक नया लेखा परीक्षण प्रारुप लागू किया गया जिसको महाप्रबंधकों की समिति ने अनुमोदित किया था। भारतीय बैंक संघ द्वारा प्रेषित जांच सूची के आधार पर बैंक के अनुपालन कार्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा एक लघु अवधि तथा दीर्घ अवधि की योजना अनुमोदित की गई थी। अनुपालन विभाग द्वारा लघु अवधि की योजना को लागू कर दिया गया है। ए.एफ.आई. के पर्यवेक्षण के कारण आर.बी.एस. कक्ष को अनुपालन विभाग के साथ समाहित कर दिया गया। भा.रि. बैंक ने सूचित किया है कि हमारे बैंक को वर्ष 2016–17 के पर्यवेक्षण चक्र में सी.ए.एम.ई.एल.एस. पर्यवेक्षण से आर.बी.एस. पर्यवेक्षण में प्रत्यावर्तित कर दिया जायगा। प्रत्यावर्तन को लागू करने के लिए विभाग ने भा.रि. बैंक को बोर्ड अनुमोदित कार्य योजना प्रस्तुत कर दी है।

बैंक में अनुपालन कार्य तथा अनुपालन कार्य पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2007 के परिपत्र द्वारा जारी किए गए विभिन्न दिशा–निर्देशों का विभाग द्वारा अनुपालन किया गया। वर्ष के दौरान बैंक ने सुनिश्चित्त किया है कि सांविधिक/विनियामक तथा कोई भी अन्यत अनिवार्य अपेक्षित सूचना विनियामक/भारत सरकार अथवा अन्य् किसी भी प्राधिकरण को भेज दी गई है। अनुपालन विभाग ने भा.रि. बैंक/सेबी/वित्त मंत्रालय को समय से प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों के लिए भी प्रधान कार्यालय के विभागों से कार्रवाई करने को कहा। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान जारी किए गए भा.रि. बैंक के सभी परिपत्रों तथा आंतरिक दिशा–निर्देशों की मुख्य–मुख्य बातों को मासिक आधार पर तैयार किया गया और कार्मिकों के संदर्भ के लिए इन्हें बैंक की इन्ट्रानेट साइट पर डाला गया।

यह भी सुनिश्चित किया गया कि आंचलिक कार्यालय, शाखाएं तथा विभाग अपने परिचालन मैनुअलों के वर्णानुसार करे। इन क्रियाकलापों की जॉच वार्षिक अनुपालन लेखा परीक्षा के ज़रिए नियमित रुप से तथा नियमित अंतरालों पर कुछ शाखाओं की आकस्मिक प्रति–जांच द्वारा की जाती है।

जन–संपर्क एवं प्रचार-प्रसार

वित्तीय–वर्ष 2015–16 के दौरान बैंक ने जन–समुदाय के बीच में तथा कॉरपोरेट स्तर पर अच्छी छवि बनाने के लिए एक मल्टी–मीडिया नीति अपनाई है तथा बैंक ने संपूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों को ध्यान में रखते हुए प्रिंट मीडिया में अपने उत्पादों, संविदाओं, वित्तीय तथा अन्ये डिस्पले/सूचनाओं को विभिन्न समाचार–पत्रों, पत्रिकाओं, स्मारिकाओं में प्रकाशित कर प्रचार–प्रसार किया है।

बैंक ने अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों जैसे कि सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट, जवाहर लाल नेहरु हॉकी टूर्नामेंट, टी–20 किक्रेट टूर्नामेंट तथा विश्व पंजाबी संगठन द्वारा धूम–धाम से आयोजित बैशाखी संध्या एवं कॉरपोरेट प्रख्यातियों को अपने आउटडोर प्रचार सामग्री अर्थात् बैनरों व होर्डिगों द्वारा अमृतसर हवाई अड्डे में प्रायोजन तथा प्रदर्शन से बैंक की पहुँच का विस्तार किया। बैंक ने अपने वाल कैलेंडर, 2016 के माध्यम से भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की जिसको ग्राहकों और शुभचिन्तकों के बीच में बहुतायत से बांटा गया।

बैंक ने प्रिंट मीडिया द्वारा प्रेस विज्ञप्ति क्षेत्र के माध्यम से भी व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त की। इन सभी कार्यों द्वारा बैंक को पुनः राष्ट्र सेवा हेतु स्वयं को समर्पित करने का सुअवसर मिला तथा प्रचार–प्रसार के स्तर पर आशातीत ख्याति प्राप्त हुई।

INTERNAL CONTROLS

The Bank has in-built internal control systems with well–defined responsibilities at each level. It conducts internal audit through its Inspection & Audit Department. Audit Committee of Executives, being first tier Committees oversees the Inspection & Audit function. The Audit Committee of the Board (ACB) exercises supervision and control over the functioning of the Inspection & Audit Department.

The inspection & audit system plays an important role in identification, control and management of risks through internal audit functions. The Bank carries out audits- like Risk Based Internal Audit (RBIA), Concurrent Audit (CCA), IS Audit, Management Audit & Inspection (MAI) and Credit Audit, through which different facets of Internal Audit requirements are covered. The Bank's business units/offices are subjected to RBIA CCA & IS Audit and Bank's Management Audit & Inspection covers 22 Zonal Offices & 27 Administrative Offices and examines policies and procedures, besides quality of execution thereof and credit exposures of Rs. 3 crore & above are subjected to Credit Audit by external Auditors.

During FY 2015-16, Risk Based Internal Audit was concluded in 926 branches of the Bank, 456 branches/offices were brought under Concurrent audit system, the Information System Audit was conducted in 628 branches/offices and 676 Branches were subjected to Revenue audit be engaging services of CAs/CA firms.

The Inspection & Audit Department is monitoring redressal of public grievances/ complaints. During FY 2015-16, 1566 complaints were received of which 33 complaints are in process for redressal. The Banking ombudsman did not pass any award against the Bank during the year.

To summarize, Bank's Inspection & Audit Department has been effectively monitoring the compliance of the system & procedures laid down by its own Board, the Regulator and the Government of India.

COMPLIANCE FUNCTION

Full-fledged Compliance Department is working since 01/10/2009. A comprehensive Compliance-policy is in place. Compliance Manuals of various HO Departments were drafted/updated during the year.

As per RBI guidelines a New Audit format based on Risk Based Supervision for Zonal Offices was introduced during the year duly approved by GMs committee. A short term and long term action plan was approved by the Board for strengthening of Bank's Compliance functions on the basis of check list sent by IBA. The short term plan has been implemented by Compliance Deptt. Consequent to AFI observations RBS cell was merged with Compliance Department. RBI has intimated that our Bank will be migrated from CAMELS supervision to RBS supervision from the supervisory cycle of 2016-2017. For implementation of migration, Bank has submitted Board approved action plan to the RBI.

The Bank has followed various guidelines issued by RBI in its Circular dated April 20, 2007 on Compliance Functions in Bank and other guidelines issued on Compliance Functions. During the year Compliance Department has ensured that Statutory/Regulatory and other mandatory information required by the Regulator/GOI or any other Authority, has been sent. The compliance department also pursued HO Departments for timely submission of returns to RBI/SEBI/MOF. Gists of all RBI circulars and Internal guidelines, issued during the FY 2015-16, were prepared on monthly basis and were placed on the intranet site of the Bank for reference of the staff.

It was also ensured that the functioning of Branches, Zonal Offices and HO Departments is synchronized with their Functional Manuals. This functioning has been regularly checked through Annual Compliance Audits and random cross-checking of some of the branches at regular intervals.

PUBLIC RELATION AND PUBLICITY

During the financial year 2015-16, the Bank adopted a multi-media strategy to build up its image in Public and at the corporate level and accordingly publicity was made through the print media by release of its product, tender, financial and other display/ notice ads in different newspapers, magazines and souvenirs targeting various audiences all over the country.

Bank also used outdoor publicity tools i.e. Sponsorship and Display of Banners & Hoardings on events of high publicity value e.g. Surjit Hocket Tournament, Jawahar Lal Nehru Hockey Tournament, Gala Baisakhi Evening organized by World Punjabi Organization and corporate publicity through hoardings at Amritsar Airport facilitated extension of outreach of the Bank. Bank also received immense publicity through the Bank's Wall Calendar 2016 which was widely distributed among clients and well wishers of the Bank.

Bank got huge publicity by way of coverage of its press releases by the print media. All these activities facilitated the Bank to rededicate itself to the service of the nation and enabled it to earn a well deserved mileage on the publicity front.

सतर्कता

सतर्कता निवारक

बैंक ने निरोधात्मक सतर्कता के उपाय के रुप में तथा कार्मिकों को भ्रष्टाचार मुक्त परिवेश के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से सतर्कता प्रशासन तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई पर दो दिन की कार्यशाला/प्रशिक्षण का आयोजन किया। श्री विजय कुमार देव, आई.ए.एस., आयुक्त सलाहकार, चंडीगढ़ ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री आर.एन. नायक, निदेशक और श्री राजेश वर्मा, माननीय सीवीसी के सलाहकार ने मूल्यवान सत्र में विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।

दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 को बैंक ने "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" के दौरान दिल्ली के इण्डिया इंटरनेशनल सेंटर में प्रमुख समारोह आयोजित किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त श्री टी एम भसीन, मुख्य अतिथि के रूप में ने समारोह की शोभा बढ़ाई और बैंक के उच्चाधिकारियों, संस्थान/ कॉलेज/स्कूल के छात्र– समूहों को संबोधित किया। पहली बार हमारे विभाग द्वारा पीएसबी – विजिल, एक तिमाही समाचार पत्रिका का विमोचन किया गया। तत्पश्चात्, सप्ताह के दौरान दिल्ली के विभिन्न स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों में 20 अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और उनमें से एक कार्यक्रम में **केंद्रीय सतर्कता आयोग के ओ.एस.डी. श्री जे विनोद कुमार** ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर पूरे देश में शाखा स्तर पर 162 स्कूलों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 17235 छात्रों ने भाग लिया।

माननीय केंद्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा सतर्कता जागरुकता सप्ताह के अवलोकन में इस वर्ष के विषय "सुशासन के प्रभावी उपाय के रुप में निवारक सतर्कता" के समान तथा बड़े ऋण खातों में राजस्व चोरी संबंधी तिमाही/विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर हमने हमारे सतर्कता अधिकारी द्वारा नमूना आधार पर बड़े ऋण खातों की स्वीकृति हेतु अनुपालन नियमों एवं शर्तों की जाँच के लिए "मिशन कंप्लायंस" के नाम से एक विशेष अभियान की शुरुआत की है:

दंडात्मक सतर्कता

अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित मामलों की संख्या को कम करने हेतु विशेष ध्यान दिया गया। तत्पश्चात्, 6 माह से अधिक पुराने विवेचना के मामलों में, हमारा प्रयास रहा है कि इनकी संख्या न केवल एक अंक तक लाने का प्रयास किया जाए अपितु इसे न्यूनतम सम्भव स्तर पर लाया जाए और परिणामस्वरुप हम इसे शून्य तक लाने में सफल रहे। इन मामलों की तुलनात्मक स्थिति निम्न है;

	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
6 माह से अधिक लंबित विवेचना	03	07	01	00

समस्त स्तरों पर हमारी निरंतर निगरानी, विशेषतयाः सीवीसी/डीएफएस/सीबीआई से प्राप्त, शिकायतों के निपटान में सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए है एवं इसे घटाकर न्यूनतम/शून्य कर दिया, जोकि नीचे दिए गए डाटा/टेबल इसका प्रमाण है:

	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016
सीवीसी से संबंधित लंबित शिकायत	02	02	01	00

हम सुरक्षात्मक सतर्कता पर अधिक ध्यान दे रहे हैं और संस्था के समस्त कार्मिकों में हमारे सुरक्षात्मक सतर्कता के उपायों/जागरुकता पूर्ण प्रयासों के परिणाम स्वरुप आरोप पत्र जारी करने की संख्या और सतर्कता मामलों की संख्या में समय के अनुसार गिरावट आई जोकि निम्न से प्रकट होता है:–

	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
लंबित सतर्कता मामले	133	75	70	58
जारी किए गए आरोप पत्र	151	102	63	56

बैंक में निरंतर निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र की मजबूती पर बल देने से धोखाधड़ी में गिरावट देखी जा सकती है, जोकि नीचे सारणी में परिलक्षित है।

	2013–14	2014–15	2015–16
वित्तीय वर्ष के दौरान सूचित किए गए नए धोखाधड़ी के मामलों की संख्या	35	31	12
वर्षों के दौरान संचित धोखाधड़ी के मामलों की कुल संख्या	450	446	442

VIGILANCE

PREVENTIVE VIGILANCE

As a measure of preventive vigilance and also to sensitize the staff towards a corruption free environment, the Bank organized two days workshop/ training on Vigilance Administration & Disciplinary Proceedings The programme was inaugurated by Shri. Vijay Kumar Dev, IAS, Advisor to the Commissioner, Chandigarh. Shri. R.N Nayak, Director and Shri. Rajesh Verma, Advisor from Hon'ble CVC had also valuable sessions on various aspects.

During "Vigilance Awareness Week", the Bank organized its main function at India International Centre, New Delhi on 26th October, 2015. Sh T M Bhasin, Vigilance Commissioner, Central Vigilance Commission, being Chief Guest graced the occasion and addressed the gathering of students from School /College/Institute and Senior Functionaries of the Bank. A quarterly newsletter namely PSB-Vigil was brought out during this function for the first time. Thereafter, during the week 20 other programmes were also organized in different Schools / Colleges / Institutions in Delhi and one of the programme was presided by Sh J Vinod Kumar, OSD, Central Vigilance Commission. On the occasion, various programmes were organized at the Bank level across the country at 162 schools where 17235 students participated.

In line with this year's theme observing Vigilance Awareness Week by Hon'ble CVC "Preventive Vigilance as a tool of good governance" and on the basis of information received from various sources / quarters regarding Revenue Leakage in Big Borrowal Accounts, a special drive under the name "Mission Compliance" i.e. checking of the compliance of terms and conditions of sanction in big borrowal accounts by Vigilance Officers on sample basis.

PUNITIVE VIGILANCE

Special thrust was given, to bring down the pendency of disciplinary action cases. In respect of enquiries for more than 6 months old, endeavor was not only to bring down the number of enquiries not only to a single digit but to a minimum possible level and as a result NIL pendency was achieved. The comparative position of such cases is given below:

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Pending inquiries more than 6 months old	03	07	01	00

Constant monitoring at all levels has yielded positive result as pendency of complaints especially received from CVC / DFS / CBI, has reduced to bare minimum/NIL, as is evident from the data / table given below:

	31.03.13	31.03.14	31.03.15	31.03.16
Pending CVC referred Complaints	02	02	01	00

With focus on preventive vigilance and as a result of preventive vigilance measures / awareness efforts amongst the staff members across the organization, the number of issuance of Charge Sheet and number of Vigilance Cases has declined over the period which is evident from the below:

	2012 - 13	2013 - 14	2014 - 15	2015 – 16
Vigilance Cases pending	133	75	70	58
Charge Sheet issued	151	102	63	56

With constant monitoring and emphasis on strengthening the internal control mechanism in the Bank, there is considerable decline in fraud, as is evident from table below.

	2013-14	2014-15	2015-16
Number of Fresh Frauds Reported during the Financial Year	35	31	12
Total Number of Frauds cumulative over the years	450	446	442

सुरक्षा

बैंक की संगठनात्मक संरचना में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रुप से स्थापित है। बैंक सभी करेंसी चेस्टों एवं शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा कर रहा है तदनुसार, बैंक में प्रबल सुरक्षा परिदृश्य बनाने हेतु सुरक्षा प्रबंधनों की गति को तेज किया गया है ताकि बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी ,आधुनिक तथा अबाधित सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए मजबूत किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय बैंकिंग संघ के दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक एवं अनिवार्य सुरक्षा प्रबंधन की व्यवस्था बैंक की लगभग सभी शाखाओं में उपलब्ध करवाई गई है।

सभी शाखा कार्यालयों एवं करेंसी चेस्टों में सुरक्षा अलार्म सिस्टम स्थापित है। भारतीय रिज़र्व बैंक के विनिर्दिष्टों के अनुरुप अधिकांश शाखाओं में स्ट्रांग रुम स्थापित किए गए है।

करेंसी चेस्ट/शाखाओं में तैनात शस्त्रधारी गार्डों को वार्षिक आधार पर फायरिंग अभ्यास सहित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा सभी सुरक्षा अधिकारियों को वर्ष में एक बार सुरक्षा संबंधी पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

आतंक की अनुभूति, नकदी की मात्रा और बहुमूल्य वस्तुओं तथा निरंतर निगरानी की आवश्यकता को दृष्टिकोण में रखते हुए, प्रथम चरण में, समस्त करेंसी चेस्टों की शाखाओं तथा चिह्नित की गई 738 उच्च जोखिम व अतिसंवेदनशील शाखाओं में सी.सी.टी.वी. निगरानी पद्धति संस्थापित करवा दी गई है। शेष शाखाओं में भी अति शीघ्र सी.सी.टी.वी. निगरानी पद्धति संस्थापित कर दी जाएगी।

राजभाषा कार्यान्वयन :

वर्ष 2015–16 राजभाषा कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से उपलब्धियों भरा वर्ष रहा। वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा हमारे बैंक द्वारा प्रकाशित त्रिभाषी शब्दावली (अंग्रेज़ी, हिंदी एवं पंजाबी) के लिए तथा बैंक में प्रादेशिक भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए दो प्रशस्ति–पत्र भी जारी किए गए।

बैंक की पत्रिका "राजभाषा अंकुर' में कतिपय नए एवं अनूठे प्रयोग किए गए। बैंक ने पत्रिका में हिंदीत्तर प्रादेशिक भाषाओं को महत्त्वपूर्ण स्थान देना प्रारंभ किया है जिसकी बैंकिंग उद्योग में भूरि–भूरि प्रशंसा की गई है। इस प्रयोग में अभी तक उड़िया, बंगला, संथाली और असमिया भाषाओं की सामग्री को उनके हिंदी रुप सहित प्रकाशित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त बैंक ने बैंक के उच्चांधिकारियों के लिए भी एक अनूठी पहल की है। सभी उच्चाधिकारियों को हर दिन 'आज का शब्द' और हिंदी की एक पंक्ति, एसएमएस के माध्यम से भेजी जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान बैंक में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के प्रचार–प्रसार में आशातीत प्रगति की गई। कुल 60 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें 847 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त 672 शाखाओं में आयोजित डैस्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 2938 कार्मिकों को हिंदी के प्रयोग का प्रशिक्षण तथा कंप्यूटर पर यूनिकोड प्रशिक्षण भी दिया गया। बैंक में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य से कुल 732 शाखाओं/कार्यालयों के निरीक्षण किए गए। वर्ष के दौरान भारत सरकार, वित्त–मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के निर्देशानुसार 968 शाखाओं/विभागों में "मस्तिष्क मंथन" कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

खेल–कूद

बैंक की हॉकी टीम के निम्नलिखित खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया:

श्री रमनदीप सिंह	श्री हरबीर सिंह	श्री सतबीर सिंह
श्री प्रबदीप सिंह	श्री हरजोत सिंह	

हीरो समूह के प्रायोजन तथा हॉकी इण्डिया द्वारा आयोजित इण्डियन प्रीमियर लीग 2016 में विविध टीमों की ओर से 6 खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया। केरल में आयोजित राष्ट्रीय खेल, 2015 में सवजीत सिंह, गुरइकबाल सिंह, एवं विक्रमजीत सिंह ने पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

वर्ष 2015–16 के लिए श्री बलजीत सिंह सैनी (ओलम्पियन), भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच नियुक्त किए गए थे।

केरल में आयोजित राष्ट्रीय खेल, 2015 के लिए श्री संजीव कुमार (ओलम्पियन) पंजाब राज्य हॉकी टीम के मुख्य कोच थे।

सामान्य प्रशासन

विभाग बैंक स्वामित्व के परिसर पर निर्माण कार्य/परियोजना कार्य करा रहा है और विनिर्दिष्ट वस्तुओं/सेवाओं को क्रय करने से भी जुड़ा हुआ है। वर्ष के दौरान चार परियोजनाएं जैसे गुड़गांव, फोर्ट मुम्बई, और नोएडा (सेक्टर 49 एवं 63 दोनों) में बैंक परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा उक्त परिसरों में कार्यालय/शाखाएं कार्यरत हैं। शेष परियोजनाएं भी समापन अवस्था में है तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में रोहिणी और रंजीत नगर में बैंक परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

SECURITY

The Bank has a well established Security set-up within the Bank's organizational structure. The Bank has been regularly reviewing the security arrangements at all Currency Chests and branches and accordingly strengthening the security arrangements to meet prevailing security scenario with effective, modern and unobstructed Security Systems. All the essential and mandatory security arrangements in terms of RBI/ IBA guidelines are provided at almost all branches.

Security Alarm Systems are installed at all branches and currency chests. Strong Room conforming to RBI specification are provided at majority of branches.

Training, including firing practice, for Armed Guards deployed at currency chests / branches is imparted on an annual basis. Also, all the security officers undergo refresher training on security once in a year.

Keeping in view the threat perception, volume of cash and valuables handled and need for continuous surveillance, CCTV Surveillance System has been installed at all the Currency chest branches and 738 identified High Risk and vulnerable branches in the first phase. CCTV systems shall be installed at remaining branches at the earliest.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

Year 2015-16 was the year of achievements in Official Language implementation. Ministry of Finance, Department of Financial Services awarded our Bank with Two Letters of Appreciation for publishing Tri-Language Glossary (English, Hindi & Punjabi) and for promoting Regional Languages.

Some new and innovative experiments were made in Bank's Magazine "Rajbhasha Ankur". Besides Hindi, the Bank has encouraged Regional Languages in the magazine and this initiative has been richly complemented in banking industry. So far, material in Odiya, Bengali, Santhali and Assamese languages have been published with their Hindi versions. The Bank also had a unique initiative for its executives. "Aaj ka Shabd" and a line on Rajbhasha is being sent to all executives via SMS.

During the financial year 2015-16, the Bank made significant progress in implementation of official language Policy of Govt. of India for promoting and propagating the use of Official Language in the Bank. A total of 60 workshops were organized, in which 847 staff members were trained. Besides this, in 672 Hindi Desk Training Programmes, 2938 staff members were imparted training for using official language and Unicode training on Computers. With the aim of reviewing the progress of Official Language, inspections were conducted in 732 Branches / offices. As per directions of MOF, Department of Financial Services "Mastishk - Manthan" Programmes were organized in 968 offices / branches of the Bank.

SPORTS

The following players of the Bank's Hockey Team have represented the Country:

Sh. Ramandeep Singh	Sh. Harbir Singh	Sh. Satbir Singh
Sh. Prabdeep Singh	Sh. Harjot Singh	

6 players represented Indian Premier League 2016 from different teams, which was organized by Hockey India with the sponsorship of HERO Group.

Sh. Sarvanjit Singh, Sh. Guriqbal Singh, Sh. Gautampal Singh, Sh. Vikramjit Singh represented Punjab state in National Games held at Kerala 2015.

Sh. Baljit Singh Saini (Olympian) was appointed as Coach of Indian Women Hockey Team for 2015-16.

Sh. Sanjeev Kumar (Olympian) was the Chief Coach of Punjab State Hockey team for National Games 2015 held at Kerala.

GENERAL ADMINISTRATION

The Bank is undertaking construction works/projects on its owned premises and is also involved in the procurement of assigned Goods/Services. Projects viz. Construction of Bank building at Gurgaon, Fort Mumbai and Noida have been completed and the offices/branches are functional in the said premises. The remaining projects are in their completion stages and the construction of Bank buildings at Rohini and Ranjit Nagar are likely to be completed in FY 2016-17.

निदेशक मंडल का गठन

31 मार्च, 2016 को निदेशक मंडल में तीन पूर्ण कालिक निदेशकों अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा दो कार्यकारी निदेशकों के अतिरिक्त सात अन्य निदेशकों जिसमें वित्त–मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों, दो शेयरधारक निदेशकों तथा तीन अंश–कालिक गैर–अधिकारिक निदेशकों को सम्मिलित किया गया है।

बैंक मामलों के नियंत्रण एवं कार्य निगरानी हेतु गठित बोर्ड की विभिन्न समितियों की सूची नीचे दी गई है

- प्रबंधन समिति
- लेखा परीक्षा समिति
- जोख़िम प्रबंधन समिति
- बड़ी राशियों की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु समिति
- सतर्कता समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- अंशधारक संबंध समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी नीति समिति
- मानव संसाधान समिति
- बोर्ड की पुनर्विचार/समीक्षा समिति
- पारिश्रमिक समिति
- कार्यकारियों की पदोन्नति पर बोर्ड समिति
- वसूली की निगरानी हेतु समिति
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में मतदान द्वारा शेयरधारक निदेशक के चयन हेतु समिति

वर्ष 2015–16 के दौरान बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के अतिरिक्त, बोर्ड निदेशकों की नौ बैठकें, बोर्ड की प्रबंधन समिति की ग्यारह बैठकें तथा लेखा परीक्षा समिति की सात बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2015–16 के दौरान बैंक के बोर्ड निदेशकों के नियोजन में निम्नलिखित परिवर्तन हुएः

समावेशन

- श्री ए.के. जैन को बैंक के कार्यकारी निदेशक के रुप में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 15.12.2015 की अधिसूचना संख्या एफ.न. 4/5/2013–बीओ–I के माध्यम से नियुक्त किया गया।
- श्री अतनु सेन को बैंक के अंश कालिक गैर सरकारी नामित निदेशक के रुप में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 28.01.2016 की अधिसूचना संख्या एफ.न. 6/24/2015 –बीओ–I के माध्यम से नामित किया गया।

सेवा समाप्ति

- श्री महेश कुमार गुप्ता ने सनदी लेखाकार वर्ग के निदेशक के रुप में दिनांक 29.01.2016 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।

कॉर्पोरेट गवर्नेंसः

बैंक अच्छे निगमित प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसे और अधिक मज़बूत करने का निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि संगठन में सभी स्तर पर और अधिक पारदर्शिता व बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। बैंक की कार्य–प्रणाली बैंक के पारदर्शी स्वामित्व सरंचानाएं, जोखिम प्रबंधन कार्य–प्रणाली में सुधार, सुनियोजित तरीके से शक्तियों को सौंपना, जवाबदेही तथा निरीक्षण एवं लेखा–परीक्षा प्रभाग तथा सांविधिक केन्द्रीय लेखा–परीक्षकों द्वारा किए गए विस्तृत लेखा कार्यों को दर्शाती है।

बैंक निगमित प्रशासन से संबंधित मामले में सेबी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों का पालन करता है जिसकी जांच केन्द्रीय सांविधिक लेखा–परीक्षकों द्वारा की जाती है।

CONSTITUTION OF BOARD OF DIRECTORS

As on 31st March 2016, the Board comprised of three Whole Time Directors viz Chairman & Managing Director and two Executive Directors besides seven other Directors including representatives from Ministry of Finance, Reserve Bank of India, two Share Holder Directors and three Part Time Non Official Directors.

Various Committees constituted under the Board as listed below, oversee the functioning and control the affairs of the Bank:

- Management Committee
- Audit Committee
- Risk Management Committee
- Committee for Monitoring of Large Value Frauds
- Vigilance Committee
- Customer Service Committee
- Stakeholders Relationship Committee
- IT Strategy Committee
- HR Committee
- Committee of Board on Appellate/Reviewing Authority
- Remuneration Committee
- Committee of Board on Executives' Promotion
- Committee for Monitoring of Recovery
- Election of Shareholders Director Committee Voting by Public Sector Bank

During the year 2015-16, nine meetings of the Board of Directors, eleven meetings of the Management Committee and seven meetings of the Audit Committee of the Board were held, besides meetings of other Committees of the Board.

The constitution of Bank's Board of Directors underwent following changes during the year 2015-16:

INCLUSIONS

- Sh. A. K. Jain was appointed as Executive Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 4/5/2013-BO-I dated 15.12.2015.
- Sh. Atanu Sen was nominated as Part Time Non Official Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/24/2015-BO-I dated 28.01.2016.

CESSATIONS

- Sh. Mahesh Kumar Gupta completed his term as CA Category Director on 29.01.2016

CORPORATE GOVERNANCE

The Bank is committed to good Corporate Governance and is constantly striving to further strengthen the same to ensure greater transparency and better coordination at all levels in the Organization. The working of the Bank reflects transparent ownership structure, improved risk management practices, well defined delegation of powers, accountability and an elaborate audit function carried out by both its Inspection & Audit Division and by independent Statutory Central Auditors.

Bank has complied with the guidelines of RBI and SEBI on the matters relating to Corporate Governance which have been examined by the Statutory Central Auditors.

निदेशकों के उत्तरदायित्व की विवरणी

निदेशकों ने पुष्टि की है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करने में –

- लागू लेखा–मानकों के साथ–साथ मानक सामग्री से सम्बन्धित उचित व्याख्या, यदि कोई है, का पालन किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरुप बनाई गई लेखांकन नीतियों को नियमित रुप से लागू किया गया है।
- वित्तीय–वर्ष के अंत में तथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष में बैंक के लाभ हेतु बैंक के कार्यकलापों का वास्तविक तथा उचित विवरण प्रस्तुत करने हेतु यथोचित निर्णय तथा पूर्वानुमान लगाए गए हैं।
- भारत में बैंकों पर लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार लेखा अभिलेखों के उचित एवं पर्याप्त अनुरक्षण के लिए उचित तथा पर्याप्त ध्यान रखा गया है तथा खातों को अविरल प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया गया है।

सांविधिक लेखा परीक्षण

जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित है, बैंक ने समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2016 के लेखांकन वर्ष हेतु मैसर्स ढ़िल्लों एण्ड एसोशिएट ,चंडीगढ़; मैसर्स तिवारी एण्ड एसोशिएट, नई दिल्ली; मैसर्स धवन एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली; तथा मैसर्स दविंदर पाल सिंह एण्ड कम्पनी होशियारपुर, को केंद्रीय सांविधिक लेखाकारों के रुप में नियुक्त किया है।

अभिस्वीकृतियांः

बैंक का निदेशक मण्डल मूल्यवान ग्राहकों, शेयर धारकों, शुभचिंतकों और बैंक के भारत तथा विदेशों में उनके संवाददाताओं के संरक्षण, सदभावना एवं समर्थन के लिए धन्यवाद देता है।

निदेशक मण्डल बैंक के कामकाज के लिए भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, विभिन्न राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा–परीक्षकों से प्राप्त मूल्यवान और समय पर सलाह, मार्गदर्शन तथा सहयोग को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है।

निदेशक मण्डल वर्ष के दौरान सभी स्तरों पर बैंक की प्रगति हेतु स्टाफ–सदस्यों के बहुमूल्य योगदान के लिए भरपूर सराहना करता है तथा आशा करता है कि आने वाले वर्षों में बैंक को निगमित लक्ष्यों की प्राप्ति में इनका सतत् सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 मई, 2016

जतिन्दरबीर सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENTS

The Directors confirm that in the preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2016:

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the bank for the year ended on 31st March, 2016.
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws Governing Banks in India and the accounts have been prepared on a going concern basis.

STAUTORY AUDIT

As approved by Reserve Bank of India, Bank has appointed M/s Dhillon & Associates, Chandigarh; M/s Tiwari & Associates, New Delhi; M/s Dhawan & Co., New Delhi and M/s Davinder Pal Singh & Co., Hoshiarpur as Statutory Central Auditors for the accounting year ended March 2016.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors of the Bank thanks valued customers, shareholders, well-wishers and correspondents of the Bank in India and abroad for their goodwill, patronage and continued support.

The Directors also acknowledge with gratitude the valuable and timely advice, guidance and support received from Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges of various State Governments, Financial Institutions and the Statutory Central Auditors of the Bank in the functioning of the Bank.

The Directors place on record their deep appreciation for the valuable contribution of the members of the staff at all levels for the progress of the Bank during the year and look forward to their continued co-operation in realization of the Corporate goals in years ahead.

For and on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 10 May, 2016

Jatinderbir Singh
Chairman & Managing Director

कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट (2015–16)

1. प्रबंधन संहिता के संबंध में बैंक – दर्शन

बैंक अपनी कॉर्पोरेट प्रबंधन की नीति प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने, कानून का सत्यनिष्ठा के साथ अनुपालन, नैतिक मानकों का अनुसरण करने तथा अंशधारकों के स्थायी विकास हेतु सामाजिक दायित्वों पर आधारित है। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा अपितु स्वेच्छापूर्वक कड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को निष्पादित करते हुए, उनका पालन भी करेगा। बैंक उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने तथा सभी स्तरों पर कार्यनिष्पादन को सुनिश्चित करते हुए शेयर–धारकों के हितों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपने सतत् प्रयास जारी रखेगा। बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने हेतु नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है। बैंक अपने सभी साझेदारों जिनमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार तथा व्यापक तौर पर आमजन भी शामिल हैं, को अधिकतम लाभ पहुँचाने हेतु सघन प्रयास करता रहेगा।

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है जो एक कंपनी नहीं है अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 अर्थात् बैंककारी कंपनी अर्जन अधिनियम के तहत निकाय कॉर्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, अतः स्टॉक एक्सचेंजो के साथ किए गए सूचीयन करार के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियमों, 2015 का उस सीमा तक पालन करेगा जहां तक बैंककारी कंपनी उपक्रमों का (अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का उल्लंघन नही होता है।

2. निदेशक मंडलः

2.1 निदेशक मंडल का स्वरूप

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुरूप निदेशक मंडल का स्वरूप निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	नाम	पदनाम	31.03.2016 को बैंक के धारित शेयरों की संख्या	बैंक की उपसमितियों की सदस्यता की संख्या	बैंक के अलावा कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाओं की संख्या	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप–समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप)
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह, आई.ए.एस.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शून्य	11	1	शून्य	+
2.	श्री एम.के. जैन	कार्यकारी निदेशक	शून्य	11	शून्य	शून्य	*
3.	श्री ए.के. जैन	कार्यकारी निदेशक	शून्य	10	शून्य	शून्य	**
4.	श्री एस.आर. मेहर	निदेशक– वित्त मंत्रालय द्वारा नामित	शून्य	11	शून्य	शून्य	***
5.	श्री पी.के. जेना	निदेशक– भा.रि.बैं. द्वारा नामित	शून्य	6	शून्य	शून्य	@
6.	श्री सुखेन पाल बबूता	गैर–आधिकारिक निदेशक (शेयरधारक निदेशक)	500	3	3	शून्य	$
7.	श्री एम.एस. सारंग	गैर–आधिकारिक निदेशक (शेयरधारक निदेशक)	1100	4	1		#
8.	श्री संजय वर्मा	गैर–आधिकारिक निदेशक	शून्य	7	शून्य	शून्य	++
9.	श्रीमति अनिता कर्णावर	गैर–आधिकारिक निदेशक	शून्य	4	शून्य	शून्य	+++
10.	श्री अतनु सेन	गैर–आधिकारिक निदेशक	शून्य	2	4	शून्य	##

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE (2015-16)

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE :

The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholder's value by protecting their interest by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore the Bank shall comply with the provisions of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges and as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 Composition of the Board:

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended and the Nationalized Banks Management and Miscellaneous Provisions Scheme, 1980, as amended.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2016 is as under:

Sr. No	Name	Position Held	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2016	No. of member ship in Sub Committees of the Bank	No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
1	Sh. Jatinderbir Singh, I.AS	Chairman & Managing Director	NIL	11	1	NIL	+
2.	Sh M.K.Jain	Executive Director	NIL	11	NIL	NIL	*
3.	Sh A.K.Jain	Executive Director	NIL	10	NIL	NIL	**
4.	Sh S. R. Mehar	Director – MOF Nominee Director	NIL	11	NIL	NIL	***
5.	Sh P.K. Jena	Director – RBI Nominee Director	NIL	6	NIL	NIL	@
6.	Sh.Sukhen Pal Babuta	Non-Official Director (Shareholder Director)	500	3	3	NIL	$
7.	Sh. M S Sarang	Non-Official Director (Shareholder Director)	1100	4	1	NIL	#
8.	Sh. Sanjay Verma	Non-Official Director	NIL	7	NIL	NIL	++
9.	Smt. Anita Karnavar	Non-Official Director	NIL	4	NIL	NIL	+++
10.	Sh. Atanu Sen	Non-Official Director	NIL	2	4	NIL	# #

+ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2014 सं. एफ.नं. 4/7/2013–बीओ–I की शर्तों के अनुरूप पूर्णकालिक निदेशक (पदनामित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) अर्थात पदग्रहण करने की तिथि 01.02.2014 या बाद में और दिनांक 31.12.2017 तक यानि कि अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो।

* वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 05 अगस्त, 2013 सं. एफ.नं. 4/5/2012–बीओ–I की शर्तों के अनुरूप 05 वर्ष हेतु कार्यकारी निदेशक अर्थात पदग्रहण करने की तिथि या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो।

** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 सं. एफ.नं. 4/5/2013–बीओ–I की शर्तों के अनुसार कार्यकारी निदेशक के रुप में पदग्रहण करने की तिथि तथा दिनांक 31.01.2017 तक अर्थात उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो।

*** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2014 सं. एफ.नं. 6/3/2012–बीओ–I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा (3) के खंड (बी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त।

@ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 31 मई, 2013 सं. एफ.नं. 6/34/2013–बीओ–I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा (3) के खंड (सी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त।

$ शेयरधारकों के मध्य से, केंद्रीय सरकार के अलावा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3)(i) जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) से संबंधित अधिनियम 66(i), अधिनियम, 2008 खंड 9 (4) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक की अवधि अर्थात् दिनांक 01.07.2014 से निदेशक नियुक्त।

++ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 12 अगस्त, 2013 सं. एफ.नं. 6/16/2011–बीओ–I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3एच) एवं (3–ए) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक नियुक्त।

शेयरधारकों के मध्य से, केंद्रीय सरकार के अलावा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3)(i) जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) से संबंधित अधिनियम 66(i), अधिनियम, 2008 खंड 9 (4) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक की अवधि अर्थात् दिनांक 01.07.2014 से निदेशक नियुक्त।

+++ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 30 जनवरी, 2014 सं. एफ.नं. 6/56/2013–बीओ–I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3एच) एवं (3–ए) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक नियुक्त।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28 जनवरी, 2016 सं. एफ.नं. 6/24/2015–बीओ–I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3एच) एवं (3–ए) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक नियुक्त।

2.2 वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/कार्य–समाप्ति

वर्ष 2015–16 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में निम्न परिवर्तन हुएः

(क) नियुक्ति –

» श्री ए.के. जैन को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 15.12.2015 संख्या एफ. नं. 4/5/2013–बी.ओ.–I द्वारा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

» श्री अतनु सेन को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 28.01.2016 संख्या एफ. नं. 6/24/2015–बी.ओ.–I द्वारा बैंक का अंशकालीन गैर–अधिकारिक निदेशक नामित किया गया।

(ख) वर्ष के दौरान सेवानिवृत होने वाले निदेशक

» श्री महेश कुमार गुप्ता ने सनदी लेखाकार निदेशक के रूप में दिनांक 29.01.2016 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।

\+ Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/7/2013-BO-I dated 31st January 2014 as a whole time Director (designated as Chairman & Mg. Director) w.e.f. the date of taking charge on or after 01.02.2014 and upto 31.12.2017 i.e. the date of his attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.

* Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/5/2012-BO-I dated 5th August 2013 as Executive Director for a period of five years from the date of his taking over charge of the post , or until further orders, whichever is earlier.

** Appointed in terms of GOI MOF letter F.No.4/5/2013-BO-I dated 15th December 2015 as Executive Director w.e.f the date of his taking over the charge of the post and upto 31.01.2017 i.e. the date of his attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.

*** Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2012-BO-I dated 24th September 2014 under clause (b) of sub section (3) of section 9 of the The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.

@ Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/34/2013-BO-I dated 31st May 2013 under clause (c) of sub section 3 of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.

$ Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations,2008 for a period of 3 years, i.e. from 01.07.2014.

++ Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/16/2011-BO-I dated 12th August 2013 under of sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 for a period of 3 years, i.e. from 01.07.2014.

+++ Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/56/2013-BO-I dated 30th January 2014 under of sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of her appointment or until further orders, whichever is earlier.

Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/24/2015-BO-I dated 28th January 2016 under of sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

2.2 Appointment / Cessation of Directors during the year:

The constitution of Bank's Board of Directors underwent the following changes during the year 2015-2016:

[A] Appointment:

- Sh. A. K. Jain was appointed as Executive Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 4/5/2013-BO-I dated 15.12.2015.
- Sh. Atanu Sen was nominated as Part Time Non Official Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/24/2015-BO-I dated 28.01.2016.

[B] Outgoing Directors during the year:

- Sh. Mahesh Kumar Gupta completed his term as CA Category Director on 29.01.2016

2.3 वर्ष 2015–16 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचयः

(क) श्री ए.के. जैन

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री अरविन्द कुमार जैन
2.	पिता का नाम	श्री आनन्द कुमार जैन
3.	जन्म तिथि एवं आयु	13.01.1957 तथा 59 वर्ष
4.	वर्तमान पता	ई.डी. कार्यालय, बैंक हाउस, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली
5.	ईमेल पता	akjain@psb.co.in
6.	शैक्षिक योग्यता	एमएससी, एलएलबी
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	कार्यकारी निदेशक
8.	अनुभव	भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण, यदि कोई है	–––

(ख) श्री अतनु सेन

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री अतनु सेन
2.	पिता का नाम	श्री क्षिति भूषण सेन
3.	जन्म तिथि एवं आयु	16.07.1954 तथा 61 वर्ष
4.	वर्तमान पता	डीए–193, साल्ट लेक, कोलकाता – 700064
5.	ईमेल पता	senatanu@gmail.com
6.	शैक्षिक योग्यता	एमए अर्थशास्त्र, सीएआईआईबी
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	गैर–आधिकारिक निदेशक
8.	अनुभव	बैंक सेवाओं का 37 वर्ष का अनुभव
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण, यदि कोई है	जय प्रकाश पॉवर वेंचर्स लि., अलोक इंडस्ट्रीज़ लि., जेपी हेल्थ केयर लि., जेपी फर्टीलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ लि.

2.4 बोर्ड बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, बोर्ड की निम्न तिथियों पर कुल 09 बैठकें हुई जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 में निर्धारित खण्ड 12 की न्यूनतम 06 बैठकों के विरुद्ध है।

20.04.2015	12.05.2015	29.06.2015	08.08.2015	22.09.2015
07.11.2015	08.12.2015	11.02.2016	29.03.2016	

2.3 Profiles of Directors appointed during 2015-16:

[A] Sh. A. K. Jain

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. ARVIND KUMAR JAIN
2.	FATHER'S NAME	Sh. ANAND K JAIN
3.	DATE OF BIRTH & AGE	13.01.1957 & 59 Years
4.	PRESENT ADDRESS	ED Office, Bank House, 21 Rajendra place, New Delhi
5.	EMAIL ADDRESS	akjain@psb.co.in
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	MSc., LLB
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	Ex. CGM Oriental Bank of Commerce
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	------

[B] Sh. ATANU SEN

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. ATANU SEN
2.	FATHER'S NAME	Sh. KSHITI BHUSAN SEN
3.	DATE OF BIRTH & AGE	16.07.1954 & 61 Years
4.	PRESENT ADDRESS	DA-193, SALT LAKE, KOLKATA-700064
5.	EMAIL ADDRESS	Senatanu54@gmail.com
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	MA Economics, CAIIB
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	NON OFFICIAL DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	37 Years Banking Experience
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	Jai Prakash Power Ventures Ltd, Alok Industries Ltd, Jaypee Healthcare Ltd, Jaypee Fertilizers Industries Ltd.

2.4 BOARD MEETINGS:

During the Financial Year 2015-16, total 9 Board Meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

20.04.2015	12.05.2015	29.06.2015	08.08.2015	22.09.2015
07.11.2015	08.12.2015	11.02.2016	29.03.2016	

उपर्युक्त निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्न है जो उनके कार्यकाल से संबद्ध हैः

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की	एजीएम दिनांक 29.06.2015 की उपस्थिति
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	9	9	उपस्थित
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	9	9	उपस्थित
श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	15.12.2015 से 31.03.2016	2	2	---
श्री एस.आर. मेहर – भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	9	7	उपस्थित
श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	9	7	अनुपस्थित
श्री महेश कुमार गुप्ता – गैर–अधिकारिक निदेशक	01.04.2015 से 29.01.2016	7	6	अनुपस्थित
श्री संजय वर्मा – गैर–अधिकारिक निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	9	7	अनुपस्थित
श्रीमति अनिता कर्णावर – गैर अधिकारिक निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	9	9	उपस्थित
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	9	9	उपस्थित
श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	9	8	उपस्थित
श्री अतनु सेन – गैर अधिकारिक निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	2	2	---

2.5 आचार संहिताः

निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अर्थात् निदेशकों एवं निदेशक से एक रैंक नीचे, जिनमें सभी महाप्रबंधक सम्मिलित हैं, हेतु स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता करार में सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियम, 2015 के विनियमन 17(5) के अनुपालन में आचार संहिता को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उक्त आचार संहिता का बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर अवलोकन किया जा सकता है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं महाप्रबंधकों ने आचार संहिता के प्रति सहमति व्यक्त कर दी है।

3. सामान्य वार्षिक बैठकः

शेयरधारकों की आयोजित की गई अंतिम तीन सामान्य आम बैठकों का विवरण निम्न प्रकार हैः

स्वरूप	दिन तथा दिनांक	समय	स्थल
ए.जी.एम.	बुधवार 26.06.2013	9.00 बजे प्रातः	इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40–मैक्स मूलर मार्ग, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली–110003
ए.जी.एम.	सोमवार 30.06.2014	9.00 बजे प्रातः	इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40–मैक्स मूलर मार्ग, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली–110003
ए.जी.एम.	सोमवार 29.06.2015	10.00 बजे प्रातः	इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40–मैक्स मूलर मार्ग, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली–110003

कोई भी विशेष प्रस्ताव विगत् तीन ए.जी.एम. में स्वीकृत नहीं किया गया।

4. निदेशकों की समिति :

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉरपोरेट गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड कमेटी की बैठकों के दौरान प्रबंधन वर्ग मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के परिचालन, निष्पादन विकास पर विचार–विमर्श के साथ–साथ क्षेत्रीय विकास, उत्पादन के कार्य निष्पादन, अवसरों, चुनौतियों, जोखिमों और उससे संबंधित आवश्यकताओं के विश्लेषण पर जोर दिया है। निदेशक मंडल की महत्वपूर्ण समितियां निम्न प्रकार हैं–

क्र.सं.	समिति का नाम
1.	निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसी)
2.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3.	बड़ी राशि की धोखाधड़ी निगरानी संबंधी समिति

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended	Attendence of AGM held on 29.06.2015
Sh. Jatinderbir Singh - CMD	01.04.2015 to 31.03.2016	9	9	Attended
Sh. M.K. Jain – Executive Director	01.04.2015 to 31.03.2016	9	9	Attended
Sh. A.K. Jain – Executive Director	15.12.2015 to 31.03.2016	2	2	---
Sh. S.R. Mehar- MOF Nominee Director	01.04.2015 to 31.03.2016	9	7	Attended
Sh. P.K. Jena- RBI Nominee Director	01.04.2015 to 31.03.2016	9	7	Absent
Sh. Mahesh Kumar Gupta- Non-Official Director	01.04.2015 to 29.01.2016	7	6	Absent
Sh. Sanjay Verma – Non Official Director	01.04.2015 to 31.03.2016	9	7	Absent
Smt. Anita Karnavar – Non Official Director	01.04.2015 to 31.03.2016	9	9	Attended
Sh. M.S. Sarang- Shareholder Director	01.04.2015 to 31.03.2016	9	9	Attended
Sh. S. P. Babuta- Shareholder Director	01.04.2015 to 31.03.2016	9	8	Attended
Sh. Atanu Sen - Non Official Director	28.01.2016 to 31.03.2016	2	2	--

2.5 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and key Management Personnel i.e. Directors & one rank below Director comprising all General Managers has been approved by the Board of Directors in compliance of Regulation 17(5) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on Bank's website www.psbindia.com. All the Board Members and General Managers have since affirmed the compliance of the Code.

3. **Annual General Meeting :**

Details of last three Annual General Meetings of the shareholders held are given below:

Nature	Day & Date	Time	Venue
AGM	Wednesday, 26.06.2013	9.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
AGM	Monday, 30.06.2014	9.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
AGM	Monday, 29.06.2015	10.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003

No Special Resolution was passed in the previous three AGMs.

4. **COMMITTEES OF DIRECTORS:**

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India and Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Management lays emphasis on the analysis of sectoral development, segment / product performance, opportunities, threats, risks & associated concern, besides operational performance & development of HR / IR in the discussions during the Board / Committee Meetings. The important Committees of the Board are as under:

SNo	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board (MC)
2.	Audit Committee of Board (ACB)
3.	Committee for Monitoring Large Value Frauds

4.	सतर्कता समिति
5.	जोखिम प्रबंधन समिति
6.	ग्राहक सेवा समिति
7.	पारिश्रमिक समिति
8.	अंशधारक संपर्क समिति
9.	मानव संसाधन समिति
10.	सूचना प्रौद्योगिकी योजना समिति
11.	कार्यपालकों की पदोन्नति पर निदेशकों की समिति
12.	अपील/समीक्षा प्राधिकारी पर निदेशकों की समिति
13.	वसूली की निगरानी समिति
14.	शेयरधारक निदेशक चुनाव समिति – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में मतदान

4.1. निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति :

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 (यथा संशोधित) के खंड – 13 के अनुसरण में किया गया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कारोबारी मामले तथा अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने, समझौता/बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक (ओं) होने अनिवार्य हैं और भारत सरकार द्वारा धारा 9(3)(सी) एवं 9(3)(जी) के तहत नामित निदेशकों के अतिरिक्त बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) की उपधारा (ई)(एफ)(एच) व (आई) के अधीन नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

31 मार्च, 2016 को समिति की संरचना इस प्रकार है–

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री प्रदीप्त के. जेना – भा.रि.बैं. नामित निदेशक
5.	श्री सुखेन पाल बबूता – शेयरधारक निदेशक
6.	श्री संजय वर्मा – गैर–अधिकारिक निदेशक
7.	श्री अतनु सेन – गैर–अधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नांकित तिथियों पर 11 बैठक का आयोजन हुआः

12.05.2015	29.06.2015	30.07.2015	08.08.2015	21.09.2015
07.11.2015	08.12.2015	29.12.2015	12.02.2016	18.03.2016
29.03.2016				

4.	Vigilance Committee
5.	Risk Management Committee
6.	Customer Service Committee
7.	Remuneration Committee
8.	Stakeholders Relationship Committee
9.	HR Committee
10.	I T Strategy Committee
11.	Committee of the Board on Executives' Promotions
12.	Committee of the Board on Appellate / Reviewing Authority
13.	Committee for Monitoring of Recovery
14.	Election of Shareholder Director Committee-Voting by Public Sector Bank

4.1. **Management Committee of the Board:**

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee mandate to consist of Chairman and Managing Director , Executive Director/s and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and besides three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

The composition of the Management Committee as on 31st March 2016 is as under:

SNo	Name of the Director
1.	Sh. Jatinderbir Singh- Chairman & Managing Director
2.	Sh. M.K.Jain – Executive Director
3.	Sh. A. K. Jain – Executive Director
4.	Sh Pradipta.K. Jena – RBI Nominee Director
5.	Sh Sukhen Pal Babuta – Shareholder Director
6.	Sh. Sanjay Verma – Non-Official Director
7.	Sh. Atanu Sen – Non-Official Director

During the Financial Year 2015-16, the Management Committee of the Board met on 11 occasions on the following dates:

12.05.2015	29.06.2015	30.07.2015	08.08.2015	21.09.2015
07.11.2015	08.12.2015	29.12.2015	12.02.2016	18.03.2016
29.03.2016				

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न है–

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	11	11
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	11	11
श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	15.12.2015 से 31.03.2016	4	4
श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	11	8
श्री सुखेन पाल बबूता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2015 से 05.08.2015 29.12.2015 से 31.03.2016	7	7
श्री संजय वर्मा – गैर–अधिकारिक निदेशक	01.04.2015 से 22.05.2015 11.02.2016 से 31.03.2016	4	3
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	05.08.2015 से 04.02.2016	5	5
श्रीमति अनिता कर्णावर – गैर अधिकारिक निदेशक	29.06.2015 से 28.12.2015	6	6
श्री अतनु सेन – गैर अधिकारिक निदेशक	11.02.2016 से 31.03.2016	3	2

4.2 बोर्ड की लेखा परीक्षण समिति (एसीबी)

बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसरण में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है। एक गैर–कार्यकारी निदेशक, जोकि सनदी लेखाकार है, समिति का अध्यक्ष है।

लेखा परीक्षा समिति का, अन्य बातों के साथ–साथ, प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय सूचना प्रणाली की समीक्षा और आकलन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियां सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं। यह समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणियों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करती है।

यह लेखा परीक्षा समिति दिशा–निर्देश देती है तथा बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है जिसमें संगठन परिचालन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण, कार्य आंतरिक नियंत्रण दोष और बैंक की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था, बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण सम्मिलित है।

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ संरचना की समीक्षा भी करती है और किसी महत्वपूर्ण खोज के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षकों/निरीक्षकों के साथ विचार–विमर्श तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। यह बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा भी करती है।

सांविधिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति, वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व, केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार–विमर्श करती है। यह समिति लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) की विभिन्न मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

31.03.2016 को लेखा परीक्षण समिति की संरचना इस प्रकार हैः

1.	श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक (अध्यक्ष)
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैं. नामित निदेशक
5.	श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षण समिति (एसीबी) की 07 अवसरों पर बैठके निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गईः

12.05.2015	08.08.2015	22.09.2015	07.11.2015	08.12.2015	11.02.2016
29.03.2016					

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh. Jatinderbir Singh– CMD	01.04.2015 to 31.03.2016	11	11
Sh. M. K. Jain– ED	01.04.2015 to 31.03.2016	11	11
Sh. A. K. Jain- ED	15.12.2015 to 31.03.2016	4	4
Sh. P. K. Jena-RBI Nominee Director	01.04.2015 to 31.03.2016	11	8
Sh. Sukhen Pal Babuta- Shareholder Director	01.04.2015 to 05.08.2015, 29.12.2015 to 31.03.2016	7	7
Sh. Sanjay Verma- Non Official Director	01.04.2015 to 22.05.2015, 11.02.2016 to 31.03.2016	4	3
Sh. M S Sarang-Shareholder Director	05.08.2015 to 04.02.2016	5	5
Smt. Anita Karnavar- Non Official Director	29.06.2015 to 28.12.2015	6	6
Sh. Atanu Sen- Non Official Director	11.02.2016 to 31.03.2016	3	2

4.2. Audit Committee of Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board. A Non-Executive Director, who is a Chartered Accountant, is the Chairman of the Committee.

The main functions of Audit Committee inter-alia include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the Management the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Audit Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

The composition of the Audit Committee as on 31st March, 2016 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh S. P. Babuta - Shareholder Director (Chairperson)
2.	Sh M. K. Jain – Executive Director
3.	Sh S. R Mehar – MOF Nominee Director
4.	Sh P. K. Jena – RBI Nominee Director
5.	Sh M. S. Sarang - Shareholder Director

During the Financial Year 2015-16, the Audit Committee of the Board (ACB) met on 07 occasions on the dates given below:

12.05.2015	08.08.2015	22.09.2015	07.11.2015	08.12.2015	11.02.2016
29.03.2016					

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति विवरण निम्न है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
1.	श्री सुखेन पाल बबूता–शेयरधारक निदेशक (दिनांक 30.01.2016 से अध्यक्ष)	01.04.2015 से 31.03.2016	7	6
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	7	7
3.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	7	5
4.	श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैंक नामित निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	7	5
5.	श्री महेश कुमार गुप्ता – गैर–अधिकारिक निदेशक (अध्यक्ष दिनांक 01.04.2015 से 29.01.2016)	01.04.2015 से 29.01.2016	5	5
6.	श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	29.01.2016 से 31.03.2016	2	2

4.3 बड़ी राशि के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी समितिः

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 14 जनवरी, 2004 सं. आरबीआई/2004.5. डीबीएस.एफजीवी(एफ) नं.1004/23.04. 01ए/2003–04 के माध्यम से धोखाधड़ी का पता लगाने, नियामक तथा प्रवर्तन एजेंसियों को उसकी सूचना और धोखाधड़ी के अपराधी पर कृत्य के विरुद्ध कार्रवाई जैसे विभिन्न पहलुओं में विलम्ब के विषय में सूचित किया था। अतः यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड की एक उप समिति गठित की जाए जो कि केवल 1 करोड़ के रुपए और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी संबंधी मामलो की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई का कार्य ही करेगी। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति सामान्यतः धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी जारी रखेगी।

समिति के मुख्य कार्यो में अन्य बातों के साथ–साथ 1 करोड़ रुपए और उसके ऊपर की राशि की धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा सम्मिलित है ताकि

» धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के उपाय किए जा सके।

» धोखाधड़ी के पता लगाने में विलंब के कारणों की पहचान तथा बैंक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबंधकों को उसकी रिपोर्टिंग।

» सीबीआई/पुलिस जांच–पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति।

» सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्रवाई यदि अपेक्षित हो तो अविलंब हो।

» धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना एवं धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को सशक्त करने हेतु यथावश्यक अन्य उपायों को करना।

31 मार्च, 2016 को समिति की संरचना निम्न है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
5.	श्री संजय वर्मा – गैर–अधिकारिक निदेशक
6.	श्रीमति अनिता कर्णावर – गैर–अधिकारिक निदेशक

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Sr. No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Sh Sukhen Pal Babuta - Shareholder Director (Chairperson w.e.f. 30.1.2016)	01.04.2015 to 31.03.2016	7	6
2.	Sh. M. K. Jain - ED	01.04.2015 to 31.03.2016	7	7
3.	Sh S.R.Mehar– MoF Nominee Director	01.04.2015 to 31.03.2016	7	5
4.	Sh P.K.Jena- RBI Nominee Director	01.04.2015 to 31.03.2016	7	5
5.	Sh Mahesh Kumar Gupta- Non Official Director (Chairperson from 01.04.2015 to 29.01.2016)	01.04.2015 to 29.01.2016	5	5
6.	Sh M. S. Sarang -Shareholder Director	29.01.2016 to 31.03.2016	2	2

4.3 **Committee for Monitoring of Large Value Frauds:**

Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/2004.5.DBS.FGV(F)No.1004/23.04.01A/2003-4 dated 14th January, 2004 informed about the delay in various aspects of frauds like detection, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against the perpetrators of the frauds. It was therefore, suggested to constitute a Sub-committee of the Board, which would be exclusively dedicated to monitor and follow up of fraud cases of Rs.1.00 crore and above. The Audit Committee of the Board will continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above so as to:

(a) Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same

(b) Identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI

(c) Monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position

(d) Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time

(e) Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and put in place other measures as may be considered relevant to strengthen Preventive measures against frauds.

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

Sr. No.	Name of the Director
1.	Shri Jatinderbir Singh- CMD
2.	Shri M.K. Jain – Execuitve Director
3.	Shri A.K. Jain – Execuitve Director
4.	Shri S.R.Mehar – MOF Nominee Director
5.	Shri Sanjay Verma- Non- Official Director
6.	Smt. Anita Karnavar – Non Official Director

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गई जिनका विवरण निम्न है:

30.06.2015	22.09.2015	12.02.2016	29.03.2016

निदेशकों का उनकी अवधि के दौरान उपस्थिती का विवरण इस प्रकार है:

नाम	कार्यकाल	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में सहभागिता
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	4
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	4
श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	15.12.2015 से 31.03.2016	2	2
श्री महेश कुमार गुप्ता – गैर–अधिकारिक निदेशक	01.04.2015 से 29.01.2016	2	1
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	2
श्री संजय वर्मा – गैर–अधिकारिक निदेशक	01.04.2015 से 31.01.2016	4	2
श्रीमति अनीता कर्णावर – गैर–अधिकारिक निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	4

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 16.09.2009 सं. डीबीएस.सीओ.एफआरएमसी. नं. 7/23.04.001/2009–10 द्वारा सूचित किया है कि धोखाधड़ी के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रभावी जांच की जाए और इसकी सूचना सही प्राधिकारी को तुरंत दी जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह पर, बैंक ने प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग के अंतर्गत् 1 करोड़ रुपए और उससे ऊपर के मामलों का विशेष कार्य करने हेतु केंद्रीय सघन परिचालन इकाई की स्थापना की है।

दिनांक 12.12.2012 के बोर्ड संकल्प संख्या 20214 के अनुसार, एक स्वतंत्र नए विभाग "धोखाधड़ी निगरानी विभाग" की दिनांक 07.02.2013 को एक ही स्थान पर स्थापना की गई है ताकि किए गए प्रयासों में किसी प्रकार की कोताही और कमी न हो सके। पूर्व में धोखाधड़ी के मामलों की दो स्थानों पर देखभाल की जाती थी अर्थात् रु.1 करोड़ एवं उससे ऊपर के मामलों को प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग जबकि रु.1 करोड़ से कम राशि के मामलों की देखभाल प्र.का. सतर्कता विभाग द्वारा की जाती थी। नए प्रावधान से धोखाधड़ी के मामलों की नजदीकी निगरानी, पुराने धोखाधड़ी के मामलों पर तुरंत कार्रवाई और प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के साथ बार–बार होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय किए जा सकेंगे जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक को समय से धोखाधड़ी की सूचना दी जा सकेगी।

बोर्ड की विशेष समिति (एस.सी.बी.) के निर्देशों के अनुसार, धोखाधड़ी के मामलों में हो रही वृद्धि के कारण विशेषकर जहाँ संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है, एक समिति का गठन किया गया है। संपत्ति का मूल्यांकन, हक विलेख की वास्तविकता और बहुविध बंधीकरण ऐसे पहचाने गए मुख्य क्षेत्र हैं।

4.4 सतर्कता समिति :

वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 24.10.1990 सं. 10/12/90/सतर्कता/सीवीओ की शर्तो के अनुरूप, बैंक ने सतर्कता संबंधी कार्यों की समीक्षा के दृष्टिकोण से, सतर्कता अनुशासन संबंधी मामलों के तुरंत निपटान हेतु प्रभावी निगरानी औजार के रूप में बोर्ड की एक सतर्कता समिति का निम्न सदस्यों के साथ गठन किया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री पी.के. जेना – भारतीय रिज़र्व बैंक नामित निदेशक
5.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान समिति ने निम्न विवरण के अनुसार चार अवसरों पर बैठक की:

30.06.2015	07.11.2015	08.12.2015	12.02.2016

The Committee met four times during the Financial Year 2015-16 as per the details below:

30.06.2015	22.09.2015	12.02.2016	29.03.2016

The details of attendance of directors during their tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Jatinderbir Singh-CMD	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4
Shri M. K. Jain – Executive Director	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4
Shri A. K. Jain – Executive Director	15.12.2015 to 31.03.2016	2	2
Shri. Mahesh Kumar Gupta- Non-Official Director	01.04.2015 to 29.01.2016	2	1
Shri S.R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2015 to 31.03.2016	4	2
Shri. Sanjay Verma – Non official Director	01.04.2015 to 31.03.2016	4	2
Smt. Anita Karnavar - Non official Director	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4

RBI, vide letter No. DBS. CO. FrMC. No. 7/23.04.001/2009-10 dated 16.09.2009 had advised to initiate necessary action in respect of effective investigation in fraud cases and prompt reporting to appropriate authority. The Bank has since then set up a Centralized Dedicated Operating Unit under the aegis of HO Inspection Department to undertake distinct functions relating to frauds above Rs. 1.00 crore as advised by RBI.

In terms of Board Resolution no. 20214 dated 12.12.2012, a new independent Deptt named 'Fraud Monitoring Department' has been working since 07.02.2013 at one place, leaving no scope to overlapping and duplicity of effort. Earlier, fraud cases were dealt at two places viz the large value fraud of Rs. one crore & above at HO. Inspection Deptt, where as frauds below the amount of Rs. one crore were being dealt by HO. Vigilance Deptt. The new set up resulted in close monitoring of fraud cases, faster closure of old fraud cases and effective follow up and implementation of preventive measures to check the recurrence of frauds & improvement in timely reporting of frauds to RBI.

In terms of the directions of Special Committee of Board (SCB), a Committee has also been formed in view of increasing trend of frauds particularly in those cases where property is kept as security. The identified vulnerable areas are valuation of property, genuineness of the title deeds and multiple mortgages.

4.4 **Vigilance Committee**

With a view to make the review of vigilance work an effective instrument of monitoring the speedy disposal of vigilance disciplinary cases, a Vigilance Committee of the Board has been setup in the Bank in terms of Ministry of Finance letter No.10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990 with following members:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Jatinderbir Singh- CMD
2.	Shri M.K. Jain – Executive Director
3.	Shri A.K. Jain – Executive Director
4.	Shri P.K.Jena - RBI Nominee Director
5.	Shri S.R.Mehar - MOF Nominee Director

The Committee met four times during the Financial Year 2015-16 as per the details below:

30.06.2015	07.11.2015	08.12.2015	12.02.2016

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न प्रकार है–

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	4
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	4
श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	15.12.2015 से 31.03.2016	1	1
श्री पी.के. जेना – भा.रि. बैंक नामित निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	1
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित	01.04.2015 से 31.03.2016	4	4

4.5. जोखिम प्रबंधन समिति :

बैंक ने समस्त जोखिमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

समिति मुख्य तीन जोखिम क्रियाओं जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम की समीक्षा करती है और विषय पर समुचित विचार करती है एवं यदि आवश्यक हो तो सही निर्देश जारी करती है।

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समिति की संरचना निम्न है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री संजय वर्मा – गैर–अधिकारिक निदेशक
5.	श्रीमति अनीता कर्णावर – गैर–अधिकारिक निदेशक
6.	श्री अतनु सेन – गैर अधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान समिति ने निम्न विवरण के अनुसार चार अवसरों पर बैठक की:

29.06.2015	21.09.2015	08.12.2015	11.02.2016

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न है–

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	4
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	4
श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	15.12.2015 से 31.03.2016	1	1
श्री पी.के. जेना – निदेशक (भा.रि. बैंक नामित)	01.04.2015 से 29.03.2016	4	3
श्री संजय वर्मा – गैर–अधिकारिक निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	2
श्रीमति अनीता कर्णावर – गैर–अधिकारिक निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	4
श्री अतनु सेन – गैर अधिकारिक निदेशक	29.03.2016 से 31.03.2016	0	0

बैंक ने एक वास्तविक जोखिम प्रबंधन के ढाँचे का गठन किया है जिसमें जोखिम प्रबंधन संगठन ढाँचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम नियंत्रण एवं जोखिम लेखा परीक्षण सम्मिलित हैं जो कि सभी ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम आदि को पहचानने, प्रबंधन, निगरानी करने के दृष्टिकोण से है। इसके पीछे मूल लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के परिचालन में स्थायित्व एवं कार्यक्षमता बनी रहे और बैंक के हितों की सुरक्षा की देखभाल होती रहे।

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh–CMD	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4
Shri M. K. Jain– Executive Director	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4
Shri A. K. Jain– Executive Director	15.12.2015 to 31.03.2016	1	1
Shri P. K. Jena– RBI Nominee Director	01.04.2015 to 31.03.2016	4	1
Shri S. R. Mehar– MOF Nominee Director	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4

4.5. Risk Management Committee:

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee reviews three important risk functions viz. Credit Risks, Market Risks and Operational Risks and takes an integrated view of the subject and impart suitable directions if required.

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Jatinderbir Singh- CMD
2.	Shri M. K. Jain – Executive Director
3.	Shri A. K. Jain – Executive Director
4.	Shri Sanjay Verma - Non official Director
5.	Smt. Anita Karnavar - Non official Director
6.	Shri Atanu Sen - Non official Director

The Committee met four times during the Financial Year 2015-16 as per the details below:

29.06.2015	21.09.2015	08.12.2015	11.02.2016

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh-CMD	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4
Shri M. K. Jain-Executive Director	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4
Shri A. K. Jain-Executive Director	15.12.2015 to 31.03.2016	1	1
Shri P. K. Jena –RBI Nominee Director	01.04.2015 to 29.03.2016	4	3
Shri Sanjay Verma – Non Official Director	01.04.2015 to 31.03.2016	4	2
Smt.Anita Karnavar – Non Official Director	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4
Sh. Atanu Sen - Non Official Director	29.03.2016 to 31.03.2016	0	0

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank and to look after the safety of the Bank.

4.6 ग्राहक सेवा समिति :

(क) बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति :

बैंक ने बोर्ड की एक उप समिति का गठन किया है जो कि 'बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति' के नाम से जानी जाती है। 31 मार्च, 2016 को समिति के निम्न सदस्य हैं –

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
5.	श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफार्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों हेतु संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है जिसमें साथ–साथ निम्नलिखित का समावेश है:

i. ग्राहक सेवा पर शीर्ष समिति के रूप में कार्य करती है और सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं लेखा परीक्षा कार्य–निष्पादन संबंधी स्थायी समिति के कार्यों की देख–रेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी समिति (सी.पी.पी.ए.पी.एस.) की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।

ii. अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक अवधि के गुजर जाने पर भी लागू न किए गए शेष अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पायी गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना।

iii. ग्राहक सेवा में गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु नवोन्मेषी उपाय करना और सभी स्तरों पर ग्राहक संतुष्टि में सुधार करना।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई:

29.06.2015	21.09.2015	08.12.2015	11.02.2016

निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	4
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	4
श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	15.12.2015 से 31.03.2016	1	1
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	3
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	4

(ख) ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार, बैंक के निदेशकों की गठित उप समिति के अतिरिक्त ग्राहक सेवाओं पर एक स्थायी समिति का गठन किया है जिसमें बैंक के 2 महाप्रबंधक एवं समाज के 3 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्यों के रूप में सम्मिलित हैं। बैठक की अध्यक्षता, बैंक के कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है।

समिति के मुख्य कार्य हैं–

(i) बैंक द्वारा ग्राहक केंद्रित उपायों पर विचार करना।

(ii) आंचलिक कार्यालयों से जानकारी प्राप्त कर, उसे बोर्ड की ग्राहक समिति के समक्ष आवश्यक नीति/प्रक्रियात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रस्तुत करना, जिससे हो रहे परिवर्तनों की सुविधा दी जा सके।

4.6 Customer Service Committee:

(a) Customer Service Committee of the Board

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as 'Customer Service Committee of the Board'. The Committee has the following members as on 31st March, 2016:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Jatinderbir Singh- CMD
2.	Shri M. K. Jain – Executive Director
3.	Shri A. K. Jain – Executive Director
4.	Shri S. R. Mehar – MOF Nominee Director
5.	Shri M. S. Sarang – Shareholder Director

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

i. Act as apex Committee on Customer Service and oversees the functioning of the Standing Committee on Customer Service and also compliance with the recommendations of the Committee on Procedure and Performance Audit on Public Service (CPPAPS).

ii. Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.

iii. Mount innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving level of customer satisfaction for all categories of clientele

During the Financial Year 2015-16, the Committee met on the following dates:

29.06.2015	21.09.2015	08.12.2015	11.02.2016

The details of attendance of the Directors are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh - CMD	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4
Shri M.K. Jain - Executive Director	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4
Shri A.K. Jain - Executive Director	15.12.2015 to 31.03.2016	1	1
Shri S.R. Mehar- MOF Nominee Director	01.04.2015 to 31.03.2016	4	3
Shri M.S. Sarang- Shareholder Director	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4

(b) Standing Committee on Customer Service:

Besides, the Sub Committee of the Board as aforesaid, the Bank has also set up a Standing Committee on Customer Service having two General Managers of the Bank and three other eminent public personalities as members, as per the guidelines of Reserve Bank of India. The Committee is chaired by the Executive Director of the Bank.

Main functions of the committee are:

(i) To take stock of the customer centric measures taken by the Bank.

(ii) To get feedback from the Zonal Offices and put up the same on customer service committee of the Board for necessary Policy / Procedural action facilitate change on an ongoing basis.

4.7 पारिश्रमिक समिति :

भारत सरकार ने दिनांक 09 मार्च, 2007 की अपनी अधिसूचना संख्या एफ नं. 20/1/2005–बीओ–I द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्य–निष्पादन संबंधित प्रोत्साहन की घोषणा की है। यह प्रोत्साहन विगत वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालना रिपोर्टो पर आधारित लक्ष्यों एवं बेंचमार्क के अनुरूप कार्य–निष्पादन मूल्यांकन, जिसमें गुणवत्ता एवं मात्रा, दोनों का समावेश है, पर आधारित है। उक्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन में वर्ष के दौरान कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन एवं देय/अवार्ड हेतु भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।

31.03.2016 को समिति की संरचना इस प्रकार हैः

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री पी.के. जेना – भा.रि. बैंक नामित निदेशक
2.	श्री एस.आर. मेहर – नामित निदेशक (वित्त मंत्रालय)
3.	श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक
4.	श्री संजय वर्मा – गैर–आधिकारिक निदेशक

समिति की वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान दिनांक 29.03.2016 को बैठक हुई।

निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्न प्रकार हैः

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैंक नामित निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	1	1
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	1	0
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	1	1
श्री संजय वर्मा – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	1	1

4.8 शेयरधारक संबंध समिति

सेबी ने दिनांक 17.04.2014 के अपने परिपत्र द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्पोरेट गवर्नेस से संबंधित सूचीकरण करार के प्रावधानों की समीक्षा की है और कार्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित सूचीकरण करार के संशोधित खण्ड 49 को अधिसूचित किया है जोकि दिनांक 01.10.2014 से प्रभावी है। खण्ड 49(VIII)(E) के अनुसार गैर–अधिकारिक निदेशक की अध्यक्षता में "शेयरधारक संबंध समिति" का गठन किया जाएगा, जो शेयरधारकों तथा निवेशकों की कोई शिकायत, यदि कोई है, का निवारण करेगी।

अंशधारकों, डिबेंचरधारकों और अन्य प्रतिभूतिधारकों के परिवादों के निवारण करने की प्रक्रिया के लिए शेयरधारक संबंधी समिति का गठन किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2016 को समिति की संरचना निम्न प्रकार हैः

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक (अध्यक्ष)
2.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
3.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
5.	श्री सुखेन पाल बबूता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2015–16 में समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई।

12.05.2015	08.08.2015	07.11.2015	11.02.2016

4.7 Remuneration Committee:

Government of India announced Performance Linked Incentives for Whole Time Directors of Public Sector Banks vide Notification No.F No.20/1/2005-BO-I dated 9th March, 2007. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters fixed for Performance Evaluation Matrix on the basis of the statement of intent on goals and benchmarks based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directives, a Remuneration Committee of the Board was constituted for evaluation of the performance and incentive amount to be awarded / paid during the year.

The composition of the present Committee as on 31st March, 2016 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri P. K. Jena – RBI Nominee Director
2.	Shri S. R. Mehar – MOF Nominee Director
3.	Shri M. S. Sarang – Shareholder Director
4.	Shri Sanjay Verma – Non Official Director

The Committee met on 29.03.2016 during the financial year 2015-16.

The details of attendance of the Directors are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri P.K. Jena, RBI Nominee Director	01.04.2015 to 31.03.2016	1	1
Shri S. R. Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2015 to 31.03.2016	1	0
Sh. M.S.Sarang – Shareholder Director	01.04.2015 to 31.03.2016	1	1
Sh. Sanjay verma- Non Official Director	01.04.2015 to 31.03.2016	1	1

4.8 Stakeholders Relationship Committee:

SEBI vide Circular dated 17.04.2014, has reviewed the provisions of the Listing Agreement relating to Corporate Governance as per provisions of Companies Act, 2013 and has notified revised Clause 49 of the Listing Agreement relating to Corporate Governance w.e.f. 01.10.2014. Clause 49(VIII)(E) provides that a Committee under the Chairmanship of a non-executive Director named as "Stakeholders Relationship Committee" shall be formed to redress shareholders and investors complaints, if any.

The Stakeholders Relationship Committee has been constituted to look into the mechanism of redressal of grievances of Shareholders, Debenture holders and other security holders. The composition of the Committee as on 31st March 2016 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri M.S.Sarang – Shareholder Director (Chairperson)
2.	Shri Jatinderbir Singh – Chairman & Managing Director
3.	Shri M. K. Jain – Executive Director
4.	Shri A.K.Jain – Executive Director
5.	Shri S. P. Babuta – Shareholder Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2015-16

12.05.2015	08.08.2015	07.11.2015	11.02.2016

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	4
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	4
श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	15.12.2015 से 31.03.2016	1	1
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	4
श्री सुखेन पाल बबूता– शेयरधारक निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	3

समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी करती है।

वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों/निवेदनों की संख्या का सारांश निम्न प्रकार है:

01.04.2015 का शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निवारण	31.03.2016 को बकाया
शून्य	04	04	शून्य

दिनांक 31.03.2016 को कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी। श्री अजीत सिंह अहूजा, कंपनी सचिव को सेबी के अधिनियम 6 की शर्तों के अनुसार (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटीकरण अनिवार्यताओं) अधिनियम, 2015 के तहत बैंक के "अनुपालन अधिकारी" के रूप में नामित किया गया है।

4.9 मानव संसाधन समिति

मानव संसाधन विकास समिति का गठन बीआर दिनांक 05.05.2012 बीआर संख्या 19841 के द्वारा मानव संसाधन की विकासशील योजनाओं को गति प्रदान करने और विभिन्न यूनियनों तथा एसोसिएशन के साथ विचार–विमर्श करने हेतु किया गया है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और अन्य कोई सदस्यों के मध्य से बैठक के कोरम के लिए आवश्यक है। बैठक कभी भी आवश्यक हो, की जा सकती है लेकिन तिमाही में कम से कम एक बार आवश्यक है।

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
5.	श्री संजय वर्मा – गैर–अधिकारिक निदेशक
6.	श्रीमति अनिता कर्णावर – गैर–अधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई:

30.06.2015	21.09.2015	12.02.2016	29.03.2016

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	4
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	4
श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	15.12.2015 से 31.03.2016	2	2
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	2
श्री संजय वर्मा – गैर–अधिकारिक निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	3
श्रीमति अनीता कर्णावर – गैर–अधिकारिक निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	4	4

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh-CMD	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4
Shri M. K. Jain - Executive Director	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4
Shri A. K. Jain - Executive Director	15.12.2015 to 31.03.2016	1	1
Shri M. S. Sarang – Shareholder Director	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4
Shri Sukhen Pal Babuta -Shareholder Director	01.04.2015 to 31.03.2016	4	3

The Committee monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:

Pending as on 01.04.2015	Received during the year	Resolved during the year	Pending as on 31.03.2016
NIL	04	04	NIL

No complaint was pending as on 31.03.2016. Shri Ajit Singh Ahuja, Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank in terms of Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

4.9 HR Committee

The HR Committee has been constituted vide BR No.19841 dated 05.05.2012 for promoting progressive HR plans and to have interaction with various unions and associations. CMD, ED and anyone among the other members is the quorum for meeting. Meeting may be held as and when required but at least once in a quarter.

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Jatinderbir Singh- CMD
2.	Shri M. K. Jain - Executive Director
3.	Shri A. K. Jain - Executive Director
4.	Shri S. R. Mehar - MOF Nominee Director
5.	Shri Sanjay Verma - Non official Director
6.	Smt. Anita Karnavar - Non official Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2015-16

30.06.2015	21.09.2015	12.02.2016	29.03.2016

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh-CMD	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4
Shri M. K. Jain – Executive Director	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4
Shri A. K. Jain – Executive Director	15.12.2015 to 31.03.2016	2	2
Shri S. R. Mehar -MOF Nominee Director	01.04.2015 to 31.03.2016	4	2
Shri Sanjay Verma –Non Official Director	01.04.2015 to 31.03.2016	4	3
Smt. Anita Karnavar –Non Official Director	01.04.2015 to 31.03.2016	4	4

4.10 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी योजना समितिः

सूचना प्रौद्योगिकी की पहल में तीव्रता लाने और तकनीक के अन्य लाभों को सफल बनाने के दृष्टिकोण से दिनांक 31.03.2016 को निम्न सदस्यों के साथ बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति कार्यरत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – आई.ए.एस.–अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
5.	श्री संजय वर्मा – गैर–अधिकारिक निदेशक
6.	श्रामति अनीता कर्णावर – गैर–अधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई:

30.06.2015	08.08.2015	21.09.2015	08.12.2015	12.02.2016

निदेशकों की समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति उनके कार्यकाल अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	5	5
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	5	5
श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	15.12.2015 से 31.03.2016	1	1
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	5	4
श्री संजय वर्मा – गैर–अधिकारिक निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	5	4
श्रीमति अनीता कर्णावर – गैर–अधिकारिक निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	5	5

4.11 कार्यपालकों की पदोन्नति पर बोर्ड की समितिः

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों का कार्य देखने के लिए निदेशकों की समिति, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों की समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2016 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
3.	श्री पी.के. जेना – भा.रि. बैंक नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान समिति की दिनांक 20.07.2015 को बैठक हुई।

निदेशकों की समिति की उक्त बैठक में उपस्थिति उनके कार्यकाल अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	1	1
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	1	1
श्री पी.के. जेना – भा.रि. बैंक नामित निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	1	1

4.10 IT Strategy Committee of the Board

With a view to take forward IT initiatives and drive other benefits of technologies, IT Strategy Committee of the Board comprising of the following members is in place as on 31.03.2016

S. No.	Name of Director
1.	Shri Jatinderbir Singh- CMD
2.	Shri M. K. Jain – Executive Director
3.	Shri A. K. Jain – Executive Director
4.	Shri S. R. Mehar – MOF Nominee Director
5.	Shri Sanjay Verma - Non official Director
6.	Smt. Anita Karnavar - Non official Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2015-16

30.06.2015	08.08.2015	21.09.2015	08.12.2015	12.02.2016

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh-CMD	01.04.2015 to 31.03.2016	5	5
Shri M. K. Jain – Executive Director	01.04.2015 to 31.03.2016	5	5
Shri A. K. Jain – Executive Director	15.12.2015 to 31.03.2016	1	1
Shri S. R. Mehar - MOF Nominee Director	01.04.2015 to 31.03.2016	5	4
Shri Sanjay Verma – Non Official Director	01.04.2015 to 31.03.2016	5	4
Smt. Anita Karnavar –Non Official Director	01.04.2015 to 31.03.2016	5	5

4.11 Committee of the Board on Executives' Promotions:

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level.

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Jatinderbir Singh- CMD
2.	Shri S. R. Mehar – MOF Nominee Director
3.	Shri P. K. Jena – RBI Nominee Director

The Committee met on 20.07.2015 during the financial year 2015-16.

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh-CMD	01.04.2015 to 31.03.2016	1	1
Shri S. R. Mehar - MOF Nominee Director	01.04.2015 to 31.03.2016	1	1
Shri P. K. Jena – RBI Nominee Director	01.04.2015 to 31.03.2016	1	1

4.12 अपील/समीक्षा प्राधिकारी पर बोर्ड समितिः

वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर अनुशासनात्मक मामलों की अपील / समीक्षा पर विचार करने हेतु अपील / समीक्षा पर बोर्ड की समिति का गठन किया गया है जिसमें दिनांक 30.03.2016 की स्थिति के अनुसार निम्न सदस्य हैं –

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
2.	श्री पी.के. जेना – भा.रि. बैंक नामित निदेशक

4.13 वसूली की निगरानी करने हेतु समितिः

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र दिनांक 21.11.2012 संख्या एफ.नं. 7/112/2012–बी.ओ.ए. के निर्देशानुसार, निदेशकों की एक समिति, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक तथा वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक सम्मिलित हैं, बैंक में वसूली की प्रगति की निगरानी करने के लिए का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2016 को समिति की संरचना निम्न है –

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2015–16 में समिति की दिनांक 12.02.2016 को बैठक हुई।

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल अनुसार निम्न प्रकार हैः

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	1	1
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	1	1
श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	15.12.2015 से 31.03.2016	1	1
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2015 से 31.03.2016	1	1

4.14 शेयरधारक निदेशकों की चुनाव समिति - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में मतदानः

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 03.04.2012 की शर्तों के अनुसार विभिन्न कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंकों में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में एक उम्मीदवार को समर्थन देने पर निर्णय लेने हेतु बोर्ड की समिति का गठन बोर्ड के दिनांक 05.05.2012 के संकल्प संख्या 19840 द्वारा किया गया।

31 मार्च, 2016 को समिति की संरचना निम्न है –

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री ए.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
5.	श्री संजय वर्मा – गैर–अधिकारिक निदेशक

4.12 Committee of the Board on Appellate / Reviewing Authority:

A committee of the Board on Appellate / Reviewing Authority is constituted to consider appeal / review in respect of Disciplinary cases at senior Management level, with the following members as on 31.03.2016:

S. No.	Name of Director
1.	Shri S. R. Mehar – MOF Nominee Director
2.	Shri P. K. Jena – RBI Nominee Director

4.13 Committee for Monitoring of Recovery:

A Committee of Directors consisting of Chairman & Managing Director, Executive Director and the nominee Director of Ministry of Finance has been formed to monitor the progress in recovery of the Bank in terms of directions received from Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi,vide their letter no.F.No. 7/112/2012- BOA letter dated 21.11.2012.

The composition of the Committee as on 31st March 2016 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Jatinderbir Singh- CMD
2.	Shri M. K. Jain- Executive Director
3.	Shri A. K. Jain- Executive Director
4.	Shri S. R. Mehar – MOF Nominee Director

The Committee met on 12.02.2016 during the financial year 2015-16.

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh- CMD	01.04.2015 to 31.03.2016	1	1
Shri M.K. Jain – Executive Director	01.04.2015 to 31.03.2016	1	1
Shri A. K. Jain- Executive Director	15.12.2015 to 31.03.2016	1	1
Shri S. R. Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2015 to 31.03.2016	1	1

4.14 Election of Shareholder Directors Committee-Voting by Public Sector Bank:

In terms of Ministry of Finance, Department of Financial Services letter date 03.04.2012 a committee of Board for taking decision on supporting the candidates in election as Shareholder Directors in various companies, Financial institutions and PSU Banks was constituted as per Board resolution number 19840 dated 05.05.2012.

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Jatinderbir Singh- CMD
2.	Shri M. K. Jain- Executive Director
3.	Shri A. K. Jain- Executive Director
4.	Shri S. R. Mehar – MOF Nominee Director
5.	Shri Sanjay Verma – Non Official Director

4.15 शेयर अंतरण समितिः

चार कार्यपालकों की समिति, जिसमें तीन महाप्रबंधक, एक सहायक महाप्रबंधक के साथ कम्पनी सचिव हैं, एक पखवाड़े में शेयरों का विप्रेषण/अंतरण/प्रेषण का अनुमोदन करने के लिए बैठक करती है। शेयर अंतरण समिति के कार्यवृत्त बोर्ड की आगामी बैठक में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान शेयर अंतरण समिति की छब्बीस बैठकें आयोजित की गई। शेयर अंतरण समिति की कार्रवाई बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयरों के प्रस्तुतीकरण की दिनांक से 15 दिन के भीतर सभी शेयरों का अंतरण कर दिया जाए।

4.16 अन्य प्रकटनः

क) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। वास्तव में, निदेशकों के बीच में कोई संबंध नहीं है।

ख) स्वतंत्र निदेशकों को दिए जाने वाले परिचय कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाईट www.psbindia.com पर "निवेशक सूचना" के शीर्ष के अंतर्गत दिया गया है।

5. निदेशकों का पारिश्रमिकः

गैर–कार्यकारी निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप, समय–समय पर केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से जारी किए गए निर्धारणों के अनुसार किया जा रहा है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक, कार्य–निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान वेतन एवं एरियर्स का भुगतानः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	राशि (रु.)
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	20,88,000.00
2.	श्री एम.के. जैन	कार्यकारी निदेशक	17,87,012.10
3.	श्री ए.के. जैन	कार्यकारी निदेशक	5,05,112.90 (15.12.2015 से 31.03.2016)

वर्ष 2015–16 के दौरान गैर–कार्यकारी निदेशकों को दिया गया बैठक सहभागिता शुल्क निम्नानुसार है (पूर्ण कालिक निदेशकों एवं भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नहीं है):

क्र.सं.	निदेशक का नाम	भुगतान की गई राशि (रु.)
1.	श्री महेश कुमार गुप्ता	1,55,000
2.	श्री सुखेन पाल बबूता	2,80,000
3.	श्री संजय वर्मा	2,85,000
4.	श्रीमति अनिता कर्णावर	3,65,000
5.	श्री एम.एस. सारंग	3,00,000
6.	श्री अतनु सेन	60,000
	कुल योग	**14,45,000**

6. प्रकटीकरण :

(क) बैंक का ऐसा कोई विशेष संबंधित पार्टी लेन–देन नहीं है जहाँ बैंक के व्यापक हितों के टकराव की संभावना बनती हो।

(ख) बैंक की वेबसाईट https://www.psbindia.com पर PSBPOLICY_Related_partyTransactions.pdf में संबंधित पार्टी लेन–देन नीति उपलब्ध है।

(ग) बैंक पर विगत् तीन वर्षो के दौरान पूंजी बाजार से संबद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज और/अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए, न तो कोई दंड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की भर्त्सना की गई है।

(घ) बैंक की 'विसल ब्लोअर पॉलिसी' परिचालित है और किसी भी व्यक्ति को इसे देखने से रोका नहीं गया है।

4.15 Share Transfer Committee:

A committee of four officials comprising of three GMs, one AGM with Company Secretary as Convenor meets at least once in a fortnight to approve demat/remat/transfer/transmission of shares. The minutes of the Share Transfer Committee are placed before the Board in the forthcoming meeting. Twenty six meetings of the Share Transfer Committee were held during the financial year 2015-16. The Bank ensures that all the transfer of shares is affected within a period of fifteen days from the date of their lodgment.

4.16. Other Disclosures:

i) The Directors are appointed by Govt. of India, Ministry of Finance. There is no relationship between directors inter-se.

ii) The details of familiarization programmes imparted to independent directors is disclosed on bank's website www.psbindia.com under head of "Investors Information".

5. REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Chairman & Managing Director and Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to Chairman and Managing Director and Executive Director/s is detailed below:

A. Salary including Arrears paid during the Financial Year 2015-16:

Sr. No	Name	Designation	Amount (Rs.)
1	Shri Jatinderbir Singh	Chairman & Managing Director	20,88,000.00
2	Shri M. K. Jain	Executive Director	17,87,012.10
3	Shri A. K. Jain	Executive Director	5,05,112.90 (15.12.2015 to 31.03.2016)

The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors as per the guidelines of Govt. of India during the financial year 2015-16 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government of India and Reserve Bank of India):

Sr.No	Name of the Director	Amount Paid in Rs.
1	Sh. Mahesh Kumar Gupta	1,55,000
2	Sh. Sukhen Pal Babuta	2,80,000
3	Sh. Sanjay Verma	2,85,000
4	Smt. Anita Karnavar	3,65,000
5	Sh. M S Sarang	3,00,000
6	Sh. Atanu Sen	60,000
	TOTAL	**14,45,000**

6. DISCLOSURES:

a) There is no materially significant Related Party Transaction that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.

b) Related Party Transactions Policy is available on website of the Bank at https://www.psbindia.com/PSBPolicy_Related_PartyTransactions.pdf

c) No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.

d) Bank has Whistle Blower Policy in place and no personnel have been denied access.

7. अनिवार्य एवं विवेकाधीन आवश्यकताएंः

बैंक ने सेबी की (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015 की अनुसूची–V के अनुसार लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। सेबी की अनुसूची–II के पार्ट–ई {विनियमन 27(1)} (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत विवेकाधीन आवश्यकताओं को लागू करने का परिमाण निम्न प्रकार हैः

क्र.सं.	विवेकाधीन आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	एक गैर–कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय का रख–रखाव करने का पात्र है।	लागू नहीं, क्योंकि अध्यक्ष का पद कार्यपालक का पद है।
2.	कंपनी बाहरी व्यक्ति को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / सी.ई.ओ. के पद पर नियुक्त कर सकती है।	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की शर्तों के अनुरूप की जाती है।
3.	अंतिम 6 माह के दौरान, महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य–निष्पादन की छमाही घोषणा शेयर धारकों को भेजी जाए।	शेयरधारकों की सूचना हेतु तिमाही / अर्ध–वार्षिक / वार्षिक वित्तीय परिणामों को स्टॉक एक्सचेंज भेजा जाता है, प्रमुख समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है और शेयरधारकों की जानकारी हेतु बैंक की वेबसाईट www.psbindia.com पर भी उपलब्ध कराया जाता है।
4.	कंपनी को अपरिशोधित लेखा परीक्षित सलाह के साथ वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था की ओर जाना चाहिए।	बैंक की वित्तीय विवरणियां अपरिशोधित होती है।
5.	आंतरिक लेखाकार सीधे तौर से लेखा परीक्षण समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	निरीक्षण विभाग द्वारा आंतरिक लेखाकारों की रिपोर्टों को सीधे तौर पर लेखा परीक्षण समिति के समक्ष रखा जाता है।

8. संप्रेषण के साधन :

बैंक, विकसित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से संबद्ध जानकारियों के विषय में सूचित करने की आवश्यकता को समझता है।

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात, बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजो को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। यह परिणाम न्यूनतम दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाए जाते हैं (एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी), जैसा भी आवश्यक हो।

बैंक के तिमाही / वर्ष दर वर्ष / वार्षिक परिणामों की प्रति बैंक की वेबसाईट – http://www.psbindia.com पर उपलब्ध है।

भारत में बैंक के इक्वटी शेयर निम्न प्रमुख दो स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैंः

1. **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि.**
   फिरोज जीजीभॉय टॉवर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई 400001
   बीएसई कोडः 533295
2. **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.**
   एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुम्बई 400051
   एनएसई कोडः पीएसबी–ईक्यू

एनएसडीएल, सीडीएसएल को अभिरक्षा शुल्क और बीएसई, एनएसई को एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के सूचीकरण शुल्क का आज तक का भुगतान कर दिया गया है।

बैंक द्वारा जारी टियर – II बाण्ड के संबंध में सूचीयन करार के डेट खण्ड 2A और सेबी के दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 के परिपत्र संख्या CIR/IMD/DF/18/2013 की शर्तों के अनुसार डिबेंचरों के ट्रस्टी का प्रकटन

बांड धारकों हेतु ट्रस्टी

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि.
पंजीकृत कार्यालय
एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17, आर. कमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुम्बई – 400001
दूरभाष संख्याः (022) 40807000
फैक्स संख्याः 91–22–66311776 / 40807080
ई–मेलः itsl[at]idbitrustee.com

7. MANDATORY AND DISCRETIONARY REQUIREMENTS:

The Bank has complied with applicable mandatory requirements as per Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The extent of implementation of discretionary requirements are as per Part-E of Schedule-II {Regulation 27(1)} of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is as under:

Sr. No	Discretionary requirements	Status of Implementation
1.	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at company's expense.	Not Applicable, since the Chairman's position is Executive.
2.	Company may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	Chairman & Managing Director is appointed by Govt. of India in terms of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act,1980
3.	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	Quarterly/Half Yearly/Yearly financial results are sent to Stock Exchanges, published in leading newspapers and are also placed on Bank's website www.psbindia.com for information of the shareholders.
4.	Company may move towards regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The financial statements of the Bank are unqualified.
5.	The internal auditor may report directly to the audit committee.	Internal audit reports are directly placed before the Audit Committee by Inspection Department.

8. MEANS OF COMMUNICATION:

The Bank recognizes the need for keeping its shareholders and stakeholders informed of the events of their interests through present advanced information technology and means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are published in minimum two newspapers (one English and one Hindi) as required.

The quarterly / year to year / Annual Financial Results of the Bank & Press Release are hosted on the Bank's website: http://www.psbindia.com.

The Bank's equity shares are listed on the following major Stock Exchanges in India :

1) **Bombay Stock Exchange Ltd.**
Phiroze jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort Mumbai-400 001
BSE Code: 533295

2) **National Stock Exchange of India Ltd.**
"Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051
NSE CODE : PSB-EQ

Custodial fee to NSDL, CDSL and listing fees to BSE, NSE in respect of all securities listed with the exchange(s) has been paid.

Disclosure of Debenture Trustees in Terms of SEBI Circular no. CIR/IMD/DF/18/2013 dated 29th October, 2013 and clause 2A of Debt Listing Agreement in respect of TIER – II Bonds issued by the Bank

TRUSTEE FOR THE BONDHOLDERS

IDBI Trusteeship Services Ltd.

Registered Office

AsianBuilding, Ground Floor, 17, R Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai – 400 001
Tel No. (022) 40807000
Fax No. 91-22-66311776 / 40807080
E-mail:itsl[at]idbitrustee.com

9.1 **प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण :**

सेबी की अनिवार्य अभौतिक सूची के अंतर्गत् बैंक के शेयर आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अभौतिकीकरण हेतु नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारक, एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयरों को अभौतिकीकृत करवा सकते हैं।

31 मार्च, 2016 को बैंक के पास 40,04,11,027 इक्वटी शेयर है जिनमें से 40,04,05,254 शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

धारिता का स्वरूप	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक	5,773	0.0014
अभौतिक एन.एस.डी.एल. सी.डी.एस.एल.*	 7,19,57,896 32,84,47,358	 17.9710 82.0276
कुल योग	**40,04,11,027**	**100.0000**

*** इनमें भारत सरकार द्वारा धारित 31,88,22,775 इक्विटी शेयर सम्मिलित हैं।**

9.2 **ईलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ई.सी.एस.)**

ईलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ई.सी.एस.) भुगतान की आधुनिक प्रणाली है जिसमें संबंधित निवेशक के खाते में लाभांश/ब्याज आदि की राशि सीधे तौर पर जमा की जाती है। बैंक ने शेयरधारकों को सभी केंद्रों पर जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के अधीन राष्ट्रीय ई.सी.एस./एन.ई.सी.एस. सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर सेवा का लाभ उठाने का विकल्प दिया है।

9.3 **इलेक्ट्रॉनिक शेयर अंतरण प्रणाली तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण:**

बैंक सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण संबंधी समस्त कार्य, उनकी प्रस्तुति की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर विधिवत रूप से संपन्न हो जाए। बोर्ड ने शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायत निवारण करने की प्रणाली हेतु अंशधारकों संबंधों पर समिति का गठन किया है। समिति नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित करती हैं और निवेशक–शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती हैं। बोर्ड ने शेयर अंतरण समिति का गठन भी किया है जो शेयरों के ट्रांसमिशन/ट्रांसफर/रिमेट/डीमेट का अनुमोदन करने के लिए न्यूनतम एक पखवाड़े में बैठक करती है।

बैंक ने मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. को अपने रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर अंतरण, लाभांश भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोध को अभिलेखित करना, निवेशकों की शिकायतों के समाधान के अलावा शेयर/बांड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों को सुनिश्चित करना है।

निवेशक अपने अंतरण विलेख/अनुरोध/शिकायतों को निम्न पते पर रजिस्ट्रार को प्रेषित कर सकता है:

मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि.
(इकाई : पंजाब एण्ड सिंध बैंक)
44, कम्यूनिटी सेंटर, द्वितीय तल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I,
पी.वी.आर. नारायणा के पास, नई दिल्ली–110028
दूरभाष: (011) 41410592 से 0594
फैक्स: (011) 41410591
ई मेल: delhi@linkintime.co.in

बैंक ने शेयर कक्ष की स्थापना प्रधान कार्यालय, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008 में की है, जहां शेयरधारक अपने अंतरण विलेख/अनुरोधों/शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं –

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
(शेयर कक्ष) 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली –110008
दूरभाष: (011) 25782926, 25812922
फैक्स: (011) 25781639
ई–मेल: complianceofficer@psb.co.in

(उक्त ई–मेल आईडी सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण अनिवार्यताओं) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 6(2)(d) के अनुसार निवेशकों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए विशेष रूप से बनाई गई है)

9.1 Dematerialisation of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2016 the Bank has 40,04,11,027 Number of Equity Shares of which 40,04,05,254 Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below.

Nature of Holding	Number of shares	Percentage
Physical	5,773	0.0014
Dematerialized		
NSDL	7,19,57,896	17.9710
CDSL *	32,84,47,358	82.0276
Grand Total	**40,04,11,027**	**100.0000**

*** includes 31,88,22,775 equity shares held by the Government of India.**

9.2 Electronic Clearing Services (ECS) :

Electronic Clearing Services is a modern method of payment where the amounts of dividend/interest etc., are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under its ECS/NECS facility.

9.3 Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances:

The Bank ensures that all transfer of Shares are duly affected within a period of fifteen days from the date of their lodgment. The Board has constituted Stakeholders Relationship Committee to look into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, debenture holders and other security holders. The Committee meets at regular intervals and reviews the status of Investors' Grievances. The Board has also constituted Share Transfer Committee which meets at least once in a fortnight to approve demat/remat/transfer/transmission of shares.

The Bank has appointed Link Intime India Pvt Ltd as its Share Transfer Agent with a mandate to process transfer of Shares, dividend payments, recording of Shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares, dividend etc.

The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the Share Transfer Agent at following address:

Link Intime India Pvt Ltd
(Unit: Punjab & Sind Bank)
44, Community Centre, IInd floor, Naraina Indl. Area, Phase-I,
Near PVR Naraina, New Delhi-110 028.
Phone : (011) 41410592 to 0594
Fax : (011) 41410591
E Mail : **delhi@linkintime.co.in**

The Bank has established Shares Cell at Head Office, 21,Rajendra Place,New Delhi-110008 wherein the shareholders can mail their requests/complaints for resolution, at the address given below:

Punjab & Sind Bank
Head Office : Accounts & Audit Deptt.(Shares Cell),
21-Rajendra Place, 1st Floor, New Delhi-110 008.
Telephone : (011) 25782926, 25812922
Fax : (011) 25781639
E-mail : **complianceofficer@psb.co.in**

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6 (2) (d) of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements)Regulations, 2015.

10. निलंब खाते में आबंटियों के अदावा शेयरों के संबंध में स्थिति की रिपोर्ट (31.03.2016)

क्र.सं.	विवरण	एनएसडीएल आईएन 301330-21335661	सीडीएसएल 1601010000399414
1.	वर्ष के आरंभ में पीएसबी अदावी उचंत खाते में पड़े हुए शेयरों की संख्या	1272	1230
2.	शेयर अंतरण के लिए आए शेयर धारकों की संख्या और शेयर धारकों की संख्या, जिनके शेयरों को उचंत खाते से अंतरित किया गया	——	——
3.	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की संख्या जिनको उचंत खाते से शेयर अंतरित किए गए	——	——
4.	वर्ष के अंत में पीएसबी अदावी उचंत खाते में पड़े हुए शेयरों की संख्या	1272*	1230*

* प्रमाणित किया जाता है कि इन शेयरों के वोटिंग अधिकारों पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि इन शेयरों का असली स्वामी दावा नहीं करता है।

11. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक ने उन पद्धतियों, परंपराओं एवं संहिताओं को अपनाया है और उनका पालन कर रहा है जो बैंक के हितधारकों एवं जमाकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कार्पोरेट गवर्नेंस का आश्वासन प्रदान करता है। बैंक की पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुव्यवस्थित कार्यपालक प्रबंधन संरचना, संतोषजनक जोखिम प्रबंधन पद्धतियां, बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्तियों में पारदर्शिता, विस्तृत एवं परिष्कृत लेखा कार्यविधि जो कि निरीक्षण प्रभाग तथा स्वतंत्र लेखाकर्मी द्वारा अपनाई जाती है, को परिलक्षित करती है। बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनिवार्यताओं जैसे कि विनियमन 46 के उप–विनियमन (2) के खण्ड (b) से (i) तथा विनियमन 17 से 27 में निर्दिष्ट अनिवार्यताओं का पालन किया है और अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई उस सीमा तक लागू होंगे जब तक संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी उनके निदेश या निर्देश इन अधिनियमों का उल्लंघन न करे।

12. वित्तीय कैलेंडर (संभावित)

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016	
छठवीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि छठवीं वार्षिक सामान्य बैठक का समय छठवीं वार्षिक सामान्य बैठक का स्थल	28.06.2016 (मंगलवार) 10 बजे प्रातः काल इंडिया इंटरनेशनल केंद्र, 40, मैक्स मूलर मार्ग, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली – 110003
बहियों को बंद करने की तारीख	22.06.2016 से 28.06.2016
लाभांश हेतु पात्रता की तिथि	21.06.2016
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	23.06.2016 (सांय 5:00 बजे तक)
लाभांश भुगतान की तिथि	12.07.2016

13. 31 मार्च, 2016 को शेयरधारिता स्वरूप

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
1.	भारत सरकार (प्रवर्तक)	1	318822775	79.62
2.	वित्तीय संस्थान/बीमा कंपनियां/बैंक	21	43318778	10.82
3.	विदेशी संस्थागत निवेशक	3	3854100	0.96
4.	कॉरपोरेट निकाय	636	3815906	0.95
5.	वैयक्तिक निवासी	133829	25360564	6.34
6.	हिन्दू अविभाजित परिवार	7610	1235782	0.31
7.	अनिवासी भारतीय	1098	1062400	0.27
8.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (कॉर्पोरेट)	7	2376290	0.59
9.	ट्रस्ट	9	280922	0.07
10.	समाशोधन सदस्य	188	283510	0.07
	कुल योग	**143402**	**400411027**	**100.00**

10. Status report in respect of unclaimed shares of the allottees held in Escrow A/c (31.03.2016):

S. No.	Particulars	NSDL IN301330-21335661	CDSL 1601010000399414
1.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account in beginning of the year	1272	1230
2.	No. of shareholders who approached for transfer of shares and to whom shares were transferred from Suspense A/c	--	--
3.	Number of Shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year	--	--
4.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account at the end of the year	1272*	1230*

* Certified that voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner claims the said shares.

11. Corporate Governance

The Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The Bank has transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Department and independent audit firms. The Bank has complied with Corporate Governance requirements as specified in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of Regulation 46 and para C,D and E of Schedule V shall apply to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities.

12. Financial Calendar (tentative):

Financial Year 1st April, 2015 to 31st March, 2016	
Date of Sixth Annual General Meeting. Time of Sixth Annual General Meeting Venue of Sixth Annual General Meeting	28.06.2016 (Tuesday) 10.00 A.M. India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
Book Closure dates	22.06.2016 to 28.06.2016
Date for entitlement of dividend	21.06.2016
Last Date for receipt of Proxy Forms	23.06.2016 (upto 5.00 pm)
Date of payment of dividend	12.07.2016

13. Shareholding Pattern as on 31st March 2016

Sr. No.	Description	No. of Share Holders	Shares	% To Equity
1.	Govt. of India (Promoters)	1	318822775	79.62
2.	Financial Investors/Ins Cos/ Banks	21	43318778	10.82
3.	Foreign Institutional Investors	3	3854100	0.96
4.	Bodies Corporate	636	3815906	0.95
5.	Resident Individuals	133829	25360564	6.34
6.	Hindu Undivided Family	7610	1235782	0.31
7.	Non Resident Indians	1098	1062400	0.27
8.	Foreign Portfolio Investor(Corporate)	7	2376290	0.59
9.	Trusts	9	280922	0.07
10.	Clearing Members	188	283510	0.07
	Total	**143402**	**400411027**	**100.00**

14. 31 मार्च, 2016 को शेयरधारितों (शेयर) का श्रेणी-वार वितरण

संवर्ग	मामलों की संख्या	मामलों का प्रतिशत	कुल शेयर	कुल का प्रतिशत
1 — 250	127110	88.639	8256116	2.0619
251 — 500	8295	5.7844	3190616	0.7968
501 — 1000	4371	3.0481	3436400	0.8582
1001 — 2000	1958	1.3654	2859255	0.7141
2001 — 3000	590	0.4114	1502691	0.3753
3001 — 4000	276	0.1925	988673	0.2469
4001 — 5000	218	0.152	1030243	0.2573
5001 — 10000	315	0.2197	2277516	0.5688
10001 और अधिक	269	0.1876	376869517	94.1207
कुल योग	**143402**	**100.00**	**400411027**	**100.00**

15. स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मूल्य, शेयरों में खरीद-फरोख्त की मात्रा (दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक)

माह	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एन.एस.ई)			बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बी.एस.ई.)		
	उच्चतम (रू.)	न्यूनतम(रू.)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)	उच्चतम (रू.)	न्यूनतम (रू.)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)
अप्रैल, 2015	56.20	45.20	3641592	56.20	45.50	942884
मई, 2015	50.85	45.05	2312886	50.60	45.05	522049
जून, 2015	47.80	40.40	1537714	47.20	40.60	374182
जुलाई, 2015	46.80	39.60	1369798	44.60	40.00	402266
अगस्त, 2015	47.30	35.05	3769308	47.20	36.20	924415
सितम्बर, 2015	38.55	34.50	2108851	38.55	34.40	488916
अक्टूबर, 2015	42.35	36.80	3104109	42.30	36.65	839094
नवम्बर, 2015	40.50	36.10	3361300	40.50	36.00	783306
दिसम्बर, 2015	41.20	36.65	1617647	41.00	36.90	431278
जनवरी, 2016	39.75	33.75	1197636	39.85	33.85	289790
फरवरी, 2016	36.00	31.65	1862222	35.45	31.55	425529
मार्च, 2016	35.80	31.70	1810415	35.75	32.45	766950

14. Distribution of Shareholding (Shares) – Category-wise as on 31st March 2016

Shareholding of Shares	No. of Cases	% of Cases	Total Shares	% of Total
1 – 250	127110	88.639	8256116	2.0619
251 – 500	8295	5.7844	3190616	0.7968
501 – 1000	4371	3.0481	3436400	0.8582
1001 – 2000	1958	1.3654	2859255	0.7141
2001 – 3000	590	0.4114	1502691	0.3753
3001 – 4000	276	0.1925	988673	0.2469
4001 – 5000	218	0.152	1030243	0.2573
5001 – 10000	315	0.2197	2277516	0.5688
10001 & Above	269	0.1876	376869517	94.1207
TOTAL	**143402**	**100.00**	**400411027**	**100.00**

15. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2015 to 31.03.2016)

Month	National Stock Exchange of India Limited (NSE)			Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)		
	Highest (Rs.)	Lowest (Rs.)	Volume Traded (Nos.)	Highest (Rs.)	Lowest (Rs.)	Volume Traded (Nos.)
APR 2015	56.20	45.20	3641592	56.20	45.50	942884
MAY 2015	50.85	45.05	2312886	50.60	45.05	522049
JUN 2015	47.80	40.40	1537714	47.20	40.60	374182
JUL 2015	46.80	39.60	1369798	44.60	40.00	402266
AUG 2015	47.30	35.05	3769308	47.20	36.20	924415
SEP 2015	38.55	34.50	2108851	38.55	34.40	488916
OCT 2015	42.35	36.80	3104109	42.30	36.65	839094
NOV 2015	40.50	36.10	3361300	40.50	36.00	783306
DEC 2015	41.20	36.65	1617647	41.00	36.90	431278
JAN 2016	39.75	33.75	1197636	39.85	33.85	289790
FEB 2016	36.00	31.65	1862222	35.45	31.55	425529
MAR 2016	35.80	31.70	1810415	35.75	32.45	766950

16. 31 मार्च, 2016 को शेयरधारकों का भौगोलिक दृष्टि से (राज्यवार) वितरण

क्र.सं.	राज्य	मामले	शेयर	(शेयरों की संख्या) %
1.	अंडमान एवं निकोबार	12	633	0.0002
2.	आंध्र प्रदेश	5603	1578369	0.3942
3.	अरुणाचल प्रदेश	114	20530	0.0051
4.	असम	535	120170	0.0300
5.	बिहार	1467	329870	0.0824
6.	चंडीगढ़	814	217408	0.0543
7.	छत्तीसगढ़	700	154527	0.0386
8.	दमन एवं द्वीप	9	1135	0.0003
9.	दिल्ली	13648	323547047	80.8037
10.	गोवा	182	22895	0.0057
11.	गुजरात	27554	4396948	1.0981
12.	हरियाणा	4757	847226	0.2116
13.	हिमाचल प्रदेश	279	56786	0.0142
14.	जम्मू एण्ड कश्मीर	231	95991	0.0240
15.	झारखंड	1289	232785	0.0581
16.	कर्नाटक	6318	1440181	0.3597
17.	केरल	1447	472088	0.1179
18.	मध्यप्रदेश	3904	835634	0.2087
19.	महाराष्ट्र	28529	56036047	13.9946
20.	मणिपुर	8	1098	0.0003
21.	मेघालय	23	3483	0.0009
22.	मिजोरम	1	109	0.0000
23.	नागालैंड	20	10280	0.0026
24.	उड़ीसा	910	267785	0.0669
25.	पांडिचेरी	68	11821	0.0029
26.	पंजाब	4714	1193549	0.2981
27.	राजस्थान	12779	1686166	0.4211
28.	सिक्किम	3	350	0.0001
29.	तमिलनाडु	7049	1699097	0.4243
30.	त्रिपुरा	21	4635	0.0012
31.	उत्तर प्रदेश	7800	1808334	0.4516
32.	उत्तराखण्ड	681	138933	0.0347
33.	पश्चिम बंगाल	10166	2270969	0.5671
34.	ए.पी.ओ./अन्य	1767	908148	0.2268
	कुल योग	**143402**	**400411027**	**100.00**

16. Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as on 31st March 2016

Sr. No.	State	Cases	Shares	% (No. of Shares)
1.	ANDAMAN & NICOBAR	12	633	0.0002
2.	ANDHRA PRADESH	5603	1578369	0.3942
3.	ARUNACHAL PRADESH	114	20530	0.0051
4.	ASSAM	535	120170	0.0300
5.	BIHAR	1467	329870	0.0824
6.	CHANDIGARH	814	217408	0.0543
7.	CHATTISGARH	700	154527	0.0386
8.	DAMAN & DIU	9	1135	0.0003
9.	DELHI	13648	323547047	80.8037
10.	GOA	182	22895	0.0057
11.	GUJARAT	27554	4396948	1.0981
12.	HARAYANA	4757	847226	0.2116
13.	HIMACHAL PRADESH	279	56786	0.0142
14.	JAMMU & KASHMIR	231	95991	0.0240
15.	JHARKHAND	1289	232785	0.0581
16.	KARNATAKA	6318	1440181	0.3597
17.	KERALA	1447	472088	0.1179
18.	MADHYA PRADESH	3904	835634	0.2087
19.	MAHARASHTRA	28529	56036047	13.9946
20.	MANIPUR	8	1098	0.0003
21.	MEGHALAYA	23	3483	0.0009
22.	MIZORAM	1	109	0.0000
23.	NAGALAND	20	10280	0.0026
24.	ORISSA	910	267785	0.0669
25.	PONDICHERRY	68	11821	0.0029
26.	PUNJAB	4714	1193549	0.2981
27.	RAJASTHAN	12779	1686166	0.4211
28.	SIKKIM	3	350	0.0001
29.	TAMIL NADU	7049	1699097	0.4243
30.	TRIPURA	21	4635	0.0012
31.	UTTAR PRADESH	7800	1808334	0.4516
32.	UTTARAKHAND	681	138933	0.0347
33.	WEST BENGAL	10166	2270969	0.5671
34.	APO/ OTHERS	1767	908148	0.2268
	Total	**143402**	**400411027**	**100.00**

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण–पत्र
पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्यों हेतु

हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सूचीबद्ध करने संबंधी करार और सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियमों, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी अनुपालन स्थिति की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के विषय में हमारा अभिमत है।

हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपरोक्त सूचीबद्ध करार और सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियमों, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यपालकों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के विषय में है।

कृते तिवारी एण्ड एसोशिएटस
सनदी लेखाकार

(देवेन्द्र मागो)
पार्टनर
एम.नं. 085739
एफआरएन 002870एन

कृते ढ़िल्लो एण्ड एसोशिएटस
सनदी लेखाकार

(राजेश मल्होत्रा)
पार्टनर
एम.नं. 090661
एफआरएनः 002783एन

कृते धवन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(इंदर जीत धवन)
पार्टनर
एम.नं. 081679
एफआरएन 002864एन

कृते दविन्दर पाल सिंह एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(हरबन्स सिंह)
पार्टनर
एम.नं. 099109
एफआरएनः 007601एन

दिनांकः 10 मई, 2016
स्थानः नई दिल्ली

Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance
To: The Members of Punjab & Sind Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab & Sind Bank, for the year ended on 31st March 2016 in terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreement.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Tiwari & Associates
Chartered Accountants

(Devender Magoo)
Partner
M. No. 085739
FRN : 002870N

For Dhillon & Associates
Chartered Accountants

(Rajesh Malhotra)
Partner
M. No. 090661
FRN : 002783N

For Dhawan & Co.
Chartered Accountants

(Inder Jeet Dhawan)
Partner
M. No.081679
FRN : 002864N

For Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants

(Harbans Singh)
Partner
M. No. 099109
FRN : 007601N

Dated: 10 May, 2016
Place : New Delhi

निदेशक मंडल,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
नई दिल्ली

महोदय,

विषयः वर्ष 2015-16 हेतु सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटन अनिवार्यताएं) अधिनियमों, 2015 की अनुसूची - V के अंतर्गत घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार तथा सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियमों, 2015 की अनुसूची – V के प्रसंग में विनिर्दिष्ट आचार संहिता की तदनुसार अनुपालना की पुष्टि कर दी है। उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 मई, 2016

(जतिन्दरबीर सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
नई दिल्ली

महोदय,

विषयः वर्ष 2015-16 के लिए सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण

सेबी (LODR), 2015 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अनुसूची – II के अनुपालन प्रमाण–पत्र के पार्ट–बी की अनुपालना में, हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं किः

क. हमने वर्ष 2015–16 की वित्तीय विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी (समेकित) की संवीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसारः
   1. इन विवरणियों में कोई विषयगत अयथार्थ अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है।
   2. ये अभिकथन/विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।

ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हों, गैर कानूनी हों अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हों।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंद्ध आंतरिक नियंत्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/आकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबंद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में है, को दूर करने के जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है।

घ. हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया हैः
   1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
   2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विशिष्टियों के नोट्स/टिप्पणियों में कर दिया गया है और
   3) हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी संबंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(जी.एस. ढींगरा)
मुख्य वित्त अधिकारी
(महाप्रबंधक–लेखा)

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(जतिन्दरबीर सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10 मई, 2016

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

Re: Declaration for 2015-16 as per Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2016 in accordance with Listing Agreement entered into with the stock exchanges and Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The said Code of Conduct has been hosted on the Bank's website www.psbindia.com.

For **Punjab & Sind Bank**

Place : New Delhi
Dated : 10 May, 2016

(Jatinderbir Singh)
Chairman & Managing Director

CEO/CFO Certification

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

REG: CEO /CFO Certification for the year 2015-16

Pursuant to Schedule-II Corporate Governance Part-B of Compliance Certificate of SEBI (LODR) 2015, we hereby certify that:

A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and that to the best of our knowledge and belief:
   1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
   2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or in violation of code of conduct of the Bank.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have indicated to the auditors and the Audit Committee.
   1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
   2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
   3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For **Punjab & Sind Bank**

(G.S.Dhingra)
Chief Financial Officer
(General Manager-Accounts)

For **Punjab & Sind Bank**

(Jatinderbir Singh)
Chairman & Managing Director

Place : New Delhi
Dated : 10 May, 2016

बासेल II के लिए प्रकटीकरण 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष

तलिका डी एफ–1 अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण क) इस वर्ग के सर्वोत्तम बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है।	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
ख) नियामक उद्देश्यों के आधार पर तथा लेखों के समेकन में भिन्नताओं का सारांश वर्ग के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों का संक्षिप्त ब्यौरा (i) जिनका पूर्ण रुप से समेकन किया गया है, (ii) जिनका समानुपातिक आधार पर समेकन किया गया है, (iii) जिन्हें छूट दी गई है, तथा (iv) जिन्हें न तो समेकित किया गया है और न ही छूट दी गई है। (जैसे कोई जोखिम भारित निवेश)	लागू नहीं
मात्रात्मक प्रकटीकरण क) सभी सहायक कंपनियों की पूंजी में कमियों की कुल राशि जिसे समेकन में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात जिन्हें घटाया गया है तथा जिनके नाम ऐसी सहायक कंपनियों से हटाए गए हैं।	लागू नहीं
ख) बैंक की कुल राशि (अर्थात् चालू बही मूल्य) जो बीमा कंपनियों में लगी है, उनमें से जो जोखिम भारित है, उनके नाम, उनके निगमन का संस्थान या आवास, स्वामित्व का अंश तथा यदि भिन्न है तो इन संस्थानों में उनके मताधिकार शक्ति का अंश। इसके अतिरिक्त नियामक पूंजी बनाम छूट के तरीके के प्रयोग से होने वाले मात्रात्मक प्रभाव भी सूचित करें।	लागू नहीं

तालिका डी एफ 2 – पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण

लोअर टीयर II पूंजी हेतु नियम एवं शर्तें:

बैंक ने लोअर टीयर II के माध्यम से गौण ऋणों के रुप में वचन–पत्र के कूपन जारी किए हैं, जिनका भुगतान वार्षिक/अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना है। इन बॉण्डस को देसी दर–निर्धारण एजेंसियों से विधिवत् श्रेणी निर्धारित करवाने के बाद जारी किया गया है। सभी बकाया बॉण्डस राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई में सूचीबद्ध हैं। इन बॉण्ड की अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं:

» बॉण्डस की अवधि इनके जारी करने की तिथि से 117 माह से 127 माह के बीच होती है।

» ये प्रपत्र पूर्णतः चुकता, प्रतिभूति रहित तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण हैं, प्रतिबंधी खण्ड से मुक्त हैं और धारक के कहने पर या भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना भुनाए नहीं जा सकते हैं।

» ये प्रपत्र अपनी अवधि के अंतिम पॉच वर्षों के दौरान 20% प्रतिवर्ष की दर से क्रमिक भुगतान के अधीन हैं। इस प्रकार किए गए भुगतान की राशि को पूॅजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु टीयर II पूंजी में शामिल नहीं किया गया है।

इन प्रपत्रों के निवेशकों के दावों को टीयर I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र प्रपत्रों के निवेशकों के दावों से वरीयता प्रदान की गई है तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण माना गया है।

गौण ऋण प्रपत्र, बैंक की टीयर I पूंजी के 50% तक सीमित होंगे तथा इन प्रपत्रों के साथ टीयर II पूंजी के अन्य संगठक टीयर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं होंगे।

बैंक ने ऐसी कोई भी अपर टीयर II पूंजी तथा नवोन्मेष प्रपत्र जारी नहीं किए हैं, जोकि टीयर I पूंजी में समावेश के योग्य हैं।

रू. करोड़

क) टियर 1 पूंजी की राशि, निम्न का अलग से प्रकटीकरण	**राशि**
– प्रदत अंश पूंजी;	400.41
– आरक्षितियॉ;	4663.99
– न्वोन्मेषी प्रपत्र ;	0.00
– अन्य पूंजी प्रपत्र ;	0.00
– उप योग	**5064.40**
– घटाएं:टीयर I पूंजी से कम की गई राशियॉ जिसमें साख और ख्याति शामिल हैं	0.33
कुल टीयर I पूंजी	**5064.07**

BASEL II DISCLOSURES – YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

Table DF 1 – SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures (a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies.	The Bank does not belong to any group
(b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated; (ii) that are pro-rata consolidated; (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted).	Not Applicable
Quantitative Disclosures (c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Not Applicable

Table DF 2 – CAPITAL STRUCTURE

Qualitative disclosures

TERMS & CONDITIONS OF LOWER TIER II CAPITAL:

The Bank has issued Lower Tier II Bonds by way of Subordinated Debts in the form of Promissory Notes at Coupon payable annually / semi-annually. These bonds have been issued after getting them duly rated by the Domestic Rating Agencies. All the outstanding Bonds are listed at the National Stock Exchange Ltd. Mumbai. The other important features of these bonds are :

- The bonds have a tenor ranging from 117 months to 127 months from date of the issue.
- The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI.
- The instruments are subjected to progressive discounting @ 20% per year over the last five years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier – II Capital for Capital Adequacy purposes.

The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital and subordinate to the claims of all other creditors.

Subordinated debt instruments shall be limited to 50% of Tier I capital of the Bank and these instruments, together with other components of Tier II Capital shall not exceed 100% of Tier I Capital.

The Bank has not issued any upper Tier II capital and innovative instruments that qualify for inclusion in Tier I capital during the year ended 31.03.2016.

Amt. - Rs/ Crores

(a) The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of	Amount
- Paid-up share capital;	400.41
- Reserves;	4663.99
- Innovative instruments;	0.00
- Other capital instruments;	0.00
- **SUB-TOTAL**	**5064.40**
- LESS: amounts deducted from Tier 1 capital, including goodwill & investments.	0.33
TOTAL TIER I CAPITAL	**5064.07**

ख) टीयर ॥ पूंजी की कुल राशि (टीयर ॥ पूंजी से घटाने के बाद बची कुल राशियॉ)	1720.57
ग) उच्च टीयर ॥ पूंजी में सम्मिलित होने योग्य ऋण पूंजी प्रपत्र	शून्य
– कुल बकाया राशि	लागू नहीं
– इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	लागू नहीं
– पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	लागू नहीं
घ) न्यून टीयर ॥ पूंजी में सम्मिलित होने योग्य गौण ऋण	
– कुल बकाया राशि	1325.00
– इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	शून्य
– पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	845.00
ड) पूंजी से अन्य कटौतिया, यदि कोई हैं तो	शून्य
च) कुल पात्र पूंजी	6784.64

तालिका डी एफ 3 – पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोखिम प्रबंधन अनुबंध का कार्यान्वयन करते समय उच्च–कोटि की वैश्विक कार्य–प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी है जोकि बासेल ॥ की रूपरेखा के अनुरूप है।

बासेल ॥ से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए व्यापक जोखिम प्रबंधन का गठन किया गया है। जोखिम भारित आस्तियों, बाज़ार जोखिम तथा परिचालन जोखिम में प्रत्याशित वृद्धि के मद्देनज़र बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं को आँकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

बैंक हितधारकों, खासकर जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु एक्सपोज़र, कारोबार आदि के मूल्य में हानि के जोख़म के लिए पूंजी को गुंजाइश के रूप में रखता है।

वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसकी निगरानी की जाती है। बैंक का मानना है कि पूँजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विषय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर/संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है। इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आई–सीएएपी) का एक अच्छा ढांचा तैयार किया है तथा स्तम्भ 1 पूंजी गणना के अलावा बासेल ॥ के स्तम्भ 2 के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी गणना की जाती है। बैंक ने पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नए पूंजी पर्याप्तता ढांचा – बासेल ॥ को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारण ााओं को अपनाया है :–

» ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत अवधारणा
» परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल सूचक अवधारणा
» बाज़ार जोखिम के लिए मानक अवधि अवधारणा

यद्यपि बैंक ने वर्तमान में उपरोक्त अवधारणाओं को अपनाया है पर इनके आगे की अवधारणाओं की तरफ अग्रसर होने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं

	राशि–रूपए/करोड़
» 9% की दर से मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	4592.28
» प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	शून्य

बाज़ार जोख़िम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं : मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

सामान्य बाज़ार जोखिम पर पूंजी प्रभार	राशि–रूपए/करोड़
» ब्याज–दर जोख़िम	182.04
» विदेशी विनिमय जोख़िम (स्वर्ण सहित)	1.35
» इक्विटी जोख़िम	12.82

(b) The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)	1720.57
(c) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital.	NIL
- Total amount outstanding.	NA
- Of which amount raised during the current year	NA
- Amount eligible to be reckoned as capital funds	NA
(d) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
- Total amount outstanding	1325.00
- Of which amount raised during the current year.	NIL
- Amount eligible to be reckoned as capital funds	845.00
(e) Other deductions from capital, if any.	NIL
(g) Total eligible capital.	6784.64

Table DF 3 - <u>CAPITAL ADEQUACY</u>

Qualitative disclosures

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositors.

Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, and Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (I-CAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 also of Basel-II at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

Though the bank is presently implementing the above Approach, it has started its preparation for moving towards advance approaches.

<u>Quantitative Disclosures</u>

<u>Capital requirements for credit risk:</u>

	Amt. - Rs/ Crores
- Portfolios subject to standardised approach @ 9%	4592.28
- Securitisation exposures	Nil

<u>Capital requirements for market risk: Standardised duration approach</u>

Capital Charge on account of General Market Risk	**Amt. - Rs/ Crores**
- Interest rate risk	182.04
- Foreign exchange risk (including gold)	1.35
- Equity risk	12.82

परिचालन जोखि़म हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं :

	राशि–रूपए/करोड़
मूल सूचक दृष्टिकोण	325.67

बैंक हेतु कुल तथा टियर I पूंजी अनुपातः

बासेल II के अनुसार कुल पूंजी और जोखि़म भारित आस्ति अनुपात	11.75%
बासेल II के अनुसार टियर I पूंजी और जोखि़म भारित आस्ति अनुपात	8.77%

तालिका डी एफ 4 ऋण जोखि़म : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा

बैंक ने गैर–निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए.) के वर्गीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेकपूर्ण दिशा–निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया हैः

क) जहां मियादी ऋण के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती हो।

ख) यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से 90 दिन से अधिक समय तक निरंतर अधिक रहती हैं तथा/अथवा अधिविकर्ष/नकद ऋण ओ.डी./सी.सी. के संबंध में तुलन–पत्र की तिथि तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होती है अथवा जमा की गयी राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके तो खाता 'अनियमित' हो जाता है।

ग) बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में जहां बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों।

घ) अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।

ड़) दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।

च) प्रतिभूतिकरण के दिनांक 7 मई 2012 के दिशा–निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन–देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।

छ) व्युत्पन्न सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्तियां जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि चुकौती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहती हैं।

यहां ' अनियमित ' से अभिप्रायः एक खाते को 'अनियमित' माना जाना चाहिए यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से निरंतर अधिक रहती है। उन मामलों में जहाँ मुख्य परिचालन खाते में बकाया शेष संस्वीकृत लिमिट/आहरण शक्ति से कम रहता है लेकिन उसमें तुलन पत्र की तिथि के 90 दिनों तक कोई जमाएं नही की जाती हैं या इस अवधि में जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज को वसूल करने के लिए कम हैं तो इन खातों को 'अनियमित'माना जाएगा।

यहां 'अतिदेय' से अभिप्राय किसी भी ऋण सुविधा के अधीन कोई भी देय राशि से है, जिसका बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि पर, भुगतान नहीं होता है।

उक्त के अतिरिक्त, एक खाते को निम्न शर्तों के अनुसार भी अनर्जक (एन.पी.ए.) वर्गीकृत किया जा सकता हैः–

अस्थायी अनियमितताओं / कमियों वाले खाते (संदर्भ आरबीआई एमसी बिंदु 4.2.4)

जहां कहीं किसी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज उस तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और उससे बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाए तो ऐसे खाते को गैर–निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

एक आस्ति का गैर–निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकरण वसूली के रिकार्ड पर आधारित होना चाहिए। बैंक को एक अग्रिम खाते का वर्गीकरण केवल कुछ विसंगतियों के होने पर नही करना चाहिए जोकि स्वरूप में अस्थायी होती हैं जैसे अंतिम उपलब्ध स्टॉक विवरणी के आधार पर पर्याप्त आहरण शक्ति का उपलब्ध नही होना, अस्थायी रूप से लिमिट से अधिक बकाया बैलेंस होना, स्टॉक विवरणी को प्रस्तुत नही करना तथा देय तिथि पर लिमिट का गैर–नवीनीकरण आदि। खातों की ऐसी विसंगतियों के साथ वर्गीकरण के मामले में, बैंक निम्न दिशा–निर्देशों का अनुपालन कर सकते हैंः

i) बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यशील पूंजी खातों में आहरण को चालू आस्तियों की पर्याप्तता से कवर किया जाए जैसा कि आपदा के समय चालू आस्तियों को पहले समायोजित किया जाता है। वर्तमान स्टॉक विवरणी पर आहरण शक्ति का निर्धारण करना चाहिए। तथापि, बड़े ऋणियों की कठिनाईयों पर विचार करते हुए, आहरण शक्ति का निर्धारण करते समय, स्टॉक विवरणियां तीन महीने से अधिक पुरानी नही होनी चाहिए। तीन महीने से अधिक पुरानी स्टॉक विवरणी पर निर्धारित आहरण शक्ति पर आधारित बकाया राशि के निर्धारण को अनियमित माना जायगा।

   एक कार्यशील पूंजी खाता गैर–निष्पादक हो जायगा यदि खाते में लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए ऐसी अनियमित आहरण शक्ति की स्वीकृति दी जाती है चाहे इकाई कार्य कर रही हो अथवा ऋणी की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।

Capital requirements for operational risk:

	Amt. - Rs/ Crores
Basic indicator approach	325.67

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank:

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	11.75%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	8.77%

Table DF 4 - CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

A. DEFINITIONS OF PAST DUE AND IMPAIRED:

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under :

a) Interest and / or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.

b) The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).

c) The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.

d) The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.

e) The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

f) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated May 7, 2012.

g) In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.

Out of Order means : An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'.

Here, `Overdue' mean any amount due to the Bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

In addition to above, an account may also be classified as NPA in terms of the following:

Account with temporary deficiencies/irregularities (Refer RBI MC point 4.2.4)

Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset and ceases to generate income for the bank.

The classification of an asset as NPA should be based on the record of recovery. Bank should not classify an advance account as NPA merely due to the existence of some deficiencies which are temporary in nature such as non-availability of adequate drawing power based on the latest available stock statement, balance outstanding exceeding the limit temporarily, non-submission of stock statements and non-renewal of the limits on the due date, etc. In the matter of classification of accounts with such deficiencies banks may follow the following guidelines:

i) Banks should ensure that drawings in the working capital accounts are covered by the adequacy of current assets, since current assets are first appropriated in times of distress. Drawing power is required to be arrived at based on the stock statement which is current. However, considering the difficulties of large borrowers, stock statements relied upon by the banks for determining drawing power should not be older than three months. The outstanding in the account based on drawing power calculated from stock statements older than three months, would be deemed as irregular.

   A working capital borrowal account will become NPA if such irregular drawings are permitted in the account for a continuous period of 90 days even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory.

ii) नियमित तथा एकमुश्त ऋण सीमाओं को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से तीन महीने पहले पुनर्समीक्षा/नियमित किया जाना आवश्यक है। व्यवधानों के मामले में जैसे ऋणियों से वित्तीय विवरणीयों की और अन्य आंकड़ों की अनुपलब्धता पर शाखा को साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि ऋण लिमिटों का नवीनीकरण/समीक्षा पहले से ही चल रही है और उसको जल्द ही पूर्ण कर लिया जायगा। किसी भी मामले में, सामान्य अनुशासन के तौर पर, छः महीने से अधिक का विलंब अपेक्षित नही है। अतः, एक खाते में जहाँ नियमित/एकमुश्त लिमिटों को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से 180 दिनों के अंदर पुनर्समीक्षा/नवीनीकरण नही किया गया है, को गैर–निष्पादक आस्ति माना जायगा।

उक्त के अतिरिक्त, बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निम्न दिशा–निर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनर्सरंचित खाते (ख) कालातीत अवधि की कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्तिकर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (ङ) अधिग्रहण वित्त (च) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (छ) बी.आई.एफ.आर./टी.एल.आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (ट) वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचना (ठ) गैर–निष्पादित वित्तीय आस्तियों का क्रय–विक्रय (ढ) खातों का उन्नयन (ण) तुलन–पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते, आदि।

ख. ऋण जोखि़म प्रबंधन तथा उद्देश्य :

ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग का मुख्य उद्देश्य बैंक के ऋण जोखि़म कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमापन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोखि़म क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोखि़म दर्शन का लक्ष्य जोखि़म में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि हित धारकों को इक्विटी सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ–साथ बैंक का सतत एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

ऋण जोखि़म बैंक की योजनागत नीति – ऋण जोखि़म :

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति है, जिसमें नीतिगत आयोजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय.समय पर ऋण.नीति की पुनरीक्षा करता है। बैंक की ऋण.नीति वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक मण्डल द्वारा व्यापक समीक्षा के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का भी ध्यान रखा जाता हैः.

- विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।
- ऋण रेटिंग तथा/अथवा रिटेल घटकों से संबंद्ध जोखि़म रूपरेखा पर आधारित मूल्यांकन।
- ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के संवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी निर्देश।
- ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क।
- निरीक्षण तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन।

ऋण–जोखि़म प्रबंधन संगठनात्मक ढाँचा :

- ऋण जोखि़म प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के संगठनात्मक ढ़ांचे के शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक–मण्डल है, जो जोखि़म प्रबंधन कारोबार पर पूरी निगरानी रखता है।
- जोखि़म प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) जो कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में मण्डल की एक उप समिति है, ऋण जोखि़म सहित समन्वित जोखि़म प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।
- परिचालन स्तर पर, ऋण जोखि़म प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) ऋण जोखि़म का प्रबंधन करती है। इसके मुख्य कार्यों में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखि़म प्रबंधन नीतियों का बैंक व्यापी आधार पर कार्यान्वयन तथा निदेशक–मण्डल को ऋण जोखि़म प्रबंधन संबंधित, ऋण जोखि़म की विवेकपूर्ण सीमाएं, पोर्टफोलियों प्रबंधन, ऋण.उत्पादों आदि से संबंधित सभी नीतियों के अनुमोदन हेतु संस्तुति शामिल है। बैंक में ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया का ढाँचा बना हुआ है और यह मानकीकृत है, जिसमें ऋण आकलन की व्यापक प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्त पोषण प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोखि़म के आकलन करने हेतु बैंक ऋणी तथा प्रासंगिक उद्योगों के विविध ऋण जोखि़मों का आकलन करता है।
- महाप्रबंधक की अध्यक्षता में जोखि़म प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखि़म का परिमापन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और निदेशक मण्डल/जोखि़म प्रबंधन समिति/ऋण जोखि़म प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोखि़म मापदण्डों के अनुपालन को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वाहन में जोखि़म प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोखि़म प्रबंधन कक्ष, बाजार जोखि़म प्रबंधन कक्षमद (ए.एल.एम. एवम् मिड ऑफिस), तथा संचालनगत जोखि़म प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।
- महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग के साथ.साथ ऋण निगरानी विभाग, ऋणों की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं की पहचान करना तथा कामियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋणों का पुनरीक्षण/ऋणों की लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा परीक्षा के रूप में अलग से किया जाता है।

ii) Regular and ad hoc credit limits need to be reviewed/ regularised not later than three months from the due date/date of ad hoc sanction. In case of constraints such as non-availability of financial statements and other data from the borrowers, the branch should furnish evidence to show that renewal/ review of credit limits is already on and would be completed soon. In any case, delay beyond six months is not considered desirable as a general discipline. Hence, an account where the regular/ ad hoc credit limits have not been reviewed/ renewed within 180 days from the due date/ date of ad hoc sanction will be treated as NPA.

Besides above, Bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Restructured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit. d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g) Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, i) Sale of Financial Assets to Securitization Company /Reconstruction Company, j) Purchase/ Sale of Non-Performing Financial Assets, k) Up-gradation of accounts, l) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

The main objective of Credit Risk Management Department is to effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimising risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

- Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
- Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes of dispensation of credit.
- Credit Rating framework.
- Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level that has the overall oversight of management of risks.
- The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.
- At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main function includes implementation of credit risk management policies approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit risk management, prudential limits on credit exposures, portfolio management, loan products etc. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry.
- The Risk Management Department (RMD) headed by the General Manger, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Asset Liability Management Cell, Mid Office and Operations Risk Management Cell.
- The Inspection Department as well as Credit Monitoring Department headed by a General Manager, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

ऋण जोखि़म प्रबंधन/अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन

- ऋण अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी शक्तियों का प्रत्यायोजन। बैंक की बहुविध जोखि़म आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यवसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय.समय पर पुनरीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्ताओं के लिए एकल/समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण/निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।
- जोखि़म, रेटिंग/मूल्यांकन–बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध जोखि़म कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण मूल्यांकन निर्णयों में मददगार होते हैं।
- ऋण बही की गुणवत्ता के सतत् मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा/ऋण पुनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है।
- संविभाग प्रबंधन – शुरूआती दौर में बैंक ने एक साधारण संविभाग निगरानी फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक अत्याधुनिक संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा।

जोखि़म आंकलन : –

वर्तमान में ऋण जोखि़म को व्यक्तिगत स्तर पर ऋण दर तथा पोर्टफोलियो स्तर पर जोखि़म भारित आस्तियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा पूंजी को जोखि़म भार आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

कुल निवल ऋण जो़खिम का प्रकटीकरण

	श्रेणी	राशि–रूपए / करोड़
1.	निधि–आधारित ऋण राशि	65277.22
2.	गैर–निधि आधारित ऋण राशि	4268.17

ऋण जोखि़म का भौगोलिक वितरण

	श्रेणी	राशि–रूपए / करोड़
1	**विदेशी** निधि आधारित ऋण जोखिम	शून्य
	गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	शून्य
2	**देशी** निधि आधारित ऋण जोखिम	65277.22
	गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	4268.17

एक्सपोज़र का उद्योग वार वितरण

राशि – रू. करोड़

उद्योग	निधि आधारित	गैर निधि आधारित	कुल
1. खाद्यान एवं उत्खनन	173.57	108.46	282.03
2. खाद्य प्रसंस्करण	899.83	10.38	910.21
3. बेवरेज एवं तम्बाकू	424.79	18.91	443.70
4. कपड़ा उद्योग	1424.98	10.44	1435.42
5. चमड़ा–चमड़ा उत्पाद	108.14	2.93	111.07
6. काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद	67.93	3.04	70.97
7. कागज तथा कागज उत्पाद	251.07	8.76	259.83
8. पैट्रो/कोयला/नाभकीय ईंधन	454.47	0.52	454.99
9. रसायन & रसायन उत्पाद.	330.99	3.76	334.75
10. रबड़, प्लास्टिक एवं इसके उत्पाद.	173.88	26.13	200.01
11. कांच एवं इसके बने उत्पाद	10.64	0.04	10.68
12. सीमेंट & सीमेंट उत्पाद.	202.59	79.66	282.25

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- Credit Approving Authority – Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.
- Prudential Limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.
- Risk Rating/Pricing - The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.
- Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration
- Portfolio Management - to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.

RISK MEASUREMENT

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

Quantitative Disclosures

Total gross credit risk exposures

	Category	Amt. - Rs/ Crores
1	Fund Based Credit Exposures	65277.22
2	Non Fund Based Credit Exposures	4268.17

Geographic distribution of exposures

	Category	Amt. - Rs/ Crores
1	**Overseas** Fund Based Credit Exposures	NIL
	Non Fund Based Credit Exposures	NIL
2	**Domestic** Fund Based Credit Exposures	65277.22
	Non Fund Based Credit Exposures	4268.17

INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

Amt. - Rs/ Crores

Industry	Fund Based	Non- Fund Based	Total
A.MINING & QUARRYING	173.57	108.46	282.03
B.FOOD PROCESSING	899.83	10.38	910.21
C.BEVERAGES & TOBACCO	424.79	18.91	443.70
D.TEXTILES	1424.98	10.44	1435.42
E.LEATHER & LEATHER PRODUCTS	108.14	2.93	111.07
F.WOOD & WOOD PRODUCTS	67.93	3.04	70.97
G.PAPER & PAPER PRODUCTS	251.07	8.76	259.83
H.PETRO./COAL/NUCLEAR FUELS	454.47	0.52	454.99
I.CHEMICALS & CHEMICAL PROD.	330.99	3.76	334.75
J.RUBBER,PLASTIC & ITS PROD.	173.88	26.13	200.01
K.GLASS & GLASSWARE	10.64	0.04	10.68
L.CEMENT AND CEMENT PROD.	202.59	79.66	282.25

उद्योग	निधि आधारित	गैर निधि आधारित	कुल
13. मूल धातु & धातु उत्पाद.	2366.55	37.92	2404.47
14. समस्त इंजीनियरिंग	352.70	66.58	419.28
15. वाहन/वाहन कलपूर्जे एवं टीपीटी औजार	166.58	117.47	284.05
16. रतन और आभूषण	465.76	1072.90	1538.66
17. निर्माण	665.87	375.07	1040.94
18. बुनियादी सुविधायें	15505.38	466.62	15972.00
19. अन्य उद्योग	131.30	10.01	141.31
20. अवशिष्ट	41100.20	1848.58	42948.78
कुल योग	**65277.22**	**4268.18**	**69545.40**

उल्लेखनीय एक्सपोज़र

उद्योग जहां कुल एक्सपोज़र, कुल निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित प्रकटीकरण के 5% से अधिक हैः

राशि रू. करोड़ में

क्रम संख्या	उद्योग	प्रकटीकरण
1.	बुनियादी सुविधायें	15972.00
2.	अवशिष्ट	42948.79

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विकार :-

राशि रू. करोड़ में

अवधि पूर्ण होने का स्वरूप (समयावधि)	ऋण एवं अग्रिम	निवेश (बही मूल्य)	विदेशी मुद्रा		जमाराशियाँ	उधार
			देयताएं	आस्तियां		
1 दिन	1698.78	0.00	29.88	267.87	1002.90	0.00
2–7 दिन	1265.66	254.80	1.06	6.84	1161.27	795.00
8–14 दिन	1593.27	275.03	16.40	16.45	1180.72	0.00
15–28 दिन	914.42	0.00	4.40	43.24	1031.52	0.00
29 दिनों से 3 माह	12542.08	10.00	27.18	138.87	15756.04	700.00
3 माह से अधिक से 6 माह तक	2593.51	199.03	35.51	74.36	9519.19	0.00
6 माह से अधिक से 1 वर्ष तक	4098.27	500.95	62.87	0.0.	29342.12	0.00
1 वर्ष से अधिक से 3 वर्षों तक	15535.05	4488.73	94.80	0.00	16263.86	19.00
3 वर्षों से अधिक से 5 वर्षों तक	12165.50	2783.47	146.32	196.79	8632.35	0.00
5 वर्षों से अधिक	11509.54	19133.04	0.00	0.00	7359.99	0.00
कुल	**63916.07**	**27645.05**	**418.42**	**744.42**	**91249.97**	**1514.00**

एन.पी.ए. की राशि (सकल)

	श्रेणी	राशि रू. करोड़
1	अवस्तरीय	1836.11
2	संदिग्ध 1	1180.86
3	संदिग्ध 2	1053.15
4	संदिग्ध 3	154.12
5.	हानि	4.82

निवल एन.पी.ए

	राशि रू. करोड़ में
निवल.एन.पी.ए	2949.47

Industry	Fund Based	Non- Fund Based	Total
M.BASIC METAL & METAL PROD.	2366.55	37.92	2404.47
N.ALL ENGINEERING	352.70	66.58	419.28
O.VEHCLES/V.PARTS/TPT.EQPM.	166.58	117.47	284.05
P.GEMS & JEWELLARY	465.76	1072.90	1538.66
Q.CONSTRUCTIONS	665.87	375.07	1040.94
R.INFRASTRUCTURE	15505.38	466.62	15972.00
S.OTHER INDUSTRIES	131.30	10.01	141.31
T.RESIDUARY	41100.20	1848.58	42948.78
Grand Total	**65277.22**	**4268.18**	**69545.40**

Significant exposure:

Industry where the Total Exposure is more than 5% of Total Fund based and Non-fund based exposure:

Amt. - Rs/ Crores

S.No.	Industry	Exposure
1	Infrastructure	15972.00
2	Residuary	42948.79

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS

Amt. - Rs/ Crores

Maturity Pattern (Time Buckets)	Loans & Advances	Investments (Book Value)	Foreign Currency		Deposits	Borrowings
			Liabilities	Assets		
1 day	1698.78	0.00	29.88	267.87	1002.90	0.00
2-7 days	1265.66	254.80	1.06	6.84	1161.27	795.00
8-14 days	1593.27	275.03	16.40	16.45	1180.72	0.00
15-28 days	914.42	0.00	4.40	43.24	1031.52	0.00
29 days to 3 months	12542.08	10.00	27.18	138.87	15756.04	700.00
Over 3 months to 6 months	2593.51	199.03	35.51	74.36	9519.19	0.00
Over 6 months to 1 year	4098.27	500.95	62.87	0.0.	29342.12	0.00
Over 1 year to 3 years	15535.05	4488.73	94.80	0.00	16263.86	19.00
Over 3 years to 5 years	12165.50	2783.47	146.32	196.79	8632.35	0.00
Over 5 years	11509.54	19133.04	0.00	0.00	7359.99	0.00
TOTAL	**63916.07**	**27645.05**	**418.42**	**744.42**	**91249.97**	**1514.00**

Amount of NPAs (Gross)

	Category	Amt. - Rs/ Crores
1	Substandard	1836.11
2	Doubtful 1	1180.86
3	Doubtful 2	1053.15
4	Doubtful 3	154.12
5	Loss	4.82

Net NPAs

	Amt. - Rs/ Crores
Net NPAs	2949.47

एन.पी.ए. अनुपात

	श्रेणी	प्रतिशत
1	सकल अग्रिम का सकल एन.पी.ए	6.48%
2	निवल अग्रिम का निवल एन.पी.ए	4.62%

एन.पी.ए (सकल) में उतार-चढाव

	राशि रू. करोड़
अथशेष	3082.19
जमां	1959.92
कमी	813.06
इति शेष	4229.05

एन.पी.ए हेतु प्रावधानों में उतार-चढाव

	राशि रू. करोड़
अथशेष	1049.01
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	388.67
बट्टे खाते डालना	
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	170.97
इतिशेष	1266.70

ग़ैर-निष्पादित निवेशों की राशि

	राशि रू. करोड़
गैर निष्पादित निवेशों की राशि	56.26

गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि

	राशि रू. करोड़
गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	43.06

निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में उतार चढाव

	राशि रू. करोड़
अथशेष	4.83
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	10.67
बट्टे खाते डालना	
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	10.20
इतिशेष	5.30

तालिका डी.एफ. 5 – ऋण जोखिमः मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. बैंक ने सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेंसियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है। घरेलू दावों के लिए क्रिसिल(CRISIL), आईसीआरए(ICRA), इंडिया रेटिंग (India Rating), एसएमईआरए(SMERA), ब्रिकवर्क(BRICKWORK),तथा केयर(CARE) एवं अनिवासी कॉरपोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के दावों के लिए एस एण्ड पी, फिच(FITCH) तथा मूडीज को अनुमोदित किया है।

   भारतीय रिज़र्व बैंक की परिभाषा के अनुसार इन समस्त एजेंसियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, बशर्ते बासेल–II के अंतर्गत सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा हो।

NPA Ratios

	Category	Percent
1	Gross NPAs to Gross advances	6.48%
2	Net NPAs to Net advances	4.62%

Movement of NPAs (Gross)

	Amt. - Rs/ Crores
Opening Balance	3082.19
Additions	1959.92
Reductions	813.06
Closing Balance	4229.05

Movement of Provisions for NPAs

	Amt. - Rs/ Crores
Opening Balance	1049.01
Provisions made during the period	388.67
Write-off	170.97
Write-back of excess provisions	
Closing Balance	1266.70

Amount of Non-Performing Investments

	Amt. - Rs/ Crores
Amount of Non-Performing Investments	56.26

Amount of provisions held for non-performing investments

	Amt. - Rs/ Crores
Provisions held for non-performing investments	43.06

Movement of provisions for depreciation on investments

	Amt. - Rs/ Crores
Opening Balance	4.83
Provisions made during the period	10.67
Write-off	
Write-back of excess provisions	10.20
Closing Balance	5.30

Table DF 5 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, India Rating, SMERA, BRICKWORK and CARE for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.

   The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II & Basel III as defined by RBI.

2. बैंकिंग बहियों में तुलानात्मक आस्तियों पर आधारित श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजनिक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामक अनिवार्यता के अनुरूप है। श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा उनकी वेबसाईट में प्रकाशित सार्वजनिक रेटिंग का प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है। संबंधित रेटिंग एजेंसी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है, का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।

3. जहॉ प्रत्येक ऋण जोखिम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेंसी द्वारा किया गया है, के अपवाद को छोड़कर प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोखिम के लिए बैंक ने केवल एक एजेंसी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोखिमों का एक से अधिक एजेंसियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।

4. जोखिम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिशचित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात मूल राशि तथा ब्याज के संबंध में, ऋण जोखिम एक्सपोज़र की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोखिम भार के लिए कॉरपोरेट ग्रुप में एक कंपनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कंपनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।

5. आस्तियां जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है, के लिए अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोज़र के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।

6. जहाँ जारीकर्ता का एक दीर्घावधि एक्सपोज़र है जिस पर बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150% जोखिम भार अभिष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर–श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि पर 150% जोखिम भार माना जाएगा, सिवाए ऐसे दावों में जहॉ जोखिम कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई हो अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू होगा।

7. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा अल्पावधि श्रेणी निर्धारण को अल्पावधि ऋण जोख़िम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोख़िम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है।

   भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए जोखिम भार मानचित्रण के रूप में भी इसी तर्ज पर बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के अल्पावधि श्रेणी के साथ (1 वर्ष तक) के अल्पावधि ऋण के आंतरिक मूल्यांकन की मैपिंग के लिए एक तंत्र है, हमारे बैंक में प्रचलन में पहले से ही है ।

   इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए जोखिम भार मानचित्रण के रूप में भी इसी तर्ज पर बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की दीर्घकालिक श्रेणी के साथ दीर्घकालिक ऋण, के आंतरिक मूल्यांकन की मैपिंग के लिए एक तंत्र भी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। मानचित्रण केवल गैर–श्रेणीकृत दीर्घकालिक निवेश के मामलों में पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए आवेदन/इस्तेमाल किया जाएगा।

8. यदि पात्र ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलग–अलग जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ उच्चतर जोखिम भार लागू किया जाता है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई है जिसमें जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो तदनुरूपी निम्नतम जोख़िम भारों की श्रेणी निर्धारण के संदर्भ में तथा इऩ दोनों जोख़िम भारों में उच्चतर जोखिम भार को लागू किया गया है, अर्थात दूसरा सबसे न्यूनतम जोख़िम भार।

9. जहॉ विशेष निर्धारित मामलों में दावा निवेश नहीं है, निवेश दावों पर जोखिम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेंसी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं।

   I) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहॉ श्रेणी वर्गीकरण के जोखिम भार गैर–श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोखिम भार से कम है) बैंक के केवल गैर–निर्धारित दावों पर लागू है, जहाँ वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि वह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा गैर –निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर–निर्धारित मामले पर लागू है।

   II) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर–निर्धारित मामलों के लिए लागू जोखिम भार से अधिक या उसके बराबर जोखिम भार निर्धारण किया गया है तो उस प्रतिपक्ष पर गैर–निर्धारित मामलों के लिए वही जोखिम भार निर्धारित होगा जोकि ऋण जोखिम भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ–साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋण जोखिम भार से कम है।

<u>मानकीकृत दृष्टिकोण की शर्तें पर जाख़िम कम करने के बाद एक्सपोज़र की राशि</u>

राशि–रू./करोड़

जोख़िम भार श्रेणी	**श्रेणी निर्धारित एक्सपोज़र**	**गैर– श्रेणी निर्धारित एक्सपोज़र**	**ऋण जोख़िम कम करने के बाद एक्सपोज़र**
100% जोख़िम भार से कम	14776.11	24107.34	38883.45
100% जोख़िम भार	4826.30	17329.11	22155.41
100% जोख़िम भार से अधिक	6060.63	3657.32	9717.95
कटौती	0.00	0.00	0.00
कुल	**25663.04**	**45093.77**	**70756.81**

2. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.
3. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
4. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
5. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.
6. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except incases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.
7. The Short-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardised Approach for short-term exposures.

   A mechanism for mapping of internal ratings of short term loans (up to 1 year) with Short Term ratings of External Credit Rating Agencies, on similar lines as risk weight mapping given by RBI, is already in vogue in our bank.

   Further, a mechanism for mapping of internal ratings of Long term loans with Long Term Ratings of External Credit Rating Agencies, on the similar lines as risk weight mapping given by RBI has also been approved by the Board. The mapping shall be used/ applied for capital adequacy purposes only in cases of unrated Long term exposures.
8. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
9. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
   i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks pari passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.
   ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks pari passu or junior to the rated exposure in all respects.

Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

Amt. - Rs/ Crores

Risk Weight Category	**Rated Exposure**	**Un-Rated Exposure**	**Exposure After Credit Risk Mitigation**
Below 100 % risk weight	14776.11	24107.34	38883.45
100 % risk weight	4826.30	17329.11	22155.41
More than 100 % risk weight	6060.63	3657.32	9717.95
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**25663.04**	**45093.77**	**70756.81**

तालिका डी.एफ. 6. ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. संस्था के अर्जन का घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोखिम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोखिमों को कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। परिपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात, पूंजी प्रभार को कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोखिम कम करने के उपायों की अनुमति दी है। नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल–II) के अंतर्गत पहचाने गए ऋण जोखिम कम करने के विभिन्न कारक (सी.आर.एम.) निम्न हैं :–
   - संपार्श्विक संचालन
   - ऑन–बैलेंस–शीट–नेटिंग
   - गारंटियाँ

2. **पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ**

   मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी संपार्शविकों को ऋण जोखिम कम करने हेतु नहीं माना गया है। पहचानी गई वित्तीय संपार्शविक निम्नलिखित हैंः–

   1.) नकदी और जमाराशियॉ जिनमें विदेशी मुद्रा सम्मिलित है।
   2.) सोना रु 99.99% की शुद्धता प्रमाणित करना।
   3.) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ।
   4.) किसान विकास–पत्र और राष्ट्रीय बचत–पत्र।
   5.) जीवन–बीमा पॉलिसियॉ।
   6.) ऋण–प्रतिभूतियाँ : शर्तों के अनुसार वर्गीकृत।
   7.) बैंक द्वारा शर्तों अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण–प्रतिभूतियाँ।
   8.) शर्तों के अनुसार म्यूचुअल फंडों के यूनिट्स।

   संपार्शविक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड हैं जिनका सीधे तौर पर संपार्शविक प्रबंधन पर प्रभार पड़ता है और संपार्शविक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

3. **ऑन–बैलेंस–शीट–नेटिंग**

   ऑन–बैलेंस–शीट–नेटिंग केवल ऋण/अग्रिमों (ऋण जोखिम के रुप में मान्य) और जमाओं (संपार्शविक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है जहॉ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध है जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जॉच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. **गारंटियाँ** जहॉ गारंटियॉ सीधे तौर से, सुनिशचित, अविकल्पी और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है।

   पात्र गारंटरों/प्रति गारंटरों के वर्ग में सम्मिलित हैं :

   I) सम्प्रभु, सम्प्रभुता प्राप्त संस्थाएं (बी.आई.एस., आई.एम.एफ., यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ उल्लेखित एम.डी.बी., ई.सी.जी.सी. एवं सी.जी.टी.एस.एम.ई. सम्मिलित हैं), बैंक और प्राईमरी डीलर जो प्रति पक्ष से कम भारित जोखिमयुक्त हैं।

   II) अन्य संस्थाएं जिनको एए(AA) या उससे बेहतर रेटिंग प्राप्त है।

   बैंक एक्सपोज़र के एवज़ सभी प्रकार की प्रतिभूतियॉ स्वीकार करता है। फिर भी बासेल–II के नियमों के अनुसार, ऋण जोखिमों का समंजन से पूर्व, पात्र संपार्शविकों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोखिम कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशा–निर्देश उपलब्ध हैं।

   बैंक गारंटरों की रेटिंग करते समय प्रति पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में, पात्र गारंटियों का संज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी. और सी.जी.टी. कवर को भी उपयुक्त जोखिम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम संविभाग का प्रकटीकरण, कवर किया गया कुल ऋण जोखिमः पात्र वित्तीय प्रतिभूति कटौती करने के उपरांत– रू 3583.63 करोड़

Table DF 6 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:

   → Collateralised transactions
   → On-balance-sheet-netting
   → Guarantees

2. **Eligible financial collateral:**

   All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

   (i) Cash and Deposits including deposits in foreign currency.

   (ii) Gold: benchmarked to 99.99% purity.

   (iii) Securities issued by Central and State Governments

   (iv) Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates

   (v) Life insurance policies

   (vi) Debt securities -Rated subject to conditions.

   (vii) Debt securities not rated issued by banks subject to conditions

   (viii) Units of mutual funds subject to conditions

   There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. **On-balance-sheet-netting**

   On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. **Guarantees** Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors include:

   (i) Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain specified MDBs, ECGC and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

   (ii) Other entities rated AA or better.

   The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-II norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation & Collateral management Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGFT coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts –Rs. 3583.63 Crores

तालिका डी.एफ. 7. प्रतिभूतिकरणः मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

आस्तियों की प्रतिभूतिकरण संबंधी नीति का अद्देश्य

1. संसाधनों को बढ़ाने हेतु

1.1 उचित मूल्य पर (आस्ति आधारित प्रतिभूतिकरण/बंधक के माध्यम से) बैंक के संसाधनों को बढ़ाना।

1.2 ज़रूरत पड़ने पर, परिपक्वता अंतर को कम करने के लिए, उत्तम आस्ति देयता प्रबंधन हेतु लम्बी समयावधि की आस्तियों को बेचा जा सकता है।

1.3 बैंक की संवृद्धि को प्रभावित किए बिना दक्षता से पूंजी कोष की व्यवस्था करने के लिए। पूंजी की दुर्लभता के बावजूद व्यवसाय की निरंतरता तथा आस्तियों के आवर्तन हेतु।

1.4 निधियों के नए स्रोतों का उपयोग तथा वर्तमान निधियों के साधनों का विविधीकरण।

1.5 प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए आस्तियों का जल्दी जल्दी क्रय–विक्रय ।

1.6 ऋण संविभाग के उचित प्रबंधन के लिए उश संक्रेन्द्रण के क्षेत्रों में आस्तियों को किराए पर लेकर, बैंक इन क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यवसाय करना जारी रखने की स्थिति में होगा और इस तरह बाज़ार में अपना हिस्सा, ग्राहक संबंध इत्यादि बरकरार रख सकता है।

2. अधिशेष निधियों का अभिनियोजन : पीटीसी के लिए अभिदान करके या फिर उचित प्रतिलाभ दर वाले ऋणों के द्विपक्षीय आबंटन के माध्यम से आस्तियों की खरीद द्वारा अधिशेष निधियों के थोक अभिनियोजन का भी एक साधन।

बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत मानक ऋण संविभाग को किसी अन्य संस्था(ओं) को नहीं बेचा है।

मानक समूह आस्तियों का समनुदेशन. : रू 342.14 करोड़

तालिका डी.एफ. 8. ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाज़ार जोखिम का आशय ब्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा दरों, बाज़ार मूल्यों एवं परिवर्तनीयता से होने वाले भविष्य की आय की अनिश्चितता से है। बैंक यह मानता है कि बाज़ार जोखिम में उसके उधार/ऋण देने तथा जमा लेने जैसे व्यवसायों और निवेश गतिविधियों यथा स्थान ग्रहण करना एवं व्यापार करना भी शामिल है। बाज़ार जोखिम का निवेश नीतियों तथा बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार प्रबंधन किया जाता है, जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये नीतियों, प्रतिभूतियों के प्रचालन, विदेशी मुद्रा तथा अन्य उत्पादों को सुदृढ़ एवं स्वीकार्य व्यापार/कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार होना सुनिश्चित करती हैं और जहाँ तक हो सके ये विनियामक दिशा–निर्देशों के अनुसार वितीय प्रतिभूतियों के अंतरण को शासित करने वाले विधानों तथा वित्तीय परिवेश के अनुसरण में कार्य करते हैं। व्यापार की पुस्तकों में बाज़ार जोखिम का आंकलन मानकीकृत आवधिक अभिरुख के अनुसार किया जाता है। ट्रेडिंग(व्यापार) के आयोजन हेतु तथा विक्रय के लिए उपलब्ध पोर्टफोलियो के अनुसार पूंजीगत प्रशुल्क की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रूडेशियल दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाती है।

बाज़ार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य :

बाज़ार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य निम्न प्रपत्र हैं:
- चलनिधि का प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम एवं विनिमय दर जोखिम का प्रबंधन
- निवेश पोर्टफोलियो का उचित वर्गीकरण एवं मूल्यांकन
- निवेशों तथा व्युत्पादों पदार्थों की पर्याप्त एवं उचित रिपोर्टिंग
- विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी आवश्यकता	**राशि करोड़ो में**
ब्याज दर जोखिम	247.52
शेयर स्थिति जोखिम	28.90
विदेशी विनिमय जोखिम	शून्य

Table DF 7- SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

Objective of Policy on Securitization of Assets

1. For Raising Resources

1.1 To raise resources for the Bank (through mortgage/ asset backed securitization) at a reasonable cost.

1.2 For better asset liability management as long tenure assets can be disposed off, IN CASE OF NEED, to reduce the maturity mismatches.

1.3 To manage the capital funds efficiently without effecting the growth of the Bank. To rotate assets and to continue to book business even while capital availability is scarce.

1.4 To access to new source of funding and diversify the existing funding sources.

1.5 To maximize the returns by churning assets fast.

1.6 For better managing the credit portfolio. By hiring of assets in sectors of high concentration, the Bank would be in a position to continue to book additional business in these sectors and hence maintain market share, client relationship etc.

2. For Deploying Surplus Funds: Avenue for bulk deployment of surplus funds either by subscribing to the PTCs or by purchase of assets through bilateral assignment of debts with reasonable rate of return.

   However, Bank has not sold out any standard credit portfolio under securitization to any other entities

   Assignment of Standard Pool Assets- Rs. 342.14 crores (balance o/s)

Table DF 8 - MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Bank assumes market risk in its lending and deposit taking businesses and in its investment activities, including position taking and trading. The market risk is managed in accordance with the investment policies and Market Risk management policy, which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines, laws governing transactions in financial securities and the financial environment. Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardized Duration approach. The capital charge for Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

Market risk management objectives:

The objectives of market risk management are as follows:

- Management of liquidity
- Management of interest rate risk and exchange rate risk.
- Proper classification and valuation of investment portfolio
- Adequate and proper reporting of investments and derivative products
- Compliance with regulatory requirements

Quantitative Disclosures

The capital requirements for:	**Amt. - Rs/ Crores**
Interest rate risk;	247.52
Equity position risk;	28.90
Foreign exchange risk;	NIL

तालिका डी.एफ. 9. परिचालनगत जोख़िम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन व आपदा वसूली प्रबंधन पर नीतियॉ तैयार की हैं। बैंक का निदेशक–मंडल वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा करता है। बैंक जोखिम हानि आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया में लगा है। बैंक के पास बैंक के समग्र परिचालन जोखिम के प्रबंधन को लागू करने के लिए लॉस डाटा प्रबंधन ढ़ाचा है।

परिचालनात्मक जोखिम संबंधी नीति के अनुसार कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) गठित की गई है। ओ.आर.एम.सी. की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती हैं। शाखाओं की ऑन साईट जोखिम आधारित आंतरिक लेखा–परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) बैंक का निरीक्षण विभाग संपन्न करता है।

हाउस कीपिंग, समाधान एवं धोखाधड़ी आदि से संबंधित मामलों में क्रमशः निरीक्षण विभाग, समाधान विभाग एवं सतर्कता विभाग इनकी रिपोर्टिंग समय–समय पर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड (ए.सी.बी.) को करते हैं। परिचालनात्मक जोखिम तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन से संबंधित विनियामक रिपोर्ट को समयबद्ध एवं नियमित किया जाता है। परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना हेतु वर्तमान में बैंक मूलभूत सूचकांक पद्धति का अनुपालन कर रहा है। तथापि परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना उन्नत पद्धतियों की ओर उन्मुख होने की तैयारी भी बैंक के साथ–साथ कर रहा है।

तालिका डी.एफ. 10. बैंक की बहियों में ब्याज दर जोख़िम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बही में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन तथा मूल्य निर्धारण आय पर जोखिम दृष्टिकोण हेतु परम्परात्मक अंतर तथा आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण हेतु संशोधित अवधि अंतर के माध्यम से किया गया है। बैंक बही में ब्याज दर जोखिम के अन्तर्गत सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक रखे जाने वाले निवेश शामिल हैं। ऋण नीतियॉ तथा प्रक्रियाएं/संरचना और संगठन/विषय–क्षेत्र तथा जोखिम सूचना–तंत्र की प्रकृति/नीतियॉ आदि डी.एफ.–8 के अंतर्गत बताए अनुसार ही हैं। बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) में ब्याज दर जोखिम के मापदण्डों की कार्य–पद्धति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित दिशा–निर्देशों के अनुरूप है।

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के ज़रिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों व देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही/मासिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। ईक्विटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभावों का आवधिक अंतराल विश्लेषण के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक बकेट हेतु आस्तियों एवं देयताओं की परिवर्तित अवधि की गणना की जाती है तथा उपरोक्त द्वारा देयताओं व आस्तियों की संशोधित अवधि की संगणना प्रत्येक काल–चक्र पर परिकलित की जाती है और ब्याज दर के 200 बीपीएस के परिवर्तन को जोड़ने के बाद मूल्य पर पड़े प्रभाव का परिकलन कर शुद्ध स्थिति प्राप्त की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि हुई है या नहीं।

1.3 आस्तियों तथा देयताओं के विवकेपूर्ण उपाय हेतु ईएआर(म्ंं) तथा शुद्ध आवधिक अंतर की सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

क) जोख़िम पर आय

एक वर्ष अन्तराल तक औसतन 100 आधार अंक परिवर्तन का प्रभाव	**रू. 11.48 करोड़**

ख) आर्थिक मूल्य हेतु संशोधित अवधि अंतर(एम.वी.ई.)–14.48%

Table DF 9 - OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

The Bank has formulated Policies on "Operational Risk Management' and the "Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management". These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is in process of collecting "Loss Data'. The Bank has loss data management framework to complywith overall operational risk management of the Bank.

As per the policy on Operational Risk, the Operational Risk Management Committee (ORMC) has been set up which is headed by the Executive Director. Regular meetings of the ORMC are convened at least on quarterly basis. Inspection Deptt of the bank undertakes onsite "Risk Based Internal Audit" (RBIA) of the branches.

Inspection, Reconciliation and Vigilance Departments are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. Regulatory reporting with regard to Operational Risk and Business Continuity Plan is made timely & regularly. Bank is presently following 'Basic Indicator Approach" for calculating Capital Charge on Operational Risk. However, the bank is preparing to move to advance approaches of calculating capital charge for Operational Risk.

Table DF 10 -INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures

The Interest rate risk in banking book is measured and managed by the bank through Traditional Gap for Earnings at Risk (Ear) approach and modified Duration Gap for Economic Value (MVE) Approach. Interest rate risk in banking book includes all advances and investments kept under Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies and process/structure of organization /scope and nature of risk reporting/policies etc., are the same as reported under DF – 8. The methodology adopted to measure the interest rate risk in banking book (IRRBB) is based on RBI suggested guidelines.

1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Reprising Gaps) to be prepared at monthly intervals. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.

1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities through Interest Rate Sensitivity under Duration Gap Analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI at monthly/quarterly intervals. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis. Using the above, Modified Duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 bps is reckoned by adding up the net position is arrived to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

1.3 As a prudential measure limit has been fixed for EaR as well as for Net Duration Gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals.

Quantitative Disclosures

a) Earning at Risk

At 100 bps change for gaps upto 1 year on average basis	**Rs. 11.48 Crores**

b) Modified Duration Gap for Economic Value (MVE) – 14.48%

बासेल- III के लिए प्रकटीकरण–31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष

तालिका डी एफ 1– अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण क) ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो समेकन के लिए विचारणीय है।	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
ख) ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो लेखा और समेकन के विनियामक विषय क्षेत्र दोनों में समेकन के लिए विचारणीय नहीं है।	लागू नहीं
मात्रात्मक प्रकटीकरण ग) ऐसी ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो समेकन के लिए विचारणीय है	लागू नहीं
घ) सभी सहायक संस्थाओं की पूंजी की कमी की कुल राशि जिन्हें समेकन के विनियामक विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात जिन्हें घटाया गया है	लागू नहीं
ड.) बीमा संस्थाओं में लगी बैंक के समस्त हितों की वह कुल राशि (अर्थात चालू बही मूल्य, जो जोखिम भारित हैं)	लागू नहीं
च) बैंकिंग समूह के भीतर फंड या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा	लागू नहीं

तालिका डी एफ 2– पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोखिम प्रबंधन अनुबंध का क्रियान्वयन करते समय वैश्विक उच्च–कोटि की कार्य–प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी है जोकि बासेल II तथा बासेल III की रूपरेखा के अनुरूप है।

बासेल II तथा बासेल III से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए जोखिम प्रबंधन की व्यापक सरंचना कार्यरत है। जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम तथा प्रचालन जोखिम में वृद्धि के आसार के मद्देनज़र बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं को आंकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

बैंक हितधारकों, खासकर जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु एक्सपोज़र कारोबार आदि के मूल्य में हानि के जोखिम के लिए पूंजी को गुंजाइश के रूप में रखता है।

वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसकी निगरानी की जाती है। बैंक का मानना है कि पूंजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विषय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर/संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है। इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइकैप) का एक अच्छा ढांचा विकसित कर लिया है तथा स्तम्भ 1 के अंतर्गत पूंजी गणना के अलावा बासेल II के स्तम्भ 2 एवं बासेल III के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी गणना की जाती है। बैंक ने पूँजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नये पूंजी पर्याप्तता ढांचा – बासेल II को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को अपनाया है :–

- ऋण जोखि़म के लिए मानकीकृत अवधारणा
- परिचालनात्मक जोखि़म के लिए मूल सूचक अवधारणा
- बाजार जोखि़म के लिए मानक अवधि अवधारणा

यद्यपि बैंक ने वर्तमान में उपरोक्त मानकीकृत अवधारणाओं को अपनाया है तथापि बैंक आंतरिक श्रेणी निर्धारण आधारित दृष्टिकोण को अपनाने की दिशा में अग्रसर रहेगा।

ऋण जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं :

	राशि–रू/ लाखों में
9% की दर से मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	459441.87
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य

BASEL- III DISCLOSURES – QUARTER ENDED 31st MARCH 2016

Table DF 1 – SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures (a) List of group entities considered for consolidation	The Bank does not belong to any group
(b) List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation	Not Applicable
Quantitative Disclosures (c) List of group entities considered for consolidation	Not Applicable
(d) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted	Not Applicable
(e) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted.	Not Applicable
(f) Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group	Not Applicable

Table DF 2 - CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II and Basel III framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II and Basel III. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositors.

Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, and Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (I-CAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 of Basel II and also of Basel-III at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

Though the bank has implemented the Standardized Approach of credit risk, yet the bank shall continue its journey towards adopting Internal Rating Based Approaches.

Capital requirements for credit risk:

	Amt. in Lakhs
– Portfolios subject to standardised approach @ 9%	459441.87
– Securitisation exposures	Nil

बाजार जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएंद्द मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

सामान्य बाजार जोखि़म पर पूंजी प्रभार	**राशि रू.लाखों में**
ब्याज दर जोखि़म	25064.63
विदेशी विनिमय जोखि़म (सोने सहित)	120.00
इक्विटी जोखि़म	2770.47

परिचालन जोखि़म हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं

	राशि रू. लाखों में
मूल सूचक दृष्टिकोण	32567.02

बैंक हेतु कुल तथा टीयर–1 पूंजी अनुपात :

बासेल .III के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	10.91%
बासेल .III के अनुसार कामन इक्विटी के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	9.29%
बासेल .III के अनुसार टीयर.1 पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	9.29%

तालिका डी एफ 3 – ऋण जोखि़म : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा

बैंक ने गैर–निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए.) के वर्गीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेकपूर्ण दिशा–निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया हैः

क) जहां मियादी ऋण के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती हो।

ख) यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से 90 दिन से अधिक समय तक निरंतर अधिक रहती हैं तथा/अथवा अधिविकर्ष/नकद ऋण ओ.डी./सी.सी. के संबंध में तुलन–पत्र की तिथि तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होती है अथवा जमा की गयी राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके तो खाता 'अनियमित' हो जाता है।

ग) बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में जहां बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों।

घ) अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।

ड़) दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।

च) प्रतिभूतिकरण के दिनांक 7 मई 2012 के दिशा–निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन–देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।

छ) व्युत्पन्न सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्तियां जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि चुकौती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहती हैं।

यहां 'अनियमित' से अभिप्रायः एक खाते को 'अनियमितँ माना जाना चाहिए यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से निरंतर अधिक रहती है। उन मामलों में जहाँ मुख्य परिचालन खाते में बकाया शेष संस्वीकृत लिमिट/आहरण शक्ति से कम रहता है लेकिन उसमें तुलन पत्र की तिथि के 90 दिनों तक कोई जमाएं नही की जाती हैं या इस अवधि में जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज को वसूल करने के लिए कम हैं तो इन खातों को 'अनियमित'माना जाएगा।

यहां 'अतिदेय' से अभिप्राय किसी भी ऋण सुविधा के अधीन कोई भी देय राशि से है, जिसका बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि पर, भुगतान नहीं होता है।

उक्त के अतिरिक्त, एक खाते को निम्न शर्तों के अनुसार भी अनर्जक (एन.पी.ए.) वर्गीकृत किया जा सकता हैः–

अस्थायी अनियमितताओं/कमियों वाले खाते (संदर्भ आरबीआई एमसी बिंदु 4.2.4)

जहां कहीं किसी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज उस तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और उससे बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाए तो ऐसे खाते को गैर–निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

Capital requirements for market risk: Standardised duration approach

Capital Charge on account of General Market Risk	**Amt. in Lakhs**
– Interest rate risk	25064.63
– Foreign exchange risk (including gold)	120.00
– Equity risk	2770.47

Capital requirements for operational risk:

	Amt. in Lakhs
Basic indicator approach	32567.02

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank:

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	10.91%
Common Equity Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	9.29%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	9.29%

Table DF 3 - CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

A. DEFINITIONS OF PAST DUE AND IMPAIRED:

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under :

a) Interest and / or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.

b) The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).

c) The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.

d) The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.

e) The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

f) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated May 7, 2012.

g) In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.

Out of Order means : An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'.

Here, `Overdue' mean any amount due to the Bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

In addition to above, an account may also be classified as NPA in terms of the following:

Account with temporary deficiencies/irregularities (Refer RBI MC point 4.2.4)

Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset and ceases to generate income for the bank.

एक आस्ति का गैर–निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकरण वसूली के रिकार्ड पर आधारित होना चाहिए। बैंक को एक अग्रिम खाते का वर्गीकरण केवल कुछ विसंगतियों के होने पर नही करना चाहिए जोकि स्वरूप में अस्थायी होती हैं जैसे अंतिम उपलब्ध स्टॉक विवरणी के आधार पर पर्याप्त आहरण शक्ति का उपलब्ध नही होना, अस्थायी रूप से लिमिट से अधिक बकाया बैलेंस होना, स्टॉक विवरणी को प्रस्तुत नही करना तथा देय तिथि पर लिमिट का गैर–नवीनीकरण आदि। खातों की ऐसी विसंगतियों के साथ वर्गीकरण के मामले में, बैंक निम्न दिशा–निर्देशों का अनुपालन कर सकते हैंः

i) बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यशील पूंजी खातों में आहरण को चालू आस्तियों की पर्याप्तता से कवर किया जाए जैसा कि आपदा के समय चालू आस्तियों को पहले समायोजित किया जाता है। वर्तमान स्टॉक विवरणी पर आहरण शक्ति का निर्धारण करना चाहिए। तथापि, बड़े ऋणियों की कठिनाईयों पर विचार करते हुए, आहरण शक्ति का निर्धारण करते समय, स्टॉक विवरणियां तीन महीने से अधिक पुरानी नही होनी चाहिए। तीन महीने से अधिक पुरानी स्टॉक विवरणी पर निर्धारित आहरण शक्ति पर आधारित बकाया राशि के निर्धारण को अनियमित माना जायगा।

   एक कार्यशील पूंजी खाता गैर–निष्पादक हो जायगा यदि खाते में लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए ऐसी अनियमित आहरण शक्ति की स्वीकृति दी जाती है चाहे इकाई कार्य कर रही हो अथवा ऋणी की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।

ii) नियमित तथा एकमुश्त ऋण सीमाओं को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से तीन महीने पहले पुनर्समीक्षा/नियमित किया जाना आवश्यक है। व्यवधानों के मामले में जैसे ऋणियों से वित्तीय विवरणीयों की और अन्य आंकड़ों की अनुपलब्धता पर शाखा को साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि ऋण लिमिटों का नवीनीकरण/समीक्षा पहले से ही चल रही है और उसको जल्द ही पूर्ण कर लिया जायगा। किसी भी मामले में, सामान्य अनुशासन के तौर पर, छः महीने से अधिक का विलंब अपेक्षित नही है। अतः, एक खाते में जहाँ नियमित/एकमुश्त लिमिटों को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से 180 दिनों के अंदर पुनर्समीक्षा/नवीनीकरण नही किया गया है, को गैर–निष्पादक आस्ति माना जायगा।

   उक्त के अतिरिक्त, बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निम्न दिशा–निर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनर्सरंचित खाते (ख) कालातीत अवधि की कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्तिकर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (ङ) अधिग्रहण वित्त (च) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (छ) बी.आई.एफ.आर./टी.एल.आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (ट) वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचना (ठ) गैर–निष्पादित वित्तीय आस्तियों का क्रय–विक्रय (ढ) खातों का उन्नयन (ण) तुलन–पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते, आदि।

ख. ऋण जोखिम प्रबंधन तथा उद्देश्य :

ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग का मुख्य उद्देश्य बैंक के ऋण जोखिम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमापन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोखिम क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोखिम दर्शन का लक्ष्य जोखिम में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि हित धारकों को इक्विटी सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ–साथ बैंक का सतत् एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

ऋण जोखिम बैंक की योजनागत नीति – ऋण जोखिम :

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति है, जिसमें नीतिगत आयोजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय.समय पर ऋण.नीति की पुनरीक्षा करता है। बैंक की ऋण.नीति वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक मण्डल द्वारा व्यापक समीक्षा के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का भी ध्यान रखा जाता हैः.

- विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।
- ऋण रेटिंग तथा/अथवा रिटेल घटकों से संबंद्ध जोखिम रूपरेखा पर आधारित मूल्यांकन।
- ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के संवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी निर्देश।
- ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क।
- निरीक्षण तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन।

The classification of an asset as NPA should be based on the record of recovery. Bank should not classify an advance account as NPA merely due to the existence of some deficiencies which are temporary in nature such as non-availability of adequate drawing power based on the latest available stock statement, balance outstanding exceeding the limit temporarily, non-submission of stock statements and non-renewal of the limits on the due date, etc. In the matter of classification of accounts with such deficiencies banks may follow the following guidelines:

i) Banks should ensure that drawings in the working capital accounts are covered by the adequacy of current assets, since current assets are first appropriated in times of distress. Drawing power is required to be arrived at based on the stock statement which is current. However, considering the difficulties of large borrowers, stock statements relied upon by the banks for determining drawing power should not be older than three months. The outstanding in the account based on drawing power calculated from stock statements older than three months, would be deemed as irregular.

   A working capital borrowal account will become NPA if such irregular drawings are permitted in the account for a continuous period of 90 days even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory.

ii) Regular and ad hoc credit limits need to be reviewed/ regularised not later than three months from the due date/date of ad hoc sanction. In case of constraints such as non-availability of financial statements and other data from the borrowers, the branch should furnish evidence to show that renewal/ review of credit limits is already on and would be completed soon. In any case, delay beyond six months is not considered desirable as a general discipline. Hence, an account where the regular/ ad hoc credit limits have not been reviewed/ renewed within 180 days from the due date/ date of ad hoc sanction will be treated as NPA.

   Besides above, Bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Restructured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit. d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g) Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, i) Sale of Financial Assets to Securitization Company /Reconstruction Company, j) Purchase/ Sale of Non-Performing Financial Assets, k) Up-gradation of accounts, l) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

The main objective of Credit Risk Management Department is to effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimizing risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

- Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
- Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes of dispensation of credit.
- Credit Rating framework.
- Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.

ऋण–जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढ़ाँचा :

- ऋण जोखि़म प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के संगठनात्मक ढ़ांचे के शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक–मण्डल है, जो जोखि़म प्रबंधन कारोबार पर पूरी निगरानी रखता है।
- जोखि़म प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) जो कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में मण्डल की एक उप समिति है, ऋण जोखि़म सहित समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।
- परिचालन स्तर पर, ऋण जोखि़म प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके मुख्य कार्यों में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखि़म प्रबंधन नीतियों का बैंक व्यापी आधार पर कार्यान्वयन तथा निदेशक–मण्डल को ऋण जोखिम प्रबंधन संबंधित, ऋण जोखिम की विवेकपूर्ण सीमाएं, पोर्टफोलियों प्रबंधन, ऋण.उत्पादों आदि से संबंधित सभी नीतियों के अनुमोदन हेतु संस्तुति शामिल है। बैंक में ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया का ढाँचा बना हुआ है और यह मानकीकृत है, जिसमें ऋण आकलन की व्यापक प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्त पोषण प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोखिम के आकलन करने हेतु बैंक ऋणी तथा प्रासंगिक उद्योगों के विविध ऋण जोखि़मों का आकलन करता है।
- महाप्रबंधक की अध्यक्षता में जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखि़म का परिमापन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और निदेशक मण्डल /जोखिम प्रबंधन समिति/ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोखिम मापदण्डों के अनुपालन को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वाहन में जोखिम प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष ((ए.एल.एम. एवम् मिड ऑफिस.), तथा संचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।
- महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग के साथ.साथ ऋण निगरानी विभाग, ऋणों की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं की पहचान करना तथा कामियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋणों का पुनरीक्षण/ऋणों की लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा परीक्षा के रूप में अलग से किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन/अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन

- ऋण अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी शक्तियों का प्रत्यायोजन। बैंक की बहुविध जोखि़म आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यवसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय.समय पर पुनरीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्ताओं के लिए एकल/समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण/निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।
- जोखि़म, रेटिंग/मूल्यांकन–बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध जोखिम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण मूल्यांकन निर्णयों में मददगार होते हैं।
- ऋण बही की गुणवत्ता के सतत मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा/ऋण पुनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है।
- संविभाग प्रबंधन – शुरूआती दौर में बैंक ने एक साधारण संविभाग निगरानी फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक अत्याधुनिक संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा।
- बैंक ऋण जोखिमों, जिनके विरुद्ध वे अनावृत्त हैं, को कम करने के लिए कई प्रकार की संपार्श्विकों और तकनीकों को स्वीकार करता है, बशर्ते संपार्श्विक कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं तथा बाध्यताधारी की चूक या ऋण विपरीत परिस्थितियों के उत्पन्न होने के मामले में संपार्श्विक आस्तियों को बेचने के बाद प्राप्त होने वाली प्राप्तियों पर बैंक को दावा करने की प्राथमिकता है।

जोखिम आंकलन :–

वर्तमान में ऋण जोखि़म को व्यक्तिगत स्तर पर ऋण दर तथा पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम भारित आस्तियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा पूंजी को जोखिम भार आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

कुल सकल ऋण जोखिम का एक्सपोज़र

	श्रेणी	राशि रू./लाखों में
1	निधि आधारित ऋण राशि का एक्सपोज़र	6527721.84
2	गैर निधि आधारित ऋण राशि का एक्सपोज़र	426817.47

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level that has the overall oversight of management of risks.
- The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.
- At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main function includes implementation of credit risk management policies approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit risk management, prudential limits on credit exposures, portfolio management, loan products etc. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry.
- The Risk Management Department (RMD) headed by the General Manger, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Market Risk Management Cell, Mid office and Operations Risk Management Cell.
- The Inspection Department as well as Credit Monitoring Department headed by a General Manager monitor the quality of loan portfolio identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- Credit Approving Authority – Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.
- Prudential Limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.
- Risk Rating/Pricing - The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.
- Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration
- Portfolio Management - to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.
- The Bank accepts a range of collaterals and techniques to mitigate the credit risks to which they are exposed to, provided the collaterals are legally enforceable and the Bank has a priority claim on the sale proceeds of the collaterised assets in the case of obligor's default or occurrence of adverse credit events.

RISK MEASUREMENT

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

Total gross credit risk exposures

	Category	Amt. in Lakhs
1	Fund Based Credit Exposures	6527721.84
2	Non Fund Based Credit Exposures	426817.47

ऋण राशि का भौगोलिक वितरण

	श्रेणी	राशि रू./लाखों में
1	**विदेशी** निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	शून्य
	गैर निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	शून्य
2	**देशी** निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	6527721.84
	गैर निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	426817.47

एक्सपोज़र का उद्योगवार वितरण

राशि रू./लाखों में

उद्योग	निधिक	गैर–निधिक	कुल
क. खाद्यान्न तथा उत्खनन	17357.31	10845.53	28202.84
क.1 कोयला/हार्ड लिगनाईट/पीट	424.81	9162.17	9586.98
क.2 अन्य खाद्यान्न	16932.50	1683.36	18615.86
ख. खाद्य प्रसंस्करण	89983.20	1037.93	91021.13
ख.1चीनी	18910.64	260.99	19171.63
ख.2 खाद्य तेल और वनस्पति	11478.50	5.50	11484.00
ख.3 चाय	1348.39	0.00	1348.39
ख.4 कॉफी	5.11	0.00	5.11
ख.5 अन्य खाद्य प्रसंस्करण	58240.55	771.44	59011.99
ग. बेवरेज एवं तंबाकू	42478.93	1891.26	44370.19
ग.1 तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	52.81	0.00	52.81
ग.2 बेवरेज एवं तंबाकू अन्य	42426.12	1891.26	44317.38
घ. कपड़ा उद्योग	142498.02	1043.65	143541.67
घ.1 कॉटन	89130.08	17.24	89147.32
घ.1.1 स्पिनिंग	83816.54	17.24	83833.78
घ.2 जूट	272.80	0.00	272.80
घ.2.1 स्पिनिंग	148.26	0.00	148.26
घ.3 हैंडीक्राफ्ट/खादी (एनपीएस)	2193.55	2.68	2196.23
घ.3.1 स्पिनिंग	512.14	0.00	512.14
घ.4 सिल्क	4462.20	465.64	4927.84
घ.4.1 स्पिनिंग	3358.50	0.00	3358.50
घ.5 वूलन	1445.95	2.23	1448.18
घ.5.1 स्पिनिंग	777.46	2.23	779.69
घ.6 कपड़ा उधोग अन्य	44993.43	555.86	45549.29
ङ. चमड़ा–चमड़ा उत्पाद	10813.88	293.31	11107.19
च.लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	6792.76	303.63	7096.39
छ. कागज तथा कागज उत्पाद	25107.04	875.71	25982.75
ज. पैट्रो/कोयला/नाभकीय ईंधन	45447.18	51.51	45498.69

Geographic distribution of exposures

	Category	Amt. in Lakhs
1	**Overseas** – Fund Based Credit Exposures	NIL
	– Non Fund Based Credit Exposures	NIL
2	**Domestic** – Fund Based Credit Exposures	6527721.84
	– Non Fund Based Credit Exposures	426817.47

INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

Amt. in Lakhs

INDUSTRY	FUNDED	NON FUNDED	TOTAL
A. MINING & QUARRYING	17357.31	10845.53	28202.84
A.1 COAL/HARD LIGNITE/PEAT	424.81	9162.17	9586.98
A.2 MINING OTHERS	16932.50	1683.36	18615.86
B.FOOD PROCESSING	89983.20	1037.93	91021.13
B.1 SUGAR	18910.64	260.99	19171.63
B.2 EDIBLE OILS & VANASPATI	11478.50	5.50	11484.00
B.3 TEA	1348.39	0.00	1348.39
B.4 COFFEE	5.11	0.00	5.11
B.5 FOOD PROC.- OTHERS	58240.55	771.44	59011.99
C.BEVERAGES & TOBACCO	42478.93	1891.26	44370.19
C.1 TABACCO & TOBACCO PROD.	52.81	0.00	52.81
C.2 BEVERAGES & TOBACCO-OTHERS	42426.12	1891.26	44317.38
D.TEXTILES	142498.02	1043.65	143541.67
D.1 COTTON	89130.08	17.24	89147.32
D.1.1 Out of above SPINNING	83816.54	17.24	83833.78
D.2 JUTE	272.80	0.00	272.80
D.2.1 Out of above SPINNING	148.26	0.00	148.26
D.3 HANDICRAFT/KHADI (NPS)	2193.55	2.68	2196.23
D.3.1 Out of above SPINNING	512.14	0.00	512.14
D.4 SILK	4462.20	465.64	4927.84
D.4.1 Out of above SPINNING	3358.50	0.00	3358.50
D.5 WOOLEN	1445.95	2.23	1448.18
D.5.1 Out of above SPINNING	777.46	2.23	779.69
D.6 TEXTILE-OTHERS	44993.43	555.86	45549.29
E.LEATHER & LEATHER PRODUCTS	10813.88	293.31	11107.19
F.WOOD & WOOD PRODUCTS	6792.76	303.63	7096.39
G.PAPER & PAPER PRODUCTS	25107.04	875.71	25982.75
H.PETRO./COAL/NUCLEAR FUELS	45447.18	51.51	45498.69

उद्योग	निधिक	गैर–निधिक	कुल
झ.रसायन एवं रसायन उत्पाद	33099.15	375.61	33474.76
झ.1 फर्टीलाइजर	6801.00	0.00	6801.00
झ.2 ड्रग्स एवं फार्मा	21633.20	35.64	21668.84
झ.3 पैट्रो–रसायन	1508.05	34.67	1542.72
झ.4 रसायन एवं रसायन उत्पाद	3156.90	305.30	3462.20
ट. रबड़, प्लास्टिक एवं इसके उत्पाद	17387.99	2612.80	20000.79
ठ. कांच एवं इसके बने उत्पाद	1064.25	3.60	1067.85
ड. सीमेंट–सीमेंट उत्पाद	20258.99	7965.65	28224.64
ढ़. मूल धातू–धातू उत्पाद	236654.72	3791.96	240446.68
ढ़.1 लोहा और स्टील	195804.65	763.93	196568.58
ढ़.2 अन्य धातू तथा धातू उत्पाद	40850.07	3028.03	43878.10
ण. समस्त इंजीनियरिंग	35270.42	6657.66	41928.08
ण.1 इलैक्ट्रानिक्स	1618.51	164.56	1783.07
ण.2 समस्त इंजीनियरिंग –अन्य	33651.91	6493.10	40145.01
त. वाहन/वाहन कलपुर्जे/टीपीटी औजार	16658.06	11747.18	28405.24
थ. रतन और आभूषण	46576.17	107289.85	153866.02
द. निर्माण	66586.82	37507.35	104094.17
ध. मूलभूत आवश्यक तत्व	1550537.91	46662.29	1597200.20
ध.1 ट्रांसपोर्ट	300386.95	31460.41	331847.36
ध.1.1 रेलवे	11549.40	17988.73	29538.13
ध.1.2 रोडवेज	195110.92	12868.08	207979.00
ध.1.3 अन्य	11527.83	542.89	12070.72
ध.1.4 वाटरवेज	5976.90	60.71	6037.61
ध.1.5 अन्य	76221.91	0.00	76221.91
ध.2 ऊर्जा	956048.91	12431.22	968480.13
ध.2.1 इलैक्ट्रानिक्स (सामा./टीआरएमएन/डीटीबी)	956011.70	12370.35	968382.05
ध.2.2 तेल (एसटीआरजी/पाइपलाईन)	37.21	60.87	98.08
ध.2.3 गैस एलएनजी	0.00	0.00	0.00
ध.3 टेली कम्यूनिकेशन	1407.87	1023.06	2430.93
ध.4 मूलभूत आवश्यक तत्व–अन्य	292694.18	1747.60	294441.78
ध.4.1 वाटर सैनिटेशन	50476.88	977.28	51454.16
ध.4.2 सामाजिक और कम्यूनिकेशन	242217.30	770.32	242987.62
न. अन्य उद्योग	13129.92	1001.30	14131.22
प. अवशिष्ट	4110019.10	184859.70	4294878.80
प. क शिक्ष ऋण	24530.88	24.00	24554.88
प.ख.उड्डयन क्षेत्र	75468.84	0.00	75468.84
अन्य	4010019.38	184835.70	4194855.08
कुल योग	**6527721.84**	**426817.48**	**6954539.32**

INDUSTRY	FUNDED	NON FUNDED	TOTAL
I.CHEMICALS & CHEMICAL PROD.	33099.15	375.61	33474.76
I.1 FERTILISERS	6801.00	0.00	6801.00
I.2 DRUGS AND PHARMA.	21633.20	35.64	21668.84
I.3 PETRO-CHEMICALS	1508.05	34.67	1542.72
I.4 CHEMICALS & CHEMICAL PROD.- OTHERS	3156.90	305.30	3462.20
J.RUBBER,PLASTIC & ITS PROD.	17387.99	2612.80	20000.79
K.GLASS & GLASSWARE	1064.25	3.60	1067.85
L.CEMENT AND CEMENT PROD.	20258.99	7965.65	28224.64
M.BASIC METAL & METAL PROD.	236654.72	3791.96	240446.68
M.1 IRON & STEEL	195804.65	763.93	196568.58
M.2 OTHER METAL & METAL PROD.	40850.07	3028.03	43878.10
N.ALL ENGINEERING	35270.42	6657.66	41928.08
N.1 ELECTRONICS	1618.51	164.56	1783.07
N.2 ALL ENGG. - OTHERS	33651.91	6493.10	40145.01
O.VEHCLES/V.PARTS/TPT.EQPM.	16658.06	11747.18	28405.24
P.GEMS & JEWELLARY	46576.17	107289.85	153866.02
Q.CONSTRUCTIONS	66586.82	37507.35	104094.17
R.INFRASTRUCTURE	1550537.91	46662.29	1597200.20
R.1 TRANSPORT	300386.95	31460.41	331847.36
R.1.1 -RAILWAYS	11549.40	17988.73	29538.13
R.1.2 -ROADWAYS	195110.92	12868.08	207979.00
R.1.3 -OTHERS	11527.83	542.89	12070.72
R.1.4 -WATERWAYS	5976.90	60.71	6037.61
R.1.5 -OTHERS	76221.91	0.00	76221.91
R.2 ENERGY	956048.91	12431.22	968480.13
R.2.1 -ELEC(GEN/TRMN/DTB)	956011.70	12370.35	968382.05
R.2.2 -OIL (STRG/PIPELINES)	37.21	60.87	98.08
R.2.3 -GAS/LNG STRG/PIPELINE	0.00	0.00	0.00
R.3 TELECOMMUNICATION	1407.87	1023.06	2430.93
R.4 INFRA-OTHERS	292694.18	1747.60	294441.78
R.4.1 -WATER SANITATION	50476.88	977.28	51454.16
R.4.2 -SOCIAL & COMM.	242217.30	770.32	242987.62
S.OTHER INDUSTRIES	13129.92	1001.30	14131.22
T.RESIDUARY	4110019.10	184859.70	4294878.80
T.a EDUCATION LOAN	24530.88	24.00	24554.88
T.b AVIATION SECTOR	75468.84	0.00	75468.84
T.c OTHERS	4010019.38	184835.70	4194855.08
GRAND TOTAL	**6527721.84**	**426817.48**	**6954539.32**

उल्लेखनीय एक्सपोज़र

उद्योग जहां कुल आधारित एक्सपोज़र, कुल निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम के 5% से अधिक है।

राशि– रू/लाखों में

क्रम सं0	उद्योग	एक्सपोज़र
1	बुनियादी सुविधाएं	1597200.20
2	अवशिष्ट	4294878.80

आस्तियों का अविशिष्ट संविदागत परिपक्वता विकार

राशि– रू/लाखों में

अवधि पूर्ण होने का स्वरूप; समयावधि	ऋण एवं जोखिम	निवेश (बही मूल्य)	विदेशी मुद्रा		जमा राशियां	उधार
			देयताएं	आस्तियां		
अगला 1 दिन	169878	000	2988	26787	100290	000
2 दिन से 7 दिन	126566	25480	106	684	116127	79500
8 दिन से 14 दिन	159327	27503	1640	1645	118072	000
15 दिन से 28 दिन	91442	000	440	4324	103152	000
29 दिनों से 3 माह	1254208	1000	2718	13887	1575604	70000
3 माह से अधिक 6 माह तक	259351	19903	3551	7436	951919	000
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	409827	50095	6287	00	2934212	000
1 वर्ष से अधिक 3 वर्षों तक	1553505	448873	9480	000	1626386	1900
3 वर्षो से अधिक 5 वर्षों तक	1216550	278347	14632	19679	863235	000
5 वर्षो से अधिक	1150954	1913304	000	000	735999	000
कुल योग	**6391607**	**2764505**	**41842**	**74442**	**9124997**	**151400**

एन–पी–ए– की राशि(सकल)

	श्रेणी	राशि–रूपए/–लाखों में
1.	अवस्तरीय	183611.02
2.	संदिग्ध 1	118085.55
3.	संदिग्ध 2	105314.96
4.	संदिग्ध 3	15411.65
5.	हानि	481.86
	कुल	**422905.04**

निवलः– एन.पी.ए.

राशि– रू./लाखों में

निवलः– एन.पी.ए	294946.85

एन–पी–ए–अनुपात

	श्रेणी	प्रतिशत
1.	सकल अग्रिम का सकल एन.पी.ए.	6.48%
2.	निवल अग्रिम का निवल एन.पी.ए.	4.62%

Significant exposure:

Industry where the Total Exposure is more than 5% of Total Fund based and Non-fund based exposure:

Amt. in Lakhs

S.No.	Industry	Exposure
1	Infrastructure	1597200.20
2	Residuary	4294878.80

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS

Amt. in Lakhs

Maturity Pattern's (Time Buckets)	Loans & Advances	Investments (Book Value)	Foreign Currency		Deposits	Borrowings
			Liabilities	Assets		
Next 1 Day	169878	000	2988	26787	100290	000
2 Days To 7 Days	126566	25480	106	684	116127	79500
8 Days To 14 Days	159327	27503	1640	1645	118072	000
15 Days To 28 Days	91442	000	440	4324	103152	000
29 Days To 3 Months	1254208	1000	2718	13887	1575604	70000
Over 3 Months To 6 Months	259351	19903	3551	7436	951919	000
Over 6 Months To 1 Year	409827	50095	6287	00	2934212	000
Over 1 Year To 3 Years	1553505	448873	9480	000	1626386	1900
Over 3 Years To 5 Years	1216550	278347	14632	19679	863235	000
Over 5 Years	1150954	1913304	000	000	735999	000
GRAND TOTAL	6391607	2764505	41842	74442	9124997	151400

Amount of NPAs (Gross)

	Category	Amt. in Lakhs
1	Substandard	183611.02
2	Doubtful 1	118085.55
3	Doubtful 2	105314.96
4	Doubtful 3	15411.65
5	Loss	481.86
	Total	**422905.04**

Net NPAs

Amt. in Lakhs

Net NPAs	294946.85

NPA Ratios

	Category	Percent
1	Gross NPAs to Gross advances	6.48%
2	Net NPAs to Net advances	4.62%

एन-पी-ए-(सकल) में उतार-चढ़ाव

	राशि. रू/लाखों में
अथशेष	308219.35
जमा	195991.86
कमी	81306.17
इतिशेष	422905.04

एन-पी-ए- हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

		राशि. रू/लाखों में
क्रम संख्या	**प्रावधान**	**गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान**
	प्रारंभिक शेष	104901
जमाः	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानः	38867
घटाएंः	अपग्रेड किए गए खाते	3730
	अतिरिक्त प्रावधानो को वापिस लेना/बट्टे खाते में डालना'	13367
	उप–योग (बी)	17097
	इतिशेष	**126671**

बट्टे खाते में डाले गए तथा वसूलियों का विवरण जो आय विवरणी में सीधे बुक किए गए

राशि. रू/लाखों में

तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज	1586.64
विविध आय दृ तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली	3380.92
कुल	**4967.56**

गैर-निष्पादित निवेशों की राशि

	राशि. रू/लाखों में
गैर–निष्पादित निवेशों की राशि	5625.66

गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि

	राशि. रू/लाखों में
गैर–निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	4305.66

निवेष पर मूल्य ह्रास हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

	राशि. रू/लाखों में
अथ शेष	482.90
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1067.25
बट्टे खाते खोलना	शून्य
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	1019.92
इतिशेष	530.23

शीर्ष उद्योगों में गैर-निष्पादित आस्तियों का विश्लेषण

राशि-रू/लाखों में

उद्योग	सकल गैर–निष्पादित आस्तियां	गैर–निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान
5 शीर्ष उद्योगों में गैर–निष्पादित आस्तियां	366882.53	111431.09

Movement of NPAs (Gross)

	Amt. in Lakhs
Opening Balance	308219.35
Additions	195991.86
Reductions	81306.17
Closing Balance	422905.04

Movement of Provisions for NPAs

Amt. in Lakhs

Sl.No	Provision	Provisions for NPAs
	Opening Balance	104901
Add	Provisions made during the period (A)	38867
Less:	Upgraded Accounts	3730
	Write-off/ Write-back of excess provisions	13367
	Sub- Total (B)	17097
	Closing Balance	**126671**

Details of write offs & recoveries that have been booked directly to the Income statement

Amt. in Lakhs

Interest Income Recovered- Technically Written Off Cases	1586.64
Miscellaneous Income-Recovery In Technical Write Off A/Cs	3380.92
TOTAL	**4967.56**

Amount of Non-Performing Investments

	Amt. in Lakhs
Amount of Non-Performing Investments	5625.66

Amount of provisions held for non-performing investments

	Amt. in Lakhs
Provisions held for non-performing investments	4305.66

Movement of provisions for depreciation on investments

	Amt. in Lakhs
Opening Balance	482.90
Provisions made during the period	1067.25
Write-off	0.00
Write-back of excess provisions	1019.92
Closing Balance	**530.23**

Major Industry Breakup of NPA

Amt. in Lakhs

Industry	Gross NPA	Provision for NPA
NPA in Top 5 Industries	366882.53	111431.09

गैर–निष्पादित आस्तियों तथा प्रावधान का भूगोल वार वितरण

राशि–रू/लाखों में

उद्योग	सकल गैर–निष्पादित आस्तियां	गैर–निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान	मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान
घरेलू	422905.04	126671.10	46625.00
विदेशी	0.00	0.00	0.00

तालिका डी.एफ.– 4 – ऋण जोखिमः मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. बैंक ने सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है। घरेलू दावों के लिए क्रिसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, एसएमईआरए तथा केयर एवं अनिवासी कॉरपोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के दावों के लिए एस एण्ड पी, फिच तथा मूडीज को अनुमोदित किया है।

   भारतीय रिज़र्व बैंक की परिभाषा के अनुसार इन समस्त एजेंसियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, बशर्ते बासेल–II के अंतर्गत सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा हो।

2. बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों पर आधारित श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजनिक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक अनिवार्यता के अनुरूप् है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण उनकी वेबसाईट पर भी उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है। सम्बन्धित श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है, का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।

3. जहॉ प्रत्येक ऋण जोखिम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा किया गया है, के अपवाद को छोड़कर, प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोखि़म के लिए बैंक ने केवल एक एजेन्सी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोखिमों का एक से अधिक एजेन्सियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।

4. जोखिम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात मूल राशि तथा ब्याज के सम्बन्ध में, ऋण जोखिम एक्सपोज़र की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोखिम भार के लिए कॉरपोरेट ग्रुप में एक कम्पनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कम्पनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।

5. आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है, के लिए अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोज़र के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।

6. जहाँ जारीकर्ता का एक दीर्घावधि एक्सपोज़र है जिस पर बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150 प्रतिशत जोखिम भार अभिष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर–श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि पर 150 प्रतिशत जोखिम भार माना जाएगा, सिवाए ऐसे दावों में जहाँ जोखिम कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई हो अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू होगा।

7. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा अल्पावधि श्रेणी निर्धारण को अल्पावधि ऋण जोखिम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है।

   भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए जोखिम भार मानचित्रण के रूप में भी इसी तर्ज पर बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के अल्पावधि श्रेणी के साथ (1 वर्ष तक) के अल्पावधि ऋण के आंतरिक मूल्यांकन की मैपिंग के लिए एक तंत्र है, हमारे बैंक में प्रचलन में पहले से ही है ।

   इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए जोखिम भार मानचित्रण के रूप में भी इसी तर्ज पर बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की दीर्घकालिक श्रेणी के साथ दीर्घकालिक ऋण, के आंतरिक मूल्यांकन की मैपिंग के लिए एक तंत्र भी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। मानचित्रण केवल गैर–श्रेणीकृत दीर्घकालिक निवेश के मामलों में पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए आवेदन/इस्तेमाल किया जाएगा।

8. यदि पात्र ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलग–अलग जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ उच्चतर जोखिम भार लागू किया जाता है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई है जिसमें जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो तदनुरूपी निम्नतम जोखिम भारों की श्रेणी निर्धारण के संदर्भ में तथा इऩ दोनों जोखिम भारों में उच्चतर जोखिम भार को लागू किया गया है,अर्थात दूसरा सबसे न्यूनतम जोखिम भार।

9. जहॉ विशेष निर्धारित मामलों में दावा निवेश नहीं है, निवेश दावों पर जोखिम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेन्सी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं।

Geography wise Distribution of NPA & Provision

Amt. in Lakhs

Industry	Gross NPA	Provision for NPA	Provision for Standard Advances
Domestic	422905.04	126671.10	46625.00
Overseas	0.00	0.00	0.00

Table DF 4 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, India Rating, SMERA, BRICKWORK and CARE for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.

   The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II & Basel III as defined by RBI.

2. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.

3. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.

4. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.

5. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.

6. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except incases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.

7. The Short-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardised Approach for short-term exposures.

   A mechanism for mapping of internal ratings of short term loans (up to 1 year) with Short Term ratings of External Credit Rating Agencies, on similar lines as risk weight mapping given by RBI, is already in vogue in our bank.

   Further, a mechanism for mapping of internal ratings of Long term loans with Long Term Ratings of External Credit Rating Agencies, on the similar lines as risk weight mapping given by RBI has also been approved by the Board. The mapping shall be used/ applied for capital adequacy purposes only in cases of unrated Long term exposures.

8. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.

9. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:

i) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहाँ श्रेणी वर्गीकरण के जोखिम भार गैर–श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोखिम भार से कम है) बैंक के केवल गैर–निर्धारित दावों पर लागू है, जहाँ वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि वह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा गैर–निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर–निर्धारित मामले पर लागू है।

ii) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर–निर्धारित मामलों के लिए लागू जोखिम भार से अधिक या उसके बराबर जोखिम भार निर्धारण किया गया है तो उस प्रतिपक्ष पर गैर–निर्धारित मामलों के लिए वही जोखिम भार निर्धारित होगा जोकि ऋण जोखिम भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ–साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋण जोखिम भार से कम है।

मानकीकृत दृष्टिकोण रखते हुए जोखिम कम करने के बाद भार राशि

राशि. रू/लाखों में

जोखिम भार श्रेणी	**निर्धारित ऋण जोखिम**	**गैर–निर्धारित ऋण जोखिम**	**ऋण जोखिम कम करने के बाद जोखिम भार**
100% जोखिम भार से कम	1477611.15	2410733.84	3888344.99
100% जोखिम भार	482629.92	1732910.97	2215540.89
100% जोखिम भार से अधिक	606062.53	365732.01	971794.54
कटौती	0	0	0
कुल	**2566303.60**	**4509376.82**	**7075680.42**

तालिका डी.एफ. 5. ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. संस्था के अर्जन को घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोखिम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोखिमोंको कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। परिपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात्, पूंजी प्रभार को कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोखिम कम करने के उपायों की अनुमति दी है। नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल–II तथा बेसल–III) के अंतर्ग त पहचाने गए ऋण जोखिम कम करने के विभिन्न कारक (सी.आर.एम.) निम्न हैं :–

   - सम्पाशिर्वक संचालन
   - ऑन–बैलेंस–शीट–नेटिंग
   - गारंटियॉ

2. **पात्र वित्तीय सम्पाशिर्वक प्रतिभूतियाँ**

   मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी सम्पार्षिकों को ऋण जोखिम कम करने हेतु नहीं माना गया है। पहचानी गई वित्तीय सम्पार्षिक निम्नलिखित हैं:–

   1.) नकदी और जमाएं जिसमें विदेशी मुद्रा सम्मिलित हैं।

   2.) सोना : 99.99 प्रतिशत की शुद्धता प्रमाणित करना।

   3.) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ।

   4.) किसान विकास–पत्र और राष्ट्रीय बचत–पत्र।

   5.) जीवन–बीमा पॉलिसियाँ।

   6.) ऋण–प्रतिभूतियाँ : शर्त्तो के अनुसार वर्गीकृत।

   7.) बैंक द्वारा शर्त्तों के अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण–प्रतिभूतियाँ।

   8.) शर्त्तों के अनुसार म्यूच्युअल फंडों के यूनिट्स।

   9.) पुनः प्रत्याभूतन (रीसिक्यूरिटाइजेशन्ज), क्रेडिट रेंटिंग हो या न हो, वित्तीय संपार्श्विक के पात्र नहीं।

   सांपाशिर्वक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड हैं जिनका सीधे तौर पर सम्पाशिर्वक प्रबंधन पर प्रभार पड़ता है और सम्पाशिर्वक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks pari passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.

ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks pari passu or junior to the rated exposure in all respects.

Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

Amt. in Lakhs

Risk Weight Category	Rated Exposure	Un-Rated Exposure	Exposure After Credit Risk Mitigation
Below 100 % risk weight	1477611.15	2410733.84	3888344.99
100 % risk weight	482629.92	1732910.97	2215540.89
More than 100 % risk weight	606062.53	365732.01	971794.54
Deducted	0	0	0
TOTAL	**2566303.60**	**4509376.82**	**7075680.42**

Table DF 5 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) & Basel III are as follows:

   → Collateralised transactions

   → On-balance-sheet-netting

   → Guarantees

2. Eligible financial collateral:

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

i. Cash and Certain Deposits.

ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.

iii. Securities issued by Central and State Governments

iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates

v. Life insurance policies

vi. Debt securities -Rated subject to conditions.

vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions

viii. Units of mutual funds subject to conditions

ix. Re-securitisations, irrespective of any credit ratings, are not eligible financial collateral.

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. ऑन–बैलेंस–शीट–नेटिंग

ऑन–बैलेंस–शीट–नेटिंग केवल ऋण/अग्रिमों (ऋण जोखिम के रूप में मान्य) और जमाओं (सम्पार्श्विक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है, जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध है जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जांच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. गारंटियाँ : जहाँ गारंटियाँ सीधे तौर से, सुनिश्चित, अविकल्पी और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है। बासेल–II तथा बासेल–III के अनुसार पात्र गारंटरों/प्रति गारंटरों के वर्ग में ये शामिल हैं :

i) सम्प्रभु, सम्प्रभुता प्राप्त संस्थाएं (बी.आई.एस., आई.एम.एफ., यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ उल्लेखित एम.डी.बी.एस., ई.सी.जी.सी. एवं सी.जी.टी.एस.आई., सी.आर.जी.एफ.टी.एल.आई. एच. सम्मिलित हैं), बैंक और प्राईमरी डीलर जो प्रति पक्ष से कम भारित जोखिम युक्त हैं।

ii) किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में जब ऋण संरक्षण प्रदान किया गया हो तो उसे छोड़कर अन्य कारक बाह्य निर्धारित होते हैं। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल हैं जब वे आभारी से कम ज़ोखिम भार पर हों।

iii) ऋण संरक्षण किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में प्रदान किया जाता है, अन्य कारक, जो उस समय बाह्य निर्धारित है बी.बी.बी.– अथवा बेहतर और जो बाह्य रूप से ए–अथवा बेहतर निर्धारित थे, उन्हें ऋण संरक्षण प्रदान किया गया था। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल है जब वे आभारी से कम ज़ोखिम भार पर हों।

बैंक एक्सपोज़र के प्रति सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। फिर भी बासेल–III के नियमों के अनुसार, ऋण जोखिमोंका समंजन से पूर्व, पात्र सम्पार्श्विकों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोखिम कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशा–निर्देश उपलब्ध हैं। बैंक गारंटरों की रेटिंग करते समय प्रति पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में, पात्र गारंटियों का संज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी. और सी.जी.टी. कवर को भी उपयुक्त जोखिम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम संविभाग का प्रकटीकरण कवर किया गया। कुल ऋण जोखिमः पात्र वित्तीय प्रतिभूति कटौती करने के उपरान्त रु. **358363.28 लाख**

तालिका डी.एफ.– 6– प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकरण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

आस्तियों के प्रकटीकरण की नीति के उद्देश्य

1. संसाधनों को बढ़ाने हेतु

1.1 उचित मूल्य पर (आस्ति आधारित प्रतिभूतिकरण/बंधक के माध्यम से) बैंक के संसाधनों को बढ़ाना।

1.2 जरूरत पड़ने पर, परिपक्वता अंतर को कम करने के लिए, उत्तम आस्ति देयता प्रबंधन हेतु लम्बी समयावधि की आस्तियों को बेचा जा सकता है।

1.3 बैंक की संवृद्धि को प्रभावित किए बिना दक्षता से पूंजी कोष की व्यवस्था करना ।

1.4 पूंजी की दुर्लभता के बावजूद व्यवसाय की निरंतरता तथा आस्तियों के आवर्तन करना।

1.5 निधियों के नए स्रोतों का उपयोग तथा वर्तमान निधियों के साधनों का विविधीकरण।

1.6 प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए आस्तियों का जल्दी जल्दी क्रय–विक्रय ।

1.7 ऋण संविभाग के उचित प्रबंधन के लिए उच्च संक्रेन्द्रण के क्षेत्रों में आस्तियों को किराए पर लेकर, बैंक इन क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यवसाय करना जारी रखने की स्थिति में होगा और इस तरह बाजार में अपना हिस्सा, ग्राहक संबंध इत्यादि बरकरार रख सकता है।

2. **अधिशेष निधियों का अभिनियोजन :** पीटीसी के लिए अभिदान करके या फिर उचित प्रतिलाभ दर वाले ऋणों के द्विपक्षीय आवंटन के माध्यम से आस्तियों की खरीद द्वारा अधिशेष निधियों के थोक अभिनियोजन का भी एक साधन।

हालाँकि, बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत मानकीकृत ऋण संविभाग को किसी अन्य संस्था (ओं) को नहीं बेचा है।

मानक समूह आस्तियों के प्रतिभूतिकरण (समनुदेशन) के अंतर्गत ऋण जोखिम (बकाया शेष) रू. 34214 लाखो में ।

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. **Guarantees:** Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors as per Basel III includes:

   i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as those MDBs, ECGC and CGTSI, CRGFTLIH), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

   ii. Other entities that are externally rated except when credit protection is provided to a securitisation exposure. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.

   iii. When credit protection is provided to a securitisation exposure, other entities that currently are externally rated BBB- or better and that were externally rated A- or better at the time the credit protection was provided. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-III norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation & Collateral management Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGFT coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts – **Rs.358363.28 lakhs**

Table DF 6- SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

<u>**Qualitative Disclosures**</u>

Objective of Policy on Securitization of Assets

1. For Raising Resources

1.1 To raise resources for the Bank (through mortgage/ asset backed securitization) at a reasonable cost.

1.2 For better asset liability management as long tenure assets can be disposed off, IN CASE OF NEED, to reduce the maturity mismatches.

1.3 To manage the capital funds efficiently without effecting the growth of the Bank.

1.4 To rotate assets and to continue to book business even while capital availability is scarce.

1.5 To access to new source of funding and diversify the existing funding sources.

1.6 To maximize the returns by churning assets fast.

1.7 For better managing the credit portfolio. By hiring of assets in sectors of high concentration, the Bank would be in a position to continue to book additional business in these sectors and hence maintain market share, client relationship etc.

2. **For Deploying Surplus Funds:** Avenue for bulk deployment of surplus funds either by subscribing to the PTCs or by purchase of assets through bilateral assignment of debts with reasonable rate of return.

   However, Bank has not sold out any standard credit portfolio under securitization to any other entities.

   Exposure (balance outstanding) under Assignment of Standard Pool Assets - Rs 34214 Lakhs

तालिका डी.एफ.– 7– ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम का आशय ब्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा दरों, बाजार मूल्यों एवं परिवर्तनीयता से होने वाले भविष्य की आय की अनिश्चितता से है। बैंक यह मानता है कि बाजार जोखिम में उसके उधार/ऋण देने तथा जमा लेने जैसे व्यवसायों और निवेश गतिविधियों यथा स्थान ग्रहण करना एवं व्यापार करना भी शामिल है। बाजार जोखिम का निवेश नीतियों तथा बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार प्रबंधन किया जाता है,जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये नीतियों, प्रतिभूतियों के प्रचालन, विदशी मुद्रा तथा अन्य उत्पादों को सुदृढ़ एवं स्वीकार्य व्यापार, कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार होना सुनिश्चित करती है और जहां तक हो सके ये विनियामक दिशा–निर्देशों के अनुसार वितीय प्रतिभूतियों के अंतरण को शासित करने वाले विधानों तथा वित्तीय परिवेश के अनुसरण में कार्य करते हैं। व्यापार की पुस्तकों में बाजार जोखिम का आंकलन मानकीकृत आवधिक अभिरूख के अनुसार किया जाता है। ट्रेडिंग (व्यापार) के आयोजन हेतु तथा विक्रय के लिए उपलब्ध पोर्टफोलियो के अनुसार पूंजीगत चार्ज की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रूडेंशियल दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाती है।

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य :

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य निम्न प्रकार से है :

- चलनिधि का प्रबंधन
- ब्याज दर ज़ोखिम एवं विनिमय दर जोखिम का प्रबंधन
- निवेश पोर्टफोलियो का उचित वर्गीकरण एवं मूल्यांकन
- निवेशों तथा व्युत्पादों पदार्थो की पर्याप्त एवं उचित रिर्पोटिंग
- विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

पूंजी आवश्यकता	**राशि. रू/लाखों में**
ब्याज दर जोखिम	25064.63
ईक्विटी स्थिति जोखिम	2770.47
विदेशी विनिमय जोखिम	शून्य

तालिका डी.एफ.– 8– परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन व आपदा वसूली प्रबंधन पर नीतियाँ तैयार की हैं। बैंक का निदेशक–मण डल वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा करता है। बैंक जोखिम हानि आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया में लगा है। बैंक के पास बैंक के समग्र परिचालन जोखिम के प्रबंधन को लागू करने के लिए लॉस डाटा प्रबंधन ढ़ाचा है।

परिचालनात्मक जोखिम सम्बन्धी नीति के अनुसार कार्यकारी निदेषक की अध्यक्षता में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.) गठित की गई है। ओ.आर.एम.सी. की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है। शाखाओं की ऑन साईट जोखिम आधारित आंतरिक लेखा–परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) बैंक का निरीक्षण सम्पन्न करता है।

हाउस कीपिंग, समाधान एवं धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित मामलों में क्रमशः निरीक्षण विभाग, समाधान विभाग एवं सतर्कता विभाग इनकी रिपोर्टिंग समय–समय पर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड (ए.सी.बी.) को करते हैं। परिचालनात्मक जोखिम तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन से सम्बन्धित विनियामक रिपोर्ट को समयबद्ध एवं नियमित किया जाता है। परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना हेतु वर्तमान में बैंक मूलभूत सूचकांक पद्धति का अनुपालन कर रहा है। तथापि परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना उन्नत पद्धतियों की ओर उन्मुख होने की तैयारी भी बैंक के साथ–साथ कर रहा है।

तालिका डी.एफ.– 9– बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम(आई.आर.आर.बी.बी.)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बही में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन तथा मूल्य निर्धारण आय पर जोखिम दृष्टिकोण हेतु परम्परात्मक अंतर तथा आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण हेतु संशोधित अवधि अंतर के माध्यम से किया गया है। बैंक बही में ब्याज दर जोखिम के अन्तर्गत सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक रखे जाने वाले निवेश शामिल हैं। ऋण नीतियाँ तथा प्रक्रियाएं/संरचना और संगठन/विषय–क्षेत्र तथा जोखिम सूचना–तंत्र की प्रकृति/नीतियाँ आदि डी.एफ.–7 के अन्तर्गत बताए अनुसार ही हैं। बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) में ब्याज दर जोखिम के मापदण्डों की कार्य–पद्धति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित दिशा–निर्देशों के अनुरूप है।

Table DF 7 - MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Bank assumes market risk in its lending and deposit taking businesses and in its investment activities, including position taking and trading. The market risk is managed in accordance with the investment policies, which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines, laws governing transactions in financial securities and the financial environment. Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardized Duration approach. The capital charge for Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

Market risk management objectives:

The objectives of market risk management are as follows:

- Management of liquidity
- Management of interest rate risk and exchange rate risk.
- Proper classification and valuation of investment portfolio
- Adequate and proper reporting of investments and derivative products
- Compliance with regulatory requirements

Quantitative Disclosures

The capital requirements for:	**Amt. in Lac**
Interest rate risk	25064.63
Equity position risk	2770.47
Foreign exchange risk	NIL

Table DF 8 - OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

The Bank has formulated Policies on “Operational Risk Management’ and the “Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management”. These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is in process of collecting “Loss Data’. The Bank has loss data management framework to comply with overall operational risk management of the Bank.

As per the policy on Operational Risk, the Operational Risk Management Committee (ORMC) has been set up which is head by the Executive Director. Regular meetings of the ORMC are convened at least on quarterly basis. Inspection Deptt of the bank undertakes onsite “Risk Based Internal Audit” (RBIA) of the branches.

Inspection, Reconciliation and Vigilance Departments are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. Regulatory reporting with regard to Operational Risk and Business Continuity Plan is made timely & regularly. Bank is presently following ‘Basic Indicator Approach” for calculating Capital Charge on Operational Risk. However, the bank is preparing to move to advance approaches of calculating capital charge for Operational Risk.

Table DF 9 - INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures

The Interest rate risk in banking book is measured and managed by the bank through Traditional Gap for Earnings at Risk (Ear) approach and modified Duration Gap for Economic Value (MVE) Approach. Interest rate risk in banking book includes all advances and investments kept under Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies and process/structure of organization / scope and nature of risk reporting/policies etc. are the same as reported under DF – 7. The methodology adopted to measure the interest rate risk in banking book (IRRBB) is based on RBI suggested guidelines.

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवदेनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों व देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही/मासिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। ईक्विटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभावों का आवधिक अंतराल विच्च्लेषण के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक बकेट हेतु आस्तियों एवं देयताओं की परिवर्तित अवधि की गणना की जाती है तथा उपरोक्त द्वारा देयताओं व आस्तियों की संशोधित अवधि की संगणना प्रत्येक काल–चक्र पर परिकलित की जाती है और ब्याज दर के 200 बीपीएस के परिवर्तन को जोड़ने के बाद मूल्य पर पड़े प्रभाव का परिकलन कर शुद्ध स्थिति प्राप्त की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि हुई है या नही।

1.3 आस्तियों तथा देयताओं के विवेकपूर्ण उपाय हेतु ईएआर तथा शुद्ध आवधिक अंतर की सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

क) जोखिम पर आय

राशि– रू./लाखों में

एक वर्ष अंतराल तक औसतन 100 आधार अंक परिवर्तन का प्रभाव	1148.26

ख) आर्थिक मूल्य हेतु संशोधित अवधि (एम.वी.ई.)–14.48 प्रतिशत

तालिका डी.एफ.10 प्रतिपक्षीय ऋण जोखिम संबंधी अवस्थिति के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण

प्रतिपक्षीय ऋण जोखिम (सी.सी.आर) भुगतान से पूर्व अथवा भुगतान की तिथि को लेन–देन के निपटान के समय प्रतिपक्ष द्वारा की गई चूक वाला जोखिम है। प्रतिपक्ष की ऋण सीमाएं (अंतर बैंक सीमाएं) एएलएम नीति के अंतर्गत तय की जाती हैं और एएलएम नीति के माध्यम से ही निगरानी रखी जाती है। प्रतिपक्ष के साथ किए गए सभी व्युत्पाद लेन.देन का मूल्यांकन बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पाद नीति (डेरिवेटिव पालिसी) के माध्यम से किया जाता है। हालांकि बैंक ने कोई व्युत्पाद लेन–देन नहीं किया।

गलत तरीके से हुए ऋण जोखिम के लिए बैंक की कोई नीति नहीं है।

बैंक को अभी किसी ऋण सहायक अनुबंध (सी.एस.ए.) समझौता प्रतिपक्षों के साथ करना है और इसका प्रभाव वर्तमान में अपरिमाण्य है।

मात्रात्मक

बैंक द्विपक्षीय नेटिंग को मान्यता नहीं देता है।

(रूपए/–लाखों में)

विवरण	सांकेतिक राशि	वर्तमान अवस्थिति
विदशी मुद्रा संविदाएं	1233021.80	28131.90

बैंक के पास कोई व्युत्पाद अवस्थिति(एक्सपोज़र)/लेन–देन नहीं है।

1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Reprising Gaps) to be prepared at monthly intervals. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.

1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities through Interest Rate Sensitivity under Duration Gap Analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI at monthly/quarterly intervals. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis. Using the above, Modified Duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 bps is reckoned by adding up the net position is arrived to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

1.3 As a prudential measure limit has been fixed for EaR as well as for Net Duration Gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals.

Quantitative Disclosures

a) Earning at Risk

Amt. in Lakhs

At 100 bps change for gaps upto 1 year on average basis	1148.26

b) Modified Duration Gap for Economic Value (MVE) – 14.48%

Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures

Counter Party Credit Risk (CCR) is the risk of default by the Counterparty towards settlement of transaction before or at the maturity. Counter party credit limits (Inter Bank limits) are set up and monitored through ALM Policy. All the Derivative Transactions with the Counterparty are to be evaluated through Board approved Derivative Policy of the Bank. However, Bank is not having any Derivative Transactions at present.

Bank does not have any policy related to Wrong Way Risk exposure.

Bank is yet to enter into any Credit Support Annex (CSA) Agreement with its Counterparties and such impact is currently not quantifiable.

Quantitative Disclosures

Bank does not recognize bilateral netting

Amt. in Lakhs

Particulars	Notional Amount	Current Exposure
Foreign Exchange Contracts	1233021.80	28131.90

Bank is not having any derivative exposure/transactions.

तालिका डी.एफ.11. पूंजी की रचना

(रूपए/–लाखों में)

	विनियामक समायोजनों के संक्रमण के दौरान (31 मार्च 2013 से 31 दिसम्बर 2017 तक) बासेल III के अंतर्गत आम प्रकटीकरण हेतु टैम्पलेट		राशि बासेल III के लागू होने से पूर्व	संदर्भ सं.
क्रम सं.	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजीः लिखत व आरक्षित			
1	प्रत्यक्षतः जारी सामान्य अर्हता शेयर पूँजी एवं तत्संबंधी अधिशेष स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	171845.28		
2	प्रतिधारित उपार्जन	181277.70		
3	अन्य संचित व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	193912.97		
4	सीईटी 1 से प्रत्यक्षतः जारी पूँजी (केवल गैर–संयुक्त स्टॉक कम्पनियों 1 पर लागू) 1.1. 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र को पैतृक रूप से उपलब्ध कराई गई पूँजी	0		
5	अनुषंगियों द्वारा ज़ारी व तीसरे पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूँजी (सीईटी 1 समूह हेत स्वीकृत राशि)	0		
6	**विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी**	547035.95		
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजीः विनियामक समायोजन			
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	0		
8	साख (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0		
9	बंधक सर्विसग अधिकार के अतिरिक्त अन्य अमूर्त (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0.00		
10	आस्थगित कर आस्तियां	0		
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	0.00		
12	अनुमानित हानि हेतु किए गए प्रावधानों में कमी	0.00		
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00		
14	उचित मूल्य देनदारियों पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण हुआ लाभ एवं हानि	0.00		
15	निर्धारित लाभ पेशन फंड निवल सम्पत्तियां	0.00		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि पूर्व में प्रस्तुत किए गए तुलन–पत्र में प्रदत्त पूँजी में निर्धारण न किया गया हो)	0.00		
17	सामान्य ईक्विटी में परस्पर प्रतिधारिता	2565.02		
18	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियॉ, जो विनियामक समेकन में सम्मिलित नहीं की जा सकती, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहॉं बैंक के पास ज़ारी किए गए शेयर पूँजी का 10 प्रतिशत से अधिक शेयर धारिता न हो, की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00		
19	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियॉ, के सामान्य शेयरों में महत्वपूर्ण निवेश, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसारए (आरम्भिक 10प्रतिशत से अधिक राशि की सीमा)	0.00		
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	संबंधित नहीं		
21	अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियॉ (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक, संबंधित कर देयता का निवल),	संबंधित नहीं		
22	आरम्भिक 15 प्रतिशत से अधिक की राशि	संबंधित नहीं		
23	जिसकाः वित्त के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	संबंधित नहीं		
24	जिसकाः बंधक सर्विसिंग अधिकार	संबंधित नहीं		
25	जिसकाः अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियॉ	संबंधित नहीं		
26	विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी)	0		
26ए	असमेकित गैर–वित्तीय सहायक कम्पनियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	0		
26बी	सर्वाधिक स्वामित्व वाली कम्पनियॉं, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयीं, के ईक्विटी पूँजी में कमी	0		

Table DF 11 – Composition of Capital

Amt. in Lakhs

S.No.	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject To Pre Basel III Treatment	Ref No.
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	171845.28		
2	Retained earnings	181277.70		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	193912.97		
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1) Public sector capital injections grandfathered until 1/1/2018	n.a.		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	n.a.		
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	547035.95		
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	0		
8	Goodwill (net of related tax liability)	0		
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	0.00		
10	Deferred tax assets	0		
11	Cash-flow hedge reserve	0.00		
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00		
13	Securitisation gain on sale	0.00		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00		
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00		
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0.00		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	2565.02		
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)3	0.00		
20	Mortgage servicing rights4 (amount above 10% threshold)	Not Relevant		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	Not Relevant		
22	Amount exceeding the 15% threshold6	Not Relevant		
23	of which: significant investments in the common stock of financials	Not Relevant		
24	of which: mortgage servicing rights	Not Relevant		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	Not Relevant		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c)	n.a.		
26a	Investments in the equity capital of unconsolidated nonfinancial subsidiaries8	n.a.		
26b	Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank9	n.a.		

26सी	अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0		
	बासेल III लागू होने से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 से संबद्ध राशि पर लागू विनियामक समायोजन	0		
	जिसकाः समायोजन के नाम का उल्लेख करें, उदाहरण के लिएः एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अमूर्त हानि हटाने के बाद (भारतीय संदर्भ में लागू नहीं)	–		
	जिसकाः समायोजन के नाम का उल्लेख करें, उदाहरणार्थ अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियॉं,	–		
	जिसकाः समायोजन के नाम का उल्लेख करें, उदाहरणार्थ अमूर्त आस्तियां,	–		
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 तथा टियर 2 के कारण कटौती की भरपाई हेतु टियर 1 के सामान्य ईक्विटी पर लागू विनियामक समायोजन	0		
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर कुल विनियामक समाशोधन	2565.02		
29	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटी1)	544470.93		
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजीः लिखत			
30	प्रत्यक्षतः जारी पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत एवं संबंधित स्टॉक सरप्लस (31++32)	0.00		
31	जिसकाः निर्धारित मानक लेखांकन के अधीन ईक्विटी के रूप में परिभाषित (स्थायी असंचयी अधिमानित शेयर)	0.00		
32	जिसकाः निर्धारित मानक लेखांकन के अधीन देयताओं के रूप में पारिभाषित (स्थायी ऋण लिखत)	0.00		
33	अतिरिक्त टियर 1 में असम्मिलित प्रत्यक्षतः जारी पूँजी लिखत	0.00		
34	अतिरिक्त टियर 1 लिखत (एवं सीईटी1 लिखत, जिसे पंक्ति 5 में शामिल नहीं किया गया है।), जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों एवं तीसरे पक्ष द्वारा धारित हों (राशि समूह एटी1 हेतु स्वीकृत है।)	0.00		
35	जिसकाः सहायक कम्पनियों द्वारा जारी लिखत, जिसे निकाल दिया गया हो	0.00		
36	विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	0.00		
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजीः विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर1 के लिखत में निवेश	0.00		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में परस्पर प्रतिधारिता	0.00		
39	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियॉं, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहॉं बैंक के पास ज़ारी किए गए सामान्य शेयर पूँजी का 100% से अधिक शेयरधारिता ना होए की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00		
40	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियॉं, की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश, (मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार शुद्ध)	0.00		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन	0.00		
41ए	सर्वाधिक स्वामित्व वाली कम्पनियॉं जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयीं, के अतिरिक्त टियर1 पूँजी में कमी	0.00		
41बी	बासेल III लागू होने से पूर्व अतिरिक्त टियर–1 पूँजी से संबद्ध राशि पर लागू विनियामक समायोजन	0.00		
	जिसका समायोजन के नाम का उल्लेख करें, उदाहरणार्थ डीटीए,	0.00		
	जिसकाः समायोजन के नाम का उल्लेख करें उदाहरणार्थ विद्यमान समायोजन, जिन्हें 50प्रतिशत की दर से टियर–1 से काटा गया है,	0.00		
	जिसकाः समायोजन के नाम का उल्लेख करें,	0.00		
42	अपर्याप्त टियर 2 के कारण कटौती की भरपाई हेतु अतिरिक्त टियर–1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00		
43	अतिरक्ति टियर–1 पूँजी पर लागू कुल विनियामक समायोजन	0.00		
44	अतिरिक्त टियर–1 पूँजी (एटी1)	0.00		
44ए	पूँजी पर्याप्तता हेतु रखा गया अतिरिक्त टियर–1 पूँजी	0.00		

26c	Unamortised pension funds expenditures	n.a.		
	REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO COMMON EQUITY TIER 1 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT	-		
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT] For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)	-		
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	-		
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT e.g. intangible assets]	-		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions			
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	2565.02		
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	544470.93		
	Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0.00		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00		
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0.00		
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00		
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00		
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	0.00		
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions10)	0.00		
41	National specific regulatory adjustments	0.00		
41a	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
41b	REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO ADDITIONAL TIER 1 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT			
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	0		0
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]	0.00		
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT]	0.00		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	0.00		
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	0.00		
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	0.00		

45	(टियर–1 पूँजी (टी1 +सीईटी1+ एटी1) (पंक्ति 29++ पंक्ति 44ए)	544470.93		
	टियर–2 पूँजीः लिखत एवं प्रावधान			
46	प्रत्यक्षतः जारी पात्र टियर 2 लिखत एवं संबंधित स्टॉक सरप्लस	0.00		
47	टियर–2 में से प्रत्यक्षतः जारी पूँजी लिखत	50700.00		सबार्डीनेट ऋण
48	टियर–2 लिखत (एवं पंक्ति 5 अथवा 34 में सम्मिलित नहीं किए गए सीईटी1 और एटी1 लिखत) जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों एवं तीसरे पक्ष द्वारा धारित हों (राशि समूह टियर–2 हेतु स्वीकृत की गयी हो।)	0.00		
49	जिसकाः निकाले गए लिखत जो सहायक कम्पनियों द्वारा ज़ारी किए गए हों	0.00		
50	प्रावधान	47100.22		
51	विनियामक समायोजन से पूर्व टियर–2 पूँजी	97800.22		
	टियर–2 पूँजीः विनियामक समायोजन			
52	स्वयं के टियर–2 लिखत में निवेश	0.00		
53	टियर–2 लिखत में परस्पर प्रतिधारिता	2800.00		
54	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियॉ, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहॉ बैंक के पास ज़ारी किए गए सामान्य शेयर पूँजी का 10प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता न हो, की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10 प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00		
55	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियॉ, की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश (मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार शुद्ध)	0.00		
56	विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	0.00		
56ए	सर्वाधिक स्वामित्व वाली वित्तीय कम्पनियॉ, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयीं, के टियर–2 पूँजी में कमी	0.00		
56बी	बासेल III लागू होने से पूर्व टियर 2 पूँजी से संबद्ध राशि पर लागू विनियामक समायोजन	0.00		
	जिसकाः समायोजन के नाम का उल्लेख करें उदाहरणार्थ विद्यमान समायोजन, जिन्हें 50प्रतिशत की दर से टियर–2 से काटा गया है,	0.00		
	जिसकाः समायोजन के नाम का उल्लेख करें,	0.00		
57	टियर–2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	2800.00		
58	टियर–2 पूँजी (टी2)	95000.22		
58ए	पूँजी पर्याप्तता हेतु रखा गया टियर–2 पूँजी	95000.22		
58बी	टियर–2 के रूप में रखी गयी अन्य अतिरिक्त टियर–1 पूँजी	0.00		
58सी	पूँजी पर्याप्तता हेतु स्वीकृत कुल टियर–2 पूँजी (पंक्ति58ए+पंक्ति 58बी)	95000.22		
59	**कुल पूँजी (टीसी = टी1+टी2) (पंक्ति 45++पंक्ति 58सी)**	639471.15		
	बासेल. III लागू होने से पूर्व जोखिम भारित आस्तियां से संबद्ध राशि			
	जिसकाः समायोजन के नाम का उल्लेख करें,			
	जिसकाः			
60	कुल ज़ोखिम भारित आस्तियां (पंक्ति 60ए+पंक्ति 60बी+पंक्ति 60सी)	5861436.10		
60ए	जिसकाः कुल ऋण ज़ोखिम भारित आस्तियां	5104909.62		
60बी	जिसकाः कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	349438.70		
60सी	जिसकाः कुल परिचालित जोखिम भारित आस्तियां	407087.78		
	पूँजी अनुपात			
61	सामान्य ईक्विटी टियर–1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.29%		
62	टियर–1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.29%		
63	कुल पूँजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिषत के रूप में)	10.91%		

45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44a)	544470.93		
	Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	0.00		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	50700.00		Subordinate Debt
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	n.a.		
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	n.a.		
50	Provisions	47100.22		
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	97800.22		
	Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	2800.00		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions13)	0.00		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00		
56a	Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
56b	Regulatory Adjustments Applied to Tier 2 in Respect of Amounts Subject to Pre Basel III Treatment	0.00		
	Of Which: [Insert Name Of Adjustment e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]	0.00		
	Of Which: [Insert Name of Adjustment	0.00		
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	2800		
58	**Tier 2 capital (T2)**	95000.22		
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy14	95000.22		
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0.00		
58c	Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (row 58a + row 58b)	95000.22		
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (row 45+row 58c)**	639471.15		
	RISK WEIGHTED ASSETS IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT			
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT]			
	OF WHICH: …			
60	**Total risk weighted assets (row 60a +row 60b +row 60c)**	5861436.10		
60a	of which: total credit risk weighted assets	5104909.62		
60b	of which: total market risk weighted assets	349438.70		
60c	of which: total operational risk weighted assets	407087.78		
	Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.29%		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.29%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	10.91%		

64	संस्था विषयक बफ़र आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता सह पूँजी अभिरूपता एवं प्रतिचक्रीय बफ़र आवश्यकताएं जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	6.125%		
65	जिसकाः पूँजी अभिरूपता बफ़र आवश्यकता	0.625%		
66	जिसकाः बैंक विषय प्रतिचक्रीय बफ़र आवश्यकता	–		
67	जिसकाः जी.एसआईबी बफ़र आवश्यकता	–		
68	बफर की पूंति हेतु उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर–1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	3.79%		
	राष्ट्रीय मिनिमा (यदि बासेल III से भिन्न है)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर–1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासेल III से भिन्न हो)	5.50%		
70	राष्ट्रीय टियर–1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासेल III से भिन्न हो)	7%		
71	राष्ट्रीय सकल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासेल III से भिन्न हो)	9.625%		
	कटौती हेतु निर्धारित सीमा से कम राशि (जोखिम भारित से पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय कम्पनियों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	0		
73	वित्तीय कम्पनियों की सामान्य पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश	9452.42		
74	बंधक सर्विसिग अधिकार (अन्य वित्तीय कम्पनियों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश)	भारत में लागू नहीं		
75	अस्थायी भिन्नता के कारण उत्पन्न हुई कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)			
	टियर–2 में प्रावधानों के समेकन पर लागू उच्चतम सीमा			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण से एक्सपोजर के संदर्भ में टियर–2 में समेकन हेतु प्रात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)	47100.22		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टियर–2 में प्रावधानों के समेकन की उच्चतम सीमा	63811.37		
78	आंतरिक रेंटिंग दृष्टिकोण आधार पर एक्सपोजर के संदर्भ में टियर 2 में समेकन हेतु प्रात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)	लागू नहीं		
79	आंतरिक रेटिंग दृष्टिकोण से टियर 2 में प्रावधानों के समेकन हेतु उच्चतम सीमा	लागू नहीं		
	फ़ेज आउट की व्यवस्था पर पूँजी लिखत (केवल 1 अप्रेल, 2018 से 31 मार्च 2022 के बीच लागू)			
80	फ़ेज आउट की व्यवस्था पर सीईटी1 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा	भारत में लागू नहीं		
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)			
82	फ़ेज आउट की व्यवस्था पर एटी1 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा			
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)			
84	फ़ेज आउट की व्यवस्था पर टी 2 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा			
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)			

तालिका डी.एफ.–12 – पूँजी का संयोजन दृसमाधान अपेक्षाएं

लागू नहीं है क्योंकि वितीय विवरण में दिया गया बैंक का तुलन पत्र और विनियामक दायरे के अंतर्गत आने वाला तुलनपत्र एक से हैं।

64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	6.125%		
65	of which: capital conservation buffer requirement	0.625%		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	-		
67	of which: G-SIB buffer requirement	-		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	3.79%		
	National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7%		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.625%		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financials	0		
73	Significant investments in the common stock of financials	9452.42		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	-		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00		
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	47100.22		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	63811.37		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	n.a.		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	n.a.		
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between April 1, 2018 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	Not applicable in India		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)			
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements			
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)			
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements			
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)			

Table DF 12 –Composition of Capital- Reconciliation Requirements-

Not applicable as the Bank's Balance sheet as in Financial Statement is same as Balance sheet under regulatory scope of consolidation

डी-एफ-13-विनियामक पूंजी लिखतों मुख्य विशेषताएं

	टियर–2 बाण्डस (सबार्डीनेट ऋण लिखत)					
क्रम संख्या	**विनियामक पूंजी प्रलेखों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट (डिसक्लोज़र टेम्पलेट)**	**सीरीज-IX=100 करोड़**	**सीरीज-X=400 करोड़**	**सीरीज-XI=175 करोड़**	**सीरीज-XII=200 करोड़**	**सीरीज-XIII=300 करोड़**
1.	जारीकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
2.	यूनिक पहचानकर्ता(अर्थात सी–यू–एस–आई–पी–, आई–एस–आई–एन– अथवा प्राईवेट प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आई–एन–ई–608ए09080	आई–एन–ई–608ए09098	आई–एन–ई–608ए09114	आई–एन–ई–608ए09122	आई–एन–ई–608,09130
3.	लिखत के शासी विधान	प्रतिभूति संविदा प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनयम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक,सेबी, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) के सामान्य नियम एवं प्रारूप, 1956) के अनुबंध–ग एवं /अथवा अनुबंध–घ में यथा उल्लिखित उपबंध	प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनयम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक,सेबी, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) के सामान्य नियम एवं प्रारूप, 1956) के अनुबंध–ग एवं /अथवा अनुबंध–घ में यथा उल्लिखित उपबंध	प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनयम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक,सेबी, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) के सामान्य नियम एवं प्रारूप, 1956) के अनुबंध–ग एवं/ अथवा अनुबंध–घ में यथा उल्लिखित उपबंध	प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनयम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक,सेबी, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) के सामान्य नियम एवं प्रारूप, 1956) के अनुबंध–ग एवं/ अथवा अनुबंध–घ में यथा उल्लिखित उपबंध	प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनयम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक,सेबी, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) के सामान्य नियम एवं प्रारूप, 1956) के अनुबंध–ग एवं/अथवा अनुबंध–घ में यथा उल्लिखित उपबंध
	विनियामक व्यवहार					
4.	ट्रांजिशनल बासल–III नियम	टियर–2	टियर–2	टियर–2	टियर–2	टियर–2
5.	पोस्ट ट्रांजिशनल बेसल–III नियम	टियर–2	टियर–2	टियर–2	टियर–2	टियर–2
6.	एकल/समूह/समूह तथा एकल स्तर पर पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल
7.	लिखत स्वरूप	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत
8.	विनियामक पूंजी के अंतर्गत मान्य राशि–(करोड़ रूपयों में)	रुपए–36 करोड़	रुपए 192 करोड़	रुपए–84 करोड़	रुपए–112 करोड़	रुपए–180 करोड़
9.	लिखत का सममूल्य	रूपए 1000000	रूपए 1000000	रूपए 1000000	रूपए 1000000	रूपए 1000000
10.	लेखांकन के अनुसार वर्गीकरण	देयता(ऋ.I)	देयता(ऋण)	देयता(ऋण)	देयता(ऋण)	देयता(ऋण)
11.	ज़ारी करने की मूल तिथि	15–02–2008	22–09–2008	26–06–2009	11–01–2010	24–06–2011
12.	सतत् अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13.	मूल परिपक्वता तिथि	15–05–2018	22–04–2019	26–04–2019	11–04–2020	24–10–2021
14.	ज़ारी कर्ता की कॉल, पूर्व पर्यवेक्षीय अनुमोदन की शर्त पर।	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी हां
15.	ऑप्शनल काल की तिथि, आकस्मिक कल तिथि एवं मोचन राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	24–06–2017, सम मूल्य पर मोचन
16.	आगामी काल की तिथियाँ, (यदि लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/लाभांष					
17.	निर्धारित अथवा परिवर्तनीय लाभांश/कूपन	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित
18.	कूपन दर एवं अन्य संबंधित सूचकांक	9.10:	11.05:	8.70:	8.70:	9.73:

Table DF 13 – Main features of Regulatory Capital Instruments

Sr. No	Disclosure template for main features of regulatory capital instruments	Series- IX= 100 crore	Series- X =400 crore	Series- XI = 175 crore	Series - XII =200 crore	SERIES- XIII =300 crore
1	Issuer	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE608A09080	INE608A09098	INE608A09114	INE608A09122	INE608A09130
3	Governing law(s) of the instrument	Secuities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. .provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Secuities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. .provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Secuities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. .provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Secuities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. .provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Secuities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies(acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges.provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.
	Regulatory treatment					
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in Crores	Rs 36 Crores	Rs 192 Crores	Rs 84 Crores	Rs 112 Crores	Rs 180 Crores
9	Par value of instrument	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000
10	Accounting classification	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)
11	Original date of issuance	15.02.2008	22.09.2008	26.06.2009	11.01.2010	24.06.2011
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	15.05.2018	22.04.2019	26.04.2019	11.04.2020	24.10.2021
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No	No	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA	NA	NA	24.06.2017 redemtion at par
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA	NA	NA
	Coupons / dividends					
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.10%	11.05%	8.70%	8.70%	9.73%

19.	लाभांश रोधक की व्याप्ति	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं
20.	पूर्णतः विवेकानुसार, आंशिक विवेकानुसार अथवा अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21.	स्टेप–vi की व्याप्ति अथवा मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं
22.	असंचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23.	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन हेतु ट्रिगर(एस)					
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
25.	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं			
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं			
27.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन अनिवार्य है अथवा वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28.	यदि परिवर्तनीय है तो किस लिखत में परिवर्तनीय है उसका प्रकार विर्निदिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन किए जाने वाले लिखत के ज़ारीकर्ता को विर्निदिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30.	अवलेखन के लक्षण	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं
31.	अवलेखन की दशा में अवलेखन के ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32.	अवलेखन की दशा में पूर्णतः अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33.	अवलेखन की दशा में स्थायी हैं अथवा अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34.	यदि अस्थायी अवलेखन हैं तो आलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35.	परिसमापन की दशा में प्रतिस्थापन पदक्रम की स्थिति (लिखत का प्रकार (इस लिखत के एकदम आगे के लिखत के प्रकार को विर्निदिष्ट करें।)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)
36.	संक्रमणकालीन अननुपालन स्वरूप	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
37.	यदि हाँ तो अननुपालन का स्वरूप विहित करें।	अव्यवहार्यता की सीमा	अव्यवहार्यता की सीमा	अव्यवहार्यता की सीमा तथा उक्त उल्लिखित बाण्ड की परिपक्वता 10 वर्षों से कम	अव्यवहार्यता की सीमा	अव्यवहार्यता की सीमा

19	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	NO	NO	NO	NO	NO
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creeditors))
36	Non-compliant transitioned features	YES	YES	YES	YES	YES
37	If yes, specify non-compliant features	Point of non-viability.	Point of non-viability.	Point of non-viability and maturity of the above mentioned bond is less than 10 years.	Point of non-viability.	Point of non-viability.

तालिका डी–एफ–14 – विनियामक पूंजी लिखत के पूर्ण नियम एवं शर्तें

1. **बाण्ड निर्गमन – IX 100 करोड़ रूपए**

वर्तमान इश्यू की शर्तें

पंजाब एण्ड सिंध बैंक कुल 100 करोड़ रूपयों के असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सर्बोडिनेटेड बाण्ड (सीरीज–IX) के अंशदान हेतु पेशकश आमंत्रित करता है जो कि प्रत्येक 10,00,000/.रूपयों के नकद सममूल्य पर वचन पत्र के रूप में है।

ये बाण्ड बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970, कंपनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा नियमन अधिनियम, 1956 के उपबंधों, इस सूचना ज्ञापन की शर्त्तों, आवेदन पत्र में उल्लिखित अनुदेशों तथा न्यासी समझौता तथा बाण्ड ट्रस्ट डीड में शामिल किए जाने वाले अन्य नियमों एवं शर्त्तों के अध्याधीन है। ऐसे नियम एवं शर्त्तों के अतिरिक्त, ये बाण्ड डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के अनुप्रयोज्य उपबंधों तथा यथा अनुप्रयोज्य विधानों, दिशा–निर्देशो, अधिसूचनाओं एवं आबंटन तथा पूंजी जारी करने तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), संबंधित स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य प्राधिकरणों द्वारा समय–समय पर ज़ारी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने से संबंधित विनियमों एवं बाण्ड के संबंध में तैयार किए जाने वाले अन्य दस्तावजों के भी अध्याधीन होंगे।

बाण्डों की प्रकृति एवं अवस्थिति

ये बाण्ड असुरक्षित अपरिवर्त्तनीय प्रतिदेय सर्बोडिनेटेड बाण्ड (सीरीज–IX) के रूप में तथा वचनपत्रों के रूप में निर्गत किए जाने हैं। इन बांडों में बैंक के प्रत्यक्ष, असुरक्षित एवं गौण दायित्व शामिल होंगे जो बैंक के वर्तमान/भविष्य में जारी होने वाले गौण ऋणों के समकक्ष होंगे तथा बैंक के अन्य सभी ऋणधारकों एवं जमाकर्ताओं को किए जाने वाले मूलधन तथा ब्याज के पुनः भुगतान के दावों के बाद देय होंगे। ये बाण्ड किसी प्रतिबंधात्मक धाराओं से मुक्त होंगे तथा ये धारक के प्रयास मात्र तथा बिना भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के प्रतिदेय नहीं होंगे

इश्यू का उद्देश्य

बैंक के टियर–II पूंजी में वृद्धि के लिए वर्तमान बाण्डों को ज़ारी किया जा रहा है ताकि बैंक की पूंजीगत पर्याप्तता सुदृढ़ हो सके और बैंक के दीर्घावधिक संसाधनों को बढ़ाया जा सके। वर्तमान इश्यू पर होने वाले व्यय का वहन बैंक द्वारा किया जाएगा। जिन गतिविधियों को करने के लिए वर्तमान इश्यू के माध्यम से निधियाँ र्सजित की जा रही हैं उनके लिए एवं बैंक द्वारा इश्यू की तिथि तक की जा रही गतिविधियों के लिए बैंक के संस्थापन प्रलेख का मुख्य उद्देश्य खंड सामर्थ्य प्रदान करता है। इस इश्यू से जुटाई गयी धनराशि का बैंक द्वारा अपनी नियमित व्यवसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाएगा।

लिखत एवं ज़ारी करने के विवरण पर एक नज़र

इश्यू का आकार	100 करोड़ रूपए
इश्यू का उद्देश्य	बैंक की पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करने एवं दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने हेतु टियर–II पूंजी में अभिवृद्धि करना ।
लिखत	वचन पत्र के रूप में असुरक्षित अपरिवर्त्तनीय प्रतिदेय सर्बोडिनेटेड टियर–II बाण्ड (सीरीज–IX)
लिखत का रूप	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	"आई सी आर ए.–ए.ए" रेटिंग –इक्रा (आई.सी.आर.ए.) द्वारा तथा "क्रिसिल ए.ए नेगटिव" रेटिंग–क्रिसिल द्वारा
अंकित मूल्य	10,00,000/. प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 10,00,000/. प्रति बाण्ड)
न्यूनतम अभिदान	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	10 वर्ष तथा 3 महीने (123 महीने)
पुट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता	सम मूल्य पर –आबंटन की मानी गई तिथि से 10 वर्ष तथा 3 महीने के अंत में।
कूपन दर*	9.10: प्रति वर्ष
ब्याज भुगतान	अर्ध–र्वाषिक
ब्याज भुगतान की तिथियां	प्रत्येक वर्ष की 15 मई तथा 15 नवम्बर
लिस्टिंग	प्रस्तावित– नेशनल स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड(एन–एस–ई) के थोक ऋण बाजार खंड (डब्लयू–डी–एम–) पर।
न्यासी	बैंक की ओर से आई–डी–बी–आई– ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड को बाण्ड के धारक(कों) की ओर से कार्य करने के लिए बतौर न्यासी नियुक्त किया गया।
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर अर्थात् 9.10% र्वाषिक दर से – चैक/डिमांड ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक ।

* स्त्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

Table DF 14 –Full Terms & Conditions of Regulatory Capital Instruments

1. **BOND ISSUE – IX RS. 100 CRORE**

TERMS OF THE PRESENT ISSUE

Punjab & Sind Bank is seeking offer for subscription of Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds (Series-IX) in the nature of Promissory Notes of Rs. 10,00,000/- each for cash at par aggregating to Rs. 100 crores.

The Bonds offered are subject to provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Companies Act, 1956, Securities Contract Regulation Act, 1956, terms of this Information Memorandum, Instructions contained in the Application Form and other terms and conditions as may be incorporated in the Trustee Agreement and Bond Trust Deed. Over and above such terms and conditions, the Bonds shall also be subject to the applicable provisions of the Depositories Act, 1996 and the laws as applicable, guidelines, notifications and regulations relating to the allotment & issue of capital and listing of securities issued from time to time by the Government of India (GoI), Reserve Bank of India (RBI), Securities & Exchange Board of India (SEBI), concerned Stock Exchange or any other authorities and other documents that may be executed in respect of the Bonds.

NATURE & STATUS OF THE BONDS

The Bonds are to be issued in the form of Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes. The Bonds will constitute direct, unsecured and subordinated obligations of the Bank, ranking pari passu with the existing/ future subordinated debt of the Bank and subordinated to the claims of all other creditors and depositors of the Bank as regards payment of interest and repayment of principal by the Bank out of its own funds. The Bonds shall be free of any restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the Reserve Bank of India (RBI).

OBJECTS OF THE ISSUE

The present issue of bonds is being made for augmenting the Tier-II Capital of the Bank for strengthening its Capital Adequacy and for enhancing the long-term resources of the Bank. The expenses of the present issue would be borne by the Bank. The Main Object Clause of the Memorandum of Association of the Bank enables it to undertake the activities for which the funds are being raised through the present issue and also the activities which the Bank has been carrying on till date. The proceeds of this Issue would be used by the Bank for its regular business activities.

INSTRUMENT & ISSUE DETAILS AT A GLANCE

Issue Size	Rs. 100 crores
Issue Objects	Augmenting the Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resource base of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes (Series-IX)
Instrument Form	In Dematerialised Form
Credit Rating	"ICRA AA" by ICRA and " CRISIL AA Negative" by CRISIL
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Application	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	10 Year and 3 Months (123 Months)
Put & Call Option	None
Redemption	At par at the end of 10 Year and 3 Months from the Deemed Date of Allotment
Coupon Rate*	9.10% p.a.
Interest Payment	Semi-Annual
Interest Payment dates	May 15 and November 15 each year
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Limited (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Limited (ITSL) has been appointed by the Bank to act as Trustees for and on behalf of the holder(s) of the Bonds
Interest on Application Money *	At the coupon rate i.e. @ 9.10% p.a. from the date of realisation of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS upto one day prior to the Deemed Date of Allotment

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

2. बाण्ड निर्गमन – X 400 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 400 करोड़
लिखत	वचन पत्र (बाण्डस) के रूप में असुरक्षित अपरिवर्त्तनीय प्रतिदेय सर्बोडिनेटेड टियर–II बाण्ड् (सीरीज़ XI)
जारी करना/क्रय–विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	"आई– सी आर– –ए –ए–ए–" – इक्रा (आई– सी आर–ए,) द्वारा तथा "केयर ए–ए–"–केयर (सी–ए–आर–ई–) द्वारा
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/– प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सममूल्य पर (अर्थात् 1000000/– प्रति बाण्ड)
प्रतिदेयता मूल्य	सममूल्य पर (अर्थात् 1000000/– प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	127 महीने (10 वर्ष तथा 7 माह)
पुट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/परिपक्क्वता	सम मूल्य पर–आवंटन की मानी गई तिथि से 127 महीनों (10 वर्ष तथा 7 माह) की समाप्ति पर (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	15 अप्रैल, 2019
कूपन दर*	11.05% वार्षिक
ब्याज भुगतान	र्वाषिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई
लिस्टिंग	प्रस्तावित – नेशनल स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड (एन–एस–ई) के थोक ऋण बाजार खंड (डब्लयू–डी–एम–)
न्यासी	बैंक की ओर से आइण्डी.बी.आई. ट्रस्टशिप र्सविसेज लिमिटेड को बाण्ड के धारक(कों) की ओर से कार्य करने के लिए बतौर न्यासी नियुक्त किया गया।
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपोजि+टरी लि– तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी र्सविसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर (अर्थात् 11.05% वार्षिक दर से) – चैक/डिमांड ड्राफ्ट/आर–टी–जी–एस– की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(कों)/ब्याज/प्रतिदेय वारंट(स)/डिमांड ड्राफ्ट/आर–टी–जी–एस– प्रणाली के माध्यम से
अभिदान की विधि	"केवल एकाउंट पेई" रेखांकित चैक(कों)/डिमांड ड्राफ्ट(टों) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राशि कोआर.टी.जी.एस. तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000385" पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000001" पर इलेक्ट्रॉनिक्स अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि^	10–09–2008
इश्यू के बंद होने की तिथि^	12–09–2008
पे–इन डेटस^	10–09–2008 से 12–09–2008
आबंटन की मानी गई तिथि^	15–09–2008

* स्त्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन ।

^ बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि (यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

2. **BOND ISSUE – X Rs. 400 CRORE**

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 400 crores
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds (Series-X) in the nature of Promissory Notes (“Bonds”)
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	“ICRA AA” by ICRA and “CARE AA” by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	127 Months (10 Year 7 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 127 Months (10 Year 7 Months) from the Deemed Date of Allotment (with prior approval from the Reserve Bank of India)
Redemption Date	April 15, 2019
Coupon Rate *	11.05% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	15th May of each year
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd. has been appointed by the Bank to act as Trustees for and on behalf of the holder(s) of the Bonds
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	M/S Link Intime india Private Ltd.
Interest on Application Money *	At coupon rate (i.e. @ 11.05% p.a.) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to one day prior to the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS system
Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of **“Punjab & Sind Bank"** and crossed **“Account Payee Only”** payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of **“Punjab & Sind Bank RTGS Account”** IFSC Code: **“PSIB 0000385“** for Mumbai and **“PSIB 0000001”** for New Delhi
Issue Opens on ^	September 10, 2008
Issue Closes on ^	September 12, 2008
Pay-In Dates ^	September 10, 2008 to September 12, 2008
Deemed Date of Allotment ^	September 15, 2008

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

3. बाण्ड निर्गमन-XI 175 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 175 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर–II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्डस) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्त्तनीय सर्बोडिनेटेड टियर–II बाण्ड्स (सरीज XI)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा.रि.बैं.की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
जारी करना / क्रय–विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	"आई. सी आर..ए .ए.ए" – आई. सी आर.ए. द्वारा तथा "केयर ए.ए." – केयर (सी.ए.आर.ई.) द्वारा"
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000 / – प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000 / – प्रति बाण्ड)
परिपक्वता मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000 / – प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	118 महीने (9 वर्ष तथा 10 माह)
पुट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता / परिपक्क्वता	सम मूल्य पर – आवंटन की मानी गई तिथि से 9 र्वा तथा 10 माह (118 महीनों)के अंत में (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	26 अप्रैल, 2019
कूपन दर*	8–70: वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
लिस्टिंग	प्रस्तावित– नेशनल स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड(एन.एस.ई.)के थोक ऋण बाजार खंड(डब्लयू–डी–एम–)
न्यासी	आई–डी–बी–आई– ट्रस्टषिप र्सविसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपोस्टिरी लि– तथा सेन्ट्रल डिपोस्टिरी र्सविसज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर (अर्थात् 8.70: र्वाषिक दर से) – चैक / डिमांड ड्राफ्ट / आर–टी–जी–एस– की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(कों) / ब्याज / प्रतिदेय वारंट(ओ) / डिमांड ड्राफ्ट / आर–टी–जी–एस– / ई–सी–एस–प्रणाली के माध्यम से क्रेडिट की जाएगी।
अभिदान की विधि	"केवल एकाउंट पेई" रेखांकित चैक(कों) / डिमांड ड्राफ्ट(टों) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राशि को आर.टी.जी.एस तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000385" पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000001" पर इलेक्ट्रॉनिक्स अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि^	15–06–2009
इश्यू के बंद होने की तिथि^	19–06–2009
पे–इन डेटस'	15–06–2009 से 19–06–2009
आबंटन की मानी गई तिथि^	26–06–2009

* स्त्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

^ बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन / स्थगन) करने, खोलने / बंद करने / भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि (यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है ।

3. **BOND ISSUE – XI Rs. 175 CRORE**

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 175 crores
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XI) in the nature of Promissory Notes (“Bonds”)
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	“ICRA AA” by ICRA and “CARE AA” by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	9 Year 10 Months (118 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 9 Year 10 Months (118 Months) from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	April 26, 2019 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	8.70% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	M/S Link Intime india Private Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 8.70% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system
Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of **“Punjab & Sind Bank"** and crossed **“Account Payee Only”** payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of **“Punjab & Sind Bank RTGS Account”** IFSC Code: **“PSIB 0000385“** for Mumbai and **“PSIB 0000001”** for New Delhi
Issue Opens on ^	June 15, 2009
Issue Closes on ^	June 19, 2009
Pay-In Date ^	June 15, 2009 to June 19, 2009
Deemed Date of Allotment ^	June 26, 2009

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

4. बाण्ड निर्गमन–XII – 200 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 200 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर–II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्डस) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्त्तनीय सर्बोडिनेटेड–टियर–II बाण्ड (सरीज ग्प्)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा–रि–बैं–की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
ज़ारी करना / क्रय–विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	"आई सी आर ए.–ए.ए" रेटिंग –इक्रा (आई.सी.आर.ए.) द्वारा तथा "क्रिसिल ए.ए नेगटिव" रेटिंग–क्रिसिल द्वारा
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000 / – प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000 / – प्रति बाण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000 / – प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	123 महीने(10 वर्ष 3 महीने)
पुट विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता / परिपक्वता	आवंटन की मानी गई तिथि से 10 वर्ष 3 महीनें(123 महीने) के अंत में सम मूल्य पर (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
परिपक्वता तिथि	15.04.2020 (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
कूपन दर*	8.70ः वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
लिस्टिंग	प्रस्तावित– नेशनल स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड(एन–एस–ई)के थोक ऋण बाजार खंड(डब्लयू–डी–एम–)
न्यासी	आई.डी.बी.आई. ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपोस्टिरी लि– तथा सेन्ट्रल डिपोस्टिरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर (अर्थात् 8.70% सर्विसेज दर से) – चैक / डिमांड ड्राफ्ट / आर–टी–जी–एस– की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(कों) / ब्याज / प्रतिदेय वारंट(स) / डिमांड ड्राफ्ट / आर–टी–जी–एस– प्रणाली / ई.सी.एस. प्रणाली के माध्यम से।
अभिदान की विधि	"केवल एकाउंट पेई" रेखांकित चैक(कों) / डिमांड ड्राफ्ट(टों) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राशि को आर.टी.जी.एस. तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000385" पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000001" पर इलेक्ट्रॉनिक्स अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि^	06.01.2010
इश्यू के बंद होने की तिथि^	13.01.2010
पे–इन डेटस'	06.01.2010 से 13.01.2010
आबंटन की मानी गई तिथि^	15.01.2010

* स्त्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

^ बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन / स्थगन) करने, खोलने / बंद करने / भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथियाँ निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है ।

4. **BOND ISSUE – XII Rs. 200 CRORE**

VII. **SUMMARY TERM SHEET**

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 200 crores
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XII) in the nature of Promissory Notes (“Bonds”)
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	“ICRA AA” by ICRA and “ CRISIL AA Negative” by CRISIL
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	10 Year 3 Months (123 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 10 Years 3 Months (123 Months) from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	April 15, 2020 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	8.70% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	M/S Link Intime india Private Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 8.70% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system
Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of **“Punjab & Sind Bank"** and crossed **“Account Payee Only”** payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of **“Punjab & Sind Bank RTGS Account”** IFSC Code: **“PSIB 0000385“** for Mumbai and **“PSIB 0000001”** for New Delhi
Issue Opens on ^	January 6, 2010
Issue Closes on ^	January 13, 2010
Pay-In Date ^	January 6, 2010 to January 13, 2009
Deemed Date of Allotment ^	January 15, 2010

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

5. बाण्ड निर्गमन-XIII 300 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 300 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर–II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्ड) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्त्तनीय सर्बोडिनेटेड–टियर–II बाण्ड (सरीज ग्प्प्)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा.रि.बैं. की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
ज़ारी करना/ क्रय–विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	"आई– सी–आर–ए ए,ए" – आई– सी आर– –ए– द्वारा तथा "केयर ए–ए" – केयर (सी–ए–आर–ई–) द्वारा"
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/– प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/– प्रति बाण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/– प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
कार्यकाल	124 महीने
पुट विकल्प	कोई नहीं
काल विकल्प	छटे वर्ष के अंत में(भा.रि.बैं. की स्वीकृति के आधार पर)
प्रतिदेयता/परिपक्क्वता	तिथि से 124 महीनों के अंत में सम मूल्य पर (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	24–10–2021 (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
कूपन दर*	9–73% वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	र्वाषिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
लिस्टिंग	प्रस्तावित–नेशनल स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड(एन–एस–ई)के थोक ऋण बाजार खंड(डब्लयू–डी–एम–)
न्यासी	आई.डी.बी.आई. ट्रस्टषिप सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपोस्टिरी लि– तथा सेन्ट्रल डिपोस्टिरी र्सविसज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर–आबंटन की मानी गई तिथि को छोड़कर चैक(कों)डिमांड ड्राफ्ट(टों)/आर–टी–जी–एस– की वसूली होने की तिथि से (अर्थात् 9–73% वार्षिक दर से)
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(कों)/ब्याज/प्रतिदेय वारंट(स) /डिमांड ड्राफ्ट/ आर–टी–जी–एस–प्रणाली/ई–सी–एस– प्रणाली के माध्यम से।
अंषदान का माध्यम	आर.टी.जी.एस.तंत्र के माध्यम से राशि को इलैक्ट्रानिक्स अंतरण के तरीके से "पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर–टी–जी–एस– खाता" में दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000001 " में किया जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि^	20.06.2011
इश्यू के बंद होने की तिथि^	24.06.2011
पे–इन डेटस'	20.06.2011 से 24.06.2011
आबंटन की मानी गई तिथि^	24.06.2011

* स्त्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

^ बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता हैकिसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि(यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पर्ण अधिकार सुरक्षित है ।

5. **BOND ISSUE – XIII Rs. 300 CRORE**

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 300 crore
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XIII) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"AA" by ICRA and "CARE AA" by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	124 Months
Put Option	None
Call Option	At the end of 6th Year (Subject to Approval from RBI)
Redemption/ Maturity	At par at the end of 124 Months from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	24th October 2021 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	9.73% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	M/S Link Intime india Private Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 9.73% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system
Mode of Subscription	By way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of **"Punjab & Sind Bank RTGS Account"** IFSC Code: **"PSIB0000001"** for New Delhi
Issue Opens on ^	20th June 2011
Issue Closes on ^	24th June 2011
Pay-In Date ^	20th June 2011 to 24th June 2011
Deemed Date of Allotment ^	24th June 2011

* Subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

तालिका डी–एफ–15– पारिश्रमिक के लिए आवश्यकताओं का प्रकटीकरण

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए लागू नहीं हैं।

तालिका डीएफ– 16: इक्विटी – बैंकिंग बही खातों की स्थिति संबंधी प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

• धारिताओं में भेदभाव, जिस पर पूँजीगत लाभ अपेक्षित हैं और जिसे संबंधों तथा नीतिगत कारणों सहित लक्ष्यों के अंतर्गत लिया गया है।	बैंकिंग बही में इक्विटी निवेश नीतिगत उद्देश्य से आरआरबी में रखा गया है। बैंक पूँजीगत लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंकिंग बही में इक्विटी निवेश नहीं रखता है।
• बैंकिंग बही में इक्विटी धारिताओ के मूल्यांकन संबंधी महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा। इसमें महत्वपूर्ण पूर्व–धारणाओं तथा मूल्यांकन को प्रभावित करने वाली प्रथाओ तथा इन प्रथाओ में हुए महत्वपूर्ण बदलावों सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीके और मूल्यांकन प्रणालिया शामिल होनी चाहिए।	ऐसे निवेश, जिसे परिक्वता तक रखा जाना अभिप्रेत है, एचटीएम प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत हैं। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाजार के लिए चिह्वित नहीं किया गया है तथा उपार्जन लागत पर रखा गया है। निवेश मूल्य में अस्थाई ह्रास के अलावा किसी भी प्रकार के ह्रास का प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री संबंधी किसी भी हानि की पहचान लाभ–हानि खाता में की जाती है तथा उसे भा.रि.बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसरण में निवल कर एवं सांविधिक आरक्षितियों के पश्चात् ''आरक्षित पूँजी'' से समायोजित किया जाता है।

राशि लाखों में

मात्रात्मक प्रकटीकरण		
1	तुलन–पत्र में निवेशों का प्रकटित मूल्य, इसके अतिरिक्त निवेशों के उचित मूल्य, प्रस्तुत प्रतिभूतियों हेतु सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत शेयर मूल्य से तुलना, जहाँ शेयर मूल्य, वास्तविक मूल्य से वस्तुतः भिन्न है।	प्रकटित मूल्य– 65.37 वास्तविक मूल्यद 1368.43 (तुलन–पत्र के अनुसार)
2	निवेशों के प्रकार और स्वरुप, जिसमे निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत की जा सकने वाली राशि शामिल है: सार्वजनिक रूप से लेनदेन किए गए; तथा नीजि रूप से धारित।	शून्य 65.37
3	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री तथा परिसमापन से उत्पन्न संचयी लाभ प्राप्ति (हानियाँ)	शून्य
4	कुल अप्राप्त लाभ(हानियाँ)	शून्य
5	कुल प्रच्छन्न पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	1303.06
6	उपर्युक्त में से टीयर–I तथा/या टीयर–II में शामिल की गयी राशियाँ	शून्य
7	बैंक की कार्यपद्धति के अनुरूप उपयुक्त इक्विटी समूहन द्वारा विभाजित पूंजी अपेक्षाए और सकल राशियाँ तथा इक्विटी निवेशों का प्रकार, जो विनियामक पूंजी अपेक्षाओ के संबंध में किन्ही पर्यवेक्षी सक्रमण या ग्रांडफादरिंग प्रावधानों के अधीन हो	आरआरबी में एचटीएम इक्विटी निवेश,को मास्टर परिपत्र बासेल–III पूँजी विनियमनों के पैरा 4.4.9.2 के अनुसार उपचारित किया गया है।

Table DF 15 –Disclosure Requirements for Remuneration-

Not applicable to PSU Banks

Table DF-16: Equities – Disclosure for Banking Book Positions

Qualitative Disclosures

• Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under objectives including for relationship and strategic reasons.	Equity investment in the banking book is in RRB, held for strategic purpose. Bank does not hold any equity investment in banking book with intention to make capital gain.
• Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the Banking Book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.	Investment which is intended to be held till maturity are classified as HTM securities. Investments classified under HTM category are not marked to market and carried at acquisition cost. Any diminution, other than temporary, in the value of investments is provided for. Any Loss on sale of investments in HTM category is recognized in the statement of profit and loss. Any gain from sale of investments in HTM category is recognized in the statement of profit and loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserves, to "Capital Reserves" in accordance with RBI guidelines.

Amount in Lacs

Quantitative Disclosures		
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value.	Value disclosed- 65.37 Fair Value – 1368.43 (as per Balance sheet)
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as: • Publicly traded; and • Privately held.	Nil 65.37
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	Nil
4	Total unrealised gains (losses)	Nil
5	Total latent revaluation gains (losses)	1303.06
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	Nil
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	The HTM equity investment in RRB is given treatment as per para 4.4.9.2 of Master circular Basel III Capital Regulations.

तालिका डी-एफ- 17- लेखा आस्तियाँ बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपायों की तुलनात्मक संक्षिप्ति		
	मदें	**(रू. लाखों में))**
1.	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार कुल समेकित आस्तियाँ	10258141.86
2.	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या व्यापारिक संस्थाओं में निवेश हेतु समायोजन जो कि लेखांकन उद्देश्यों से परंतु विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर समेकित की गई हैं।	
3.	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपायों के अतिरिक्त प्रवर्तनशील लेखा संरचना के आधार पर तुलन–पत्र में मान्य प्रत्ययी आस्तियों का समायोजन।	
4.	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों का समायोजन	
5.	प्रतिभूति वित्तीय लेन–देनों का समायोजन (यथा रेपो तथा समान प्रतिभूतिकृत ऋण)	159500.00
6.	तुलन–पत्र में शामिल न होने वाली मदों का समायोजन (यथा तुलन–पत्र के अलावा एक्सपोजर के समतुल्य राशि जमा करने हेतु रूपांतरण)	1176358.03
7.	अन्य समायोजन	
8.	**लीवरेज अनुपात एक्सपोजर**	**11593999.39**

तालिका डी-एफ-18- लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेंपलेट		
	लीवरेज अनुपात मद संरचना	**(रू. लाखों में)**
	तुलन–पत्र एक्सपोजर	
1.	तुलन–पत्र की मदें (डेरिवेटिव तथा एसएफटी के अतिरिक्त परंतु संपार्श्विक सहित)	10258141.86
2.	(निर्धारक बेसल III टियर 1 पूँजी में घटाई गई आस्तियों की राशि)	(2565.02)
3.	**कुल तुलन-पत्र एक्सपोजर (डेरिवेटिव तथा एसएफटी के अतिरिक्त) (पंक्ति 1 व 2 का जोड़)**	**10255576.84**
	डेरिवेटिव एक्सपोजर	
4.	सभी डेरिवेटिव लेन–देनों में शामिल प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकदी परिवर्तन मार्जिन का कुल जोड़)	–
5.	सभी डेरिवेटिव लेन–देन में शामिल पीएफई हेतु पूरक राशि	–
6.	सकल डेरिवेटिव संपार्श्विक बशर्ते जिसमें प्रवर्तनशील लेखा संरचना के आधार पर तुलन–पत्र आस्तियों से कटौती की गई है।	–
7.	(डेरिवेटिव लेन–देनों मे दर्शाए गये नकदी घट–बढ़ मार्जिन हेतु प्राप्य आस्तियों की कटौतियाँ)	–
8.	(ग्राहक– समाशोधित व्यापार एक्सपोजर के लिए छूट प्राप्त सीसीपी लेग	–
9.	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	–
10.	लिखत ऋण डेरिवेटिव् हेतु समायोजित प्रभावी अनुमानित समराशि तथा पूरक कटौतियाँ	–
11.	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति 4 से 10 का जोड़)	–
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेन-देन एक्सपोजर –	
12.	सकल एसएफटी आस्तियाँ (नेटिंग के लिए मान्य नहीं), बिक्री लेखाकन लेन–देनों के समायोजन उपरांत	159500.00
13.	(सकल एसएफटी आस्तियों की देय नकदी तथा प्राप्य नकदी की निवल राशि)	–
14.	एसएफटी आस्तियों हेतु सीसीआर एक्सपोजर	–
15.	एजेंट लेन–देन एक्सपोजर	–
16.	कुल प्रतिभूति वित्तापोषण लेनदेन एक्सपोज़र (प्रतिभूति पंक्तियों 12 से 15 का कुल जोड़)	159500.00
	अन्य तुलनपत्रेतर से एक्सपोजर	
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	1681042.40
18	(ऋण समतुल्य राशि के रूपांतरण हेतु समायोजन)	(504684.38)
19	**तुलनपत्रेतर मदें (पंक्ति 17 तथा 18 का जोड़)**	1176358.03
	पूँजी तथा कुल एक्सपोजर	
20	**टीयर 1 पूँजी**	544470.93
21	**कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3,11,16 तथा 19 का जोड़)**	11591434.87
	लीवरेज अनुपात	
22	**बेसल III लीवरेज अनुपात**	4.70%

Table DF 17- Summary comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure		
	Item	**(Rs. in Lakhs)**
1.	Total consolidated assets as per published financial statements	10258141.86
2.	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	
3.	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	
4.	Adjustments for derivative financial instruments	
5.	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	159500.00
6.	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	1176358.03
7.	Other adjustments	
8.	**Leverage ratio exposure**	**11593999.39**

Table DF-18: Leverage ratio common disclosure template		
	Leverage ratio Item framework	**(Rs. in Lakhs)**
	On-balance sheet exposures	
1.	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	10258141.86
2.	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(2565.02)
3.	**Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)**	10255576.84
	Derivative exposures	
4.	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	-
5.	Add-on amounts transactions for PFE associated with all derivatives	-
6.	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	-
7.	(Deductions of margin provided receivables assets for cash variation in derivatives transactions)	-
8.	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	-
9.	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	-
10.	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	-
11.	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	-
	Securities financing transaction exposures -	
12.	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	159500.00
13.	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	-
14.	CCR exposure for SFT assets	-
15.	Agent transaction exposures	-
16.	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	159500.00
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	1681042.40
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(504684.38)
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	1176358.03
	Capital and total exposures	
20	**Tier 1 capital**	544470.93
21	**Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)**	11591434.87
	Leverage ratio	
22	**Basel III leverage ratio**	4.70%

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
महामहिम राष्ट्रपति महोदय,

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के 31 मार्च, 2016 की वित्तीय विवरणियों जिनमें 31 मार्च, 2016 का तुलन.पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ–हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी सहित लेखों से संबंधित टिप्पणियों का लेखा परीक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं, शाखाओं के लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित 536 शाखाएं हैं। हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार किया है। तुलन–पत्र तथा लाभ–हानि खाते में 925 शाखाओं से भेजी गई विवरणियाँ शामिल हैं जो लेखा परीक्षण के अधीन नहीं है। इन अपरीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का प्रतिशत 10 प्रतिशत, जमाराशियों का 28.15 प्रतिशत, अग्रिमों पर ब्याज आय का 6.64 प्रतिशत तथा जमा राशियों पर दिए गए ब्याज व्ययों का 25.54 प्रतिशत हिस्सा बनता है।

वित्तीय विवरणियों के लिए बैंक प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. बैंक प्रबंधन इन वित्तीय विवरणियों को लेखा मानकों के अनुसार तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जोकि बैंकिंग कानून के अनुसार तथा भारत में स्वीकार्य है। उत्तरदायित्व में डिजाईन, कार्यान्वयन तथा वित्तीय विवरणियों को तैयार करने हेतु आंतरिक नियंत्रण जो कि यथार्थ के अकथन, धोखाधड़ी या गलती के कारण हो सकता है, सम्मिलित है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर राय देना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने अपना लेखा परीक्षण सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुरूप यह वांछनीय है कि हम लेखा परीक्षण हेतु नैतिक आवश्यकताओं का ध्यान रखे और इस प्रकार योजना बनाएं एवं इसे पूर्ण करें ताकि यह विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरणियों में कोई भी कमी नहीं है।

4. एक लेखा परीक्षण में वित्तीय विवरणियों में किए गए प्रकटन और राशियों संबंधी साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया का परीक्षण सम्मिलित है। अपनाई गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती है जिसमें वित्तीय विवरणियों के विषय में दी गई गलत सूचना का आकलन सम्मिलित है जो धोखाधड़ी या गलती के कारण हो सकता है। लेखा परीक्षक परिस्थितियों के अनुरूप जोखिम भरा आकलन करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तथा वास्तविक प्रस्तुतिकरण पर विचार करता है न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविकता पर विचार व्यक्त करने के उद्देश्य से। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमान एवं वित्तीय विवरणों का विवरण शामिल रहता है।

5. हमें विश्वास है कि हमने लेखा परीक्षण में जो साक्ष्य प्राप्त किए हैं सामान्यता पूर्ण हैं और हमारे पक्ष के लिए एक उचित आधार हैं।

विषय का महत्वः

6. हमारी रिपोर्ट की विशेषता बताए बिना हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैंः

(i) नोट संख्या 1.1, 1.2 और 1.3 आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं के विभिन्न खातों की बकाया मदों के शेषों/निकासी पहचान/ समायोजित न होने के कारण इसके प्रभाव की आवश्यकता को निर्धारित नहीं किया जा सका है।

(ii) नोट सं. 10.9.3 जो कि लेखांकन बही के अनुसार निवेश मूल्य पर विविध खाता पर अंतर के संबंध में 355.05 करोड़ रु. की आस्थगित कर देयताओं के सृजन न करने तथा आयकर अभिकलन के लिए अंतर पर विचार करते हुए स्थाई होगा।

(iii) अपील में विलंबित विवादित कर देयताओं के संबंध में नोट सं. 10.9.5, जिसका प्रभाव निश्चित नहीं है।

(iv) बैंक की पूंजी पर्याप्तता बेसल–II तथा बेसल– III अन्य अनुपात जिन्हें बैंक द्वारा लेखों में प्रकट किया गया है, खातों पर टिप्पणियां, लेखा– नीतियों और उक्त परिच्छेद 6(i) से (iii) पर हमारी टिप्पणियों के अनुसार किए गए समायोजनों के अनुरूप है।

(v) नोट सं. 10.9.6 जो आयकर प्राधिकारियों द्वारा खराब ऋणों के दावे की स्वीकार्यता में अनिश्चतता का वर्णन करता है, की तुलना में स्वतंत्र विशेषज्ञ की राय के आधार पर बैंक ने निर्णय लिया है।

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,

The President of India

Report on the Financial Statements of Punjab & Sind Bank

1. We have audited the accompanying financial statements of Punjab & Sind Bank as at 31st March, 2016, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2016, and Profit and Loss Account and the cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 536 branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other branch auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss are the returns from 925 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 10.00 per cent of advances, 28.15 per cent of deposits, 6.64 per cent of interest income and 25.54 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with accounting standards generally accepted in India and applicable banking laws. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is generally sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Emphasis of matter:

6. Without qualifying our report, we draw attention to:

   (i) Note no. 1.1, 1.2 and 1.3 regarding non reconciliation of balances and clearances/identification of outstanding items in respect of various accounts of income, expenditure, assets and liabilities, the impact of which is not ascertainable.

   (ii) Note no.10.9.3 regarding non creation of deferred tax liability of Rs.355.05 crore in respect of difference on account of variation on the value of investment as per the books of account and for the income tax computation considering the difference to be permanent.

   (iii) Note no. 10.9.5 regarding disputed tax liabilities pending in appeals, the effect of which is not ascertainable

   (iv) Capital adequacy as per Basel – II and Basel – III and other ratios disclosed in the accounts by the bank are subject to adjustment arising out of the Notes on accounts, accounting policies and our remarks in Para 6 (i) to (iii) above.

   (v) Note No.10.9.6 regarding allowability of claim of bad debts by the Income Tax Authorities vis-a-vis stand taken by the bank based on expert independent opinion.

7. हमारी राय में जैसा कि बैंक के बहियों में दर्शाया गया है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह सूचित करते हैं किः–

(i) प्रमुख लेखा नीतियों तथा उन पर हमारी टिप्पणियों सहित पठनीय तुलन–पत्र एक पूर्ण एवं विशुद्व तुलन पत्र है जिसमें आवश्यक विवरण निहित हैं तथा इसे उचित ढ़ंग से तैयार किया गया है जिसमें बैंक के 31 मार्च 2016 के मामलों का उचित उल्लेख है जो कि भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप है;

(ii) लाभ हानि खाता एवं प्रमुख लेखा नीतियों जो कि भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप है तथा हमारी टिप्पणियों के साथ पठनीय समाप्त वर्ष के लिए वास्तविक लाभ शेष को दर्शाता है;

(iii) नकदी प्रवाह विवरणी उस तिथि पर समाप्त वर्ष तक की नकदी प्रवाह विवरणी के सत्य तथा वास्तविक नकदी प्रवाह को दर्शाती है।

अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र और लाभ हानि खाते, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची में दिए फार्म क्रमशः ''A'' तथा ''B'' में तैयार किए गए हैं।

9. उपरोक्त 1 से 5 तक परिच्छेदों में लेखा परीक्षा के आधार पर तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन तथा लेखा नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम रिपोर्ट करते हैं किः

क) जो सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक थे, हमने वे सभी सूचनाएं प्राप्त की हैं और इन्हें संतोषजनक पाया है।

ख) बैंक के ऐसे सभी लेन–देन हमारी जानकारी में आए हैं जो बैंक के अधिकारों के अंतर्गत थे।

ग) बैंक के कार्यालयों / शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को सामान्यतः लेखा परीक्षण हेतु उपयुक्त पाया गया है।

10. हमारी राय में, तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी लागू लेखा मानकों के अनुसार हैं।

कृते तिवारी एण्ड एसोशिएटस
सनदी लेखाकार

(देवेन्द्र मागो)
पार्टनर
एम.नं. 085739
एफआरएनः 002870एन

कृते ढिल्लों एण्ड एसोशिएटस
सनदी लेखाकार

(राजेश मल्होत्रा)
पार्टनर
एम.नं. 090661
एफआरएनः 002783एन

कृते धवन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(आई.जे. धवन)
पार्टनर
एम.नं. 081679
एफआरएनः 002864एन

कृते दविन्दर पाल सिंह एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(हरबन्स सिंह)
पार्टनर
एम.नं. 099109
एफआरएनः 007601एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 10 मई, 2016

7. In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us we further report that:

(i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2016 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

(iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, read with Notes on Accounts attached and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

   (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

   (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For Tiwari & Associates
Chartered Accountants

(Devender Magoo)
Partner
M. No. 085739
FRN : 002870N

For Dhillon & Associates
Chartered Accountants

(Rajesh Malhotra)
Partner
M. No. 090661
FRN : 002783N

For Dhawan & Co.
Chartered Accountants

(I. J. Dhawan)
Partner
M. No. 081679
FRN : 002864N

For Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants

(Harbans Singh)
Partner
M. No. 099109
FRN : 007601N

Place : New Delhi
Dated : 10 May, 2016

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
31 मार्च, 2016 का तुलन-पत्र

(000 छोड़कर)

		रूपए	रूपए
पूँजी तथा देयताएं	**अनुसूची**	**31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
पूँजी	1	4004110	4004110
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	55698068	51957641
जमाराशियाँ	3	912499639	867147160
उधार	4	28390136	30482300
अन्य देयताएं तथा प्रावधान	5	25222233	23942825
जोड़		**1025814186**	**977534036**

आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष	6	38225590	37561067
बैंकों में इतिशेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	10800119	4634006
निवेश	8	276450374	240065601
अग्रिम	9	639160737	638701767
स्थिर आस्तियाँ	10	11334398	9948284
अन्य आस्तियाँ	11	49842968	46623311
जोड़		**1025814186**	**977534036**
आकस्मिक देयताएं	12	149244638	144215606
वसूली के लिए बिल		11060694	7687285
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	17		
खातों से संबंधित टिप्पणियाँ	18		
अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग हैं।			

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता

(000 को छोड़कर)

			रूपए	रूपए
		अनुसूची	**31.3.2016 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2015 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)**
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	87443409	85885471
	अन्य आय	14	4784857	4287528
	जोड़		**92228266**	**90172999**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	65685540	69093525
	परिचालन व्यय	16	13843774	13324976
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		9339228	6541015
	जोड़		**88868542**	**88959516**
III.	**लाभ/हानि**			
	अवधि के शुद्ध लाभ/हानि (–)		3359724	1213483
	अग्रानीत लाभ/हानि (–)		16791869	16355120
	सामान्य आरक्षितियों से आहरण		104	0
	जोड़		**20151697**	**17568603**
	मूल एवं तनुकृत अर्जन प्रति शेयर		8.39	3.59

PUNJAB & SIND BANK
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2016

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
CAPITAL & LIABILITIES	**SCHEDULE**	**AS ON 31.03.16 [Audited]**	**AS ON 31.03.15 [Audited]**
Capital	1	4004110	4004110
Reserves & Surplus	2	55698068	51957641
Deposits	3	912499639	867147160
Borrowings	4	28390136	30482300
Other liabilities & Provisions	5	25222233	23942825
TOTAL		**1025814186**	**977534036**

ASSETS			
Cash & balances with Reserve Bank Of India	6	38225590	37561067
Balances with banks & money at call and short notice	7	10800119	4634006
Investments	8	276450374	240065601
Advances	9	639160737	638701767
Fixed Assets	10	11334398	9948284
Other Assets	11	49842968	46623311
TOTAL		**1025814186**	**977534036**
Contingent Liabilities	12	149244638	144215606
Bills for Collection		11060694	7687285
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		
Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2016

(000'S OMITTED)

			Rs.	Rs.
		SCHEDULE	**YEAR ENDED 31.03.16 [Audited]**	**YEAR ENDED 31.03.15 [Audited]**
I.	**INCOME**			
	Interest earned	13	87443409	85885471
	Other income	14	4784857	4287528
	TOTAL		**92228266**	**90172999**
II.	**EXPENDITURE**			
	Interest expended	15	65685540	69093525
	Operating expenses	16	13843774	13324976
	Provisions and contingencies		9339228	6541015
	TOTAL		**88868542**	**88959516**
III.	**PROFIT/LOSS**			
	Net Profit/ Loss (-) for the period		3359724	1213483
	Profit/ Loss(-) brought forward		16791869	16355120
	Withdrawal from General Reserve		104	0
	TOTAL		**20151697**	**17568603**
	Basic & Diluted Earning per share (EPS)		8.39	3.59

IV.	**विनियोजन**			
	अंतरणः सांविधिक आरक्षित निधियाँ		840000	480000
	पूँजी आरक्षित निधि (निवेश)		211511	0
	धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां		177239	2320
	प्रस्तावित लाभांशः (ईक्विटी)		660678	240247
	लाभांश वितरण कर		134499	54167
	शेष को आगे तुलन–पत्र में ले जाया गया		18127770	16791869
	जोड़		**20151697**	**17568603**
	उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	17		
	खातों से संबंधित टिप्पणियाँ	18		
	अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग हैं।			

जतिंदरबीर सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मुकेश कुमार जैन
कार्यकारी निदेशक

अरविन्द कुमार जैन
कार्यकारी निदेशक

एस.आर. मेहर
निदेशक

पी.के. जेना
निदेशक

अनीता कर्णावर
निदेशक

एस.पी. बबूता
निदेशक

एम.एस. सारंग
निदेशक

अतनु सेन
निदेशक

आई.एस. भाटिया
महाप्रबंधक

दीपक मैनी
महाप्रबंधक

जी.एस. ढल्ल
महाप्रबंधक

डी.डी. शर्मा
महाप्रबंधक

वरिंदर गुप्ता
महाप्रबंधक

हरविंदर सिंह
महाप्रबंधक

आर.के. बंसल
महाप्रबंधक

जी.एस. ढींगरा
महाप्रबंधक

वी.के. मेहरोत्रा
सहायक महाप्रबंधक

ए.एस. अहूजा
सहायक महाप्रबंधक

सी.एम. सिंह
मुख्य प्रबंधक

समतिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते तिवारी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002870एन

(देवेन्द्र मागो)
एम.नं. 085739

कृते ढिल्लोंक एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002783एन

(राजेश मल्होत्रा)
एम.नं. 090661

कृते धवन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002864एन

(आई.जे.धवन)
एम.नं. 081679

कृते दविन्दर पाल सिंह एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 007601एन

(हरबंस सिंह)
एम.नं. 099109

नई दिल्ली
दिनांकः 10.05.2016

IV.	**APPROPRIATIONS**			
	Transfer to: Statutory Reserve		840000	480000
	Capital Reserve [Investment]		211511	0
	Special Reserve u/s 36(1)(viii)		177239	2320
	Proposed Dividend (Equity)		660678	240247
	Dividend Distribution Tax		134499	54167
	Balance carried over to Balance Sheet		18127770	16791869
	TOTAL		**20151697**	**17568603**
	Significant Accounting Policies	17		
	Notes on Accounts	18		
	Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

JATINDERBIR SINGH
CHAIRMAN & MG.DIRECTOR

MUKESH KUMAR JAIN
EXECUTIVE DIRECTOR

ARVIND KUMAR JAIN
EXECUTIVE DIRECTOR

S.R. MEHAR
DIRECTOR

P.K. JENA
DIRECTOR

ANITA KARNAVAR
DIRECTOR

ATANU SEN
DIRECTOR

S.P.BABUTA
DIRECTOR

M.S. SARANG
DIRECTOR

I.S. BHATIA
GENERAL MANAGER

DEEPAK MAINI
GENERAL MANAGER

G.S. DHALL
GENERAL MANAGER

D.D.SHARMA
GENERAL MANAGER

VARINDER GUPTA
GENERAL MANAGER

HARVINDER SINGH
GENERAL MANAGER

R.K. BANSAL
GENERAL MANAGER

G.S. DHINAGA
GENERAL MANAGER

V.K. MEHROTRA
ASSTT GEN.MANAGER

A.S. AHUJA
ASSTT GEN. MANAGER

C.M. SINGH
CHIEF MANAGER

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE.

FOR TIWARI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 002870N

[DEVENDER MAGOO]
M.No.085739

FOR DHILLON & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 002783N

[RAJESH MALHOTRA]
M.No.090661

FOR DHAWAN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 002864N

[I.J.DHAWAN]
M.No.081679

FOR DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 007601N

[HARBANS SINGH]
M.No.099109

NEW DELHI
DATED 10.05.2016

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 1 – पूँजी	**31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	प्राधिकृत पूँजी :		
I.	इक्विटी शेयर पूँजी प्रत्येक रू. 10/. के 75,00,00,000 शेयर	7500000	7500000
II.	अधिमान शेयर पूँजी (बेमियादी गैर–संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.) प्रत्येक रू. 10/. के 225,00,00,000 शेयर	22500000	22500000
		30000000	**30000000**
	निर्गम, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी :		
I.	इक्विटी शेयर पूँजी प्रत्येक रू. 10/– के 40,04,11,027 शेयर (पिछले वर्ष 40,04,11,027) जिसमें केन्द्रीय सरकार की धारिता में प्रत्येक रू.10/– के 31,88,22,775 शेयर (पिछले वर्ष 31,88,22,775) सम्मिलित हैं।	4004110	4004110
II.	अधिमान शेयर पूँजी (बेमियादी गैर–संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.) शून्य (पिछले वर्ष केन्द्रीय सरकार की धारिता में प्रत्येक रू. 10/– के 20,00,00,000 शेयर)	0	0
	कुल [I+II]	**4004110**	**4004110**

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 2 – आरक्षित निधि एवं अधिशेष	**31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
I	**सांविधिक आरक्षित निधि**		
	अथशेष	9491906	9011906
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	840000	480000
	उप–योग– I	**10331906**	**9491906**
II.	**पूँजी आरक्षित निधि ––**		
	क. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि (स्थायी आस्तियाँ)		
	अथशेष	7845513	8307590
	जमाः वर्ष के दौरान परिवर्धन	1344944	0
	घटाः वर्ष के दौरान कटौतियाँ	–169064	–462077
	उप–योग II क	**9021393**	**7845513**
	ख. पूँजी आरक्षित निधि (निवेश)		
	अथशेष	2722729	2722729
	जमाः वर्ष के दौरान परिवर्धन	211511	0
	उप–योग II ख	**2934240**	**2722729**
III.	शेयर प्रीमियम		
	अथ शेष	13180418	7039807
	जमाः वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	6148732
	जमाः सार्वजनिक निर्गम व्यय	0	–8121
	उप–योग – III	**13180418**	**13180418**
IV.	**राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियाँ**		
	क) सामान्य आरक्षित		
	अथ शेष	1089107	1089107
	जमाः वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	घटाः वर्ष के दौरान कटौतियाँ	–104	0
	उप–योग– IV. क	**1089003**	**1089107**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 1-CAPITAL	**AS ON 31.03.16 [Audited]**	**AS ON 31.03.15 [Audited]**
	Authorised Capital :		
I.	Equity Share Capital 75,00,00,000 shares of Rs.10/- each	7500000	7500000
II.	Preference Share Capital (Perpetual Non-cumulative) (PNCPS) 225,00,00,000 shares of Rs.10/- each	22500000	22500000
		30000000	30000000
	Issued, Subscribed and Paid-up Capital:		
I.	Equity Share Capital 40,04,11,027 (Previous Year 40,04,11,027) shares of Rs.10/- each [including 31,88,22,775 (Previous Year 31,88,22,775) shares of Rs.10/- each held by Central Government]	4004110	4004110
II.	Preference Share Capital (Perpetual Non-cumulative) (PNCPS)	0	0
	TOTAL [I+II]	4004110	4004110

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS	**AS ON 31.03.16 [Audited]**	**AS ON 31.03.15 [Audited]**
I.	**Statutory Reserves**		
	Opening Balance	9491906	9011906
	Addition during the year	840000	480000
	Sub Total I	**10331906**	**9491906**
II.	**Capital Reserves:**		
	a.Revaluation Reserve (Fixed Assets):		
	Opening Balance	7845513	8307590
	Add: Addition during the year	1344944	0
	Less:Deduction during the year	-169064	-462077
	Sub Total II.a	**9021393**	**7845513**
	b.Capital Reserve [Investments]		
	Opening Balance	2722729	2722729
	Add: Addition during the year	211511	0
	Sub-Total II.b	**2934240**	**2722729**
III.	**Share Premium:**		
	Opening Balance	13180418	7039807
	Add: Addition during the year	0	6148732
	Less: Share Issue Expenses	0	-8121
	Sub-Total III	**13180418**	**13180418**
IV.	**Revenue & Other Reserves**		
	a). General Reserves		
	Opening Balance	1089107	1089107
	Add: Addition during the year	0	0
	Less: Deduction during the year	-104	0
	Sub-Total IV.a	**1089003**	**1089107**

	ख) राजस्व आरक्षित निधि :		
	अथशेष	105700	105700
	जमाः वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	उप–योग IV.ख	**105700**	**105700**
	ग) विशेष आरक्षित धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत(–)		
	अथशेष	693582	691262
	जमाः वर्ष के दौरान परिवर्धन	177239	2320
	उप–योग IV ग	**870821**	**693582**
	घ) आरक्षित निवेश		
	अथ शेष	36817	36817
	जमाः वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	उप–योग IV घ	**36817**	**36817**
V	लाभ–हानि खाते में शेष	18127770	16791869
	कुल योग (I–V)	**55698068**	**51957641**

(000 को छोड़कर)

		रूपए	**रूपए**
	अनुसूची 3 – जमा राशियाँ	**31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
क.	**क) 1.) क. मांग जमा**		
	i) बैंकों से	275159	329788
	ii) अन्य से	49816761	47560829
	ख. बचत बैंक जमा राशियाँ	157199251	138809830
	ग. मियादी जमा		
	i) बैंकों से	41366332	50249320
	ii) अन्य से	663842136	630197393
	जोड़ (I+II+III)	912499639	867147160
ख)	**भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ**	**912499639**	**867147160**

(000 को छोड़कर)

		रूपए	**रूपए**
	अनुसूची 4 -- उधार	**31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	1.) भारत में उधार		
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक	7950000	1950000
	ii) अन्य बैंक	0	0
	iii) अन्य संस्थान और अभिकरण	7190136	15282300
	iv) गौण ऋण	13250000	13250000
	2.) भारत से बाहर उधार	0	0
	जोड़ (1+2)	**28390136**	**30482300**
	उपरोक्त जोड़ (1) और (2) में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	7950000	0

	b). Revenue Reserve:		
	Opening Balance	105700	105700
	Add: Addition during the year	0	0
	Sub-Total IV.b	**105700**	**105700**
	c). Special Reserve u/s 36(i) (viii):		
	Opening Balance	693582	691262
	Add: Addition during the year	177239	2320
	Sub-Total IV.c	**870821**	**693582**
	d). Investment Reserve		
	Opening Balance	36817	36817
	Add: Addition during the year	0	0
	Sub-Total IV.d	**36817**	**36817**
V.	**Balance in Profit & Loss Account**	18127770	16791869
	Total [I to V]	**55698068**	**51957641**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 3 - DEPOSITS	**AS ON 31.03.16 [Audited]**	**AS ON 31.03.15 [Audited]**
A	I. Demand Deposits		
	i. From Banks	275159	329788
	ii. From others	49816761	47560829
	II. Savings Bank Deposits	157199251	138809830
	III. Term Deposits		
	i. From Banks	41366332	50249320
	ii. From others	663842136	630197393
	TOTAL [I+II+III]	**912499639**	**867147160**
B	**Deposits of branches in India**	**912499639**	**867147160**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 4 - BORROWINGS	**AS ON 31.03.16 [Audited]**	**AS ON 31.03.15 [Audited]**
	I. Borrowings in India		
	i) Reserve Bank of India	7950000	1950000
	ii) Other Banks	0	0
	iii) Other institutions & agencies	7190136	15282300
	iv) Subordinated Debt	13250000	13250000
	II. Borrowings outside India	0	0
	TOTAL [I & II]	**28390136**	**30482300**
	Secured borrowings Included in I & II above	7950000	0

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 5 – अन्य देयताएं और प्रावधान	**31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I. देय बिल	2463064	2305927
	II. अंतर्कार्यालय समायोजन (निवल)	663316	326730
	III. प्रोद्भूत ब्याज	9209871	6779186
	IV. आस्थगित कर देयता	2007552	1014161
	VI. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	10878430	13516821
	जोड़	**25222233**	**23942825**

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 6 – नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास इतिशेष	**31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)	2507299	1984576
	II. भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष		
	i) चालू खातों में	35718291	33576491
	ii) अन्य खातों में	0	2000000
	जोड़ (I तथा II)	**38225590**	**37561067**

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 7 – बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	**31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	1.) भारत में		
	i) बैकों में शेष		
	क) चालू खातों में	559486	538493
	ख) अन्य जमा खातों में	0	0
	ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
	क) बैंकों से	7000000	1500000
	ख) अन्य संस्थाओं से	1000000	0
	उप योग– (1)	**8559486**	**2038493**
	2.) भारत के बाहर		
	i) चालू खातों में	2240633	2595513
	ii) अन्य जमा खातों में	0	0
	iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	0	0
	उप–योग (2)	**2240633**	**2595513**
	जोड़ (1+2)	**10800119**	**4634006**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	**AS ON 31.03.16 [Audited]**	**AS ON 31.03.15 [Audited]**
	I. Bills Payable	2463064	2305927
	II. Inter-office adjustments [net]	663316	326730
	III. Interest accrued	9209871	6779186
	IV. Deferred Tax Liability	2007552	1014161
	V. Others (including provisions)	10878430	13516821
	TOTAL	**25222233**	**23942825**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 6 - CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	**AS ON 31.03.16 [Audited]**	**AS ON 31.03.15 [Audited]**
	I. Cash in hand [including foreign currency notes]	2507299	1984576
	II. Balances with Reserve Bank of India		
	i) in Current Account	35718291	33576491
	ii) in Other Account	0	2000000
	TOTAL [I & II]	**38225590**	**37561067**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE	**AS ON 31.03.16 [Audited]**	**AS ON 31.03.15 [Audited]**
	I. In India		
	i) Balance with banks		
	a) in Current Accounts	559486	538493
	b) in other Deposit Accounts	0	0
	ii) Money at call & Short notice		
	a) with banks	7000000	1500000
	b) with other institutions	1000000	0
	SUB-TOTAL [I]	**8559486**	**2038493**
	II. Outside India		
	i) In Current Accounts	2240633	2595513
	ii) In Other Deposit Accounts	0	0
	iii) Money at call & Short notice	0	0
	SUB-TOTAL [II]	**2240633**	**2595513**
	TOTAL [I & II]	**10800119**	**4634006**

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 8 – निवेश	**31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	1.) भारत में निवेश		
	i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	**210920097	208374282
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	106863	105483
	iii) शेयर	1344994	1493791
	iv) डिबैंचर तथा बांड्स	62451034	29942231
	v) सहायक इकाईयां, तथा संयुक्त उपक्रम एवं प्रायोजित संस्थान	6537	6537
	vi) अन्य		
	क) वाणिज्यिक पत्र/सीडी/प्रतिभूति रसीदें	1476516	0
	ख) यू.टी.आई.के यूनिट, अन्य म्युचुअल फंड	144333	143277
	उप-योग (I)	**276450374**	**240065601**
	II. भारत से बाहर निवेश	शून्य	शून्य
	कुल योग (I+II)	**276450374**	**240065601**
	कुल मूल्य	276933963	240465492
	मूल्य ह्रास का प्रावधान (–)	483589	399891
	निवल निवेश	**276450374**	**240065601**

** इनमें रू.1018.38 करोड़ की भारग्रस्त प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य रू.1042.68 करोड़) सम्मिलित हैं। पिछले वर्ष यह रू. 1051.05 करोड़ (अंकित मूल्य रू.1064.76 करोड़) थी।

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 9 – अग्रिम	**31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
क)	i) क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल	3442908	4081355
	ii) नकदी उधार, अधिविकर्ष और मांग पर प्रतिदेय उधार	211463237	189636157
	iii) मीयादी ऋण	424254592	444984255
	जोड़	**639160737**	**638701767**
ख)	**i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत** (बही ऋण के एवज़ अग्रिम सहित)	552458512	477592852
	ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित	15894633	63076799
	iii) प्रतिभूति रहित	70807592	98032116
	जोड़	**639160737**	**638701767**
ग)	**भारत में अग्रिम**		
	i) प्राथमिकता क्षेत्र	208537378	175715853
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	102329140	148296701
	iii) बैंक	3500299	2999990
	iv) अन्य	324793920	311689223
	जोड़	**639160737**	**638701767**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 8 - INVESTMENTS	**AS ON 31.03.16 [Audited]**	**AS ON 31.03.15 [Audited]**
	I. Investments in India in		
	i) Government Securities	**210920097	208374282
	ii) Other approved securities	106863	105483
	iii) Shares	1344994	1493791
	iv) Debentures & Bonds	62451034	29942231
	v) Subsidiaries, and/or Joint Ventures & Sponsored Institutions	6537	6537
	vi) Others:		
	a) Commercial Paper/CD/Securitised Receipts	1476516	0
	b) Units of UTI, other MF	144333	143277
	SUB-TOTAL [I]	**276450374**	**240065601**
	II. Investments outside India	Nil	Nil
	TOTAL [I + II]	**276450374**	**240065601**
	Gross Value	276933963	240465492
	Provision for Depreciation [-]	483589	399891
	Net Investments	**276450374**	**240065601**

** Includes encumbered securities of Rs.1018.38 crore [Face Value Rs.1042.68 crore] previous year Rs.1051.05 crore [Face Value Rs.1064.76 crore]

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 9 - ADVANCES	**AS ON 31.03.16 [Audited]**	**AS ON 31.03.15 [Audited]**
A	i) Bills purchased & discounted	3442908	4081355
	ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	211463237	189636157
	iii) Term Loans	424254592	444984255
	Total	**639160737**	**638701767**
B	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	552458512	477592852
	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	15894633	63076799
	iii) Unsecured	70807592	98032116
	Total	**639160737**	**638701767**
C	**ADVANCES IN INDIA**		
	i) Priority Sector	208537378	175715853
	ii) Public Sector	102329140	148296701
	iii) Banks	3500299	2999990
	iv) Others	324793920	311689223
	Total	**639160737**	**638701767**

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 10 – स्थायी आस्तियाँ	**31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	1.) परिसर		
	परिसर का मूल्य (अथ शेष)	867252	823714
	पुनर्मूल्यन के दौरान लागत में परिवर्धन	8545280	8545280
	उप- योग	**9412532**	**9368994**
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	वास्तविक लागत	288923	45403
	पुनर्मूल्यन लागत पर	9190459	0
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
	वास्तविक लागत पर	–1376	0
	पुनर्मूल्यन लागत पर	–8545280	0
	घटाएं– अद्यतित दिनांक को मूल्यह्रास		
	वास्तविक लागत पर	–287941	–240496
	पुनर्मूल्यन लागत पर	–169064	–699765
	जोड़ ।	**9888253**	**8474136**
	2.) अन्य स्थायी आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और जुड़नार सम्मिलित हैं)		
	मूल्य (अथ शेष)	3801357	3044978
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	394298	803901
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	–57213	–47522
	अद्यतन मूल्यह्रास	–2692297	–2327209
	जोड़ 2	**1446145**	**1474148**
	कुल जोड़ (1+2)	**11334398**	**9948284**

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ	**31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I. अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
	I. प्रोद्भूत ब्याज	5113047	5333156
	II. अग्रिम रूप से संदत्त/स्रोत पर काटा गया कर	1828363	3945566
	III लेखन सामग्री और स्टाम्प	41274	46329
	IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	0	0
	V. अन्य $$	42860284	37298260
	जोड़	**49842968**	**46623311**

$$ इसमें नाबार्ड के पास आरआईडीएफ के अंतर्गत रु. 2978.07 करोड़ (विगत वर्ष रु. 2745.14 करोड़) की राशि सम्मिलित है।

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS	**AS ON 31.03.16 [Audited]**	**AS ON 31.03.15 [Audited]**
	I. Premises		
	Cost [Opening Balance]	867252	823714
	Appreciation in cost on account of revaluation	8545280	8545280
	Sub-Total	**9412532**	**9368994**
	Additions during the year		
	Original Cost	288923	45403
	Revaluation Cost	9190459	0
	Deductions during the year on		
	Original Cost	-1376	0
	Revaluation Cost	-8545280	0
	Less Depreciation to date on		
	Original cost	-287941	-240496
	Revaluation cost	-169064	-699765
	Total-I	**9888253**	**8474136**
	II. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
	Cost [Opening Balance]	3801357	3044978
	Additions during the year	394298	803901
	Deductions during the year	-57213	-47522
	Depreciation to date	-2692297	-2327209
	Total II	**1446145**	**1474148**
	TOTAL I & II	**11334398**	**9948284**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS	**AS ON 31.03.16 [Audited]**	**AS ON 31.03.15 [Audited]**
	I. Inter-office adjustments [net]	0	0
	II. Interest accrued	5113047	5333156
	III. Tax paid in advance/ Tax deducted at source	1828363	3945566
	IV. Stationery & Stamps	41274	46329
	V. Non Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
	VI. Others $$	42860284	37298260
	TOTAL	**49842968**	**46623311**
$$ Includes deposits placed with NABARD under RIDF Rs.2978.07 crore [Previous Year Rs.2745.14 crore]			

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची– 12 – आकस्मिक देयताएं	**31.3.2016 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I. बैंक विरुद्व ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	30853	33700
	II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	0	0
	III. बकाया वायदा विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए देयता	123302179	118961774
	IV संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियाँ		
	क) भारत में	21679075	20706192
	ख) भारत के बाहर		
	V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं	1658383	1582061
	VI अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	2574148	2931879
	जोड़	**149244638**	**144215606**

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज	**31.3.2016 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2015 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)**
	I. ब्याज/अग्रिमों पर मितिकाटा/बिल	66553489	63748107
	II. निवेशों पर आय	18965071	20088470
	III. भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अन्तर बैंक निधियों पर ब्याज	216607	646915
	IV अन्य	1708242	1401979
	जोड़	**87443409**	**85885471**

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 14 – अन्य आय	**31.3.2016 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2015 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)**
	I कमीशन, विनिमय और दलाली	810132	763995
	II निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	1401155	1336627
	III भूमि, भवन तथा आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल)	397	402
	IV विनिमय लेन–देन पर लाभ (निवल)	375701	343741
	V. विविध आय	2197472	1842763
	जोड़	**4784857**	**4287528**

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 15 – अपचित ब्याज	**31.3.2016 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2015 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)**
	I जमाराशियों पर ब्याज	63123639	66960328
	II भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	658960	643121
	III अन्य	1902941	1490076
	जोड़	**65685540**	**69093525**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES	**AS ON 31.03.16 [Audited]**	**AS ON 31.03.15 [Audited]**
	I. Claims against the bank not acknowledged as debts	30853	33700
	II. Liability for partly paid investments	0	0
	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	123302179	118961774
	IV. Guarantees given on behalf of Constituents		
	a) In India	21679075	20706192
	b) Outside India		
	V. Acceptances, Endorsements and other obligations	1658383	1582061
	VI. Other items for which the bank is contingently liable	2574148	2931879
	TOTAL	**149244638**	**144215606**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED	**Year Ended 31.03.16 [Audited]**	**Year Ended 31.03.15 [Audited]**
	I. Interest/discount on advances/ bills	66553489	63748107
	II. Income on investments	18965071	20088470
	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	216607	646915
	IV. Others	1708242	1401979
	TOTAL	**87443409**	**85885471**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 14 - OTHER INCOME	**Year Ended 31.03.16 [Audited]**	**Year Ended 31.03.15 [Audited]**
	I. Commission, exchange and brokerage	810132	763995
	II. Profit on sale of Investments [net]	1401155	1336627
	III. Profit on sale of land, buildings and other assets [net]	397	402
	IV. Profit on exchange transactions [net]	375701	343741
	V. Miscellaneous Income	2197472	1842763
	TOTAL	**4784857**	**4287528**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED	**Year Ended 31.03.16 [Audited]**	**Year Ended 31.03.15 [Audited]**
	I. Interest on deposits	63123639	66960328
	II. Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	658960	643121
	III. Others	1902941	1490076
	TOTAL	**65685540**	**69093525**

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 16 – परिचालन व्यय	**31.3.2016 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2015 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)**
	I कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान	8940267	8743349
	II किराया, कर और रोशनी	1267535	1070651
	III मुद्रण एवं लेखन सामग्री	88433	94922
	IV विज्ञापन और प्रचार	14368	22381
	V बैंक की सम्पति पर मूल्यह्रास	626420	922454
	घटा : पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से अंतरण	169064	462077
		457356	460377
	VI निदेशकों का शुल्क, भत्ते और व्यय	2714	2156
	VII लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं)	93479	90614
	VIII विधि प्रभार	175947	143259
	IX डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि	87772	90121
	X मरम्मत और अनुरक्षण	123838	146184
	XI बीमा	793475	790339
	XII अन्य व्यय	1798590	1670623
	जोड़	**13843774**	**13324976**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES	**Year Ended 31.03.16 [Audited]**	**Year Ended 31.03.15 [Audited]**
	I. Payments to and provisions for employees	8940267	8743349
	II. Rent, taxes and lighting	1267535	1070651
	III. Printing and stationery	88433	94922
	IV. Advertisement & publicity	14368	22381
	V. Depreciation on Bank's property	626420	922454
	Less: Transfer from Revaluation Reserve	169064	462077
		457356	460377
	VI. Directors' fees, allowances and expenses	2714	2156
	VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fee & expenses)	93479	90614
	VIII. Law Charges	175947	143259
	IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	87772	90121
	X. Repairs & maintenance	123838	146184
	XI. Insurance	793475	790339
	XII. Other expenditure	1798590	1670623
	TOTAL	**13843774**	**13324976**

अनुसूची – 17

प्रमुख लेखा नीतियाँ

1. सामान्य

मूल–भूत आधार

वित्तीय विवरणों को लेखा उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा जहाँ अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो एवं सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धातों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक आवश्यकताओं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशा–निर्देशों तथा कंपनियों द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों (लेखा मापदंडों) नियमों, 2006 भारत में बैंकिंग उद्योग में लागू और वर्तमान कार्यकलापों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है।

प्राकल्लन का उपयोग

प्रबंधन को रिपोर्ट की गई विचाराधीन आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि और रिपोर्ट की अवधि में रिपोर्ट किए गए आय तथा व्यय और वित्तीय विवरणियों की तिथि के अनुसार, को बनाने में अनुमान और कल्पना करनी पड़ती है। प्रबंधन विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणियों को बनाने में किए गए अनुमान विवेकपूर्ण तथा उचित हैं।

2. विदेशी मुद्रा लेन–देन

2.1 विदेशी मुद्राओं वाली समस्त मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं का भारतीय रुपये में परिवर्तन तुलन–पत्र की दिनांक को लागू विनिमय दरों पर किया गया है, जिन्हें भारतीय विदेशी विनिमय व्यापारी संघ (फैडाई) द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके लाभ–हानि की गणना लाभ–हानि खाते में की गई है।

2.2 बकाया विदेशी मुद्रा सौदे को सौदे की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार किया गया है। ऐसे सौदों में लाभ या हानि की संगणना फैडाई के द्वारा दी गई दरों पर तथा फैडाई के दिशा–निर्देशों तथा ए.एस. 11 के पैरा 38 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

2.3 विदेशी विनिमय लेन–देन से संबंधित आय एवं व्यय मदों को कारोबार के दिन लागू विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।

2.4 स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्वों पर आकस्मिक देयताएं, विदेशी मुद्रा गारंटी एवं साख–पत्र का मूल्यांकन फैडाई द्वारा वार्षिक संवरण की दिनांक को जारी दरों पर किया गया है जबकि समाहरण के लिए बिलों को प्रस्तुतिकरण के समय अनुमानित दरों पर लेखाबद्ध किया गया है।

3. निवेश

3.1 निवेश से संबंधित वर्गीकरण तथा मूल्यांकन को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकशील मानदंडों के अनुरूप किया गया है जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों/दिशा–निर्देशों के अनुरूप है।

3.2 समस्त निवेश संविभाग को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे 'परिपक्वता तक रखना' 'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा ''व्यापार हेतु रखना'' जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों/निर्देशों के अनुरूप है। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत निवेशों का प्रकटीकरण निम्नांकित छह वर्गीकरणों के अनुरूप किया गया हैः

- I. सरकारी प्रतिभूतियां
- II. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
- III. शेयर
- IV. ऋणपत्र (डिबेन्चर्स)
- V. सहायक ईकाइयाँ/संयुक्त उपक्रम तथा
- VI. अन्य

3.3 वर्गीकरण का आधार

I. ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता हो, उन्हें 'परिपक्वता तक रखना' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

II. ऐसे निवेश जिन्हें खरीदने की तारीख से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनः विक्रय के लिए रखा हो, उन्हें 'व्यांपार के लिए रखने' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

III. ऐसे निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हों, उन्हें ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

IV. निवेशों को खरीदते समय उक्त तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्यतः बोर्ड के अनुमोदन से वर्ष में एक बार किया जाता है। अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत से कम मूल्य/बहीमूल्य/बाजार मूल्य पर अंतरित किया गया है तथा इस प्रकार के अंतरण पर मूल्य ह्रास पर प्रावधान पूर्णतया किया गया है और प्रतिभूतियों के अंकित मूल्यों में तदनुसार परिवर्तन किया गया है।

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. General

BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared and presented under historical cost convention on accrual basis of accounting unless otherwise stated and comply with Generally accepted accounting principles, statutory requirements prescribed under Banking Regulation Act, 1949, circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time and notified accounting standards by companies (Accounting Standards) Rules, 2006 to the extent applicable and current practices in Banking Industry in India.

USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. Foreign Exchange Transactions

2.1 All the Monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated in Indian rupees at the exchange rates prevailing at the Balance Sheet date as notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). The resultant gain / loss is accounted for in the Profit & Loss account.

2.2 The outstanding foreign exchange contracts are stated at the prevailing exchange rate on the date of commitment. Profit or loss on such contracts is accounted for as per rates advised by FEDAI and in accordance with FEDAI guidelines and provisions of para 38 of AS-11.

2.3 Items of Income and expenditure relating to foreign exchange transactions are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transactions.

2.4 Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees in foreign currencies are valued at year end closing rates published by FEDAI except Bills for Collection which are accounted for at the notional rates at the time of lodgment.

3. Investments

3.1 Classification and valuation of investments are made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India read with clarifications / directions given by RBI.

3.2 The entire investment portfolio is classified into three categories, viz, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading in line with the guidelines / directions of Reserve Bank of India. Disclosure of the investments under the three categories mentioned above is made under six classifications viz.,

i. Government Securities
ii. Other approved securities
iii. Shares
iv. Debentures
v. Subsidiaries / Joint Ventures and
vi. Others

3.3 **Basis Of Classification**:

i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.

ii. Investments that are held principally for resale within 90 Days from the date of purchase are classified as Held for Trading.

iii. Investments which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.

iv. An investment is classified under the above three categories at the time of its purchase. Shifting of securities from AFS to HTM and vice versa can be done with the approval of the Board normally once in a year. Shifting is effected at the lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such shifting is fully provided for and the book value of securities is changed accordingly.

3.4 प्रतिभूतियां, जिन्हें ''परिपक्वता तक रखना है'' को अधिग्रहण लागत मूल्य पर लिया गया है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम स्वतः परिपक्वता की शेष अवधि के भीतर परिशोधनीय है। ऐसे परिशोधन को अनुसूची 13 मद ⅳ में ''निवेशों पर आय'' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। जहाँ लागत मूल्य प्रतिदान मूल्य से कम है, वहाँ अंतर वसूली योग्य न होने के कारण इस आय को नहीं लिया गया है। सहायक ईकाइयाँ तथा संयुक्त उपक्रम के निवेश के मूल्य में अस्थायई तौर पर आई कमी के लिए प्रत्येक निवेश हेतु अलग–अलग लिया गया है।

3.5 ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' खाते के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिप–वार किया गया है तथा ह्रास/वृद्धि को श्रेणी वार पृथक किया गया है। शुद्ध वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है जबकि प्रत्येक श्रेणी में शुद्ध ह्रास का प्रावधान किया गया है।

3.6 ''व्या पार हेतु रखी गई प्रतिभूतियों'' का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है एवं प्रत्येक वर्ग में शुद्ध मूल्यह्रास को लगाया गया है तथा शुद्ध वृद्धि, यदि कोई है, को शामिल नहीं किया गया है।

3.7 निवेशों की लागत वर्ग के अनुरूप भारित औसतन लागत विधि पर आधारित है।

3.8 ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' एवं 'व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूति' श्रेणी के अन्तर्गत प्रतिभूतियों के निवेश मूल्य कोष ''बाजार दर'' निर्धारण हेतु स्टॉक एक्सचेंजों पर दिए गए भाव दरों के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक की मूल्य सूची, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पी.डी.ए.आई) की फिक्सड इन्कम मनी मार्किट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित किए गए मूल्यों के अनुरूप किया गया है।

अवर्गीकृत निवेशों के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई गई हैः

क.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिम्डा / पीडीएआई द्वारा दी गई दरों पर।
ख.	राज्य सरकार ऋण, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, अधिमान शेयरों, ऋण पत्रों तथा पी.एस.यू बाण्डस	फिम्डा/पीडीएआई द्वारा दी गई दरों के अनुरूप (वाई.टी.एम.) पर लाभ के आधार पर जोकि पीडीएआई/ फिम्डा एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
ग.	ईक्विटी शेयर्स	नवीनतम तुलन –पत्र पर आधारित ब्रेकअप मूल्य के आधार पर, जो कि मूल्यांकन की तिथि पर एक वर्ष से पुरानी नहीं है। ऐसे प्रकरणों में जहां पर नवीनतम तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है शेयरों का मूल्य 1/- रूपये प्रति कम्पनी माना गया है।
घ.	म्यूचुअल फंड यूनिट्स :	पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य पर।
ड़.	ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, पुनःपूंजीगत बांड्स, सहायक संयुक्त उपक्रम प्रायोजित संस्थान	शुद्ध लागत पर ।

3.9 निवेशों के अधिग्रहण मूल्य का निर्धारणः

क. अभिदान के समय प्राप्त प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया गया है।

ख. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर व्यय की गई दलाली/कमीशन/स्टांप ड्यूटी को राजस्व व्यय में लिया गया है।

ग. निवेशों के अधिग्रहण पर दिए खंडित अवधि के प्रदत्त ब्याज को, यदि कोई हो, लाभ–हानि खाते के नामे डाला गया है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज आय माना गया है।

3.10 निवेशों की बिक्री से लाभ–हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। फिर भी, ''परिपक्वता तक रखना'' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से आय पर लाभ की स्थिति में इसके समतुल्य लाभ राशि को आरक्षित पूंजी में विनियोजित किया गया है।

3.11 गैर–निष्पादित निवेशः

गैर–निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय की पहचान नहीं की गई है तथा ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार मूल्यह्रास के लिए उपयुक्त प्रावधान किये गये हैं।

3.12 शेयरों तथा म्यूचुअल फंड पर लाभांश आय प्राप्ति के आधार पर आय की गणना की जाती है।

3.13 यदि किसी मामले में, 'एएफएस' और 'एचएफटी' श्रेणियों पर किसी भी वर्ष में मूल्य–हास के कारण किए गए प्रावधान आवश्यक राशि से अधिक पाया जाता है तो अतिरिक्त राशि को लाभ एवं हानि खातें में जमा कर दिया जाता है और उसके समान राशि को अनुसूची 2 में निवेश आरक्षित खातें – "राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां" के शीर्ष के अंतर्गत "आरक्षित और अधिशेष" में समायोजित कर दिया जाता है।

3.4 Securities under 'Held to Maturity' are stated at acquisition costs unless such costs are higher than the face value, in which case the premium is amortized over the remaining period of maturity. Such amortization is shown under "Income on Investments– Schedule 13 item II. In case, the cost is less than the redemption value, the difference being the unrealized gain, is ignored. Any diminution in value of investments in subsidiaries and joint venture, other than temporary in nature, is provided for each investment individually

3.5 Securities under 'Available for sale' are valued scrip wise and depreciation/ appreciation is segregated category wise. While net appreciation is ignored, net depreciation under each category is provided for.

3.6 Securities under 'Held for Trading' are valued at market price and the net depreciation under each category is provided for and the net appreciation, if any, is ignored.

3.7 Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.

3.8 The 'market value' for the purpose of valuation of investments included in the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is the market price of the scrip as available from the trades/quotes on the stock exchanges, price list of RBI, prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

In respect of unquoted securities, the procedure adopted is as below:

a.	Government of India Securities:	At rates put out by FIMMDA/PDAI
b.	State Government Loans, Other approved Securities, Preference Shares, Debentures and PSU Bonds:	On yield to maturity (YTM) basis at the rate prescribed by FIMMDA/ PDAI with such mark ups as laid down by RBI or FIMMDA/PDAI
c.	Equity Shares:	At break-up value based on the latest Balance Sheet, which are not older than one year on the date of valuation. In cases where latest Balance Sheets are not available, the shares are valued at Re.1 per company
d.	Mutual Fund Units:	At re-purchase price or Net Assets Value
e.	Treasury Bills, Commercial Papers, Certificate of Deposits, Recapitalization Bonds, Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Institutions:	At carrying cost.

3.9 In determining acquisition cost of investments:

a. Incentive received on subscription is deducted from the cost of securities;

b. Brokerage / commission/ stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenditure;

c. Broken period interest, if any, paid on acquisition of investment is debited to profit & loss account. Broken period interest received on sale of securities is recognized as Interest Income.

3.10 Profit/ Loss on sale of investments is taken to profit and loss account. However, in case of profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category, an equivalent amount of profit is appropriated to Capital Reserve.

3.11 **Non Performing Investments**

In respect of Non-Performing Securities, income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.

3.12 Dividend Income on shares and units of mutual funds is booked on receipt basis.

3.13 In the event, provisions created on account of depreciation in the 'AFS' or 'HFT' categories are found to be in excess of the required amount in any year, the excess is credited to the P.& L. Account and an equivalent amount is appropriated to an Investment Reserve Account in Schedule 2 – "Reserve & Surplus" under the head "Revenue and Other Reserves".

4. अग्रिम

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण निष्पादक तथा गैर–निष्पादक आस्तियों में किया गया है। बैंक ने गैर–निष्पादक आस्तियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निम्न प्रकार प्रावधान किया हैः

आस्तियों की श्रेणी	प्रावधान मानदंड
अवमानक	आरक्षित ऋणों पर 15% * गैर–आरक्षित ऋणों का 25% * गैर–आरक्षित ऋणों का 20% आधारभूत खातों के संबंध में, जहाँ निश्चित संरक्षण जैसे कि निलंब खाते उपलब्ध हैं
संदिग्ध–I	जमानती ऋण पर 25% गैर–जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध–II	जमानती ऋण पर 40% गैर–जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध–III	जमानती ऋण पर 100% गैर–जमानती ऋण पर 100%
हानि	बुक बकाया का 100%

* गैर–जमानती ऋणों को ऐसे ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ बैंक द्वारा/अनुमोदित मूल्यांकन/भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा आरंभ से ही प्रतिभूति का मूल्य, ऋण के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है अर्थात बकाया जोखिम।

4.2 अग्रिमों को गैर–मान्यता शुद्ध ब्याज पर वर्णित किया गया है तथा अनुप्रयोज्य अग्रिमों पर प्रावधान/तकनीकी बट्टे खाते के आधार पर किया गया है। डी.आई.सी.जी.सी/ई.सी.जी.सी. से प्राप्त दावों को उनके समायोजन/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने तक इस प्रकार के अग्रिमों में से कम नहीं किया गया है। जबकि एनपीए खातों में आंशिक वसूली को अग्रिमों में से घटाया गया है।

4.3 मानक अग्रिमों पर प्रावधान किया गया है तथा उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा.निर्देशों के अनुसार 'अन्य दायित्वों तथा प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।

4.4 अग्रिमों की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने/पुनः निर्धारित करने हेतु भारतीय रिजर्च बैंक के दिशा–निर्देशानुसार प्रावधान किया गया है।

4.5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार अनर्जक खातों की बिक्री की जाती हैः–

i) जब बैंक प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/पुनर्सरचना कंपनी (आरसी) को अपनी वित्तीय आस्तियां बेचता है तो इसको बहियों से हटा दिया जाता है।

ii) यदि बिक्री का मूल्य कुल बही मूल्य(एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य में कम प्रावधान है) से कम है तो इस कमी को बिक्री किए वर्ष के लाभ एवं हानि खाते को डेबिट किया जाता है।

iii) यदि बिक्री का मूल्य कुल बही मूल्य(एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्त प्रावधान को उस वर्ष में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है जिसमें यह राशि प्राप्त हुई थी।

5. अस्थाई प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप, बैंक के पास अग्रिमों एवं निवेशों हेतु अस्था ई प्रावधानों को अलग से बनाने और उपयोग के लिए एक अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, बनाए जाने वाले अस्था ई प्रावधानों का आकलन किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से, अस्थाई प्रावधानों का उपयोग विशेष परिस्थितियों में आकस्मिकताओं हेतु किया जाएगा।

6. अचल आस्तियांः

6.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को परंपरागत लागत पूनर्मूल्यन खातों में लिया गया है। परिसर जिनमें भूमि तथा ऊपरी भाग में अन्तर किया जाना सम्भव नहीं था, ऊपरी भाग के मूल्य में वृद्धि को शामिल किया गया है।

6.2 स्थाई पट्टे पर लिये गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है और परिशोधित नही किया गया है।

7. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रासः

7.1 मूल्यह्रास निम्नानुसार लगाया गया हैः

7.1.1 कंप्यूटर पर सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार 33.33% परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया गया है चाहे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निंदेशों के अनुसार परिवर्धन की जो भी तिथि हो।

7.1.2 आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास घटती कीमत पद्धति पर लगाया गया है। 30 सितम्बर से पूर्व होने वाले परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया गया है तथा इसके पश्चात होने वाले परिवर्धन पर आधे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया गया है।

4. Advances

4.1 Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing" assets and provisions are made as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India. Bank has made provisions on Non-Performing Assets as per the prudential norms prescribed by the RBI as under:

Category of Assets	**Provision norms**
Sub-Standard	15% on Secured Exposure. 25% on Unsecured Exposure* 20% on Unsecured Exposure* in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available
Doubtful-I	25% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-II	40% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-III	100% on Secured 100% on Unsecured
Loss	100% of Book Outstanding

* Unsecured exposure is defined as an exposure where the realizable value of the security, as assessed by the bank/ approved valuers/ Reserve Bank's Inspecting Officers, is not more than 10 per cent, ab-initio, of the outstanding exposure.

4.2 Advances are stated net of de-recognized interest and provisions/ Technical write off made in respect of non-performing advances. Claims received from DICGC/ CGTMSE/ ECGC are not reduced from such advances till adjusted/ technically written-off whereas part recovery in all NPA accounts is reduced from advances.

4.3 Provisions on standard advances are made and are included under "Other Liabilities and Provisions" as per RBI's guidelines.

4.4 For restructured/ rescheduled advances, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI.

4.5 The sale of NPA is accounted for as per guidelines prescribed by RBI:-

i). When the bank sells its financial assets to Securitization Company (SC)/ Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.

ii). If the sale is at a price below the net book value (NBV) (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit & Loss account of the year of sale.

iii). If the sale is for a value higher than the NBV, the excess provision is reversed in the year the amounts are received.

5. **Floating Provisions**

In accordance with the RBI guidelines, the bank has an approved policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances and investments. The quantum of floating provisions to be created would be assessed, at, the end of each financial year. The floating provisions would be utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6. Fixed Assets

6.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost/revalued amount. In respect of premises, where segregation is not possible between land and superstructure, are considered in the value of superstructure.

6.2 Premises taken on perpetual lease are considered as freehold premises and are not amortized.

7. Depreciation on Fixed Assets

7.1 Depreciation is provided for on -

7.1.1 Computers at 33.33%, on straight-line method; additions are depreciated for the full year irrespective of the date of addition as per RBI guidelines.

7.1.2 Other Fixed assets on written down value method at the rates prescribed by the Income Tax Act 1961; additions effected before 30th September are depreciated for full year and additions effected thereafter are depreciated for half year.

7.1.3 जहाँ कहीं भवन के ऊपरी भाग से शेष भूमि का मूल्य पृथक करना संभव नहीं था, वहाँ परिसरों का मूल्य सम्मिश्र मूल्य पर लिया गया है।

7.2 वर्ष के दौरान बेची गई/निपटाई गई आस्तियों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

7.3 आस्तियों में होने वाले पुनर्मूल्यन के मूल्यह्रास के बराबर की राशि को पुनर्मूल्यन संचयी खाते से लाभ–हानि खाते में अंतरित कर दिया गया है।

8. राजस्व पहचान

8.1 जहाँ अन्यथा वर्णित न हो, आय और खर्चों को उपचय आधार पर लिया गया है।

8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन में अनुप्रयोज्य आस्तियों पर होने वाली आय का मूल्यांकन वसूली आधार पर किया गया है।

8.3 अनुप्रयोज्य खातों में आंशिक वसूली से पहले मूल राशि तथा उसके पश्चात ब्याज को समायोजित किया गया है।

8.4 गारंटियों तथा जारी साख–पत्रों से आय, लॉकर किराया, मर्चेंट बैंकिंग, लेन–देन से आय, मुद्रा–अंतरण सेवा, अंशों पर लाभांश, आयकर की वापसी पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड कमीशन, अतिदेय बिलों पर ब्याज, प्रोसेसिंग फीस, सरकारी लेन–देन जिसमें पेंशन के संवितरण, म्यूचुअल फण्ड उत्पाद के यूनिटों की आय तथा ए.टी.एम. परिचालन शामिल है, की संगणना को प्राप्ति आधार पर लिया गया है।

8.5 ऋण खातों के पूर्ण रूप से समायोजित होने पर खातों के समाधान पर दी गई छूट को खातों में लिया गया है।

8.6 अतिदेय सावधि जमा राशियों पर ब्याज की गणना बचत बैंक जमा खाते पर लागू ब्याज दर पर की गई है।

8.7 पट्टा करार के नवीकरण पर वृद्धिशील पट्टा किराए के संबंध में देयता की गणना पट्टे के नवीकरण के समय की गई है।

8.8 टीयर – II पूँजी में उन्नयन के कारण बांड जारी करने संबंधी व्ययों को आस्थगित राजस्व व्यय माना गया है जिन्हें पाँच वर्ष की अवधि में बट्टे खाते डाला जाना है।

8.9 शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते से समायोजित किया गया है।

9. कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभः

9.1 ग्रेच्युटी निधि, पेंशन निधि तथा अवकाश नकदीकरण निधि में वार्षिक अंशदान का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया है।

9.2 दिनांक 01.04.2010 या उसके बाद सम्मिलित कर्मचारियों को न्यू पेंशन योजना में शामिल किया गया है।

10. आस्तियों का ह्रास

स्थायी आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि (यदि कोई है) की पहचान आईसीएआई द्वारा जारी एएस 28 (आस्तियों का ह्रास) के अनुसार की जाती है और लाभ एवं हानि खाते को नामे की जाती है।

11. आय पर करः

11.1 चालू आय कर को लागू कर दरों तथा विधिक निर्णयों/परामर्श हेतु दी जाने वाली राशि के आधार पर आंका गया है।

11.2 एएस 22 – आस्थगित–कर अनुसार इस अवधि की आय गणना तथा कर योग्य आय के बीच में समय अंतर के कारण कर–परिकलन पर पड़े प्रभाव को शामिल किया गया है तथा आस्थगित कर–आस्तियों के संबंध में इसका मूल्यांकन यथोचित प्रतिफल को ध्यान में रख कर किया गया है।

7.1.3 Cost of premises is taken composite, wherever it is not possible to segregate the cost of land from the cost of the superstructure.

7.2 No depreciation is provided on assets sold/disposed of during the year.

7.3 Amount equivalent to depreciation attributable to revalued portion of the assets is transferred from Revaluation Reserve Account to the Profit & Loss Account.

8. Revenue Recognition

8.1 Income and expenditure are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

8.2 Income on non-performing assets is recognized on realization basis in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.

8.3 Partial recovery in non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest.

8.4 Income on guarantees and letters of credit issued, locker rent, income from merchant banking transactions, money transfer services, dividend on shares, Interest on refund of income tax, commission on credit card, interest on overdue bills, processing fee, Government business including distribution of pension and income from units of mutual fund products and income from ATM operations are accounted for on receipt basis.

8.5 Rebate on compromised accounts is accounted for at the time of full and final adjustment of the account.

8.6 Interest on overdue Term Deposits is provided at the rate of interest applicable to Savings Bank Deposits.

8.7 Liability in respect of incremental lease rent on renewal of lease agreement is accounted for at the time of renewal of the lease.

8.8 Bond Issue Expenses incurred in connection with raising Tier-II Capital are treated as Deferred Revenue Expenditure to be written off over a period of five years.

8.9 Share Issue Expenses are adjusted against the Share Premium Account

9. Staff Retirement Benefits

9.1 Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and Leave Encashment Fund are provided for on the basis of an actuarial valuation.

9.2 The Employees joining on or after 01.04.2010 are being covered under the New Pension Scheme.

10. Impairment of Assets

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

11. Taxes on Income

11.1 Current Income Tax is measured at the amount expected to be paid considering the applicable tax rates and favorable judicial pronouncement/ legal opinions.

11.2 In accordance with AS-22 Deferred Tax comprising of tax effect of timing differences between taxable and accounting income for the period, is recognized keeping in view the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets/Liabilities.

अनुसूची- 18

लेखों से संबंधित टिप्पणियां

1. बहियों के शेष मिलान और उनका समायोजन

1.1 कुछेक शाखाओं में सहायक बही खाता शेषों के साथ नियंत्रक खातों के शेष मिलान/समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।

1.2 अंतर्शाखा खातों (आईबीआर + डीडी) में बकाया प्रविष्टियों के डेबिट–क्रेडिट का आरंभिक मिलान, जिसे अंतर्कार्यालय समायोजन में शामिल करके इस कार्य (जिसमें बकाया प्रविष्टियां शामिल हैं) को 31.03.2016 तक किया गया है और इसका समायोजन कार्य चल रहा है।

1.3 ड्राफ्टों/देय टीटी, देय/प्रदत्त लाभांश वारंट, प्राप्य/देय डेबिट नोट, आरटीजीएस/नेफ्ट (उचंत) इत्यादि के साथ खातों का समायोजन का कार्य चल रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक की शर्तों के अनुसार प्रावधान कर दिया है।

प्रबंधन की राय में, लाभ–हानि खाते व तुलन–पत्र परिमाण निर्धारित करने योग्य नहीं है, पर उक्त पैरा 1.1 से 1.3 का प्रभाव यदि कोई है, तो नगण्य होगा।

1.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप 30.09.2015 की अवधि तक तथा 31.03.2016 को बकाया अंतर शाखा के खातों की नामे तथा जमा प्रविद्गिटयों को अलग अलग करने का कार्य बैंक द्वारा किया गया है जिसके परिणामस्वरुप कुछ शीर्षों में कुल डेबिट या अन्य शीर्षों में कुल जमा शेष है। छः महीनों से अधिक की अवधि की निवल नामे प्रविष्टियों के संबंध में प्रावधान किए गए है।

अंतर्शाखा खाता में निवल जमा है इसलिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

1.5 बकाया नोस्ट्रो खातों की कुल निवल जमा को दिनांक 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुरुप रु. 3.78 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 3.64 करोड़) को अवरुद्व नोस्ट्रो विविध देनदार खातों में अंतरित कर दिया गया है। जिसमें से रु. 1.77 करोड़ को 14.11.1989 की अवधि से पहले के बही मूल्य पर लिया गया है। 01 अप्रैल 1996 के पश्चात की अवधि के लिए 3 वर्षो से अधिक हेतु बकाया रु. 4.75 करोड़ की राशि (पूर्व वर्ष रु. 4.43 करोड़) को असमायोजित प्रविष्टियों से अलग कर उन्हें अदावी जमा (नोस्ट्रो) खाते में रखा गया है।

2.1 दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार रु. 4.17 करोड़ की वास्तविक लागत की बैंक की संपत्तियों के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी होनी शेष है। (पिछले वर्ष 5 संपत्तियां 3.74 करोड़ की थी)

3. पूंजी

(रु. करोड़ में)

	मदें	2015–16	2014–15
(i)	सी आर ए आर टीयर–I पूंजी (बासल–II)	8.77%	8.51%
(ii)	सी आर ए आर टीयर–II पूंजी (%) (बासल– II)	2.98%	3.37%
(iii)	कुल सी.आर.ए.आर. (बासल– II)	11.75%	11.88%
(iv)	सामान्य इक्विटी टीयर–I पूंजी अनुपात (बासल–III)	9.29%	8.48%
(v)	अतिरिक्त टीयर–I पूंजी अनुपात (बासल–III)	0.00%	0.00%
(vi)	सी.आर.ए.आर.–टीयर–I पूंजी अनुपात (बासल III)	9.29%	8.48%
(vii)	सी.आर.ए.आर.–टियर–II पूंजी अनुपात (बासल III)	1.62%	2.76%
(viii)	कुल पूँजी अनुपात (सीआरएआर) (बासल–III)	10.91%	11.24%
(ix)	भारत सरकार के शेयर धारकों की प्रतिशतता	79.62%	79.62%
(x)	जुटाई गई अतिरिक्त इक्विटी पूँजी की राशि	शून्य	180
(xi)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर–I पूंजी अनुपात की राशि जिसमें से पीएनसीपीएसः आईपीडीआईः	शून्य	शून्य
(xii)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर–II पूंजी अनुपात की राशि जिसमें से ऋण पूँजी लिखत अधिमानी शेयर पूँजी लिखत बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर/प्रतिदेय गैर संचयी अधिमानी शेयर प्रतिदेय अधिमानी शेयर	शून्य	शून्य

SCHEDULE 18

NOTES ON ACCOUNTS

1 **Balancing of Books and Reconciliation.**

1.1 In certain Branches, the balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers is in progress.

1.2 Initial matching of debit and credit outstanding of old entries in Inter Branch Account (IBR+DD), prior to CBS System. Adjustments (including old outstanding entries) has been done up to 31.03.2016 and reconciliation is in progress.

1.3 Reconciliation of Drafts payable, Debit Note Receivable/ Payable, RTGS/NEFT (Suspense) etc. is in progress. Provisions have been made as per RBI norms.

In the opinion of the management, the impact of the above para 1.1 to 1.3, if any, on the Profit & Loss Account and Balance Sheet though not quantifiable, will not be material.

1.4 In terms of Reserve Bank of India guidelines, segregation of Debit and Credit entries in Inter Branch Accounts pertaining to the period up to 30.09.2015 and remained outstanding as on 31.03.2016 has been done which has resulted in either net Debit in some heads or net credit in other heads. Provision is to be made in respect of Net Debit Entries outstanding for period exceeding 6 months.

In Inter Branch Account there is net credit balance hence no provision is required to be made.

1.5 Aggregate net credit position in respect of outstanding NOSTRO Accounts relating to the period up to 31st March 1996 amounting to Rs 3.78 Crores as compared to previous year of Rs.3.64 Crores has been transferred to Blocked Nostro Sundry Creditors A/C out of which Rs 1.77 crores for period prior to 14.11.1989 is being carried at old book value. Credit entries for the period after 1st April 1996 remaining outstanding for more than 3 years amounting to Rs 4.75 Crores as compared to previous year of Rs.4.43 Crores have been segregated and kept in Blocked Unclaimed Nostro New A/C.

2.1 Legal formalities are yet to be completed in respect of 6 Bank's properties having original cost of Rs.4.17 crore as on 31.03.2016 (Previous year 5 properties costing Rs.3.74 crore).

3. Capital

(Rupees. in crore)

	Items	2015-16	2014-15
(i)	CRAR - Tier I capital (Basel-II)	8.77%	8.51%
(ii)	CRAR - Tier II capital (Basel-II)	2.98%	3.37%
(iii)	Total CRAR (Basel-II)	11.75%	11.88%
(iv)	Common Equity Tier I capital ratio (Basel-III)	9.29%	8.48%
(v)	Additional Tier I capital ratio (AT-I) (Basel-III)	0.00%	0.00%
(vi)	CRAR – Tier I capital ratio (Basel-III)	9.29%	8.48%
(vii)	CRAR – Tier II capital ratio (Basel-III)	1.62%	2.76%
(viii)	Total Capital ratio (CRAR) (Basel-III)	10.91%	11.24%
(v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	79.62%	79.62%
(vi)	Amount of equity capital raised	Nil	180
(vii)	Amount of Additional Tier I capital raised of which PNCPS: IPDI:	Nil	Nil
(viii)	Amount of Tier II capital raised of which Debt capital instrument: Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Share (PCPS)/Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	Nil	Nil

4. निवेश

4.1 निवेशों का मूल्य

(रु. करोड़ में)

मदें		2015–16	2014–15
(i)	**निवेशों का सकल मूल्य**		
	(क) भारत में	27693.40	26791.69
	(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(ii)	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (एन.पी.ए. प्रावधान सहित)		
	(क) भारत में	48.36	39.99
	(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(iii)	निवेशों का शुद्ध मूल्य		
	(क) भारत में	27645.04	26751.70
	(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
2.	**निवेशों में मूल्यह्रास के प्रावधानों में घट–बढ़ (एन.पी.ए. के प्रावधानों सहित)**		
(i)	अथ शेष	39.99	52.50
(ii)	जमाः वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	44.10	14.43
(iii)	घटाः वर्ष के दौरान अधिक किए प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/पुनरांकन	35.73	26.94
(iv)	**शेष**	**48.36**	**39.99**

4.2 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेन–देन (अंकित मूल्य की शर्तों पर)

4.2.1 पुनः खरीदःपुनः प्रतिवर्तित लेन–देन प्रविष्टियों (सरकारी प्रतिभूतियाँ)

(रु. करोड़ में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	31.03.2016 को शेष
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	1719.00	237.45	795.00
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	1340.00	66.49	––

4.2.2 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेन–देन प्रविष्टियों (कंपनी ऋण प्रतिभूतियां)

(रु. करोड़ में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	अथ शेष 31.03.2016
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.3 एस.जी.एल. ट्रांस्फर फार्म वापसी का विवरण तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को चुकता की गई दंड की कुल राशि

	2015–16	2014–15
निधि या प्रतिभूतियों की आवश्यकता के कारण एस.जी.एल. ट्रांस्फर फार्म वापसी की संख्या	शून्य	शून्य
भारतीय रिज़र्व बैंक को चुकता की गई दंड की राशि	शून्य	शून्य

4. **Investments**

4.1 **Value of Investments**

(Rupees in crore)

Items				2015-16	2014-15
(1)	(i)	**Gross Value of Investments**			
		(a)	In India	27693.40	26791.69
		(b)	Outside India	Nil	Nil
	(ii)	Provisions for Depreciation (including provision for NPA)			
		(a)	In India	48.36	39.99
		(b)	Outside India	Nil	Nil
	(iii)	Net Value of Investments			
		(a)	In India	27645.04	26751.70
		(b)	Outside India	Nil	Nil
(2)	**Movement of provision held towards depreciation on Investments (Including provision for NPAs)**				
	(i)	Opening balance		39.99	52.50
	(ii)	Add: Provisions made during the year		44.10	14.43
	(iii)	Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year		35.73	26.94
	(iv)	**Closing balance**		**48.36**	**39.99**

4.2 **Repo / Reverse Repo Transactions (in face value terms)**

4.2.1 **Repo / Reverse Repo Transactions (Government Securities)**

(Rupees in crore)

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2016
Securities sold under Repos	Nil	1719	237.45	795.00
Securities purchased under Reverse Repos	Nil	1340	66.49	-

4.2.2 Repo / Reverse Repo Transactions (Corporate Debt Securities)

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2016
Securities sold under Repos	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities purchased under Reverse Repos	Nil	Nil	Nil	Nil

4.3 **Detail of bouncing of SGL Transfer Forms and Quantum of Penalty paid to Reserve Bank of India :**

	2015-16	2014-15
i. Number of instances when the SGL transfer form bounced for want of either funds or the securities.	Nil	Nil
ii. Penalty paid to RBI on account of bouncing of SGL transfer form	Nil	Nil

4.4 गैर–सांविधिक तरलता अनुपात वाली निवेश सूचीः 31.03.2016 को जारीकर्ता संगठन की स्थितिः

(रु. करोड़ में)

संख्या	जारी कर्ता	राशि	निजी स्थापन की सीमा	निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूतिकरण की सीमा	अमूल्यांकित प्रतिभूतियों की सीमा	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा
1)	2	3	4	5	6	7
i.	सार्वजनिक उपक्रम	5727.28	5682.73	0	5546.04	1483.13
ii.	वित्तीय संस्थान	85.61	43.10	0	47.12	13.10
iii.	बैंक	279.12	131.00	0	0.47	147.65
iv	निजी कम्पनी	482.41	448.34	0	91.75	38.91
v.	सहायक/संयुक्त उपक्रम	0.65	0.65	0	0.65	0.65
vi.	अन्य	15.63	8.62	0	15.62	15.62
vii.	मूल्यह्रास के लिए रखे प्रावधान (एनपीए सहित)	48.36				
	कुल*	**6542.34**				

नोटः *कॉलम 3 का जोड़ तुलन–पत्र की अनुसूची 8 की निम्नलिखित श्रेणियों के जोड़ से मेल खाना चाहिए :
क. शेयर
ख. डिबेंचर व बॉण्ड
ग. सहायक/संयुक्त उपक्रम
घ. अन्य
(2) उपरोक्त कॉलम 4,5,6 तथा 7 में रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य न हो।

4.5 अनुप्रयोज्य और गैर–सांविधिक तरलता अनुपात निवेशों में उतार–चढ़ाव

(रु. करोड़ में)

विवरण	2015–16	2014–15
अथ शेष	53.91	59.04
वर्ष के दौरान परिवर्धन	36.57	44.83
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	34.22	49.96
इति शेष	56.26	53.91
कुल प्रावधान	**43.06**	**35.16**

4.6 व्युत्पत्तियाँ

वर्ष 2015–16 के दौरान बैंक ने प्रतिरक्षा या व्यापारिक उद्देश्य से कोई भी नया व्युपत्ति लेन–देन (वायदा दर समझौता/ब्याज दर अदला–बदली/विनिमय व्यापार ब्याज–दर व्युत्पत्तियाँ) नहीं किया है। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार व्युत्पत्ति लेन–देन के संबंध में गुणात्मक व मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

4.7 वर्ष के दौरान पुनः संरचित/पुनः अनुसूचित/पुनः परक्रामित निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	2015–16	2014–15
मानक आस्तियाँ जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
अवमानक आस्तियाँ जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
अशोध्य आस्तियाँ जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
कुल आस्तियों की राशि जिनकी पुनर्संरचना होनी है	**शून्य**	**शून्य**

4.4 **Non-SLR Investments Portfolio: Issuer Composition as on 31.03.2016**

(Rupees in crore)

No	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Un-rated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	PSUs	5727.28	5682.73	0	5546.04	1483.13
ii.	FIs	85.61	43.10	0	47.12	13.10
iii.	Banks	279.12	131.00	0	0.47	147.65
iv.	Private Corporate	482.41	448.34	0	91.75	38.91
v.	Subsidiaries/ Joint Ventures	0.65	0.65	0	0.65	0.65
vi.	Others	15.63	8.62	0	15.62	15.62
vii.	Provision held towards depreciation (including NPA)	48.36				
	Total *	**6542.34**				

Note: (1) * Total under column 3 should tally with the total of Investments included under the following categories in Schedule 8 to the balance sheet:
a) Shares
b) Debentures & Bonds
c) Subsidiaries / joint ventures
d) Others
(2) Amounts reported under column 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

4.5 **Movement of Non Performing Non SLR Investments**

(Rupees in crore)

Particulars	**2015-16**	**2014-15**
Opening balance	53.91	59.04
Additions during the year	36.57	44.83
Reductions during the year	34.22	49.96
Closing balance	56.26	53.91
Total Provisions held	**43.06**	**35.16**

4.6 **Derivatives**

Bank has not entered into any derivative transactions (Forward rate agreement/Interest Rate Swap/ Exchange Traded Interest Rate Derivatives) during the year 2015-16. Accordingly, qualitative and quantitative disclosures under RBI guidelines with respect to derivative transactions are not required.

4.7 **Restructured / Rescheduled / Renegotiated - Investments during the year**

(Rupees in crore)

Particulars	**2015-16**	**2014-15**
Standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Sub-standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Doubtful assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Total amount of assets subjected to restructuring etc.	**Nil**	**Nil**

4.8 वर्ष के दौरान बैंक ने रु.826.02 करोड़ की अंकित मूल्य 'परिपक्वता तक रखने' से 'बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी' में प्रतिभूतियाँ अंतरित की हैं।

4.9 वर्ष के दौरान बिक्रियों का मूल्य और एचटीएम श्रेणी को/से प्रतिभूतियों का अंतरण, वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के वही मूल्य से 5% से अधिक नहीं है।

5 आस्ति गुणवत्ता

5.1 अनुप्रयोज्य आस्तियाँ

(रु. करोड़ में)

	मदें	2015–16	2014–15
(i)	शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)	4.62	3.55
(ii)	प्रावधान समावेश अनुपात (पीसीआर) (%)	48.26	46.81
(iii)	**सकल एनपीए में घट-बढ़**		
	(क) अथ शेष	3082.19	2553.52
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1959.92	1242.42
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	813.06	713.75
	(घ) इति शेष	**4229.05**	**3082.19**
(iv)	**निवल एनपीए में उतार-चढ़ाव**		
	(क) अथ शेष	2266.00	1918.60
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1557.02	1032.08
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	873.55	684.68
	(घ) इति शेष	**2949.47**	**2266.00**
(v)	**एनपीए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)**		
	(क) अथ शेष	792.02	618.67
	(ख) जमाः वर्ष के दौरान प्रावधान	854.74	488.74
	(ग) घटाः अधिक किए प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/पूर्णांकन	380.05	315.39
	(घ) इति शेष	**1266.71**	**792.02**

5.2 डी.आई.सी.जी.सी./सी.जी.टी.एम.एस.ई./ई.सी.जी.सी. के पात्र दावे, दाखिल तथा पुनः दाखिल दावे जो वैध/वसूली योग्य है, को अग्रिमों हेतु प्रावधान के लिए प्रतिभूति के आधार पर विचारणीय माना गया है।

4.8 During the year, the Bank shifted securities worth Rs.826.02 crore (face value) from "Held till Maturity" to "Available for Sale Category".

4.9 The value of shifting/ sales from HTM category during the year does not exceed 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

5. Asset Quality

5.1. Non-Performing Assets

(Rupees in crore)

Items			2015-16	2014-15
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)		4.62	3.55
(ii)	Provisioning Coverage Ratio (PCR) (%)		48.26	46.81
(iii)	**Movement of Gross NPAs**			
	(a)	Opening Balance	3082.19	2553.52
	(b)	Additions during the year	1959.92	1242.42
	(c)	Reductions during the year	813.06	713.75
	(d)	**Closing balance**	**4229.05**	**3082.19**
(iv)	**Movement of Net NPAs**			
	(a)	Opening Balance	2266.00	1918.60
	(b)	Additions during the year	1557.02	1032.08
	(c)	Reductions during the year	873.55	684.68
	(d)	**Closing balance**	**2949.47**	**2266.00**
(v)	**Movement of provisions for NPAs** (excluding provisions on standard assets)			
	(a)	Opening Balance	792.02	618.67
	(b)	Add: provisions made during the year	854.74	488.74
	(c)	Less: write off, write back of excess provisions	380.05	315.39
	(d)	**Closing balance**	**1266.71**	**792.02**

5.2 DICGC / CGTMSE/ ECGC claim eligible, lodged and re-lodged have been considered as security for provisioning on advances on the basis that such claims are valid / realizable.

5.3 पुनर्संरचित किए गए खातों का विवरण

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

31.03.2016 को पुनः संरचित खातों का प्रकटीकरण

(राशि करोड़ों में)

क्र सं.	पुनः संरचना का प्रकार		सीडीआर के अंतर्गत व्यवस्था					एसएमई के अंतर्गत ऋण पुनः संरचना व्यवस्था					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण																					
1.	वित्तीय–वर्ष की 1 अप्रैल को पुनः संरचित खाते (प्रारंभिक आँकड़ों)	ऋणियों की सं.	12				12	120				120	169				169	301				301
		बकाया राशि	812.69				812.69	371.24				371.24	7195.90				7195.9	8379.83				8379.83
		प्रावधान	106.06				106.06	37.12				37.12	269.15				269.15	412.33				412.33
2.	वर्ष के दौरान नए पुनः संरचित खाते	ऋणियों की सं.	0		1		1	1				1	2				2	3		1		4
		बकाया राशि	36.60		21.48		58.08	0.32				0.32	331.5				331.5	368.42		21.48		389.9
		प्रावधान	0.05		1.13		1.18	0.03				0.03	16.81				16.81	16.89		1.13		18.02
3.	वित्तीय–वर्ष के दौरान पुनःसंरचित मानक का उन्नयन	ऋणियों की सं.						1				1	2				2	3				3
		बकाया राशि						7.52				7.52	51.52				51.52	59.04				59.04
		प्रावधान											2.51				2.51	2.51				2.51
4.	अग्रिम पुनः संरचित मानक जो आकर्षक उच्च प्रावधानों को रोकते हैं तथा/या वित्त–वर्ष के अंत में अतिरिक्त जोखिम भार तथा यदि आगामी वित्त–वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम पुनःसंरचित मानक को दिखाने की आवश्यमकता नहीं है	ऋणियों की सं.	1				1	6				6	12				12	19				19
		बकाया राशि	12.42				12.42	17.32				17.32	801.06				801.06	830.80				830.80
		प्रावधान	0.47				0.47	0.02				0.02	26.21				26.21	26.70				26.70
5.	वित्तीय–वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों का उन्नयन	ऋणियों की सं. (–)	5				5	14				14	11				11	30				30
		बकाया राशि (–)	320.37				320.37	34.88				34.88	204.53				204.53	559.78				559.78
		प्रावधान (–)	137.17				137.17	10.38				10.38	30.70				30.70	178.25				178.25
6.	वित्तीय–वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों की अपलिखित	ऋणियों की सं.						-1				-1	23				23	22				22
		बकाया राशि	-48.51				-48.51	292.22				292.22	3155.12				3155.12	3398.83				3398.83
7.	31 मार्च को समाप्त वित्तीय–वर्ष के दौरान पुनः संरचित खाते (अंतिम आंकडे,*)	ऋणियों की सं.	6		1		7	103				103	127				127	236		1		237
		बकाया राशि	565.01		21.48		586.49	34.66				34.66	3418.21				3418.21	4017.88		21.48		4039.36
		प्रावधान	32.45		1.13		33.58	2.42				2.42	188.08				188.08	222.95		1.13		224.08

*/स्थाई पुनः संरचित अग्रिम आंकडों के अतिरिक्त जो उच्च प्रावधानों या जोखिम भार को आकर्षित नहीं करते हैं (यदि लागू हो)

5.3 Details of Accounts Restructured:

PUNJAB & SIND BANK

STATEMENT OF DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON 31.03.2016

(Amount in crores)

Sl. No.	Type of Restructuring → / Asset Classification →	Details ↓	Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					TOTAL				
			Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (Opening figures)*	No.of Borrower	12				12	120				120	169				169	301				301
		Amt.O/s	812.69				812.69	371.24				371.24	7195.90				7195.9	8379.83				8379.83
		Prov. thereon	106.06				106.06	37.12				37.12	269.15				269.15	412.33				412.33
2	Fresh Restructuring during the year	No.of Borrower	0		1		1	1				1	2				2	3		1		4
		Amt.O/s	36.60		21.48		58.08	0.32				0.32	331.5				331.5	368.42		21.48		389.9
		Prov. thereon	0.05		1.13		1.18	0.03				0.03	16.81				16.81	16.89		1.13		18.02
3	Upgradations to restructured Std. Category during the FY	No.of Borrower						1				1	2				2	3				3
		Amt.O/s						7.52				7.52	51.52				51.52	59.04				59.04
		Prov. thereon											2.51				2.51	2.51				2.51
4	Restructured Std. Adv. which cease to attract higher prov. And/or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured Std. Advances at the beginning of the next FY	No.of Borrower	1				1	6				6	12				12	19				19
		Amt.O/s	12.42				12.42	17.32				17.32	801.06				801.06	830.80				830.80
		Prov. thereon	0.47				0.47	0.02				0.02	26.21				26.21	26.70				26.70
5	Down-gradations of restructured accounts during the FY	No.of Borrower(-)	5				5	14				14	11				11	30				30
		Amt.O/s (-)	320.37				320.37	34.88				34.88	204.53				204.53	559.78				559.78
		Prov. Thereon (-)	137.17				137.17	10.38				10.38	30.70				30.70	178.25				178.25
6	Write-offs of Restructured accounts during the FY	No.of Borrower						-1				-1	23				23	22				22
		Amt.O/s (-)	-48.51				-48.51	292.22				292.22	3155.12				3155.12	3398.83				3398.83
7	Restructured accounts as on Mar. 31 of the FY (Closing figures*)	No.of Borrower	6		1		7	103				103	127				127	236		1		237
		Amt.O/s	565.01		21.48		586.49	34.66				34.66	3418.21				3418.21	4017.88		21.48		4039.36
		Prov. thereon	32.45		1.13		33.58	2.42				2.42	188.08				188.08	222.95		1.13		224.08

*/ Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher Provisioning or Risk Weight (if Applicable)

5.4 आस्ति पुनसंरचना हेतु प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

	मदें	2015–16	2014–15
(i)	खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ii)	एस सी/आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (शुद्ध प्रावधान)	शून्य	शून्य
(iii)	कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
(iv)	पहले के वर्षों में खातों के हस्तांतरण से वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(v)	शुद्ध बही मूल्य के ऊपर कुल लाभ/हानि	शून्य	शून्य

5.5 खरीदी/बेची गई गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरणः

क) खरीदी गई गैर–निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रु. करोड़ में)

		विवरण	2015–16	2014–15
1.	क)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खाते	शून्य	शून्य
	ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य
2.	क)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खाते	शून्य	शून्य
	ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य

ख) बेची गई गैर–निष्पादित वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

	विवरण	2015–16	2014–15
1.	बेचे गए खातों की संखया	शून्य	शून्य
2.	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3.	प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

5.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रु. करोड़ में)

मदें	2015–16	2014–15
मानक आस्तियों पर प्रावधान	466.25	496.03
अंकित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान पुनर्गठित मानक अग्रिम	94.43	134.22

6. कारोबार अनुपात

(रु. करोड़ में)

	मदें	2015–16	2014–15
(i)	औसत कार्यशील निधियों का ब्याज आय में प्रतिशत	8.91%	9.20%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों का गैर ब्याज आय में प्रतिशत	0.49%	0.46%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों का परिचालन लाभ में प्रतिशत	1.29%	0.83%
(iv)	आस्तियों से आय	0.34%	0.13%
(v)	प्रति कर्मचारी (रूपये करोड़ में) कारोबार (जमाराशियाँ+अग्रिम)	16.20	15.95
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (रूपए करोड़ में)	0.04	0.01

5.4 **Details of Financial Assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction**

(Rupees in crore)

Item		2015-16	2014-15
(i)	Number of Accounts	Nil	Nil
(ii)	Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	Nil
(iii)	Aggregate consideration	Nil	Nil
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
(v)	Aggregate gain/ loss over net book value	Nil	Nil

5.5 **Details of non-performing financial assets purchased / sold:**
A. Details of non-performing financial assets purchased:

(Rupees in crore)

Particulars			2015-16	2014-15
1.	(a)	No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil
2.	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil

B. Details of non-performing financial assets sold:

(Rupees in crore)

Particulars		2015-16	2014-15
1.	No. of accounts sold	Nil	Nil
2.	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3.	Aggregate consideration received	Nil	Nil

5.6 **Provisions on Standard Assets**

(Rupees in crore)

Item	2015-16	2014-15
Provisions towards Standard Assets	466.25	496.03
Provision for Diminution in FV Restructured Standard Advances	94.43	134.22

6. **Business Ratios**

Items		2015-16	2014-15
(i)	Interest Income as a percentage to average working funds	8.91%	9.20%
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to average working funds	0.49%	0.46%
(iii)	Operating Profit as a percentage to average working funds	1.29%	0.83%
(iv)	Return on Assets	0.34%	0.13%
(v)	Business [Deposits plus Advances] per employee (Rs. in crore)	16.20	15.95
(vi)	Profit per employee (Rs. in crore)	0.04	0.01

7. आस्ति देयता प्रबंधन

31.03.2016 को आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूपः

(रु. करोड़ में)

परिपक्वता स्वरूप (समयावधि)	जमाराशियां	ऋण तथा अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा	
					देयताएं	आस्तियाँ
1 दिन	1002.90	1698.78		0.00	29.88	267.87
2–7 दिन	1161.27	1265.66	254.80	795.00	1.06	6.84
8–14 दिन	1180.72	1593.27	275.03	0.00	16.40	16.45
15–28 दिन	1031.52	914.42	-	0.00	4.40	43.24
29 दिन से 3 माह तक	15756.04	12542.08	10	700.00	27.18	138.87
3 माह से अधिक व 6 माह तक	9519.19	2593.51	199.03	0.00	35.51	74.36
6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	29342.12	4098.27	500.95	0.00	62.87	0.00
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	16263.86	15535.05	4488.73	19.00	94.80	0.00
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	8632.35	12165.50	2783.47	0.00	146.32	196.79
5 वर्ष से अधिक	7359.99	11509.54	19133.04	0.00	-	-
कुल	**91249.97**	**63916.07**	**27645.05**	**1514.00**	**418.42**	**744.42**

8. ऋण जोखिम

8.1 वास्तविक संपदा क्षेत्र को ऋण जोखिम

(रु. करोड़ में)

		श्रेणी	31.03.2016	31.03.2015
1.	**प्रत्यक्ष जोखिम**			
	क)	रिहायशी बंधक		
	i.	ऐसी संपत्तियाँ जिन पर ऋणी का कब्जा है या किराये पर दी गई है, को दिया गया ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः सुरक्षित है।	4054.43	3540.46
	ii.	व्यक्तिगत आवास ऋण जो कि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में सम्मिलित करने योग्य हैं	3303.84	2669.77
	ख)	व्यावसायिक वास्तविक संपदा		
	i)	व्यावसायिक वास्तविक संपदा पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण (कार्यालय, भवन, बहु–आयामी व्यापारिक परिसर, बहु परिवार आवासीय भवन, व्यावसायिक परिसर जहाँ बहुत से किरायेदार रहते हों, औद्योगिक संस्थान या मालगोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण आदि) ऐसी ऋण सीमाओं में गैर–निधि आधारित (एन.एफ.बी)के ऋण भी शामिल हैं।	3441.81	3389.27
	ग)	बंधक प्रतिभूतियों में विनियोग (एम.बी.एस) और अन्य जमानती ऋण	शून्य	शून्य
	क.	रिहायशी	शून्य	शून्य
	ख.	व्यावसायिक–वास्तविक संपदा	शून्य	शून्य
2.	अप्रत्यक्ष ऋण {राष्ट्रीय आवास (एन.एच.बी.) और आवास वित्त बंधक (एच.एफ.सी.) को निधि एवं गैर–निधि आधारित ऋण}		5378.66*	3920.31
		वास्तविक संपदा क्षेत्र में कुल ऋण भागीदारी	**12874.91**	**10850.04**

*एनएचबी तथा हाउसिंग फाइनांस कंपनियों में किए गए रु. 541.64 करोड़ के निवेश शामिल हैं।

7. **Asset Liability Management**

Maturity Pattern of Assets and Liabilities as on 31.03.2016: (Rupees in crore)

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency	
					Liabilities	Assets
1 day	1002.90	1698.78		0.00	29.88	267.87
2 – 7 days	1161.27	1265.66	254.80	795.00	1.06	6.84
8 – 14 days	1180.72	1593.27	275.03	0.00	16.40	16.45
15 - 28 days	1031.52	914.42	-	0.00	4.40	43.24
29 days to 3 months	15756.04	12542.08	10	700.00	27.18	138.87
Over 3 months & up to 6 months	9519.19	2593.51	199.03	0.00	35.51	74.36
Over 6 months & up to 1 year	29342.12	4098.27	500.95	0.00	62.87	0.00
Over 1 year & up to 3 years	16263.86	15535.05	4488.73	19.00	94.80	0.00
Over 3 years & up to 5 years	8632.35	12165.50	2783.47	0.00	146.32	196.79
Over 5 years	7359.99	11509.54	19133.04	0.00	-	-
Total	**91249.96**	**63916.08**	**27645.05**	**1514.00**	**418.42**	**744.42**

8. **Exposures :**

8.1 **Exposure to Real Estate Sector** (Rupees in crore)

				31.03.2016	**31.03.2015**
		Category			
1)	Direct Exposure				
	(a)	Residential Mortgages			
	i.	Lending fully secured by mortgages of residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented		4054.43	3540.46
	ii.	Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances		3303.84	2669.77
	(b)	Commercial Real Estate			
		Lending secured by mortgages of commercial real estates (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc) Exposure would also include non fund based (NFB) limits;		3441.81	3389.27
	(c)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures		NIL	NIL
		a.	Residential	NIL	NIL
		b.	Commercial Real Estate	NIL	Nil
2)	Indirect Exposure [Fund based and Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)]			5378.66*	3920.31
	Total Exposure to Real Estate Sector			**12874.90**	**10850.04**

* includes Rs.541.64 crore by way of Investment in NHB & Housing Finance Companies.

8.2 पूँजी बाजार में ऋण भागीदारी (एक्सपोजर)

(रु. करोड़ में)

	मदें	31.03.2016	31.03.2015
1.	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बाण्ड, परिवर्तनीय ऋण पत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के यूनिटों में निवेश जिनका पूर्ण रूप से कम्पनी ऋणों में विनियोग नहीं किया गया	94.77	118.10
2.	सामान्य अंशों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस) परिवर्तनीय बांडस, परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों में विनियोग के लिए अंशों/बाण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में एकल स्वामियों को दिए गए अग्रिम	शून्य	शून्य
3.	किसी अन्य उद्देश्य हेतु दिया गया अग्रिम जहाँ अंशों या परिवर्तनीय अंशों या परिवर्तनीय ऋण–पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	शून्य	शून्य
4.	अंशों की संपार्श्विक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों द्वारा प्रत्याभूत अन्य उद्देश्यों हेतु दिए गए अग्रिम अर्थात जहाँ पर अंशों / परिवर्तनीय बाण्डों/परिवर्तनीय ऋण–पत्रों/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों पर दिए गए अग्रिमों को प्राथमिक प्रतिभूति द्वारा पूर्ण रूप से प्रत्याभूत नहीं किया गया	शून्य	शून्य
5.	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती व गैर–जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्किट मेकर्स द्वारा जारी गारंटियां	9.60	6.55
6.	नई कम्पनियों की इक्विटी हेतु फण्ड्स एकत्रित करने के लिए तथा प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए जो अंशों/बाण्डों/ऋण–पत्रों या अन्य प्रतिभूतियाँ या निर्बंध आधार पर कंपनियों के संस्वीकृत ऋण	शून्य	शून्य
7.	प्रत्याशित इक्विटी उपलब्धता/निर्गमों पर कम्पनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
8.	प्राथमिक अंशों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण–पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के संबंध में बैंकों द्वारा किए हामीदारी वायदे	शून्य	शून्य
9.	मार्जिन सौदों हेतु स्टॉक ब्रोकरों को दिया गया वित्त	शून्य	शून्य
10.	पूँजी निधियों पर ऋण जोखिम (पंजीकृत तथा अपंजीकृत)	8.96	5.50
	पूंजी बाजार में कुल ऋण भागीदारी	**113.33**	**130.15**

8.3 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर

देशांतर आधार पर बैंक द्वारा विदेशी विनिमय लेन–देन के संबंध में दिए गए निवल ऋण जो प्रत्येक देश से संबंधित है, बैंक की कुल आस्तियों के 1% के अंदर हैं। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

8.4 बैंक द्वारा अतिक्रमण की गई एकल उधारी सीमा (एसजीएल), समूह उधारी सीमा (जीबीएल) का ब्यौरा

वर्ष 2015–16 के दौरान बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकल उधारी/समूह उधारी हेतु निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण सीमा का निम्न मामलों के अतिरिक्त, जिन पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, अतिक्रमण नहीं किया हैः

क्र.सं.	उधारियों के नाम	वर्ष के दौरान अधिकतम ऋण सीमा	दिनांक के अनुसार ऋण जोखिम(%)	31.03.2016 को ऋण सीमा/ देयताएं	ऋण जोखिम (%)
	शून्य				

क) अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर प्रतिभूति रहित अग्रिम

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
अमूर्त प्रतिभूतियों हेतु कुल अग्रिम जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसों आदि पर ऋण भार	284.87	274.82
अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल अनुमानित मूल्य जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसों पर ऋण भार	284.87	274.82

8.2 **Exposure to Capital Market**

(Rupees in crore)

	Items	31.03.2016	31.03.2015
1.	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	94.77	118.10
2.	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	NIL	NIL
3.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	NIL	NIL
4.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	NIL	Nil
5.	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	9.60	6.55
6.	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	Nil.
7.	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	NIL	Nil
8.	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	Nil
9.	Financing to stockbrokers for margin trading;	NIL	NIL
10.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	8.96	5.50
	Total Exposure to Capital Market	**113.33**	**130.15**

8.3 **Risk Category wise Country Exposure**

The net country-wise funded exposure of the Bank in respect of Foreign Exchange Transactions in respect of each country is within 1% of the total assets of the Bank. Hence, no provision is required as per RBI guidelines.

8.4 **Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank**

During the year 2015-16, the Bank has not exceeded the prudential exposure limits set by RBI to single borrower/ group borrower, except in the following case, which has been approved by the Board::

Sl. No.	Name of the Borrower	Maximum Limit during the year	Exposure (%) as on	Limit / Liability as on 31.03.16	Exposure (%)
	NIL				

A. **Unsecured Advances against Intangible Collaterals**

(Rs. in crore)

Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
Total Advances against intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc.	284.87	274.82
Estimated Value of intangible collateral such as charge over the rights, licenses, authority etc.	284.87	274.82

ख) प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण

(रु. करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
क.	बैंक द्वारा अनर्जक खातों में बेची गई अंतर्निहित प्रतिभूतियां	0.00001	0.00001
ख.	अन्य बैंकों/वित्तीय संगठनों/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनर्जक खातों में बेची गई अंतर्निहित प्रतिभूतियां	----	-----
	कुल	0.00001	0.00001

9.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जुर्माने का प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

		2015–16	2014–15
क.	वर्ष के दौरान बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया जुर्माना	शून्य	शून्य
ख.	प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देश या प्रतिकूल टिप्पणियाँ	शून्य	शून्य

9.2 बैंकेश्योरेंसों व्यापार के संबंध प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

	2015–16	2014–15
क. जीवन बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	1.21	0.99
ख. साधारण बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	शून्य	शून्य
ग. यू.टी.आई.म्यूचुअल फंड व्यापार	0.15	शून्य

10. मानक लेखांकन अनुसार प्रकटीकरण (एएस)

10.1 एएस–5 अवधि के लिए निवल लाभ–हानि, पूर्व अवधि मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

10.1.1 लाभ–हानि खाते में पूर्व अवधि की कोई मदें शामिल नहीं है जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार एएस–5 में बताया जाना हो, सिवाय उनके जिन्हें टिप्पणियों में कहीं और दर्शाया गया है।

10.2 एएस –6 मूल्यह्रास लेखांकन

प्रत्येक श्रेणी की आस्तियों के लिए कुल मूल्यह्रास का ब्रेक–अप

(रु. करोड़ में)

आस्तियों की श्रेणी	2015–16	2014–15
परिसर	40.89	42.09
अन्य स्थाई आस्तियाँ	21.75	50.15
कुल	**62.64**	**92.24**

10.3 एएस–9 राजस्व मान्यता

10.3.1 आय की कुछ मदों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति- अनुसूची–17 की मद संखया 8 (राजस्व मान्यता)में प्रकट मदों को वसूली के आधार पर मान्यता दी गई है। फिर भी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार इस आय को आर्थिक न माना जाए।

10.4 एएस 15 – कर्मचारी लाभ

10.4.1 पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधानों को आई.सी.ए.आई द्वारा जारी संशोधित लेखा मानक (ए.एएस–15) के आधार पर किया गया है।

10.4.2 लाभ–हानि खाते तथा तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त नियोजनोत्तर लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार हैः

B. **Details of Book Value of Investments in Security Receipts**

(Rs. in crore)

	Item	31.03.2016	31.03.2015
(i)	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	0.00001	0.00001
(ii)	Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/non banking financial companies as underlying	-	-
	Total	0.00001	0.00001

9.1 **Disclosure of Penalties imposed by Reserve Bank of India**

(Rs. in crore)

	2015-16	2014-15
A. Penalty imposed by RBI on Bank	Nil	Nil
B. Strictures or Directions by RBI on the basis of adverse findings	Nil	Nil

9.2 **Disclosure of Fees/ Remuneration Received in respect of Bancassurance Business**

(Rs. in crore)

	2015-16	2014-15
A. Fee/ Remuneration from Life Insurance Business	1.21	0.99
B. Fee/ Remuneration from General Insurance Business	NIL	Nil
C. UTI Mutual Fund Business	0.15	NIL

10 **Disclosure as per Accounting Standard (AS)**

10.1 AS-5 Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

10.1.1 There are no material prior period items included in Profit & Loss Account required to be disclosed as per AS-5 read with RBI guidelines except those disclosed elsewhere in the notes.

10.2 AS-6 Depreciation Accounting

Break-up of total depreciation for each class of assets

(Rs. In crore)

Class of Assets	2015-16	2014-15
Premises	40.89	42.09
Other Fixed Assets	21.75	50.15
Total	**62.64**	**92.24**

10.3 AS-9 Revenue Recognition

10.3.1 Certain items of income are recognized on realization basis as disclosed at point no. 8 – "Revenue Recognition" of **Schedule 17 – Significant Accounting Policies**. However, in terms of RBI guidelines, the said income is not considered to be material.

10.4 **AS15 - Employees Benefit**

10.4.1 Provisions for Pension, Gratuity, Leave Encashment and Other long term benefits have been made in accordance with the Revised Accounting Standard (AS - 15) issued by the ICAI.

10.4.2 The summarized position of post employment benefits recognized in the Profit & Loss A/c and Balance Sheet is as under:

10.4.3 बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक)	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
निर्धारित लाभ बाध्यता का 1 अप्रैल को मूल्य	2537.12	2493.33	240.28	284.19	144.73	165.71
ब्याज लागत	190.03	190.79	16.17	19.04	9.44	11.53
वर्तमान सेवा लागत	205.27	199.80	13.20	10.78	13.75	25.48
प्रदत्त लाभ	(323.64)	(216.80)	(76.45)	(92.35)	(53.40)	(43.38)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	119.14	(130.00)	39.39	18.62	2.88	(14.61)
निर्धारित लाभ बाध्यता का 31 मार्च को मूल्य	2727.92	2537.12	232.58	240.28	117.40	144.73

10.4.4 योजनागत आस्तियों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
योजनागत आस्तियों का 1 अप्रैल को मूल्य	2517.42	2313.19	237.39	294.08	144.04	171.77
योजनागत आस्तियों से अपेक्षित प्रतिलाभ	224.05	205.87	21.13	26.17	12.96	17.18
नियोक्ता अंशदान	166.44	212.29	17.89	13.29	13.19	शून्य
घटाएं प्रदत्त लाभ	(323.64)	(216.80)	(76.45)	(92.35)	(53.40)	(43.38)
बीमांकिक (हानि)/लाभ	(3.55)	2.87	(2.13)	(3.80)	0.18	(1.53)
योजनागत आस्तियों का 31 मार्च को उचित मूल्य	2580.72	2517.42	197.83	237.39	116.97	144.04
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	220.50	208.74	19.00	22.37	13.14	15.65

10.4.5 शुद्ध बीमांकिक हानि /(लाभ)

(रु. करोड़ में)

विवरण	पैशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
मूल्यांकिक हानि/(लाभ) दायित्व (ए)	119.14	(130.00)	39.39	18.62	2.89	(14.61)
प्लान आस्तियों पर (बी) मूल्यांकिक हानि/(लाभ)	3.55	(2.87)	2.13	3.80	(0.17)	1.53
शुद्ध मूल्यांकिक हानि/(लाभ)	122.69	(132.87)	41.52	22.42	2.72	(13.08)
अवधि के दौरान पहचान की गई हानि/(लाभ)	122.69	(132.87)	41.52	22.42	2.72	(13.08)
वर्ष के अंत में बिना पहचान वाली मूल्यांकिक हानि/(लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.4.3 **Changes in the Present value of the Obligation**

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Present Value of defined benefit obligation as at 1st April	2537.12	2493.33	240.28	284.19	144.73	165.71
Interest cost	190.03	190.79	16.17	19.04	9.44	11.53
Current service cost	205.27	199.80	13.20	10.78	13.75	25.48
Benefits paid	(323.64)	(216.80)	(76.45)	(92.35)	(53.40)	(43.38)
Actuarial loss/ (gain) on obligations	119.14	(130.00)	39.39	18.62	2.88	(14.61)
Present value of defined Benefit obligation at 31st March	2727.92	2537.12	232.58	240.28	117.40	144.73

10.4.4 **Changes in the Present Value of Plan Assets**

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Fair value of Plan Assets as at 1st April	2517.42	2313.19	237.39	294.08	144.04	171.77
Expected return of Plan Assets	224.05	205.87	21.13	26.17	12.96	17.18
Employer contribution	166.44	212.29	17.89	13.29	13.19	Nil
Benefits paid	(323.64)	(216.80)	(76.45)	(92.35)	(53.40)	(43.38)
Actuarial (loss)/ gain	(3.55)	2.87	(2.13)	(3.80)	0.18	(1.53)
Fair value of Plan Assets as at 31st March	2580.72	2517.42	197.83	237.39	116.97	144.04
Actual return on Plan Assets	220.50	208.74	19.00	22.37	13.14	15.65

10.4.5 **Net Actuarial Loss/ (Gain)**

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Actuarial loss/(gain) on Obligation. (A)	119.14	(130.00)	39.39	18.62	2.89	(14.61)
Actuarial loss/(gain) on Plan Assets (B)	3.55	(2.87)	2.13	3.80	(0.17)	1.53
Net Actuarial loss/(gain)	122.69	(132.87)	41.52	22.42	2.72	(13.08)
Actuarial loss/(gain) recognized in the period	122.69	(132.87)	41.52	22.42	2.72	(13.08)
Unrecognized actuarial loss/ (Gain) at the end of the year	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

10.4.6 तुलन-पत्र में पहचानी गई राशि

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
31 मार्च को परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	2727.92	2537.12	232.58	240.28	117.40	144.73
घटाएं : 31 मार्च को प्लान आस्तियों का उचित मूल्य	2580.72	2517.42	197.83	237.39	116.97	144.04
तुलन पत्र में पहचान की गई गैर निधि शुद्ध आस्ति/देयता	(147.20)	(19.70)	(34.75)	(2.89)	(0.43)	(0.69)
किए गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	(0.57)	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई गैर निधि शुद्ध आस्ति/देयता	(147.20)	(19.70)	(34.75)	(2.89)	(1.00)	(0.69)

10.4.7 लाभ तथा हानि खाते में व्ययों की पहचान

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
चालू सेवा लागत	205.27	199.80	13.20	10.78	13.74	25.48
ब्याज लागत	190.03	190.79	16.16	19.04	9.44	11.53
प्लान आस्तियों पर अनुमानित रिटर्न	(224.05)	(205.87)	(21.13)	(26.17)	(12.96)	(17.18)
वर्ष के दौरान शुद्ध मूल्यांकित (लाभ)/हानि	122.69	(132.87)	41.52	22.42	2.70	(13.08)
शुद्ध (लाभ) व्यय	293.94	51.85	49.75	26.07	12.93	6.75

10.4.8 तुलन-पत्र में पहचानी गई देयताओं में उतार-चढ़ाव

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
प्रारंभिक शुद्ध देयता/ आस्तियाँ	19.70	180.14	2.89	(9.89)	0.69	(6.06)
शुद्ध लाभ व्यय	293.94	51.85	49.75	26.07	12.93	6.75
घटाएं दृदिया गया अंश	166.64	212.29	17.89	13.29	13.19	शून्य
अन्तिम देयता/आस्तियाँ	147.20	19.70	34.75	2.89	0.43	0.69
जोड़ें- किए गए उच्च वधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.57	शून्य
अन्तिम देयता/आस्तियां	147.20	19.70	34.75	2.89	1.00	0.69

10.4.6 **Amount recognized in the Balance Sheet**

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Present value of defined benefit obligation as at 31st March	2727.92	2537.12	232.58	240.28	117.40	144.73
Less: Fair value of Plan Assets as at 31st March	2580.72	2517.42	197.83	237.39	116.97	144.04
Unfunded net Asset / (Liability) Recognized in the balance sheet	(147.20)	(19.70)	(34.75)	(2.89)	(0.43)	(0.69)
Higher Provisioning kept	Nil	Nil	Nil	Nil	(0.57)	Nil
Unfunded net Asset / (Liability) Recognized in the balance sheet	(147.20)	(19.70)	(34.75)	(2.89)	(1.00)	(0.69)

10.4.7 **Expenses recognized in the Profit & Loss Account**

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Current service cost	205.27	199.80	13.20	10.78	13.74	25.48
Interest cost	190.03	190.79	16.16	19.04	9.44	11.53
Expected return on plan assets	(224.05)	(205.87)	(21.13)	(26.17)	(12.96)	(17.18)
Net Actuarial (gain)/ loss recognized during the year	122.69	(132.87)	41.52	22.42	2.70	(13.08)
Net (benefit)/ expense	293.94	51.85	49.75	26.07	12.93	6.75

10.4.8 **Movements in the liability recognized in the Balance Sheet**

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Opening net Liability/(Asset)	19.70	180.14	2.89	(9.89)	0.69	(6.06)
Net benefit expense	293.94	51.85	49.75	26.07	12.93	6.75
Less: Contribution paid	166.44	212.29	17.89	13.29	13.19	Nil
Closing liability/(Asset)	147.20	19.70	34.75	2.89	0.43	0.69
Add: Higher Provisioning Kept	Nil	Nil	Nil	Nil	0.57	Nil
Closing liability/(Asset)	147.20	19.70	34.75	2.89	1.00	0.69

10.4.9 न्यास द्वारा रखे जाने वाला निवेश प्रतिशत

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2015–16	2014–15	2015–16	2014–15	2015–16	2014–15
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ	14.82	15.90	3.08	3.10	शून्य	शून्य
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	37.41	40.80	–––	–––	शून्य	शून्य
उच्च स्तरीय कोरपोरेट बॉडस	36.91	33.90	38.37	45.05	शून्य	शून्य
विशेष जमा योजनाएं	–––	–––	––	–––	शून्य	शून्य
अन्य निवेश	10.86	9.40	58.55	51.85	100	100

10.4.10 तुलन–पत्र की तिथि को मूल बीमांकिक मूल्यांकन

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2015–16	2014–15	2015–16	2014–15	2015–16	2014–15
बट्टा दर	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ दर	8.90	8.90	8.90	8.90	9.00	10.00
वेतन में वृद्धि की दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
अनुशय दर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
प्रयोग में लाई गई प्रणाली	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी

10.4.11 बीमांकिक मूल्यांकन का आधार

विवरण	मूल्यांकन का आधार
बट्टा दर	देयता के अनुमानित आधार पर सरकारी बांडों की शर्तों के अनुरूप तुलन–पत्र की तिथि पर बाजार के अनुरुप लाभ के संदर्भ में बट्टा दर का निर्धारण किया गया है।
प्लान आस्तियों पर अनुमानित दर	संबंधित देयता की पूर्ण अवधि हेतु अवधि के प्रारंभ के समय पर प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ बाजार अनुमानों पर आधारित है।
वेतन में वृद्धि की दर	बीमांकिक मूल्यांकन में भविष्य में वेतन वृद्धि को ध्यान में रखा गया तथा मुद्रा प्रसार, वरिष्ठता, प्रोन्नित तथा अन्य संबंधित घटकों जैसे श्रमिक बाजार में मॉग तथा आपूर्ति पर विचार किया गया है।
अनुशय दर	अनुशय दर का निर्धारण पूर्व तथा अनुमानित भविष्य के अनुभव के अनुसार निर्धारित किया गया है तथा मृत्यु को छोड़कर इसमें समस्त प्रकार के आहरण सम्मिलित है लेकिन इसमें अपंगता कारक भी शामिल है।

10.4.12 अन्य दीर्घ अवधि वाले कर्मचारी लाभ (गैर निधिक)

(रु. करोड़ में)

विवरण	एलटीसी/एलएफसी नकदीकरण *		सिल्वर जुबली बोनस		मेडिकल लाभ *		सेवा निवृत्ति उपहार	
	2015–16	2014–15	2015–16	2014–15	2015–16	2014–15	2015–16	2014–15
देयता का वर्तमान मूल्य	8.69	7.96	0.88	0.97	0.60	0.51	2.01	2.04
पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान पहचानी गई पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचान न की गई पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
किए गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	0.09	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन–पत्र में पहचानी गई देयता	8.69	7.96	0.97	0.97	0.60	0.51	2.01	2.04

* प्रबंधन द्वारा निर्धारित

10.4.9 **Investment percentage maintained by the trust**

(in % age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Central Government Securities	14.82	15.90	3.08	3.10	Nil	Nil
State Government Securities	37.41	40.80	---	----	Nil	Nil
High Safety Bonds/TDRs	36.91	33.90	38.37	45.05	Nil	Nil
Special Deposit Scheme	---	---		---	Nil	Nil
Other investments	10.86	9.40	58.55	51.85	100	100

10.4.10 **Principal Actuarial assumptions at the Balance Sheet date**

(in % age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Discount rate	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Expected rate of return on plan assets	8.90	8.90	8.90	8.90	9.00	10.00
Rate of escalation in salary	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition rate	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Method used	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC

10.4.11 **Basis of Actuarial Assumptions considered**

Particulars	Basis of assumption
Discount rate	Discount rate has been determined by reference to market yield on the balance sheet date on Government Bonds of term consistent with estimated term of the obligation.
Expected rate of return on plan assets	The expected return on Plan assets is based on market expectation, at the beginning of the period, for returns over the entire life of the related obligation.
Rate of escalation in salary	The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation take account of inflation, seniority, promotion, and other relevant factor, such as supply and demand in employee market.
Attrition rate	Attrition rate has been determined by reference to past and expected future experience and includes all type of withdrawals other than death but including those due to disability.

10.4.12 **Other long term employee benefit (Non funded)**

(Rs. in crore)

Particulars	LTC/LFC Encashment *		Silver jubilee Bonus		Medical Benefits *		Retirement Gifts	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2014-15	2013-14
Present Value of Obligation	8.69	7.96	0.88	0.97	0.60	0.51	2.01	2.04
Transitional Liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Transitional liability recognized during the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Unrecognized transitional liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Higher Provisioning kept	NIL	NIL	0.09	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Liability recognized in the Balance Sheet	8.69	7.96	0.97	0.97	0.60	0.51	2.01	2.04

* As assessed by the management

10.5 लेखामानक – 17 – खंड रिपोर्टिंग

भाग कः व्यापार खंड

(रु. लाखों में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
1. खण्ड राजस्व		
क. राजकोष	203663	214251
ख. कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	507528	478562
ग. फुटकर बैंकिंग	210955	208818
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	136	99
कुल	**922282**	**901730**
2. खंड परिणाम		
क. राजकोष	28167	13741
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	91298	70210
ग. फुटकर बैंकिंग	37948	30636
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	136	99
कुल	**157549**	**114686**
3. गैर–आबंटित व्यय	30560	37141
4. परिचालन लाभ	**126989**	**77545**
5. प्रावधान व आकस्मिक देयताएं	77149	62733
6. आयकर	16243	2677
7. विशेष लाभ/हानि	0	0
8. शुद्ध लाभ	**33597**	**12135**
अन्य सूचना		
9. खंड आस्तियाँ		
क. राजकोष	2810883	2449623
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	5212326	5049831
ग. फुटकर बैंकिंग	2166510	2203462
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
ड. गैर–आबंटित आस्तियाँ	68423	72425
कुल आस्तियाँ	**10258142**	**9775341**
10. खंड देयताएं		
क. राजकोष	2657699	2323239
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	4928270	4789296
ग. फुटकर बैंकिंग	2048442	2089779
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
ड. गैर–आबंटित आस्तियाँ	26709	13409
कुल आस्तियाँ	**9661120**	**9215723**

नोटः मानक ए.एस–17 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक के व्यवसाय को चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है जोकि अ. राजकोष परिचालन ब. कारपोरेट/थोक बैंकिंग सी. फुटकर बैंकिंग डी. अन्य बैंकिंग परिचालन हैं।

कॉरपोरेट/थोक तथा फुटकर बैंकिंग खंड के संबंध में खंडीय राजस्व, परिणाम, आस्ति तथा देयताओं को इन खंडों में दिए गए ऋणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

जहाँ खंडों से संबंधित आस्ति तथा देयता आबंटित की गई हो तथा जहाँ पर ये प्रत्यक्षतः उनसे संबंधित न हो, उनका आबंटन यथा अनुपात खंड राजस्व के आधार पर किया गया है।

10.5 AS 17 – Segment Reporting

Part A : Business Segment :

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Year ended 31.03.16 (Audited)	Year ended 31.03.15 (Audited)
1. Segment Revenue		
a) Treasury	203663	214251
b) Corporate/ Wholesale Banking	507528	478562
c) Retail Banking	210955	208818
d) Other Banking Operations	136	99
Total	**922282**	**901730**
2. Segment Result		
a) Treasury	28167	13741
b) Corporate/ Wholesale Banking	91298	70210
c) Retail Banking	37948	30636
d) Other Banking Operations	136	99
Total	**157549**	**114686**
3. Unallocated Expenses	30560	37141
4. Operating Profit	**126989**	**77545**
5. Provisions & Contingencies	77149	62733
6. Income Tax	16243	2677
7. Extra Ordinary Profit/ Loss	0	0
8. Net Profit	**33597**	**12135**
Other Information:		
9. Segment Assets		
a) Treasury	2810883	2449623
b) Corporate/ Wholesale Banking	5212326	5049831
c) Retail Banking	2166510	2203462
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Assets	68423	72425
Total Assets	**10258142**	**9775341**
10. Segment Liabilities		
a) Treasury	2657699	2323239
b) Corporate/ Wholesale Banking	4928270	4789296
c) Retail Banking	2048442	2089779
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Liabilities	26709	13409
Total Liabilities	**9661120**	**9215723**

Note: For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 of ICAI and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e. a) Treasury Operations, b) Corporate/Wholesale Banking, c) Retail Banking and d) Other Banking Operations.

Segmental Revenue, Results, Assets & Liabilities in respect of Corporate / Wholesale and Retail Banking segment have been bifurcated on the basis of exposure to these segments.

Assets & Liabilities wherever directly related to segments have been accordingly allocated to segments and wherever not directly related have been allocated on the basis of pro-rata segment revenue

भाग खः भौगोलिक खंड

बैंक की विदेश में कोई भी शाखा नहीं है, इसलिए भौगोलिक खंड की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

10.6 लेखा मानक 18 – संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

मुख्य प्रबंधन अधिकारी

(1)	श्री जतिंदरबीर सिंह	दिनांक 04.02.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(2)	श्री मुकेश कुमार जैन	दिनांक 05.08.2013 से कार्यकारी निदेशक
(3)	श्री अरविन्द कुमार जैन	दिनांक 15.12.2015 से कार्यकारी निदेशक

क. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों को दिया गया पारिश्रमिक

रु. लाखों में

नाम एवं पदनाम	2015–16	2014–15
श्री जतिंदरबीर सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	20.88	20.03
श्री मुकेश कुमार जैन, कार्यकारी निदेशक	17.87	16.61
श्री अरविन्द कुमार जैन, कार्यकारी निदेशक	5.05	0

ख) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों एवं उनके संबंधियों को दिए गए ऋणः

विवरण	दिनांक 31.03.2016	दिनांक 31.03.2015
बकाया ऋण	शून्य	शून्य

ग) सम्बन्धित पार्टी का नाम – सतलुज ग्रामीण बैंक (सहयोगी)

एस–18 के पैरा 9 में सम्बन्धित पार्टी के प्रकटन में, जो राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य सम्बन्धित पार्टियों, जो राज्य द्वारा ही नियंत्रित की जाती है, के साथ किए गए लेन–देन का प्रकटन करने से छूट देता है। अतः सहयोगी बैंक के साथ किए गए लेन–देन का प्रकटन नहीं किया गया है।

10.7 प्रति शेयर आय (एएस–20)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2015–16	2014–15
इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर के बाद कुल लाभ (रु. करोड़ में)	335.97	121.35
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संखया (करोड़ में)	40.04	33.80
आधार एवं कम की गई प्रति शेयर आय (रु.)	8.39	3.59
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु.)	10.00	10.00

10.8 लेखा मानक 21– समेकित वित्तीय विवरणी

बैंक की कोई अनुषंगी नहीं है अतः लेखामानक 21 लागू नहीं है।

10.9 लेखा मानक 22 – आय पर करों हेतु लेखांकन

10.9.1 बैंक ने आयकर लेखा–जोखा में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22, 'आय पर करों का लेखांकन' का अनुपालन किया है।

10.9.2 आस्थगित कर अस्तियों/ देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैः

(रु. करोड़ में)

	विषय	आस्थगित कर आस्तियाँ		आस्थगित कर देयताएं	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1.	स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	शून्य	शून्य	1.95	3.04
2.	उपचित ब्याज लेकिन प्रतिभूतियों पर देय नही	शून्य	शून्य	172.08	168.40
3.	धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व	शून्य	शून्य	26.73	24.89
4.	वेतन संशोधन हेतु प्रावधान	शून्य	94.91	––	शून्य
5.	अग्रसरित हानियाँ	शून्य	0.00	––	शून्य
	कुल	**शून्य**	**94.91**	**200.76**	**196.33**

Part B : Geographical Segment :

Since the Bank does not have any overseas branch, reporting under Geographic Segment is not applicable.

10.6 **AS 18 – Related Party Disclosures**

Key Managerial Personnel:

(i)	Mr. Jatinderbir Singh	Chairman and Managing Director since 04.02.2014
(ii)	Mr. Mukesh Kumar Jain	Executive Director w.e.f. 05.08.2013
(iii)	Mr. Arvind Kumar Jain	Executive Director w.e.f.15.12.2015

a) Remuneration Paid to Key management personnel :

(Rs. in lacs)

Name and Designation	2015-16	2014-15
Mr. Jatinderbir Singh, Chairman & Managing Director	20.88	20.03
Mr. Mukesh Kumar Jain, Executive Director	17.87	16.61
Mr. Arvind Kumar Jain, Executive Director	5.05	0

b) Loans granted to Key Managerial Personnel & their relatives:

Particulars	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
Loans outstanding	NIL	NIL

c) Name of Related Party - Satluj Gramin Bank (An Associate)

Para 9 of AS 18 - Related Party Disclosures exempts state controlled enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled. Hence, the transactions with the associated bank have not been disclosed.

10.7 AS 20 - Earning Per Share

(Rs. in crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Net Profit After tax available for equity Shareholders	335.97	121.35
Weighted Average Number of Equity Shares in crore	40.04	33.80
Basic and Diluted Earning per Share (Rs.)	8.39	3.59
Nominal Value per Share (Rs.)	10.00	10.00

10.8 AS 21 – Consolidated Financial Statement

The Bank does not have any subsidiary and as such AS 21 is not applicable.

10.9 AS 22 – Accounting for Taxes on Income

10.9.1 The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 'Accounting for taxes on Income' issued by ICAI.

10.9.2 Major components of deferred tax assets/liabilities are as under:

(Rupees in crore)

Head		Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liabilities	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1	Depreciation on Fixed Assets	Nil	Nil	1.95	3.04
2	Interest accrued but not due on securities	Nil	Nil	172.08	168.40
3	Special Reserve u/s 36(1)(viii)	Nil	Nil	26.73	24.89
4	Provision for wage revision	Nil	94.91	-	Nil
5	Brought forward losses	Nil	0.00	-	Nil
	Total	**Nil**	**94.91**	**200.76**	**196.33**

10.9.3 विधिक–कर विशेषज्ञों की राय के आधार पर लेखा आय तथा प्रतिभूतियों के मूल्य पर आय कर की गणना के स्थायी अंतर पर बैंक ने विचार में किया है तथा तदनुसार रु. 355.05 करोड़ (पूर्व वर्ष के रु. 379.26 करोड़) की राशि की आस्थगित कर देयता के निर्माण को आवश्यक नहीं माना गया।

10.9.4 विधिक विशेषज्ञों की राय तथा अनुकूल न्यायिक अधिघोषणाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा आयकर, फ्रिंज बैनिफिट कर तथा आस्थगित कर के प्रावधान को पर्याप्त माना गया।

10.9.5 अपील प्राधिकारियों की निर्णायक निर्णय प्रणाली तथा कर विशेषज्ञों की राय के अनुसार विवादित आयकर, ब्याज कर की कुल राशि रु. 257.41 करोड़ (पूर्व वर्ष में रु. 293.19 करोड़) की मांग के प्रावधान को आवश्यक नही माना गया है।

10.9.6 कर परामर्शदाताओं के अनुसार बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए आयकर हेतु प्रावधान की संगणना के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(VII) के अंतर्गत कटौतियों का दावा किया है जो कि रु. 332.04 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 249.17 करोड़) के गैर–ग्रामीण अग्रिमों को समायोजित किए बगैर बट्टे खाते डालने के संबंध में है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(VII) में स्पष्टीकरण 2 36(1)(Viia) के साथ पठित धारा 36 (1)(VII,) के अनुसार गैर–ग्रामीण अग्रिमों को अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डालने से संबंधित है, लागू नहीं है।

10.10 लेखा मानक 23– समेकित वित्तीय विवरणियों में सहायक संस्थाओं में निवेश हेतु लेखांकन

बैंक के पास किसी प्रकार की अनुषंगी नहीं है। अतः एएस 23 लागू नहीं है।

10.11 लेखा मानक 26–अमूर्त आस्तियाँ

बैंक में प्रयोग किया जा रहा एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर बैंक में ही तैयार किया गया है जो कि निश्चित समयावधि में विकसित किया गया है। अतः सॉफ्टवेयर की लागत बैंक के परिचालन व्यय का आवश्यक हिस्सा है, जैसे कि मजदूरी आदि तथा लाभ–हानि खाते में संबंधित व्यय शीर्ष में लेखांकित किया गया है।

10.12 लेखा मानक 28– आस्तियों के अनर्जक होने संबंधी लेखांकन

लेखा मानक 28– में परिभाषित बैंक द्वारा धारित स्थिर आस्तियों को "निगमित आस्तियाँ " माना गया है न कि "नकदी निर्मित इकाइयां"। प्रबंधन की राय के अनुसार 31.03.2016 तक आईसीएआई द्वारा जारी एएस–28 की शर्तों के अनुसार समग्र राशि में स्थिर अनर्जक आस्तियाँ कोई नहीं है। अन्य आस्तियों के अनर्जक होने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विशेष नियमों के तहत प्रावधान कर दिए गए हैं।

10.13 लेखा मानक–29 –प्रावधानों, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

10.13.1 लेखा मानक – 29 के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रावधानों में आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों हेतु बैंक ने निम्न के लिए कोई प्रावधान नही किया हैः

(क) पूर्व घटनाओं द्वारा उत्पन्न कोई संभाव्य देयता जिसका घटित होना या न होना भविष्य में होने वाली किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर है, जो पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं है। और

(ख) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसको पहचाना नहीं गया है क्योंकि
*यह संभव नहीं है कि संसाधनों के बहिर्गमन से आर्थिक लाभ के दायित्वों का निपटान किया जा सके या
*देयता राशि का सटीक अनुमान आंका नहीं जा सका है।

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयताओं के रुप में रिकार्ड किया गया है। इनका आकलन निरंतर किया जाता है और देयताओं के केवल वह भाग जिनमें आर्थिक लाभ का परिलक्षण होता है का प्रावधान किया गया है सिवाय विशेष परिस्थितियों में जहाँ विश्वसनीय अनुमानों की पहचान नहीं हो सकी।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है क्योंकि ये कभी पहचान में न आने वाली आय में परिवर्तित हो सकती हैं।

10.13.2 आकस्मिक देयताओं संबंधी प्रावधानों में घट–बढ़

(रु. करोड़ों में)

विवरण	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान कटौती		अथ शेष	
	2015–16	2014–15	2015–16	2014–15	2015–16	2014–15	2015–16	2014–15
जिन्होंने बैंक ऋण की अभिस्वीकृति नहीं दी है, के विरूद्ध दावा	26.75	26.61	0.64	0.75	0.97	0.61	26.42	26.75
इन्वोक्ड बैंक गारंटी	0.06	6.44	0	0	0	6.38	0.06	0.06
हस्तांतरित साख–पत्र		शून्य		शून्य		शून्य		शून्य

10.9.3 Based on the opinion of tax expert, the bank has considered the difference between accounting income and computation of taxable income on valuation of securities as permanent and accordingly, deferred tax liability of Rs. 355.05 crore (Previous Year Rs.379.26 crore) has not been considered necessary.

10.9.4 Provision for Income Tax, Deferred Tax and Fringe Benefit Tax held by the Bank is considered adequate taking into account the opinion of legal experts and favorable judicial pronouncements.

10.9.5 No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of Income Tax, Fringe Benefit Tax and Interest Tax aggregating to Rs. 257.41 crore (Previous year Rs.293.19 crore) in view of decisions of appellate authorities / judicial pronouncements / opinions of legal experts.

10.9.6 Based on the opinion of tax expert, the bank has claimed the deduction under section 36(1)(vii) of the Income Tax Act, 1961 in respect of write off of non-rural advances of Rs.332.04 crore (previous year Rs.249.17 crore) without adjusting the same with the unexhausted provision outstanding under section 36(1)(viia) of the Income Tax Act, 1961 holding that proviso read with Explanation-2 to section 36(1)(vii) is not applicable to the bad debts written off of non-rural advances.

10.10 **AS 23 – Accounting for Investments in Associates in consolidated Financial Statements**

The Bank does not have any subsidiary and as such AS 23 is not applicable.

10.11 **AS 26 – Intangible Assets**

The application software in use in the Bank has been developed in house and has evolved over a period of time. Hence ,the costs of software is essentially part of Bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the Profit and Loss Account.

10.12 **Accounting Standard 28 - Impairment of Assets**

Fixed Assets possessed by Bank are treated as 'Corporate Assets' and not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28. In the opinion of the Management, there is no impairment of the 'Fixed Assets' of material amount as of 31.03.2016, requiring recognition in terms of AS-28 issued by the ICAI. The impairment of other assets has been provided for as per Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.

10.13 **Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets**

10.13.1 As per AS-29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes no provision for -

a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank, or

b) Any present obligation from the past events but is not recognized because

- It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
- A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed continually and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

10.13.2 **Movement of Provision against Contingent Liabilities:**

(Rs. in crore)

Particulars	Opening Balance		Additions during the year		Reduction during the year		Closing Balance	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Claims against the Bank not acknowledged as Debt	26.75	26.61	0.64	0.75	0.97	0.61	26.42	26.75
Invoked Bank Guarantees	0.06	6.44	0	0	0	6.38	0.06	0.06
L.C Devolved		Nil		Nil		Nil		Nil

10.13.3 Movement of other significant provisions has been disclosed at the appropriate places in the Notes forming part of the accounts.

10.13.3 अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों को लेखों के नोट वाले हिस्से में उपयुक्त स्थान पर प्रकट किया गया है।

11.1 अतिरिक्त प्रकटीकरण

(रु. करोड़ों में)

लाभ–हानि खाते के व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान और आकस्मिक व्ययों का ब्यौरा	**2015–16**	**2014–15**
गैर–निष्पादित अग्रिमों हेतु प्रावधान	807.08	436.62
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	–29.78	143.25
अंकित मूल्यों में कटौती हेतु प्रावधान पुनर्गठित (मानक)	–39.79	63.62
गैर–निष्पादित निवेशों हेतु प्रावधान	31.90	1.71
निवेशों में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	0.47	–14.22
अन्य प्रावधान	1.61	–3.65
कर–निर्धारण हेतु प्रावधान		
वर्तमान कर	234.79	144.64
आस्थगित कर	99.34	24.48
संपत्ति कर	0.00	0.80
न्यूनतम वैकल्पिक कर ऋण पात्रता	–171.70	–143.15
अन्य	0.00	0.00
कुल	**933.92**	**654.10**

11.2 अस्थाई प्रावधानों में घट–बढ़

(रु. करोड़ों में)

	2015–16	**2014–15**
अथ शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरण से गिरावट	शून्य	शून्य
इति शेष	शून्य	शून्य

11.3 आरक्षित निधि से आहरण

पुरानी प्रविष्टियों के दावेदारों को भुगतान करने के लिए सामान्य आरक्षित निधि खाते से रुपये 1,04,099.13 (पिछला वर्ष रु 00 लाख) की राशि का आहरण किया गया।

11.4 ग्राहक शिकायतें

		2015–16	**2014–15**
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	93	35
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1569	1432
ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1560	1374
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	102	93

11.5 बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामले

		2015–16	**2014–15**
क)	वर्ष के आरंभ में गैर–क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	2
ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या	शून्य	6
ग)	वर्ष के दौरान क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	7
घ)	वर्ष के अंत में लंबित गैर–क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	1

11.1. **Additional disclosures:**

(Rs. in crore)

Break up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit & Loss Account	2015-16	2014-15
Provision for Non Performing Advances	807.08	436.62
Provision for Standard Assets	-29.78	143.25
Provision for diminution in FV Restructured (Standard)	-39.79	63.62
Provision for Non Performing Investments	31.90	1.71
Provision for Depreciation in the value of Investments	0.47	-14.22
Other Provisions	1.61	-3.65
Provision for Taxation:		
Current Tax	234.79	144.64
Deferred Tax	99.34	24.48
Wealth Tax	0.00	0.80
MAT Credit Entitlement	-171.70	-143.15
Others	0.00	0.00
Total	**933.92**	**654.10**

11.2 **Movement of Floating Provisions**

(Rs. in crore)

	2015-16	2014-15
Opening Balance	Nil	Nil
Additions during the year	Nil	Nil
Draw down during the year	Nil	Nil
Closing Balance	Nil	Nil

11.3 **Draw down from Reserve**

A sum of Rs. 1,04,099.13 (previous year Rs. NIL lacs) has been drawn from the General Reserve on account of payment to the claimant of old entries.

11.4 **Customer's Complaints:**

		2015-16	2014-15
a)	No. of Complaints pending at the beginning of the year	93	35
b)	No. of Complaints received during the year	1569	1432
c)	No. of Complaints redressed during the year	1560	1374
d)	No. of Complaints pending at the end of the year	102	93

11.5 **Awards Passed by the Banking Ombudsman:**

		2015-16	2014-15
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1	2
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	Nil	6
c)	No. of Awards implemented during the year	Nil	7
d)	No. of unimplemented Awards pending at the end of the year	1	1

11.6 जमाओं, अग्रिमों, जोखिमों एवं एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

11.6.1 जमाओं का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ों में)

	31.03.2016	31.03.2015
सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की कुल जमा	18740.92	16798.44
बैंक की कुल जमा में सबसे बडे 20 जमाकर्ताओं की जमा का प्रतिशत	20.54%	19.37%

11.6.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ों में)

	31.03.2016	31.03.2015
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों को कुल अग्रिम	13228.12	17050.49
बैंक के कुल अग्रिम में सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों को अग्रिम का प्रतिशत	20.26%	26.31%

11.6.3 जोखिमों का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ों में)

	31.03.2016	31.03.2015
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम	14818.01	17760.38
बैंक के ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम में सबसे बडे 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम का प्रतिशत	18.73%	27.41%

11.6.4 एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ों में)

	31.03.2016	31.03.2015
सबसे बड़े चार एन.पी.ए. खातों पर कुल जोखिम	908.90	384.76

11.7 क्षेत्रवार एन.पी.ए.

(रु. करोड़ों में)

क्र. सं.	क्षेत्र*	31.03.2015			31.03.2016		
		बकाया कुल अग्रिम	कुल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एन.पी.ए. का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	कुल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एन.पी.ए. का प्रतिशत
क.	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1.	कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ	6787.37	322.53	0.50%	8790.71	429.7	2.00%
2.	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम	3236.62	439.53	0.68%	3333.72	782.36	3.63%
3.	सेवा क्षेत्र	4880.47	526.59	0.81%	5029.9	623.11	2.89%
4.	व्यक्तिगत ऋण	3052.84	170.01	0.26%	4375.58	225.69	1.05%
	उप-योग (क)	**17957.3**	**1458.66**	**2.25%**	**21529.91**	**2060.86**	**3.16%**

11.6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

11.6.1 Concentration of Deposits

(Rupees. In crore)

	31.03.2016	31.03.2015
Total Deposits of twenty largest depositors	18740.92	16798.44
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits	20.54%	19.37%

11.6.2 Concentration of Advances

(Rupees. In crore)

	31.03.2016	31.03.2015
Total Advances to twenty largest borrowers	13228.12	17050.49
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances	20.26%	26.31%

11.6.3 Concentration of Exposures

(Rupees. In crore)

	31.03.2016	31.03.2015
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	14818.01	17760.38
Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers	18.73%	27.41%

11.6.4 Concentration of NPAs

(Rupees. In crore)

	31.03.2016	31.03.2015
Total Exposure to top four NPA Accounts	908.90	384.76

11.7 Sector-wise NPAs

(Rupees. In crore)

Sl. No.	Sector*	31.03.2015			31.03.2016		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	6787.37	322.53	0.50%	8790.71	429.7	2.00%
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	3236.62	439.53	0.68%	3333.72	782.36	3.63%
3	Services	4880.47	526.59	0.81%	5029.9	623.11	2.89%
4	Personal loans	3052.84	170.01	0.26%	4375.58	225.69	1.05%
	Sub-total (A)	**17957.3**	**1458.66**	**2.25%**	**21529.91**	**2060.86**	**3.16%**

ख	**गैर–प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2	उद्योग	23141.50	1187.87	1.83	19736.28	1724.5	3.94%
3	सेवा क्षेत्र	22108.78	359.69	0.55	21989.88	358	0.82%
4	व्यक्तिगत ऋण	1588.84	75.97	0.12	2021.15	85.7	0.20%
	उप–योग (ख)	**46839.12**	**1623.53**	**2.51**	**43747.31**	**2168.2**	**3.32%**
	कुल (क+ख)	**64796.42**	**3082.19**	**4.76**	**65277.22**	**4229.06**	**6.48%**

*बैंक उक्त प्रारूप में उस उप क्षेत्र के कुल अग्रिमों से बकाया अग्रिम 10% से अधिक हैं, का प्रकटीकरण कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि खनन क्षेत्र को बैंक का कुल बकाया उद्योग क्षेत्र के कुल अग्रिम से 10 प्रतिशत से अधिक है तो बैंक को उद्योग क्षेत्र को अग्रिम के अंतर्गत खनन क्षेत्र में अलग से उक्त प्रारूप में प्रकट करना चाहिए।

11.8 एन.पी.ए. में उतार–चढ़ाव

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1 अप्रैल को सकल एनपीए. (अथ शेष)	3082.19	2553.52
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए.)	1959.92	1242.42
उप–योग (क)	**5042.11**	**3795.94**
घटा : i) उन्नयन	260.27	260.59
ii) वसूलियाँ (उन्नयन खातों से की गई वसूली के अतिरिक्त)	217.42	189.88
iii) बट्टे खातों में डालना	335.37	263.28
उप–योग ख,	**813.06**	**713.75**
31 मार्च को सकल एनपीए.(इति शेष) (क–ख)	**4229.05**	**3082.19**

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1 अप्रैल को तकनीकी/प्रुडेंशल बट्टा खातों का प्रारंभिक शेष)	1178.30	957.09
जमा : वर्ष के दौरान तकनीकी/प्रुडेंशल बट्टा खाते	335.37	263.27
उप–योग (क)	1513.67	1220.36
घटा : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/प्रुडेंशल बट्टा खातों से की गई वसूली (ख)	42.19	42.06
31 मार्च को (इति शेष) (क–ख)	1471.48	1178.30

11.9 विदेशी आस्तियाँ, एन.पी.ए. एवं राजस्व

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
कुल आस्तियाँ	231.39	259.55
कुल एन.पी.ए.	0	0
कुल राजस्व	0.90	0.37

B	Non Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2	Industry	23141.50	1187.87	1.83	19736.28	1724.5	3.94%
3	Services	22108.78	359.69	0.55	21989.88	358	0.82%
4	Personal loans	1588.84	75.97	0.12	2021.15	85.7	0.20%
	Sub-total (B)	**46839.12**	**1623.53**	**2.51**	**43747.31**	**2168.2**	**3.32%**
	Total (A+B)	**64796.42**	**3082.19**	**4.76**	**65277.22**	**4229.06**	**6.48%**

*Banks may also disclose in the format above, sub sectors where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances to that sector. For instance, if a bank's outstanding advances to the mining industry exceed 10 percent of the outstanding total advances to 'Industry' sector it should disclose details of its outstanding advances to mining separately in the format above under the 'Industry' sector.

11.8 Movement of NPAs

(Rs. in crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	3082.19	2553.52
Additions (Fresh NPAs) during the year	1959.92	1242.42
Sub-total (A)	**5042.11**	**3795.94**
Less: (i) Up-gradations	260.27	260.59
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from up-graded accounts)	217.42	189.88
(iii) Write-offs	335.37	263.28
Sub-total (B)	**813.06**	**713.75**
Gross NPAs as on 31st March (closing balance) (A-B)	**4229.05**	**3082.19**

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at April 1	1178.30	957.09
Add : Technical / Prudential write-offs during the year	335.37	263.27
Sub-total (A)	1513.67	1220.36
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year (B)	42.19	42.06
Closing balance as at March 31 (A-B)	1471.48	1178.30

11.9 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Rs. in crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Total Assets	231.39	259.55
Total NPAs	0	0
Total Revenue	0.90	0.37

11.10 तुलन–पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी.

(रु. करोड़ों में)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम			
घरेलू		विदेश	
31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11.11 अंतर्समूह जोखिम

क्र.सं.	विवरण	31.03.2016		31.03.2015	
		संस्वीकृत ऋण/लिमिट राशि	शेष बकाया	संस्वीकृत ऋण/लिमिट राशि	शेष बकाया
(क)	अंतर्समूह जोखिम की कुल राशि	11.68	0.03	5.64	0
(ख)	शीर्ष 20 अंतर्समूहों के जोखिम की कुल राशि	11.68	0.03	5.64	0
(ग)	उधारियों/ग्राहकों पर बैंक के कुल जोखिम में अंतर्समूह जोखिम का प्रतिशत	0.02	0.02	0.01	0
(घ)	अंतर्समूह जोखिम पर सीमा भंग का विवरण तथा उन पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो तो	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11.12 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीइएएफ) हेतु अंतरण

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
डीइएएफ हेतु अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	96.61	शून्य
जमा : वर्ष के दौरान डीइएएफ हेतु अंतरित राशि	30.65	96.61
घटा : डीइएएफ द्वारा दावों के लिए प्रतिपूर्ति की गई राशि	शून्य	शून्य
डीइएएफ को अंतरित राशि का इति शेष	127.26	96.61

11.13 वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 15.01.2014 संख्या डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013–14 की शर्तों के अनुसार बैंक ने संघटकों द्वारा दिए गए विवरणों के अनुसार अरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम हेतु रु. 1.07 करोड़ (विगत वर्ष रु. 0.51 करोड़) की राशि उपलब्ध की है।

12. चलनिधि व्याप्ति अनुपात

(रु. करोड़ों में)

	समाप्त तिमाही	30.06.2015		30.09.2015		31.12.2015		31.03.2016	
		कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां									
1	कुल उच्च गुणवत्ता चल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		7434.93		7457.38		8278.24		12032.99
नकदी प्रवाह									
2	फुटकर जमाएं तथा छोटे व्यवसायियों से जमाएं, जिनमें	38992.18	3857.54	39867.51	3941.49	40893.23	4040.36	40858.71	4057.65
(i)	स्थिर जमाएं	833.49	41.67	905.18	45.26	979.22	48.96	564.39	28.22
(ii)	घटा स्थिर जमाएं	38158.69	3815.87	38962.32	3896.23	39914.01	3991.40	40294.32	4029.43
3	अरक्षित थोक निधियन जिसमें	24387.39	10671.48	23735.99	10304.85	26346.74	11013.63	31501.51	13120.01
(i)	परिचालन जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर–परिचालन जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	24387.39	10671.48	23735.99	10304.85	26346.74	11013.63	31501.51	13120.01
(iii)	अरक्षित ऋण								

11.10 **Off-Balance Sheet SPVs sponsored by Banks**

(Rs. in crore)

Name of the SPV sponsored			
Domestic		**Overseas**	
31.03.2016	**31.03.2015**	**31.03.2016**	**31.03.2015**
NIL	NIL	NIL	NIL

11.11 **Intra-Group Exposures**

S.No.	Particulars	31.03.2016		31.03.2015	
		Sanc Loan/ limit	Balance O/s	Sanc Loan/ limit	Balance O/s
(a)	Total amount of intra-group exposures	11.68	0.03	5.64	0
(b)	Total amount of top-20 intra-group exposures	11.68	0.03	5.64	0
(c)	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.02	0.02	0.01	0
(d)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	NIL	NIL	NIL	NIL

11.12 **Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)**

(Rs. in crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Opening balance of amounts transferred to DEAF	96.61	Nil
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	30.65	96.61
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	Nil	Nil
Closing balance of amounts transferred to DEAF	127.26	96.61

11.13 During the year, in terms of RBI Circular No. DBOD.No. BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dt. 15.01.2014, the Bank has provided an amount of Rs.1.07 cr. (Previous Year Rs.0.51 cr.) towards Unhedged Foreign currency Exposure Based on the details furnished by the constituents.

12. **Liquidity Coverage Ratio**

(Rs. in crore)

		30.06.2015		30.09.2015		31.12.2015		31.03.2016	
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets		7434.93		7457.38		8278.24		12032.99
	Cash Outflows								
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which	38992.18	3857.54	39867.51	3941.49	40893.23	4040.36	40858.71	4057.65
(i)	Stable Deposits	833.49	41.67	905.18	45.26	979.22	48.96	564.39	28.22
(ii)	Less stable deposits	38158.69	3815.87	38962.32	3896.23	39914.01	3991.40	40294.32	4029.43
3	Unsecured wholesale funding of which	24387.39	10671.48	23735.99	10304.85	26346.74	11013.63	31501.51	13120.01
(i)	Operational Deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non -operational deposits (all counterparties)	24387.39	10671.48	23735.99	10304.85	26346.74	11013.63	31501.51	13120.01
(iii)	Unsecured debt								

4	संरक्षित थोक निधियन		175.04		0.00		0.00		0.00
5	अतिरिक्त अनिवार्यताएं, जिसमें	5917.68	924.44	5970.81	794.27	6307.08	772.23	5876.21	708.56
(i)	व्युत्पन्न जोखिमों से संबद्ध बहिर्गमन तथा अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं								
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्गमन								
(iii)	ऋण तथा चल निधि सुविधाएं	5917.68	924.44	5970.81	794.27	6307.08	772.23	5876.21	708.56
6	अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	3529.59	176.48	3704.09	185.20	4182.35	209.12	3996.45	146.31
8	कुल नकदी प्रवाह		15804.99		15225.82		16035.34		18032.53
नकदी अंतः प्रवाह									
9	प्रतिभूत ऋण (यथा रिवर्स रेपो)	365.00	25.00	191.67	16.67	675.00	430.00	543.33	510.00
10	पूर्ण अर्जक जोखिमों से अंतःप्रवाह	4628.33	2421.11	2854.97	1501.38	3301.81	1839.28	1320.33	733.11
11	अन्य नकदी अंतःप्रवाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	कुल अंतः नकदी प्रवाह	4993.33	2446.11	3046.63	1518.04	3976.81	2269.28	1863.67	1243.11
13	**कुल एच.क्यू.एल.ए.**		7434.93		7457.38		8278.24	0.00	12032.99
14	**कुल शुद्ध नकदी बाह्य प्रवाह**		13358.88		13707.77		13766.06	0.00	16789.42
15	**चलनिधि व्याप्ति अनुपात (%)**		55.66		54.40		60.14	0.00	71.67

13. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की शर्तों के अनुसार प्रकटीकरण

सूक्ष्म और लघु उद्यमों से क्रय की गई चल सम्पत्ति से संबंधित सूचना का विवरण

क्र.सं.	विवरण	2015–16		2014–15	
		मूल राशि	ब्याज	मूल राशि	ब्याज
1.	मूलधन तथा उस पर देय ब्याज (अलग से दर्शाया जाए) किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	आपूर्तिकर्ता को वर्ष के दौरान नियत दिन के अलावा किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा प्रदत्त ब्याज की राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	भुगतान में हुई देरी की अवधि के लिए देय तथा बकाया ब्याज (जो अदा कर दिया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत तिथि के अलावा) लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	उपचित ब्याज तथा शेष अप्रदत्त राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	उत्तरवर्ती वर्षों में देय तथा अतिरिक्त शेष ब्याज की राशि, जहाँ तक कि उपयुक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यमी को अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से अदा कर दिया जाता है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

14. जहाँ सूचना उपलब्ध नहीं थी, को छोड़कर और जहां आवश्यक था पिछले वर्ष के आंकडों को पुनः व्यवस्थित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

नोटः यह मूल अंग्रेजी पाठ का हिन्दी अनुवाद है।

4	Secured wholesale funding		175.04		0.00		0.00		0.00
5	Additional requirements, of which	5917.68	924.44	5970.81	794.27	6307.08	772.23	5876.21	708.56
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements								
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt product								
(iii)	Credit and liquidity facilities	5917.68	924.44	5970.81	794.27	6307.08	772.23	5876.21	708.56
6	Other contractual funding obligations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Other contingent funding obligations	3529.59	176.48	3704.09	185.20	4182.35	209.12	3996.45	146.31
8	Total Cash Outflows		15804.99		15225.82		16035.34		18032.53
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g.reverse repos)	365.00	25.00	191.67	16.67	675.00	430.00	543.33	510.00
10	Inflows from fully performing exposures	4628.33	2421.11	2854.97	1501.38	3301.81	1839.28	1320.33	733.11
11	Other Cash Inflows	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Total Cash Inflows	4993.33	2446.11	3046.63	1518.04	3976.81	2269.28	1863.67	1243.11
13	TOTAL HQLA		7434.93		7457.38		8278.24	0.00	12032.99
14	Total Net Cash Outflows		13358.88		13707.77		13766.06	0.00	16789.42
15	Liquidity Coverage Ratio(%)		55.66		54.40		60.14	0.00	71.67

13. **Disclosures in Terms of MSMED Act 2006**

Details of information relating to purchase of moveable property from Micro and Small Enterprises:

S. No.	Particulars	2015-16		2014-15	
		Principal Amount	Interest	Principal Amount	Interest
1	The principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier.	NIL	NIL	NIL	NIL
2	The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the MSMED Act, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the year.	NIL	NIL	NIL	NIL
3	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under this Act;	NIL	NIL	NIL	NIL
4	The amount of interest accrued and remaining unpaid.	NIL	NIL	NIL	NIL
5	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise , for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Act.	NIL	NIL	NIL	NIL

14. The figures of the previous year have been re-grouped / re-arranged wherever necessary except where information was not available.

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार नकदी प्रवाह विवरणी		
		(000छोडकर)
	2015-16	**2014-15**
(क) परिचालन गतिविधियों के अंतर्गत नकदी प्रवाह		
लाभ–हानि खाते के अनुसार निवल लाभ/हानि	3359724	1213483
समायोजन हेतु		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	9339228	6541015
मूल्यह्रास	169064	462077
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-397	-402
बांड, पीसीपीएस तथा आईपीडीआई पर ब्याज	1290700	1489709
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	**14158319**	**9705882**
समायोजन हेतु		
निक्षेपों में वृद्धि/(कमी)	45352479	19845512
उधारों में वृद्धि/(कमी)	-2092164	11431877
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	1562076	-2074772
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	-36708507	43000647
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	-8132817	-71318530
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	-4843972	-30406788
परिचालन गतिविधियों (क) से नकद प्रवाह	**9295414**	**-19816172**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों में वृद्धि	-379298	-845286
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	397	402
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख)	-378901	-844884
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
नकदी हेतु इक्विटी शेयरों (अंकित मूल्य) को जारी करना	0	304362
उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम	0	1495638
सार्वजनिक निर्गम व्यय	0	-8121
गौण बांड का मोचन	0	-400000
गौण बांडों पर ब्याज, पीसीपीएस एण्ड आईपीडीआई	-1290700	-1489709
इक्विटी पर लाभांश	-660678	-240247
लाभांश आबंटन कर	-134499	-54167
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग)	-2085877	-392244
परिचालन गतिविधियों से नकदी	9295414	-19816172
निवेश गतिविधियों से नकदी	-378901	-844884
वित्तीय गतिविधियों से नकदी	-2085877	-392244
नकदी व नकदी समतुल्य में वृद्धि	**6830636**	**-21053300**
बैंक शेष व नकदी (प्रारंम्भिक)	42195073	63248375
बैंक शेष व नकदी (अंतिम)	49025709	42195073

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2016		
		(000'S OMITTED)
	2015-16	**2014-15**
(A) Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit as per Profit & Loss Account	3359724	1213483
Adjustments for:		
Provisions & Contingencies	9339228	6541015
Depreciation	169064	462077
Profit on sale of Assets	-397	-402
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	1290700	1489709
Operating Profit before working capital changes	**14158319**	**9705882**
Adjustments for:		
Increase / (Decrease) in Deposits	45352479	19845512
Increase / (Decrease) in Borrowings	-2092164	11431877
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	1562076	-2074772
(Increase) / Decrease in Investments	-36708507	43000647
(Increase)/ Decrease in Advances	-8132817	-71318530
(Increase) / Decrease in Other Assets	-4843972	-30406788
Cash Flow from Operating Activities (A)	**9295414**	**-19816172**
(B)Cash Flow from Investing Activities		
Increase in Fixed Assets	-379298	-845286
Profit on sale of Assets	397	402
Cash Flow from Investing Activities (B)	-378901	-844884
(C)Cash Flow from Financing Activities		
Issue of Equity Shares (Face Value) for cash	0	304362
Share Premium received thereon	0	1495638
Public Issue Expenses	0	-8121
Redemption of Subordinated Bonds	0	-400000
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-1290700	-1489709
Dividend on Equity	-660678	-240247
Dividend Distribution Tax	-134499	-54167
Cash Flow from Financing Activities (C)	-2085877	-392244
Cash from Operating Activities	9295414	-19816172
Cash from Investing Activities	-378901	-844884
Cash from Financing Activities	-2085877	-392244
Increase in Cash & Cash Equivalents	**6830636**	**-21053300**
Cash and Bank Balances (Opening)	42195073	63248375
Cash and Bank Balances (Closing)	49025709	42195073

जतिंदरबीर सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मुकेश कुमार जैन
कार्यकारी निदेशक

अरविन्द कुमार जैन
कार्यकारी निदेशक

पी.के.जेना
निदेशक

अनीता कर्णावर
निदेशक

अतनु सेन
निदेशक

एस.आर. मेहर
निदेशक

सुखेन पाल बबूता
निदेशक

एम.एस. सारंग
निदेशक

आई.एस. भाटिया
महाप्रबंधक

दीपक मैनी
महाप्रबंधक

जी.एस. ढल्ल
महाप्रबंधक

डी.डी. शर्मा
महाप्रबंधक

वरिंदर गुप्ता
महाप्रबंधक

हरविंदर सिंह
महाप्रबंधक

आर.के. बंसल
महाप्रबंधक

जी.एस. ढींगरा
महाप्रबंधक

वी.के. मेहरोत्रा
सहायक महाप्रबंधक

ए.एस. अहूजा
सहायक महाप्रबंधक

सी.एम. सिंह
मुख्य प्रबंधक

कृते तिवारी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(देवेन्द्र मागो)
साझेदार
एम.नं. 085739
एफआरएन 002870एन

कृते ढिल्लों एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(राजेश मल्होत्रा)
साझेदार
एम.नं. 090661
एफआरएन 002783एन

कृते धवन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(आई.जे. धवन)
साझेदार
एम. नं. 081679
एफआरएन 002864एन

कृते दविन्दर पाल सिंह एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(हरबन्स सिंह)
साझेदार
एम.नं. 099109
एफआरएन 007601एन

दिनांकः 10 मई, 2016
स्थानः नई दिल्ली

JATINDERBIR SINGH
CHAIRMAN & MG. DIRECTOR

MUKESH KUMAR JAIN
EXECUTIVE DIRECTOR

ARVIND KUMAR JAIN
EXECUTIVE DIRECTOR

P.K. JENA
DIRECTOR

ANITA KARNAVAR
DIRECTOR

ATANU SEN
DIRECTOR

S.R. MEHAR
DIRECTOR

S. P. BABUTA
DIRECTOR

M. S. SARANG
DIRECTOR

I.S. BHATIA
GENERAL MANAGER

DEEPAK MAINI
GENERAL MANAGER

G.S. DHALL
GENERAL MANAGER

D.D. SHARMA
GENERAL MANAGER

VARINDER GUPTA
GENERAL MANAGER

HARVINDER SINGH
GENERAL MANAGER

R. K. BANSAL
GENERAL MANAGER

G. S. DHINGRA
GENERAL MANAGER

V.K. MEHROTRA
ASSTT.GEN. MANAGER

A.S.AHUJA
ASSTT.GEN. MANAGER

C.M. SINGH
CHIEF MANAGER

For Tiwari & Associates
Chartered Accountants

(Devender Magoo)
Partner
M. No. 085739
FRN : 002870N

For Dhillon & Associates
Chartered Accountants

(Rajesh Malhotra)
Partner
M. No. 090661
FRN : 002783N

For Dhawan & Co.
Chartered Accountants

(I. J. Dhawan)
Partner
M. No. 081679
FRN : 002864N

For Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants

(Harbans Singh)
Partner
M. No. 099109
FRN : 007601N

Dated: 10 May, 2016
Place: New Delhi

अनुबंध "A"

पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008
(छठ्वीं वार्षिक सामान्य बैठक) 28.06.2016

फार्म 'बी'
प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

मैं / हम..निवासी............................ जिला............................का / की / के राज्य..पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारक / शेयरधारकों होने के नाते एतद्वारा श्री / श्रीमती ....निवासी .... जिला.................................राज्य...................................को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर श्री / श्रीमती............................के निवासी श्री / श्रीमती...को मंगलवार, दिनांक 28 जून 2016 को प्रातः 10.00 बजे पंजाब एण्ड सिंध बैंक की वार्षिक आम बैठक में जो कि इंडिया इंटरनैशनल सेंटर, 40–मैक्समूलर मार्ग, लोदी एस्टेट,नई दिल्ली–110003 में आयोजित होगी तथा इसके अधिस्थगन होने की स्थिति में मेरी / हमारी ओर से मेरे / हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी– नियुक्त करता हूँ / करते हैं।

.... माह के .... दिन 2016 को हस्ताक्षरित

पंजीकृत फोलियो न. / ग्राहक का आईडी.न.

शेयरों की संख्या

कृपया रसीदी टिकट चिपकाएं

....

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम व पता: ....
....

प्रथम/एकल नामित शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम व पता: ....
....

प्रॉक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं दर्ज करने सबंधी अनुदेश

1. कोई भी प्रॉक्सी प्रलेख वैध नहीं होगा जब तक कि:
   क) व्यक्तिक शेयर धारक के मामले में, यह उसके द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
   ख) संयुक्त शेयर धारक के मामले में यह रजिस्टर में प्रथम शेयर धारक द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
   ग) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए या अटार्नी विधिवत् लिखित रूप में होनी चाहिए।
2. प्रॉक्सी प्रलेख शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा जोकि किसी कारण से अपना नाम नहीं लिख पाता है, यदि उस पर इसका चिह्न है तथा न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्रित अधिकारी या पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित है।
3. प्रॉक्सी के साथः
   क. अटार्नी अधिकार या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है तो) जिसके अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए हैं या
   ख. नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित अटर्नी अधिकार की प्रति पजांब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21–राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008 को वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् वृहस्पतिवार 23 जून 2016 (5.00 बजे सायंकाल) को कार्यसमय समाप्त होने से पूर्व या उस तिथि को प्रस्तुत करनी होगी।
4. यदि संबंधित अटॅार्नी अधिकार पंजाब एण्ड सिंध बैंक में या शेयर ट्रांस्फर एजेंट के पास पहले से पंजीकृत है तो अटार्नी अधिकार का रजिस्ट्रेशन संख्या तथा उसकी तिथि का उल्लेख किया जाए।
5. यदि प्रॉक्सी प्रलेख फार्म "B" पर नहीं है तथा विधिवत् स्टाम्प नहीं है तो वह वैध नहीं माना जाएगा।
6. बैंक में जमा प्रॉक्सी प्रलेख अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा ।
7. यदि प्रॉक्सी प्रलेख विकल्प के रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया जाता है तो एक से अधिक फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा ।
8. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी प्रलेख निष्पादित किया है उसे वार्षिक सामान्य बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगी जिससे वह प्रलेख संबंधित है ।
9. पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी कार्मिक या अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा ।

Punjab & Sind Bank

Annexure-'A'

(A Government of India Undertaking)
Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

{SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING}: 28.06.2016

FORM 'B'

PROXY FORM

[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We………..Resident of…………………………………………………………….in the district of ………………………………………………………. in the State of …………………………………………… being a shareholder /shareholders of the Punjab & Sind Bank, hereby appoint Shri/Smt ……………………………………………………………………. resident of…………………………………………in the district of ………………………………in the State of ……………………………………or failing him/her, Shri/Smt ……………………………………………………………………. resident of ………………………………… in the district of …………………………………… in the State of ……………………………………… as my / our proxy to vote for me/ us and on my / our behalf at the Sixth Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank to be held on **Tuesday the 28th June, 2016** at 10.00 A.M. at India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodi Estate, New Delhi – 110 003 and at any adjournment thereof.

Signed this ………………. day of ……………. 2016

Regd. Folio No./Client ID:
No. of Shares

Please affix Revenue Stamp

………………………

Signature of Proxy

Name & Address: ……………………………….

…………………………………………………………

…………………………………………………………………

Signature of the sole / first named shareholder

Name & Address: …………………………………………

…………………………………………………………………

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Punjab & Sind Bank.
3. The proxy together with : (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or (b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with **Punjab & Sind Bank, HO Shares Cell, 1st Floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of **Thursday, the 23rd day of June, 2016 (5.00 p.m.).**
4. In case the relevant Power of Attorney is already registered with Punjab & Sind Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank.

अनुबंध "बी"

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय–21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

उपस्थिति पर्ची
छठवीं वार्षिक सामान्य बैठक

इंडिया इंटरनैशनल सेंटर, 40 मैक्स मूलर मार्ग,

लोधी एस्टेट, नई दिल्ली–110003

मंगलवार, 28 जून, 2016 प्रातः 10.00 बजे

(कृपया उपस्थिति पर्ची को पूर्ण रूप से भर दें एवं बैठक हॉल के पंजीकरण काउंटर पर उसे सौंप दे)

डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी पंजीकृत फोलियो			
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय – 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

प्रवेश पास
छठवीं वार्षिक सामान्य बैठक

(इस प्रवेश पर्ची को बैठक के दौरान सुरक्षित रखा जाए)

इंडिया इंटरनैशनल सेंटर, 40 मैक्स मूलर मार्ग,

लोधी एस्टेट, नई दिल्ली–110003

मंगलवार, 28 जून, 2016 प्रातः 10.00 बजे

डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी पंजीकृत फोलियो			
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

नोट– मतदान की स्थिति में मतपत्र केवल प्रवेश पास पर जारी किया जाएगा।

Annexure-'B'

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

ATTENDANCE SLIP
SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING

INDIA INTERNATIONAL CENTRE, 40-MAX MUELLER MARG,

LODI ESTATE, NEW DELHI – 110 003

TUESDAY, JUNE 28, 2016, 10.00 a.m.

[Please fill in the Attendance slip and hand it over at the Registration counter]

Regd. Folio/ DP & Client ID s			
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative			

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING

INDIA INTERNATIONAL CENTRE, 40-MAX MUELLER MARG,

LODI ESTATE, NEW DELHI – 110 003

TUESDAY, JUNE 28, 2016, 10.00 a.m.

Regd. Folio/ DP & Client ID			
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative			

Note : Ballot Paper for polling will be issued against the entry pass only.

NOTES

महाप्रबंधक / General Managers

श्री आई.एस. भाटिया

श्री एम.जी. श्रीवास्तव
Sh. M.G. Srivastava

श्री दीपक मैनी
Sh. Deepak Maini

श्री जी.एस. ढ़ल्ल
Sh. G.S. Dhall

श्री डी.डी. शर्मा
Sh. D.D. Sharma

श्री वीरेन्द्र गुप्ता
Sh. Varinder Gupta

श्री एस.सी. क्वात्रा
Sh. S.C. Kwatra

श्री जी.एस. नारंग
Sh. G.S. Narang

श्री हरविन्दर सिंह
Sh.Harvinder Singh

श्री आर. के. बंसल
Sh. R.K.Bansal

श्री रमिन्दरजीत सिंह
Sh. Raminderjit Singh

श्री जी.एस. ढींगरा
Sh. G.S. Dhingra

Social Banking Excellence Award 2015

Social Banking Excellence Award- 2015 conferred on the Bank by ASSOCHAM under Small Bank Class & Rural Banking category for providing Rural Banking services.

National Payment Excellence Award 2015

In National Payments Excellence Award 2015, Bank won Joint Runner Up Trophy in Small Banks Category for NFS products.

Certificate of Excellence

Ministry of Rural Development awarded Certificate of Excellence to Bank sponsored RSETI, Faridkot and Moga for securing "AA" grade under category II for the year 2013-14.

Govt's Sovereign Gold Bond Scheme

In Govt's Sovereign Gold Bond Scheme Bank figured among top 10 receiving agencies in terms of subscription.

Printed at : MP Printers (A Unit of DB Corp. Ltd.) Noida 201 305

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय: 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली– 110008

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Head Office : 21, Rajendra Place, New Delhi - 110 008

वेबसाइट / Website : www.psbindia.com